खण्ड-467, अंक-6
मंगलवार, 30 माघ, शक संवत् 1929
(19 फरवरी, 2008 ई0)

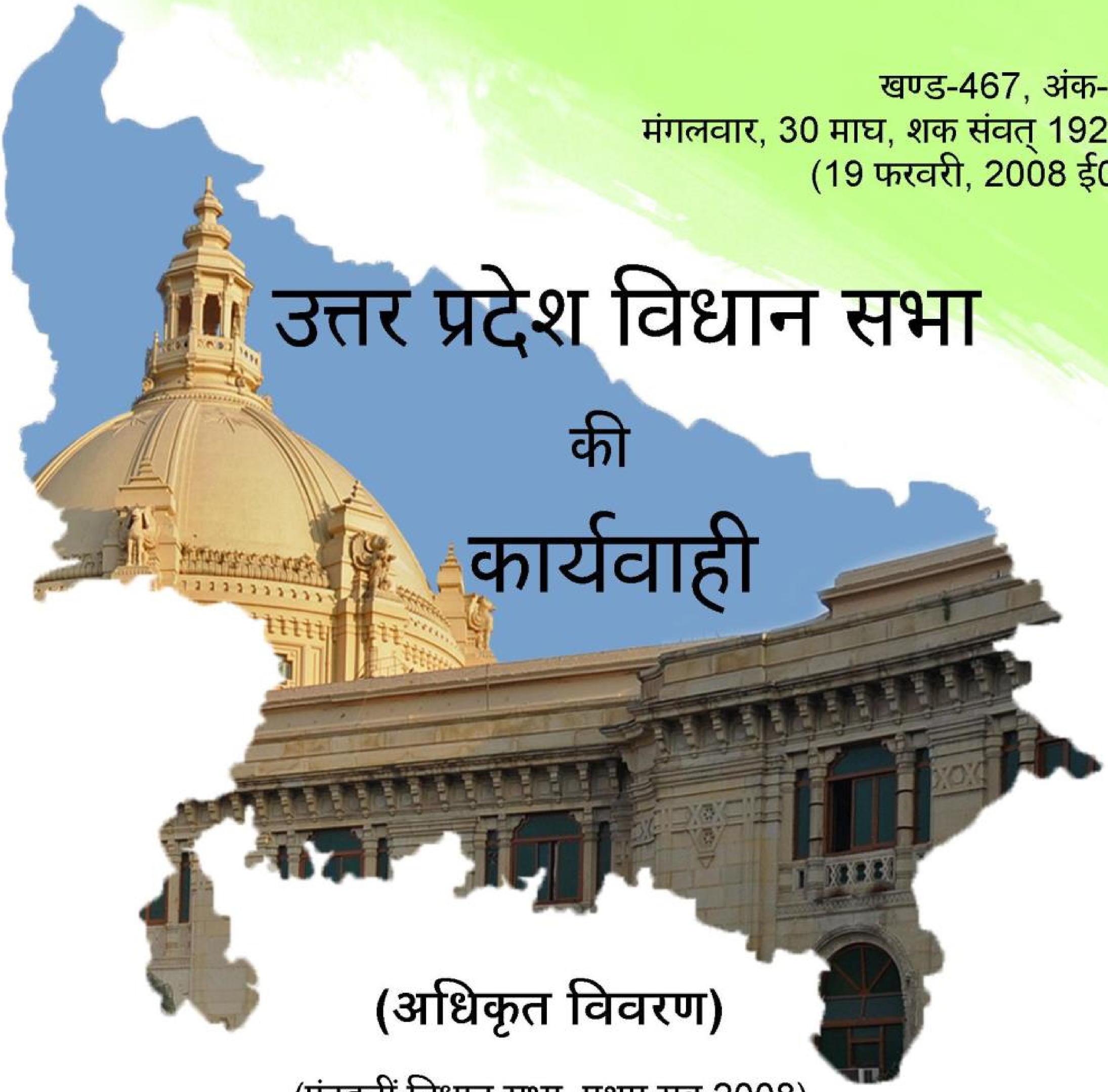

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2008)

खण्ड 467 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को सुने जाने की मांग ...	1
प्रश्नोत्तर	1-77
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	77
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	77-78
लखनऊ स्थित लक्ष्मण मेला ग्राउण्ड पर पौधा रोपण का कार्य निरस्त कर पूर्व की भांति सामाजिक एवं अन्य कार्यों का आयोजन करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78-79
गोरखपुर के थाना शाहपुर अन्तर्गत मौर्या हास्टल से 15 वर्षीय दलित छात्रा के अपहरण की प्राथमिक सूचना दर्ज करके अभियुक्तों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	79
लखनऊ के कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त नटखेड़ा रोड का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79-80
आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गावों में अधूरे विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	80
मुजफ्फरनगर के जलालाबाद नगर पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	80
खीरी के विकास खण्ड बांकेगंज के ग्राम अलीगंज में स्वीकृत पावर स्टेशन के रूके निर्माण को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81
उन्नाव सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम करनीपुर में अनुसूचित जाति की बस्ती में आवागमन के रास्ते को बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81
रामपुर के तहसील भवन विलासपुर के जर्जर भवन का नव निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81-82
कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत 14 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	82

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
बांदा के तिन्दवारी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गावों में राजकीय नलकूप लगाये जाने एवं खराब नलकूपों को शीघ्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83
प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83-84
सराय ताल्लुका छित्तौना (बिजलीपुरा क्षेत्र) जिला शाहजहांपुर में दबंगों का कब्जा हटाने एवं चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84-85
वाराणसी में घरेलू गैस की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85
गाजीपुर के जमानियां क्षेत्रान्तर्गत गाजीपुर-जमानियां राष्ट्रीय राजमार्ग पर परिवहन निगम द्वारा पर्याप्त संख्या में बसों का संचालन एवं चोचकपुर तथा धरमरपुर में यात्री प्रतीक्षा शेड का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	86-87
जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भोराकला अन्तर्गत ग्राम-आदमपुर के मृतक ग्राम प्रधान के परिवार को सुरक्षा प्रदान किये जाने विषयक मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उचित कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना ...	87-90
पन्द्रहवीं विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन न होने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना	90-91
जनपद शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में वैकलाग को पूर्ण करने हेतु समूह 'घ' की सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया की जांच विषयक नियम-301 के अन्तर्गत दी गई सूचना का उत्तर समय सीमा के अन्दर न मिलने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना	91-93
नये परिसीमन से बदले विधान सभा क्षेत्रों के स्वरूप में विधायक निधि खर्च किये जाने पर नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना	93-94
श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई'' सदस्य, विधान सभा के स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	94

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 एवं 2005-2006 के वार्षिक लेखों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	95
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयी)	95
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	95
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	96
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की नियम समिति (2007-2008) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	96
जनपद बागपत के मुख्य उप नगर बड़ौत के बीच से निकलने वाले मीरापुर रजबहे की सिल्ट सफाई तथा आबादी वाले क्षेत्र को पक्का कराये जाने विषयक श्री बच्चू सिंह राणा आदि की हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गई)	96
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित) ...	96-97
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित) ...	97
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित)	97-98
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	98-99
लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान के अस्तित्व को समाप्त किये जाने विषयक सूचना को तात्कालिक एवं अविलम्बनीय होते हुए भी अग्राह्य किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	99-101
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	101-138
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	138-182
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	182-183

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) 183-185

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति शासन की नीति के अनुरूप न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य 185-186

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के डार्क घोषित विकास खण्डों में निःशुल्क बोरिंग, सामान्य नलकूप कनेक्शन योजना बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अनिल चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य 186-187

गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में शासकीय आदेशों का अनुपालन न किये जाने से बी0पी0एल0 सूची का पुनर्सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य 188-191

आगरा शहर में दूषित पेयजल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य 191-192

प्रदेश में खराब बिजली मीटर के उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाट 500 यूनिट बिजली का बिल वसूलने का आदेश निर्गत करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य... ... 192-193

जनपद सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर में पाले के कारण हुई फसलों के नुकसान से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य.. 193-195

जनपद सहारनपुर स्थित थाना-बिहारीगढ़ के ग्राम-सुन्दरपुर के श्री सलीम अहमद के घर आगजनी के कारण हुई मौत से प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इमरान मसूद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ... 195-196

जनपद लखीमपुर खीरी स्थित मोहम्मदी नगर पालिका अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु सब-स्टेशनों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा राज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य 196-197

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में बांसी नदी की कटान से प्रभावित ग्रामों के पुनर्वास के सम्बन्ध में डा0 पी0के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ... 197-198

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 198-199

जनपद जौनपुर के थाना सराय ख्वाजा के ग्राम अफलेपुर निवासी श्री राजाराम जायसवाल के ऊपर प्राणघातक हमला करने वाले नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य.. 199-200

बुन्देलखण्ड में गरीबों के लिए बी0पी0एल0 की सूची शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य 201-202

''राष्ट्रपति पुलिस शौर्य पदक'' एवं ''पुलिस शौर्य पदक'' प्राप्त प्रदेश के अधिकारियों, अर्द्ध सैनिक/पुलिस बल के जवानों को सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 202-203

नत्थी 204-205

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य 318

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह) सुल्तानपुर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री कानपुर देहात
काजिम अली उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
कार्शाराम, श्री रामपुर
कुवेर सिंह, श्री एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री बागपत
कौशल किशोर, डा0 लखीमपुर खीरी
गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री लखनऊ
घूराराम, श्री बलिया
चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
छोटे सिंह, श्री जालौन
जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
जगपाल, श्री सहारनपुर
जमुना निषाद, श्री गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
जावेद अंसारी, श्री जौनपुर

जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
तौफीक अहमद, श्री सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
दयाराम, श्री कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
दीपक कुमार, श्री उन्नाव
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
दूधराम, श्री बस्ती
धनीराम वर्मा, श्री औरैया
धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
धीरेन्द्र प्रताप सिह, श्री बलरामपुर
धू राम लोधी चौधरी, श्री हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा
'इंजीनियर', श्री ललितपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहाँपुर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
फतेह बहादुर श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झांसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीर नगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम खां, श्री	बदायूं
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम , श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिबगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0 एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्ध नगर

नोट- लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास एवं गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी), सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य), भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा)भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को सुने जाने की मांग

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने आज नियम-311 के अन्तर्गत एक नोटिस दी है। मान्यवर, आज समाजवादी पार्टी के विधायकों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आयी है तब से यह मुकदमें दर्ज हुए हैं। चालीस से ऊपर हमारे विधायकों के ऊपर मुकदमें दर्ज हुए हैं और निरन्तर इसकी प्रक्रिया जारी है। मान्यवर, इस तरह से माननीय विधायकों को बेइज्जत किया जा रहा है। विपक्ष के अन्य माननीय सदस्यों के साथ भी इसी तरह की कार्यवाही हो रही है। यह सभी विधायकों के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

बाद में सुन लेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, हमने भी गंगा एक्सप्रेस वे के सम्बन्ध में एक नोटिस दी है 311 में।

श्री अध्यक्ष-

उसको नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, तमाम विद्यार्थी बोर्ड की और अन्य प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में बैठ रहे हैं और यह परीक्षायें मार्च/अप्रैल तक चलेंगी लेकिन विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी खराब है। इसकी बाबत हमने एक नोटिस दी है।

श्री अध्यक्ष-

उसको लिया है सुनने के लिये।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, मुगलसराय में मंदिर से करोड़ों रुपये की सम्पत्ति चोरी हो गयी है। लोग धरने पर बैठे हुए हैं उसकी बाबत एक नोटिस दी है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, समय मिल जायेगा तो देख लेंगे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के ग्रामीण अंचल के मरीजों को जिला अस्पताल तक पहुंचाने के लिये एम्बुलेन्स की व्यवस्था की मांग

**1-श्री जोखू लाल यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अंचल के मरीजों को जिला अस्पताल तक पहुंचाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ''एम्बुलेन्स'' की उपलब्धता एवं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रख-रखाव के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्य-योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्रा)-

जी हां।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 की पी0आई0पी0 में प्रस्तावित किया गया है कि प्रदेश के चिन्हित 23 जनपदों में गम्भीर रोगियों (गर्भवती माताओं एवं बच्चों) के संदर्भन हेतु एम्बुलेन्स की व्यवस्था की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र की अस्सी फीसदी जनता से जुड़ा हुआ यह सवाल है। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति बहुत खराब है। जब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जब मरीज आता है तो जो एम्बुलेंस के रख-रखाव की व्यवस्था है उसमें यदि उसे जिला अस्पताल पहुंचाना हो तो गम्भीर रूप से बीमार मरीज की बहुत बार रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेंस के रख-रखाव की क्या व्यवस्था है ? इसके अतिरिक्त, आपने जो उत्तर दिया है उसमें जिस पी0आई0पी0 योजना का उल्लेख किया गया है वह योजना क्या है ? यह 23 चिन्हित जिले कौन-कौन से हैं जहां पर एम्बुलेंस के रखरखाव की व्यवस्था करना चाहते हैं। मान्यवर, यह वित्तीय वर्ष बीतने को है इसके अन्तर्गत आपने कितने एम्बुलेंस खरीदे हैं ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

मान्यवर, यह जो 23 जनपद हैं वह हैं गौतमबुद्ध नगर, हाथरस, अम्बेडकरनगर, जालौन, अलीगढ़, प्रतापगढ़, आजमगढ़, झांसी, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, बांदा, बहराइच, फैजाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सहारनपुर, मिर्जापुर, कन्नौज, वाराणसी, खीरी, ललितपुर और औरैय्या। यह प्रथम चरण है। मान्यवर, वर्ष 2012 तक पूरे प्रदेश में सी0एच0सी0 स्तर तक एम्बुलेंस की व्यवस्था हम कर देंगे। वर्तमान में सी0एच0सी0 स्तर तक एम्बुलेंस की व्यवस्था की बात है जिसमें जो निराश्रित, अन्डर ट्रायल कैदी और इमरजेंसी केसेस तथा गर्भवती मातायें और बच्चें होते हैं, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध होती है। मान्यवर, यह एन0एच0आर0एम0 का प्रोग्राम है। वर्ष 2012 तक पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस की व्यवस्था सी0एच0सी0 स्तर तक कर देंगे। इसमें रोटेशन में तीन ड्राइवर और मेडिकल कर्मी 24 घंटे उपलब्ध करायेंगे।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिन जिला मुख्यालयों पर जिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस उपलब्ध है वह वक्त जरूरत पर मरीजों को मिल जाय क्या इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कोई तैयारी की जाती है ? क्योंकि कई बार हमने देखा है, मैं एक

विशेष घटना बताना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कि 21 दिसम्बर के दिन कई मुसलमान भाई आजमगढ़ में एक धार्मिक कार्यक्रम था, उससे लौट रहे थे और हमारे सुल्तानपुर में उनकी मारूति वैन ओवर ब्रिज से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। 8 लोग उसमें गम्भीर रूप से घायल हुए और अस्पताल की एम्बुलेंस उनको 2 घंटे तक नहीं मिल पाई। हम लोगों को अपने निजी साधनों से उनको लखनऊ मेडिकल कालेज भेजना पड़ा तो माननीय मंत्री जी यह बता दें कि जहां पर एम्बुलेंस उपलब्ध होते हुए भी मरीजों को नहीं मिल पाती तो क्या वहां के जिम्मेदार सी0एम0ओ0 के खिलाफ या अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

मान्यवर, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसे प्रकरणों में जो एम्बुलेंस उपलब्ध होती है वह जिला चिकित्सालय को सूचना देने पर जिला चिकित्सालय वहां पर भेजने का काम करता है। यह निःशुल्क नहीं होती है वह 5 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से होती है इसका व्यय होता है। दूसरी चीज यह निराश्रित जैसा कि पहले बताया था अंडर ट्रायल और इमरजेंसी पेशेन्ट के लिए फ्री आफ कास्ट होती है और निश्चित रूप से अगर किसी भी इस तरह की घटना को हमारे संज्ञान में लाया जायेगा तो कार्यवाही सुनिश्चित होगी।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, मैं मात्र इतना मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें वह मरीज अस्पताल में ले जाये गये थे, भर्ती कराये गये उनको रिफर करने के बाद उनको एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध हुई, यह बात मंत्री जी को मालूम होनी चाहिए।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक महत्वाकांक्षी योजना जो उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से चल रही है यू0पी0 एच0एस0डी0पी0 और जिसमें प्रदेश के 31 जनपद चयनित हैं जिसमें कुशीनगर भी है। एम्बुलेंस उसमें उपलब्ध करायी गयी थी। बड़ी एम्बुलेंस उसमें उपलब्ध कराई गयी है टेम्पो ट्रेवलर। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो एम्बुलेंसस यू0पी0एच0एस0डी0पी0 के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी है चाहे वह पी0एच0सी0 पर हो चाहे सी0एच0सी0 पर हो, उन एम्बुलेंस से क्या रोगियों को ढोने का कार्य किया जा रहा है ? क्या इस बात की आप जानकारी हासिल करने की कृपा करेंगे कि कितने रोगी अब तक उससे ढोये गये हैं ? जहां तक मुझे जानकारी है और निश्चित जानकारी है कि उन एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल केवल अधिकारियों के चलने के, वी0आई0पी0 ड्यूटी के और दवाइयों को ले जाने लाने के लिए होता है। इसका कारण या तो उसका रेट ज्यादा है इसलिए जो मरीज रेफर किया जाता है वह मरीज उन एम्बुलेंसेस से न जाकर प्राइवेट गाड़ियों को करके तब हायर सेन्टर्स पर जाया करता है तो कृपया इसका परीक्षण करा लें कि उन एम्बुलेंसेस पर कितना खर्च हो रहा है और उन एम्बुलेंसेस से अब तक कितने मरीजों को ढोया गया है। दूसरा, जैसा माननीय विधायक अनूप सण्डा जी ने प्रश्न किया है कि जिला चिकित्सालय पर जो एम्बुलेंस आपके हैं, बड़ी

मुश्किल से मैंने खुद देखा है कि वी0आई0पी0 ड्यूटी में जब एम्बुलेंस लगाई जाती है तो उसमें देखना पड़ता है कि कौन सी एम्बुलेंस ठीक है, कहीं पर दो एम्बुलेंस भी है, कहीं पर एक एम्बुलेंस है उतने के लिए उस एम्बुलेंस को जल्दी-जल्दी ठीक कराया जाता है तब वह वी0आई0पी0 ड्यूटी करती है। सामान्यतः उन एम्बुलेंसेस से मरीजों का ट्रांसपोर्ट हायर सेन्टर्स पर नहीं किया जाता है जिससे कि मरीज की जान की रक्षा हो सके वह नहीं हो पाती है, इस पर मैं आपका मत जानना चाहता हूं।

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो एम्बुलेंस की व्यवस्थायें हैं वह सुचारु रूप से चल रही है। सीएचसी लेबिल पर वह एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारे पास है, पीएचसीस पर हमारे पास नहीं है। यू0पी0एच0एस0डी0पी0 की जो एम्बुलेंस चल रही है वह निश्चित रूप से हमारे विभाग से संबंधित है। इन पर पोलियो का जब कार्यक्रम चलता है तो इनका इस्तेमाल किया जाता है जरूर लेकिन इसके बावजूद भी जब नार्मल एम्बुलेंस की जरूरत होती है तो उनका सुनिश्चित प्रयोग किया जाता है उसके लिए संविदा पर स्टाफ भी है और उसका उपयोग किया जाता है।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि उन एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल, जो यू0पी0एच0एस0डी0पी0 के द्वारा दी गयी हैं, उन एम्बुलेंसेस से मरीजों के ढोने का कार्य नहीं हो रहा है, कृपया माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2007-2008 में पी0 आई0 पी0 में प्रस्तावित किया गया है, मान्यवर, यह पी0आई0पी0 क्या है ? यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा और यह जो प्रश्न है यह किसी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के सम्बन्ध में नहीं है। यह जो मूल प्रश्न है कि ग्रामीण अंचलों में एम्बुलेंस की उपलब्धता क्या है उनके रखरखाव की पी0 एच0 सीज पर क्या व्यवस्था है और पी0एच0सीज पर जो उनकी व्यवस्था नहीं है, उसके मुताल्लिक आपका इंतजाम क्या है ? अगर पी0आई0पी0 का अर्थ प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन प्लान है तो हम यह नहीं पूछ रहे हैं। अगर कोई दूसरा अर्थ हो, तो बता दें और एक योजना में प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान का हिन्दी बता दें, मुझे तो कठिनाई है कि मैं इसका ठीक अर्थ शायद न समझ पाऊं तो त्रुटि हो जायेगी। हम किसी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं सोचते। प्रश्न यह है कि पूरे प्रदेश में ग्रामीण अंचलों से इमरजेंसी के मरीजों को ले जाने के लिये एम्बुलेंसेस की उपलब्धता क्या है और मैं अगर एक जनपद का माडल देना चाहूं तो बलिया जनपद का आपका क्या नार्म है कि आपके कितने एम्बुलेंसेस वर्किंग कन्डीशन में हैं। आप यह बता दीजिये तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा। इसके साथ में, मैं पूछना यह चाहता हूं कि

इन एम्बुलेंसेस के इस्तेमाल के लिये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मरीजों को क्या निःशुल्क ले जाने के लिये कोई शासनादेश है ? यदि है तो उसका सन्दर्भ बता दें ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पी0 आई0 पी0 का मतलब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, इसमें एक कार्य योजना हम लोगों ने बनाई है ट्रांसपोर्टेशन के लिये, मरीजों को लाने, ले जाने के लिये। उसमें जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है कि निराश्रित कैदी और इमरजेंसी, इसमें हम निःशुल्क करते हैं बाकी 5 रुपये कि0मी0 सबके लिये है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं शायद प्रश्न स्पष्ट नही कर सका, क्षमा चाहता हूं। क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले मरीजों को आवश्यकता होने पर निःशुल्क एम्बुलेंन्स देने की कोई व्यवस्था या शासनादेश है, सीधा प्रश्न, उत्तर हां या न बता दें ? दूसरा प्रश्न, कि एक जनपद में कितने एम्बुलेंस आपके टोटल ग्रामीण एरिया में किस नार्म के हिसाब से हैं ? हमने किसी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यक्रम थोड़े पूछा है, हम तो ग्रामीण अंचलों में एम्बुलेंस की उपलब्धता पूछ रहे हैं, जिन-जिन स्कीम्स से आप ले आइये, आपको धन्यवाद है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जो एम्बुलेंस उपलब्ध हो रहे हैं, जो 5 रुपये कि0मी0 का है, इसको यह बता दिये हैं। दूसरा आप पूछ रहे हैं कि एम्बुलेंस की पोजीशन क्या है ? अब उसकी सूचना में तो समय लगेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरा सीधा प्रश्न है। क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मरीजों को एम्बुलेंस से निःशुल्क ले जाने का कोई शासनादेश है, तो बता दें ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

इनको बार-बार बताया जा चुका है कि निःशुल्क किन-किन लोगों के लिये है अगर गरीबी रेखा से नीचे वाला कोई निराश्रित है तो उसको सुविधा मिलेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मरीजों को निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी, यह बता दीजिये।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, निश्चित रूप से इस योजना के अन्तर्गत जो 25 लाख रुपये स्वीकृत हुये हैं, यह 214 ब्लाकों के लिये उपलब्ध हैं। यह जितने भी ब्लाक हैं ग्रामीण अंचलों के ही हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार गरीबों को सुविधायें देने के लिये कटिबद्ध है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों के लिये एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की योजना आपकी नहीं है तो इसे स्वीकार करें और इसके लिये आगे विचार करें। कम से कम यह तो कहें कि विचार करेंगे ? मान्यवर, यह सरकार विचार भी नहीं करना चाहती है। गरीबों को सुविधायें देने का ढिढोरा तो पीटते हैं लेकिन इस पर विचार ही नहीं करना चाहते हैं कि एम्बुलेंस उपलब्ध करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

हो गया, अगला प्रश्न लें।

(मा0 सदस्य श्री जोखू लाल यादव एवं श्री राम विशुन आजाद के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 यादव जी पूरा उत्तर आ गया है अब अगले प्रश्न पर पूछ लें।

श्री राम विशुन आजाद-

सदन से वाक आउट करो यार।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, सरकार ने जो प्रस्ताव किया था एम्बुलेंस के लिये, मान्यवर, एक भी एम्बुलेंस नहीं खरीदी गयी वर्ष 2007-2008 में। जो मा0 मंत्री ने प्रस्ताव रखा था, 2007-2008 में तो क्या आपने एक भी एम्बुलेंस खरीदी ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने बता दिया कि व्यवस्था है, आप क्यों पीछे जा रहे हैं ? अब आप लोग अगले प्रश्न पर अनूपुरक प्रश्न पूछें।

"मिड डे मील" में विद्यार्थियों को पके भोजन के स्थान पर सूखा भोजन दिये जाने की मांग

**2-डा0 अनिल चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "मिड डे मील" में विद्यार्थियों को दी जाने वाली खुराक की निम्न-स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए क्या शासन "मिड डे मील" में पके भोजन के स्थान पर सूखा भोजन यथा-लइया चना, चिवड़ा, बिस्कुट, फल, सत्तू, गुड़ इत्यादि देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रिट या0सं0-196/2001 में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28-11-2001 के अनुपालन में गरम पका-पकाया भोजन मध्यान्ह भोजन भोजनान्तर्गत उपलब्ध

कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न में 2/3 भाग चावल तथा 1/3 भाग गेहूं उपलब्ध कराया जाता है जिसे पके-पकाये भोजन में परिवर्तित कर बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश गरम पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराये जाने के हैं, लइया चना, चिड़वा, बिस्कुट, फल, सत्तू, गुड़ इत्यादि पके-पकाये भोजन की श्रेणी में नहीं आते हैं।

श्री अनिल चौधरी-

मान्यवर, मैंने बेसिक शिक्षा विभाग से मिड डे-मील के जो आंकड़े मंगाये उसके मुताविक साढ़े चार सौ किलो कैलारी गुणवत्ता का भोजन, जिसमें 12 ग्राम प्रोटीन बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है प्रत्येक दिवस में। मेरे पास जो बुक्स के आंकड़े हैं उसके मुताबिक चार से छः वर्ष के बच्चे के लिये 17 सौ किलो कैलोरी ऊर्जा और प्रोटीन का रिक्वायरमेंट 29 ग्राम है। सात से नौ वर्ष के बच्चों के लिये 2075 किलो कैलोरी ऊर्जा और प्रोटीन 40 ग्राम चाहिये और दस से ग्यारह वर्ष के बच्चों में 2194 किलो कैलोरी ऊर्जा और प्रोटीन बालकों के लिये 91.9 ग्राम तथा बालिकाओं के लिये 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मेरा और सभी इस सदन के लोगों का मानना है कि मिड-डे-मील में जो तीन मुख्य भोजन हैं, उसका एक तिहाई होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न उपस्थित करें क्या जानना चाहते हैं ?

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, एक दिन में कोई भी व्यक्ति जो तीन मुख्य भोजन लेता है उसमें से एक भोजन मिड-डे-मील है तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो बच्चे का रोजाना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है और हमारे अधिकतर बच्चे कुपोषित हैं तो प्रोटीन की मात्रा मिड-डे-मील में बढ़ाने पर क्या सरकार विचार करेगी ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने अपने आप ही कह दिया है कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन हुआ तो सभी विद्यार्थियों को 450 किलो कैलोरी ऊर्जा तथा 12 ग्राम प्रोटीन और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के लिये 700 किलो कैलोरी ऊर्जा तथा 20 ग्राम प्रोटीन निर्धारित है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के पूछने का आशय व्यवहारिकता और बच्चों का स्वास्थ्य है। मान्यवर, आपको भी पता है, सरकार को भी पता है कि जो पका-पकाया भोजन देने की स्थिति चल रही है वह संतोषजनक नहीं है। मेरा भी आज अतारांकित प्रश्न लगा है। पके-पकाये भोजन में जहर पाया गया है और बच्चे बीमार हुए हैं। आपने भी उसे स्वीकार किया कि जहर मिला पाया गया है, वह भी स्वीकार किया कि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

केस पुलिस को भी दे दिया गया, जांच चल रही है। इन केसों की पुनरावृत्ति न हो इसलिये यह प्रश्न किया गया ? मान्यवर, जहरीला कैसे बन गया, जब 12 घण्टे पहले आप भोजन पकाकर रख देंगे और सुप्रीम कोर्ट की आड़ में 12 घण्टे पुराना भोजन देंगे तो जहर तो हो ही जायेगा। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं पर इस बात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है कि आप फल नहीं दे पायेंगे, पका-पकाया भोजन की बात उन्होंने इसलिये कही कि आपको ताजा भोजन देना चाहिए। जिन चीजों का जिक्र किया वह भी पका-पकाया है। मान्यवर, बिस्कुट बना-बनाया तैयार है और जो आपने कहा कि चिवड़ा, बिस्कुट और सत्तू है ये सब चीजें ऐसी हैं जो पककर तैयार हुई है इसलिए इसमें सम्भावना नहीं रह जाती कि वह खाना बना-बनाया खराब हो जाए। क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में इस भोजन पर जिसका सुझाव दिया गया है, को देने पर कोई प्रतिबंध लगाया है ? मैंने भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उन राज्यों के लिए आदेश के रूप में है जिन राज्यों में खाना नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की थी कि आप लोग खाना क्यों नहीं दे रहे हैं ? जब ये सारी व्यवस्था केन्द्र सरकार के द्वारा हो रही है, डब्लू0एच0ओ0 के द्वारा हो रही है और इस बात पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध आपके ऊपर कहां लगाया कि आप फल नहीं देंगे, चिवड़ा व सत्तू नहीं देंगे ? क्या आप सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आधार मान करके जो कि केवल एक मार्गदर्शन आपको दिया गया है, प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कार्यक्रम सरकार का है इन सारे प्रश्न पर पुनः विचार करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे प्रकार का भोजन मिल सके ? दुबारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। कोई जनपद नहीं है जहां से शिकायत न आ रही हो, बच्चों को पुराना भोजन/बासी दे दिया, बच्चे बीमार हो गये। इन चीजों की पुनरावृत्ति न हो तो क्या इस व्यवस्था में और कोई सुधार करने का आप प्रयास करेंगे ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सिंह साहब मेरे बुजुर्ग भी हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं, मा0 सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पका-पकाया और गरम भोजन का है। पका-पकाया और गरम में न बिस्कुट आता है न फल आता है, न सत्तू आता है, इसलिए गरम और पका-पकाया भोजन केवल विद्यालयों में दिया जा रहा है मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार।

श्री हुकुम सिंह-

आप गरमा-गरम के पीछे ज्यादा पड़ गये। जो भोजन रात को 12.00 बजे तैयार हो गया और 10.00 बजे आप उसको बच्चों को देंगे तो वह गरम रह जायेगा क्या ? गरम ही देना है तो चिवड़ा को दोबारा गरम कर दीजिए, कौन मना कर रहा है आपको ? ब्रेड को मंगाकर गरम करके दे दीजिए, प्रेम से खा लेंगे। पुरानी बासी सब्जी बना करके दे रहे हैं, 12-12 घण्टे पहले का दे रहे हैं। अध्यापक को भी कोई काम नहीं रहा पढ़ाने का, आधी जनसंख्या वहां ऐसी है जो खिचड़ी खाने के लिए आती है उसके बाद चली जाती है। हमारा इससे शिक्षा का सारा का सारा कार्यक्रम चौपट होता चला जा रहा है उसमें आकर्षण बासी भोजन तक सीमित रह गया,

पढ़ने-पढ़ाने का नहीं चला। इस कारण सुझाव दिया था कि विचार कर लें, इस कार्यक्रम की समीक्षा कर लें अगर गुंजाइश हो तो सुधार करें अगर गुंजाइश न हो तो न करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, जितने भी जनप्रतिनिधि यहां पर बैठे हुये हैं, इस मिड-डे-मिल के बारे में सबको जानकारी है कि क्या हो रहा है ? मैंने अपने पूरे विधान सभा क्षेत्र के हर एक गांव के स्कूल में जाकर देखा है इसमें सुधार कैसे हो ? इतनी बड़ी धनराशि जो केन्द्र से आती है बच्चों का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो ? हम जब स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे सुबह से ही आएंगे और कटोरा घण्टी बजाना शुरू कर देंगे हमने कई स्कूलों में टीचर्स से पूछा कि मिड डे मिल में क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा कि हमारा काम केवल इतना है कि यह बच्चे आ गए हैं इनको उल्टा सीधा भोजन खिलाकर भगाना है।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक प्रश्न पूछिये ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

यह जो मिड डे मील योजना है इसमें जो पैसा आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गरम भोजन दिया जाय वह गरम भोजन कैसे दिया जाय उनको यह गरम भोजन नहीं मिल रहा है आज की पूड़ियां बच गई तो अगले दिन वह बच्चों को दे देते हैं जिससे आए दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसमें सुधार कैसे हो ताकि उन बच्चों को अच्छा भोजन मिल सके ?

श्री अध्यक्ष-

आप सीधा अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

इसमें जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है बच्चे जो आते हैं वह केवल भोजन करने आते हैं उनको अच्छा और ठीक मात्रा में भोजन कैसे मिले और इस पैसे का ठीक प्रकार से उपयोग हो इसके बारे में कोई योजना बनाएंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी सिरोही जी के सुझाव आए हैं उनको ग्रहण कर लें।

श्री उदय राज-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे तमाम सम्मानित साथियों ने मिड-डे मील योजना में जो बात हो रही है उसके बारे में अपने सुझाव रखे हैं मैं केवल मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि मिड डे मील योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को भोजन देने की व्यवस्था जो की गई है उसका एक मेन्यू निर्धारित किया गया है। सप्ताह के सात दिन में किस दिन क्या बनाया जायेगा, इसके भी निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन अगर आप जाकर देखें तो पता चलेगा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर शायद ही कोई ऐसा विद्यालय हो जहां यह योजना इस निर्देश के

मुताबिक संचालित हो रही हो पता चलेगा कि पूरे सप्ताह केवल खिचड़ी बनाई जा ही है ? मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि जो मेन्यू निर्धारित है उसके अनुसार बच्चों को भोजन दिया जायेगा व इसकी व्यवस्था मंत्री जी करांएगे। दूसरे अभी हाल ही में अनेकों समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी आई व कहीं-कहीं यह हुआ है कि विद्यालय के अन्दर अगर कहीं दलित समाज की किसी महिला को खाना बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसका बड़े पैमाने पर विद्यालय के अन्दर विरोध हो रहा है तो जहां इस तरह की घटनाएं हो रही है उनको रोकने के लिए ताकि बच्चों के अन्दर वैमनस्यता न पैदा हो इसको रोकने के लिए सख्त कार्यवाही मंत्री जी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपका मोबाइल बज रहा है। आप मिड डे मील की बात करते हैं और साथ में अपना बच्चा भी लाते है।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मैं पहले सदस्य को यह बताना चाहता हूं सप्ताह का मेन्यू विद्यालय की दीवार पर लिखवा रखा है। इसके अलावा यह व्यवस्था सही ढंग से संचालित हो इसके लिए जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, तहसील में एस0डी0एम0 की अध्यक्षता में यहां तक बी0डी0ओ0 को भी इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है कि वह जाकर निरीक्षण करें और देखें कि क्या खाना बना है या बन रहा है ? हमारे संज्ञान में इस तरह की जानकारी नहीं आई है कि मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं बन रहा है अगर सदस्य को कोई जानकारी हो तो वह हमें दे दें हम दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करवा देंगे।

श्री उदय राज-

हमने उप जिलाधिकारी पुरवा, उन्नाव को जिनको आपने नोडल अधिकारी बनाया है, मैं स्वयं दर्जनों विद्यालयों में गया हूं और मैंने पाया कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां पिछले 6-7 महीनों में एक दिन भी भोजन बना ही नहीं है व कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पर मेन्यू के मुताबिक खाना नहीं बना। मैंने एस0डी0एम0 पुरवा को अनेकों पत्र लिखे हैं आप उन पत्रों को मंगवा लीजिए और उस पर कार्यवाही करवा दीजिए।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं एक बात माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के अधिकतर विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान मिलकर अगर विद्यालय में 300 बच्चों की इन्ट्री है जो 270-280 बच्चों की उपस्थिति दिखातें हैं जब से यह मिड डे मील की व्यवस्था हुई है और वास्तविकता जबकि यह है कि वहां पर 60-70 बच्चे ही उपस्थित होते हैं। खाना 70 बच्चों का ही बनता है लेकिन कागज में 270 बच्चों का बनता दिखाया जाता है। 200 बच्चों का खाना ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक मिलकर बिल निकालकर ले लेते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना

चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जब से मिड डे मील की व्यवस्था हुई है, इस तरह से हो रहा है। क्या आप इसकी रोकथाम के लिये कठोर कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इस तरह जो माननीय सदस्य संज्ञान में ला रहे हैं कि संख्या कुछ है और खाना अधिक बच्चों के हिसाब से लिया जा रहा है, तो आप इसको दिखवा लीजियेगा।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सदन में जितने जनप्रतिनिधि बैठते हैं माननीय मंत्री जी को उनकी बात भी माननी चाहिए। माननीय मंत्री जी, इनके जो बी0डी0ओ0, एस0डी0एम0 और डी0एम0 हैं केवल उन्हीं की बात मानते और उनकी बात पर कार्यवाही की बात करते हैं। मान्यवर, हम जन प्रतिनिधि भी अपने-अपने क्षेत्र के बारे में ज्यादा जिम्मेदार हैं। अगर हम जन प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों के बारे में कोई जानकारी माननीय मंत्री जी को देते हैं तो उन्हें तत्काल उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम करना चाहिए।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आप प्रश्न को देखें। यह एक विशिष्ट विषय तक सीमित है। उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया। प्रश्न से सम्बन्धित अनुपूरक नहीं हो रहे हैं। जो प्रश्न था उसका जवाब आ गया है।

श्री अध्यक्ष-

जवाब आ गया है। केवल सुझाव ही आ रहे हैं। शैलेन्द्र जी, आप जन प्रतिनिधि हैं। आपको अपने क्षेत्र में जाकर देखने का अधिकार है कि कार्य सुचारु रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इतना अच्छा सब आ गया है। स्पष्ट उत्तर आ गया है।

आबकारी, लोक निर्माण, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

आप लिखकर भिजवा दें। दिखवा लिया जायेगा।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विशिष्ट बी0 टी0 सी0 के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया

*1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में विशिष्ट बी0टी0सी0 शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या उन सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण तथा इस सम्बन्ध में बनायी गयी नीति क्या है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

इस प्रकार का कोई पद नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है और जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हजारों हजार नौजवान विशिष्ट बी0 टी0 सी0 शिक्षक बनने के लिये सालों से दौड़ में लगे हुये हैं। चाहे कोई सरकार रही हो। 60-70 हजार विशिष्ट बी0 टी0 सी0 शिक्षक भर्ती किये जायेंगे ? यही सवाल बार-बार उठ रहा है और न्यायालय भी लोग जा रहे हैं। एक लिपिकीय त्रुटि के कारण माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि इस प्रकार का कोई पद नहीं होता है। मैंने प्रश्न किया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? मान्यवर, क्योंकि ग्रेड मिसटेक से छप नहीं पाया इस आधार पर मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि इस प्रकार का कोई पद नहीं है। मान्यवर, हम सब जानते हैं, मंत्री जी भी जानते हैं कि इसका आधार क्या है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, मैं पहले कह चुका हूं कि इस पद नाम का कोई पद रिक्त नहीं है। इस पदनाम का कोई पद नहीं होता है। जो माननीय सदस्य इनकी भर्तियों के बारे में पूछ रहे हैं, उस विषय में बताना चाहता हूं कि अभी लगभग 31 जनपदों में विशिष्ट बी0 टी0 सी0 का रिजल्ट आउट कर दिया है और 60 हजार विशिष्ट बी0 टी0 सी0 अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है जो कल तक हो जायेगी और उसके बाद 28 हजार की शीघ्र होने वाली है।

चीन द्वारा निर्मित खिलौनों में जहरीले पदार्थों या हानिकारक पेन्ट के उपयोग की जानकारी

*2-श्री हुकुम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि चीन द्वारा निर्मित खिलौने जिनके निर्माण एवं पेंट में जहरीले पदार्थों का उपयोग किया गया है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है ? यदि हां, तो क्या ऐसे खिलौनों की बिक्री पर सरकार तुरन्त प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

भारत सरकार के खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954/रूल्स, 1955 एवं ड्रग एण्ड कासमेटिक ऐक्ट, 1940 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य-व्यवस्था के अनुरूप ही प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत जन विश्लेषक प्रयोगशाला में खाद्य पदार्थों एवं औषधियों की जांच की जाती है।

चूंकि प्रदेश की राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला में केवल खाद्य पदार्थों एवं औषधि में मिलावट की जांच ही की जाती है। अतः चीन द्वारा निर्मित खिलौनों के निर्माण में जहरीले पदार्थों या हानिकारक पेन्ट के उपयोग की जानकारी नहीं है। आयात का समस्त कार्य भारत सरकार का विषय है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस विषय को लेकर समस्त देश में चिन्ता व्यक्त की गई विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में चिन्ता व्यक्त की गई कि सस्ते खिलौने भेजकर उत्तर प्रदेश की दुकानों को चीन ने भर दिया है ताकि भारत में बनने वाले खिलौने वहां से निकल जायें और यह भी पूरी तरह से सबकी जानकारी में आया कि जो खिलौनों में रंग लगाया गया वह जहरीला है बच्चों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है अब बच्चों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है और वह निरंतर खुले आम दुकानों पर बिक रहे हैं तो जनप्रतिनिधि के रूप में हम कहां जायें ? हम सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है अब आपने कहा कि फलां ऐक्ट की धाराओं के अनुरूप हमारे पास केवल खाद्य पदार्थों की जांच की व्यवस्था है तो इसके लिये पब्लिक कहां जायेगी ? आपके पास क्या व्यवस्था है और क्या नहीं है ? इसको आप जानें लेकिन हमारी जानकारी में आया है कि जहरीली चीज कहीं बिक रही है और बच्चे उससे खेल रहे हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, उससे बच्चों को कैंसर हो सकता है टी0बी0 हो सकती है। जहां चिन्ता की बात है उसको हमने प्रश्न के माध्यम से आपके समक्ष चिन्ता को रखा है। आपने कहा हमारे पास व्यवस्था खाद्य पदार्थों के विश्लेषण की व्यवस्था है, इसकी कोई व्यवस्था है नहीं। आयात की बात मैंने नही कही थी वह तो खुले आम बिक रहे हैं। लखनऊ में किसी दुकान पर यह खिलौने मिल जायेंगे यह इतने जहरीले हैं इन पर जो रंग लगा है वह इतना जहरीला है कि इनसे जो बच्चा खेलेगा उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा तो मान्यवर, यह सरकार का एक विभाग असहाय सिद्ध हो गया इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बैठी है व्यवस्था वाली सरकार, आगे-पीछे आमने सामने बैठी है। वह कोई व्यवस्था कर दे जिनके पास व्यवस्था हो वह बता दें अगर उत्तर प्रदेश की सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि दुकान पर खुले आम ऐसे खिलौने बिक रहे हैं तो जहरीले हैं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है बच्चों के ऊपर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, अगर मान्यवर यह आश्वासन आ जाता कि यह बात संज्ञान में आई और इसमें जानकारी करने का प्रयास करेंगे तो भी समझ में आता। यहां तो हाथ खड़े कर दिये कि हमारे बस का कुछ नहीं है मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं आखिर हम कहां जायें इस बात के लिये। किसके सामने हम जनता की इस समस्या का उल्लेख करें और कहां से समाधान की अपेक्षा करें।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, आदरणीय हुकुम सिंह जी काफी वरिष्ठ सदस्य हैं मैं तो पहली बार आया हूं इन्होंने चिन्ता जो व्यक्त की है यह इन्होंने पहली बार नहीं की है। यह इन्होंने तीसरे सत्र में दूसरे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या-4 में पूछा था और समय के अभाव में हम उसका जबाव नहीं दे पाये थे जबाव मेरा बिल्कुल यही था। परन्तु इनकी भावना को देखते हुये उत्तर प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुये और जो हमारा जनता के प्रति वायदा है वचन है सरकार का, उसको देखते हुये हमने 14 दिसम्बर को मैंने महोदय को एक पत्र लिखा था वह पत्र आपको पढ़कर

आपको सुना दे रहा हूं -'जिन चीनी खिलौनों में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक पदार्थों से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे कुप्रभाव के सम्बन्ध में विधान सभा के तीसरे सत्र 2007 के दूसरे मंगलवार को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इतना महत्वपूर्ण विषय और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।' दूसरी बात थी-'उक्त प्रकरण में समुचित कार्यवाही करने के लिये जानकारी की आवश्यकता है कि यह खिलौने कहां, किस नाम से बिक रहे हैं और इनका उपयोग करने पर किन बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है, कृपया यह सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इसमें प्रयुक्त होने वाले रसायनों की जांच कराकर उनके प्रदेश में बिक्री को प्रतिबन्धित करने के लिए शासन द्वारा आवश्यक कदम उठाया जा सके तथा आयात को रोकने हेतु भारत सरकार को लिखा जा सके।' अब मान्यवर, 14 दिसम्बर और आज है, 19 फरवरी, मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है कि इतने समय में हमारे ज्ञान की वृद्धि, हमारे विभाग के ज्ञान की वृद्धि अगर आदरणीय सदस्य करा दें तो इस पर निश्चित रूप से कार्यवाही जो भी शासन कर सकता है, प्रदेश के बच्चों के स्वास्थ्य के हित में, निश्चित रूप से करेगा और भारत सरकार को लिखने में हमें कोई भी कतई दिक्कत नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अगर यह पत्र मुझको मिल गया होता तो मैं तो वैसे ही प्रफुल्लित हो जाता। आपने मुझे धन्यवाद दिया लेकिन वास्तव में मैं इस पत्र से वंचित रहा। इसकी प्राप्ति मुझे नहीं हुई है। हो सकता है, आपकी पत्रावली में ही रह गया हो क्योंकि आप भी बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन मान्यवर, फिर भी मैं आपकी भावना की, जिसकी जानकारी मुझे आज ही हुई है, मैं आपको, बिना पत्र मिले ही स्वयं धन्यवाद दे रहा हूं। जो जानकारी मांगी है। मान्यवर, दिसम्बर, 2007 की बात है, अगर दिसम्बर, 2007 की जानकारी आप कर लें, आपके पास में बहुत बड़ा सूचना विभाग भी है, सूचना निदेशक होते हैं, बहुत जूनियर अधिकारी होते हैं, आपका भी कोई सूचना अधिकारी होगा, आप पूछ लें, नवम्बर-दिसम्बर के महीने में बार-बार कोई समाचार पत्र, उत्तर प्रदेश का, राष्ट्रीय स्तर का ऐसा नहीं, मान्यवर, कि जिसमें इसका उल्लेख न किया गया हो, चिन्ता व्यक्त न की गयी हो। हमारे पास कोई चीन से थोड़े ही पत्र आया है कि हम जहरीले खिलौने भेज रहे हैं। हमें भी तो कहीं न कहीं से जानकारी मिली है। अगर सामान्य सदस्य के रूप में मुझको कहीं से जानकारी मिली है तो जानकारी के श्रोत का इशारा मैंने कर दिया। अगर आपने बुलाया होता और अपने सूचना अधिकारी से कहा होता कि केवल मेरे फोटो छपवाने की चिन्ता छोड़ो और जो जन समस्याओं के बारे में समाचार आते हैं, उनको सामने पेश करें तो निश्चित रूप से यह आपके सामने आ जाती। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो संकलन करके मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा। अगर आपका संकलन-तंत्र इतना कमजोर हो गया है तो मैं आपको दे दूंगा। आज ही पुस्तकालय से निकलवा कर आपको भेज दूंगा। लेकिन मान्यवर, दूसरी बात यह, आपने दुकान का ऐड्रेस पूछा, कहां बिक रहे हैं, आपने उन बच्चों को भी पेश करने की

अपेक्षा की, जिनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है, उन बच्चों को लाऊं मैं, दिखाऊं आपको और आपका डाक्टर यह कहे कि अब तो यह ठीक है ग और थोड़ा समय लगेगा, इनको। मान्यवर, अगर शासन-तंत्र हैं, पुलिस तंत्र है, कोई विभाग ऐसा नहीं है, जिसके पास जमीन से जुड़े हुए अधिकारी न हों, अगर मेरे पत्र के माध्यम से, जितनी गम्भीरता आपने दर्शायी है, पत्र लिखने में मुझको, उसके आधार पर आप जांच करा लेते, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भेज कर जांच करा लेते कि क्या लखनऊ में, किसी शहर में ऐसे खिलौने बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं ? मान्यवर, चलिए मेरे साथ में अभी, कही जाने की जरुरत नही हैं, जो खिलौने की दुकान है, यह तो मै आपको सलाह नही दूँगा कि आप खरीदकर खेले उनसे, लेकिन हाँ, आपको दिखा जरुर दूँगा और आपसे अपेक्षा करुँगा, लेकिन जब आपकी व्यवस्था ही नही हैं। मान्यवर, मैने जा करके यदि किसी दुकान पर इन्हें खिलौने भी खरीदवा दिए और लेकर ये चले भी आए लेकिन प्रयोगशाला इनके पास है नहीं, खिलौनों को लेकर बैठे रहेंगे। मान्यवर, इस प्रश्न के उत्तर से आप देखेंगे कितनी असहाय सरकार नजर आ रही है कि हमारे पास तो प्रयोगशाला में इसके परीक्षण की व्यवस्था ही नहीं है, यदि परीक्षण की व्यवस्था ही नहीं है तो खरीद कर क्या करेंगे ? तो मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, मा0 मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, उत्तर दे रहे हैं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन इसको आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सन्दर्भित कर दें ताकि इसके सारे के सारे पर कार्यवाही हो जाय और यह चिन्ता दूर हो जाय।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, आपके माध्यम से, मैं पहले ही कह चुका हूं कि वरिष्ठ है, यह खरीद कर नहीं देंगे तो हम खेलेंगे कहां से ? लेकिन इस विषय पर हम क्या करेंगे, मान्यवर, सरकार क्या करेगी, यदि मेरे संज्ञान में एक भी वाकया आ गया होता तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही होती।

मान्यवर, इसका आयात मुख्यतः चीन से हो रहा है तो वह बिना इम्पोर्ट पालिसी के नहीं हो रहा है, तो इस पर हम लिखेंगे। मान्यवर, हमारे सामने यह विषय आया है, तो इसमें आप हमारे साथ बैठ लें, लिखकर दे दें तो निश्चित रूप से सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, दो बार तो लिखकर दे दिया और लिखकर देने की आवश्यकता बन गयी है। मान्यवर, मैं प्रश्न के उत्तर के उस भाग पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि चूंकि प्रदेश की राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला में केवल खाद्य पदार्थों एवं औषधि में मिलावट की जांच ही की जाती है। इसका मतलब यह कि हमारे पास इसके परीक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो मान्यवर, मेरा कहना है कि इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दें तो उसमें विचार हो जाएगा कि इसमें क्या व्यवस्था करें ? मान्यवर, यह जनस्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो मान्यवर, मैं आग्रह करता हूं कि यह प्रदेश की 17 करोड़ जनसंख्या के जनस्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न है इसलिए इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आपसे सुझाव भी मांगे हैं, उन्होंने पत्र भी दिया है लेकिन दुर्भाग्य से वह नहीं पहुंचा। तब भी वह तैयार है। वह कह रहे हैं कि कुछ जानकारी मिलती रहे, वह गम्भीर भी हैं वह कह रहे हैं कि भारत सरकार को पत्र भी लिखेंगे और इसको दिखवा भी लेंगे। आपकी पूरी भावनाओं का आदर वह कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, सदन के अंदर दो विषय आते हैं। एक तो स्पेसिफिक किसी घटना, किसी व्यक्ति या किसी स्पेसिफिक जगह के बारे में हो तब तो बात समझ में आती है कि लिखकर दे दें। मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने प्रदेश के जनसामान्य के स्वास्थ्य के बारे में कहा है वह रिकार्ड में आया है तब भी माननीय मंत्री जी यह कहें कि लिखकर दे दें। आपने कहा कि आपके पास प्रयोगशाला नहीं है। यह अनेक पत्र-पत्रिकाओं में बार-बार लिखा है। आप अपने सदन की चर्चा का संदर्भ लेकर केन्द्र सरकार को लिख सकते हैं कि आप इस पर हमें अवगत करा दें कि हमारे सदन में इस प्रकार की चिंता व्यक्त की गयी थी। इसमें आपकी क्या राय है यह बता दें जिससे मैं सदन को अवगत करा दूं ? तो क्या माननीय मंत्री जी केन्द्र सरकार को सदन की भावना से अवगत कराकर इस विषय पर जानकारी प्राप्त करके सदन को अवगत कराएंगे ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, बिल्कुल कराएंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ नेता श्री हुकुम सिंह जी को माननीय मंत्री जी ने पत्र लिखा जो कि नहीं मिल पाया। तो क्या माननीय मंत्री जी ने माननीय हुकुम सिंह जी को पत्र लिखने के साथ-साथ अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर इस पर चिंता व्यक्त की कि आप अपने स्तर पर पता लगायें कि इस प्रकार के खिलौने हैं कि नहीं है। क्या उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ कोई बैठक की ? यदि की तो उन्होंने क्या रिपार्ट दी ? यदि नहीं की तो अब बैठक करके उस पर चिन्ता करेंगे ?

(मंत्री द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रदेश में एड्स से हुई मृत्यु तथा रोकथाम हेतु कार्ययोजना

*3-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2004 से 31 जुलाई, 2007 के मध्य एड्स से कितनी मौतें हुई हैं ? क्या एड्स की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश में जनवरी, 2004 से 31 जुलाई, 2007 के मध्य एड्स से 267 मौतें हुई हैं।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार द्वारा बनायी गयी योजनायें तथा दिए गए निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है :-

एच0आई0वी0/एड्स की रोकथाम हेतु सरकार लक्षित इन्टरवेंशन, एस0टी0डी0 नियंत्रण एवं कन्डोम प्रोत्साहन, प्रचार-प्रसार एवं रक्त सुरक्षा पी0पी0टी0सी0टी0 कार्यक्रम, सर्विलेन्स, प्रशिक्षण, एच0आई0वी0/एड्स हेतु लो कास्ट कम्युनिटी केयर तथा अन्तर्विभागीय समन्वय एवं सहयोग के अन्तर्गत कार्यक्रम संचालित कर रही है।

प्रदेश में एच0आई0वी0 धनात्मक/एड्स मरीजों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने हेतु 06 एण्टी रिट्रोवायरल थेरेपी (ए0आर0टी0) केन्द्रों (सी0एस0जी0एम0यू0, लखनऊ एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ तथा आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी, एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, जे0एल0एन0 मेडिकल कालेज, अलीगढ़ तथा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर) की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों पर एड्स के मरीजों को निःशुल्क ए0आर0पी0 दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मान्यवर, एड्स एक ऐसी भयावह बीमारी है जिसका इलाज नहीं है और दिनों दिन देश और प्रदेश में बढ़ती जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए जवाब में दिया गया कि कई सारी चीजें उपलब्ध है। दो चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा एक तो इसके प्रचार और प्रसार दूसरा ब्लड के बारे में तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि प्रदेश के अन्दर प्रचार और प्रसार के लिए सरकार क्या काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है एड्स की रोकथाम के लिए उसका माध्यम क्या है ? दूसरी ब्लड के बारे में कहना चाहूंगा कि यह ब्लड के माध्यम से भी फैलता है। जो डिसपोजेबिल सीरिंज होती है, यदि यह किसी एच0आई0वी0 पीड़ित मरीज को लग गयी है और वहीं सीरिंज किसी स्वस्थ्य मनुष्य को लग गयी तो उसे एड्स हो जायेगा तो जो डिसपोजेबिल सीरिंज है उसे नष्ट करने के लिए मशीनें प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध है या नहीं ? अगर नहीं हैं तो उसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं क्या सरकार सभी अस्पतालों में डिसपोजेबिल सीरिंज को नष्ट करने के लिए मशीनें उपलब्ध करायेगी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

मान्यवर, जैसा कि उत्तर में बताया है कि उत्तर प्रदेश में स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है और उसका निरन्तर प्रचार और प्रसार हो रहा है अभी कुछ ही दिन पहले एक रेड रिबन एक्सप्रेस ट्रेन चली थी जिसने उत्तर प्रदेश के अनकों जिलों को टच किया था और उसके अन्दर ग्रामीण अंचलों में अशिक्षित लोग और युवावस्था के लोगों को इस भयावह बीमारी के बारे में बहुत सी जानकारी दी गयी थी। मान्यवर, दुर्भाग्य यह है कि पूरे विश्व में एड्स का उपचार नहीं बना हुआ है, परन्तु इससे बचाव हो सकता है। यदि किसी गर्भवती माता को एड्स है तो उसके बच्चे

को बचाया जा सकता है। उसके लिए एक नेवी पैरीन ब्लड है जो निःशुल्क उपलब्ध है जो डिसपोजेबिल सीरिंज है इसके विषय में बताना चाहूंगा कि जितने भी ब्लड बैंक्स् हैं उन ब्लड बैंकस् के ऊपर नियंत्रण हमारी सरकार का रहता है। उसके बारे में हम सूचनाएं एकत्र करते रहते हैं और जहां की शिकायतें आती हैं कि फलां ब्लड बैंक की सीरिंज खराब है तो उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करते हैं। इसके बाद इसका प्रचार किया जाता है। नीलें रंग के इंस्ट्रक्शन हैं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कौन से यूज करें और कौन सी यूज न करें। सरकार पूरी तरह से सतर्क है। दूसरा हम लोगों ने यह भी प्रयास किया है कि जो एड्स पीड़ित लोग हैं उनको इस मिशन में लगायें ताकि वह पूरी तत्परता से लोगों के बीच में जाकर इसकी गम्भीरता को बतायें और उनको समाज में भी मान सम्मान मिले, इन दोनों विषयों की ओर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है और हमें उम्मीद है कि इस बीमारी को सरकार फैलने नहीं देगी।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक चीज और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं तमाम जिलों में इस तरह की शिकायतें हैं कि राजकीय जिला चिकित्सालयों में एड्स के मरीज को भर्ती नहीं किया जाता है, जब वह शुरू में आता है, तो उसको भर्ती करने से मना कर दिया जाता है तो क्या सरकार प्रदेश के तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित करने का काम करेगी कि जो भी एड्स के मरीज हैं वह जिला अस्पताल में आते हैं तो उनको तुरन्त भर्ती करने का काम करेगी सरकार ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, मैंने अभी उत्तर में बताया था कि जो एड्स से प्रभावित लोग हैं वह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो छूने से दूसरे के हो जाती है। उनका मनोबल टूटने न पाये, उनको समाज से अलग न किया जाये इसके लिए हम उनके साथ बैठे हैं, हमने उनसे हाथ मिलाया ताकि एक संदेश जाये अखबारों के माध्यम से कि यह ऐसी बीमारी नहीं है जो छूने से या साथ उठने-बैठने से फैल सकती है। निश्चित रूप से जहां तक अस्पतालों में इन मरीजों को न भर्ती करने की बात है तो ऐसा कोई भी विषय मेरे संज्ञान में आयेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अनूप सण्डा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह बात समय-समय पर हम लोगों के संज्ञान में आती रही है, समाचार माध्यमों में भी प्रकाशित हुआ है कि जागरूकता के अभाव में एड्स के मरीजों के साथ बड़ा उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है। कई जगह तो ऐसा भी सुनने में आया है कि एड्स के रोगियों को जानवरों के बांधने वाले स्थानों पर रख दिया जाता है जिससे वह जल्दी मृत्यु के शिकार होते हैं तो हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार करेगी, जिसमें एड्स रोगियों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सके ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप तो खुद ही हाथ मिलायें हैं, जरा इन्हें बतायें। अमानवीय व्यवहार कहीं भी नहीं हो रहा है।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, किसी भी एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ तो छोड़ दीजिए अमानवीय व्यवहार तो किसी के साथ भी किया जायेगा तो उसके लिए बहुत सी धारायें बनी हुई हैं।

(विपक्ष के अनेक सदस्य अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री राम बिशुन आजाद-

माननीय मंत्री जी ने कितने मरीजों से हाथ मिलाया है जरा बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

इसको हल्का मत करिये। कह तो दिया किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय त्रिपाठी जी कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं, इन्हें पूछ लेने दीजिए।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नरेश अग्रवाल जी बहुत चिन्तित, परेशान, व्यथित है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को निर्देश दीजिये कि एड्स की जांच माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी की करा ली जाये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

उचित होगा कि हमारी इनकी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री तीनों की जांच करा दी जाये।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह सुझाव भी दूंगा और जानना भी चाहता हूं, सामान्यतः गरीब परिवार के लोग जो बाहर रोजगार के लिए जाते हैं मुख्य रूप से सिद्धार्थनगर, बस्ती इन जिलों के लोग, मुम्बई जाते हैं, पूणा जाते हैं, औरंगाबाद जाते हैं और एड्स के मरीज होकर लौटते हैं। उनके रहने की व्यवस्था भी नहीं रहती है तो क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था करेंगे जिला अस्पताल में जैसे विभिन्न प्रकार के वार्ड बनाये गये हैं तो क्या एड्स का भी कोई ऐसा वार्ड बनायेंगे जो गरीब लोग उसी में जाकर भर्ती होकर अपना इलाज भी करायें और उसी में रह भी लें ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाण्डेय जी, एड्स मरीजों के लिए एक अलग वार्ड बनाने की बात कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनका हर तरह से सम्मान हो, परिवार के लोग भी सम्मान करें, स्वयं उनको देखें, एक समाज में आदर हो, एक जगह कलेक्ट करने के लिए आप बात कर रहे हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

एड्स के मरीज जो बहुत परेशान होते हैं, दवा भी नहीं कर पाते हैं तो वह वार्ड में भर्ती हो जायें 15 दिन, 20 दिन, एक महीना, तो थोड़ी राहत मिल जायेगी, वहां भी वह भर्ती करते नहीं है इसलिए एक स्पेशल वार्ड आप इसके लिए नामित कर दें जैसे जलने का है, हार्ट का है, इसी तरह से इसके लिए भी एक अलग वार्ड निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

उपचार तो हो ही रहा है।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, ब्लड बैंकों के माध्यम से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया होती है उसमें इस एड्स के फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, विशेषकर जो प्राइवेट ब्लड बैंक हैं। क्या इन पर नियंत्रण की कोई कार्यवाही आप करेंगे ? मान्यवर, उत्तर में यह बताया गया है कि 267 मौतें हुई हैं तो इनमें से क्या कुछ मौतें आगरा जनपद में भी हुई हैं। मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में आगरा का नाम नहीं लिया है न ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने के लिये लिया है। मान्यवर, आगरा में बहुत ज्यादा एड्स के रोगी हैं। मान्यवर, वहां एड्स के जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, यह एच0आई0वी0, आर0एन0ए0 टेस्ट, वेस्टन, ब्लाट टेस्ट, सीडी फोर सेल काउन्ट यह कुछ टेस्ट आवश्यक होते हैं। इसमें चार पांच हजार रु0 का खर्चा आता है। मैं जानना चाहता हूं कि जनपद आगरा में एड्स की बीमारी न बढ़े इसके लिये क्या वहां इन आवश्यक जांचों की व्यवस्था आप मुहय्या करायेंगे ? दूसरे मेरा सवाल है कि जिन ब्लड बैंक के माध्यम से यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कार्यवाही होती है और जिनके माध्यम से यह एड्स फैल रहा है उनके विरुद्ध चिन्हित कराके आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, इस पर दिखवा लेने के लिए माननीय सदस्य कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इनके जनपद आगरा में इसकी कोई देखभाल नहीं होती है इसको दिखवा लें।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, आपका सुझाव सार्थक है, इसकी सूचना माननीय सदस्य हमें दे देंगे हम कार्यवाही कर लेंगे।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, एड्स सम्बन्धित जो प्रश्न चल रहा है यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है इस पर सदन में चर्चा करा लें सबके सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के इसमें अच्छे सुझाव आ जायेंगे उसमें सरकार को भी कार्य योजना बनाने में मदद मिलेगी।

श्री अध्यक्ष-

पहले ही इतने प्रश्न आ गये, उत्तर आ गये हैं। अब आगे चलने दें। मैं तारांकित प्रश्न संख्या 4 ले लेता हूं।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, इस राष्ट्रीय एड्स प्रोग्राम में बेहताशा पैसा भारत सरकार से आया है एक पैसे का भी सही सदुपयोग नहीं हो रहा है। सारा पैसा इन लोगों ने खा लिया है। ऐसी स्थिति में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कराने की मांग करता हूं। सदन के सभी सदस्य चर्चा कराने पर सहमत हैं। मान्यवर, इस पर अगर चर्चा नहीं होगी तो और किस प्रश्न पर होगी ?

प्रदेश में लिंग अनुपात को रोकने हेतु अल्ट्रासाउण्ड विधि परीक्षण पर प्रतिबन्ध की मांग

*4-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में लिंग अनुपात का अन्तर तेजी से बढ़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिए अल्ट्रासाउण्ड विधि परीक्षण पर प्रतिबन्ध को प्रभावी बनाने हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह)-

जी नहीं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 876 महिलायें थीं, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यह संख्या बढ़कर 898 हो गई है।

कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम व अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पूर्व में गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंक चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 प्रख्यापित किया जा चुका है, जिसका कड़ाई से अनुपालन प्रदेश में किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उत्तर का प्रथम पैराग्राफ देख लें उत्तर आया है कि 1000 पुरुषों की संख्या पर 898 कन्यायें हैं और दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सेलेक्शन ऐक्ट 1994 प्रख्यापित किया जा चुका है और उसका कड़ाई से अनुपालन हो रहा है तो इस कड़ाई से अनुपालन की जो बात है उसका स्वरूप क्या है ? मान्यवर, दूसरे जब से यह सरकार सत्ता में आई है तब से इससे सम्बन्धित कितने मामले प्रकाश में आये हैं और उसमें उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? मान्यवर, आज लिंग अनुपात का अन्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे सामाजिक अव्यवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जायेगी।

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, सरकार के निर्देश पर कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सी0एम0ओ0 के द्वारा स्टिंग आपरेशन चलाये जायेंगे। जिलों में अब प्रिकन्सेप्शन एण्ड प्रिनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंप दी गयी है। क्लीनिक

अथवा हास्पिटल में अधिनियम के नियमों व प्राविधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाये जाने वाले डाक्टर्स के विरुद्ध निम्न दण्ड एवं सजा का प्राविधान है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने पूछा है कि जब से यह सरकार आई है तब से।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, उन्हें सुन लें।

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, अधिनियम के मुख्य प्राविधान है जैसे पहला प्राविधान है कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक का दुरुपयोग कर गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग चयन पर प्रतिबन्ध यदि किसी डाक्टर के द्वारा किसी क्लीनिक या हास्पिटल में लिंग का चयन किया जाता है या लिंग का निर्धारण किया जाता है तो पहली बार में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना। यदि दूसरी बार यह संलग्न पाये जाते हैं तो 5 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना। मान्यवर, अधिनियमों के उल्लंघन के लिए पहली बार में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना और दूसरी बार में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना और मान्यवर, प्रतिषेध विज्ञापन के लिए 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय खन्ना जी ने बड़ी स्पष्ट दो चीजें पूछी हैं। माननीय मंत्री जी ने उत्तर बहुत बढ़ा चढ़ा कर दे दिया। हम लोगों को स्पष्ट यह बता दें कि जबसे यह सरकार बनी है, क्योंकि आज भी यह अखबार में निकला कि कन्या भ्रूण की जांच रोकने के लिए पुलिस स्टिंग आपरेशन चलायेगी ? आज मैं सुबह किसी अखबार में पढ़ रहा था तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब से आपकी सरकार बनी है क्योंकि बैलेंस बहुत गड़बड़ है आपने बताया कि एक हजार पर आठ सौ कुछ है यह एक सामाजिक बुराई है तो जो ऐक्ट आपने बताया अंग्रेजी में, श्रीमन् अंग्रेजी ये जानते नहीं उसकी हिन्दी समझ नहीं पाये होंगे पता ही नहीं तो जब से इनकी सरकार बनी है तब से उस ऐक्ट के तहत कितने लोगों पर कार्यवाही हुई है कितने लोगों के विरुद्ध जांच हुई है और कितने उसमें दोषी पाये गये हैं इसका साफ-साफ उत्तर दे दें। यह सीधा सा प्रश्न है।

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य नरेश अग्रवाल जी को बताना चाहता हूं कि अब तक 25 वाद दायर किये गये हैं। मेरठ में 11 वाद, सहारनपुर में 3 वाद, आगरा में 4 वाद, लखनऊ में 1 वाद, बागपत में 1 वाद, गाजियाबाद में 2 वाद, बरेली में 1 वाद, सीतापुर में 1 वाद, गौतमबुद्धनगर में 1 वाद।

श्रीमती सैय्यदा सादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि लखनऊ में केवल 1 वाद था जबकि जून, 2007 में लखनऊ में कम से कम 5 नर्सिंग होम के मामले प्रकाश में आये थे। जहां पर खुलेआम यह कार्य हो रहा था और प्रीनेटाल डायग्नोस्टिक एण्ड प्रिवेन्शन ऐक्ट, 1994 का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा था, उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई यह माननीय मंत्री जी के जवाब से स्पष्ट है। जब 4-5 नर्सिंग होम थे और मात्र एक पर वाद दायर हुआ है तो बाकी के 3 का क्या हुआ ? सेक्स रेशियो आपने स्वयं स्वीकार किया कि बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तो इस मामले में गनीमत है लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर डायग्नोस्टिक सेन्टर की भरमार है। वहां पर यह स्थिति और भी गम्भीर है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि वह लखनऊ के जो 4-5 नर्सिंग होम थे उनके बारे में उन्होंने क्या कदम उठाया है ? कृपया यह जानकारी वह सदन को यदि उपलब्ध करायेंगे तो मैं अध्यक्ष जी आपकी आभारी हूंगी।

(मंत्री जी के खड़े होने तथा बैठ जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

जितना माननीय मंत्री जी के संज्ञान में था उतना वादों को उन्होंने बताया, आप स्पेसिफिक अलग से पूछ रही है कि इस पर क्या हुआ ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बताना चाहते हैं। यह गलत बात है कि माननीय गन्ना मंत्री और माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मंत्री जी पर जबरदस्ती दवाब डाल रहे हैं। मंत्री जी के पास जवाब है वह जवाब देना चाहते हैं तो जवाब उनसे दिलवा दीजिये।

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि सवाल का जवाब आ गया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जो बात आपको कहनी चाहिये थी, वह मंत्री जी खुद कह रहे हैं। इससे अच्छा जवाब और क्या हो सकता है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी करना चाहता हूं कि कन्या भ्रूण हत्या क्या हत्या की परिभाषा में आती है या नहीं ? दूसरी बात मैंने यह पूछी थी कि उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? परिवाद तो दाखिल कर दिया गया, लेकिन सजा क्या हुयी ? मान्यवर, सजा अगर मिलती है तो चारों तरफ एक वातावरण बनता है कि भारी दण्ड मिलेगा, इसलिये यह काम मत करो। तो कार्यवाही मैंने पूछी थी उसका जवाब नहीं आया। मान्यवर, यह सेन्ट्रल ऐक्ट है, 1994 का और 2002 में यह एमेंड हो गया और इसका नाम भी परिवर्तित हो गया। लेकिन हमने यह पूछा कि दण्डित कितने लोग हुये और यह पूछा कि कन्या भ्रूण हत्या, हत्या की परिभाषा में आती है कि नहीं यह बता दें ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि टोटल 25 वाद दायर हुये हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष-

अब न्यायालय करेगा जो भी करेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने पूछा था कि कन्या भ्रूण हत्या, हत्या की परिभाषा में आती है कि नहीं यह बता दें ?

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह तो नियमों में व्यवस्था है कि क्या उस पर दण्ड होगा और दूसरे दण्ड देने का अधिकार न्यायालय को है। माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि परिवाद दायर किया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है तो न्यायालय दण्ड देगा, माननीय मंत्री जी या सरकार को दण्ड देने का अधिकार तो है नहीं। उत्तर आ चुका है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, न तो सजा के सम्बन्ध में बताया गया और न कन्या भ्रूण हत्या के सम्बन्ध में बताया कि वह हत्या की परिभाषा में आती है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

हत्या तो आप ही कर रहे हैं।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी0एड0 कालेजों में वर्ष 2005-2006 में छात्रों की परीक्षा न कराये जाने की जांच

*5-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि पूर्वान्चल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध वाराणसी के "सेपा" बी0एड0 कालेज तथा अन्य अनेकों बी0एड0 कालेजों में सत्र 2005-06 में मैनेजमेंट कोटा के बहुत भारी धनराशि का भुगतान लेकर प्रवेश लिये हुए छात्र-छात्राओं की परीक्षा नहीं कराये जाने से गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है ? क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही कर अविलम्ब परीक्षायें आयोजित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2005-06 में अधिकांश स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों द्वारा शासन के नोटिफिकेशन दिनांक 01-09-2005 में निहित प्राविधानों के अनुसार छात्रों का प्रवेश न कर, महाविद्यालय स्तर से ही शत-प्रतिशत प्रवेश किया गया है। ऐसे प्रवेशित छात्रों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या-22568/2007 दायर की गई। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका में पारित आदेश दिनांक 23-5-2007 के अनुपालन के क्रम में महाविद्यालयों में प्राध्यापकों आदि की स्थिति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कतिपय सूचनायें महाविद्यालयों से मांगी गई तथा इनकी जांच हेतु एक 05 सदस्यीय समिति गठित की गई।

जांच समिति ने अपने वृहद आख्या में सभी महाविद्यालयों से संबंधित कतिपय सूचनाओं का उल्लेख किया। जांच समिति की इस आख्या के आधार पर, इन महाविद्यालयों को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या-25568/2007 में पारित आदेश दिनांक 23-05-2007 के अनुपालन के क्रम में अर्ह नहीं पाया गया। तद्नुसार जांच आख्या के आधार पर याचिका संख्या-25568/2007 में विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिशपथ पत्र मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि बी0एड0 सत्र 2005-06 का प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लार्जर बेंच को संदर्भित है तथा लार्जर बेंच ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ में सुनवाई पूरी कर ली है। लार्जर बेंच ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

आरदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि इन महाविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिये सरकार के पास कोई विधि विधान नहीं है। अगर रहा होता तो जो मनमानी की गई उसका खामियाजा छात्र ही क्यों भुगतते और यह तो सारा मामला ऐसा लगता है कि जो अनियमितता की गई, उसका सारा खामियाजा जब छात्रों को भुगतना पड़ा उनको परीक्षा से वंचित होना पड़ा तो उस परिस्थिति में वह लोग न्यायालय में गये और उत्तर से स्पष्ट है कि अब लार्जर बेंच में और तमाम बेंचों में सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब फैसला आना बाकी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि शुल्क का नियंत्रण आप नहीं करेंगे, आपने छोड़ दिया है महाविद्यालयों पर। वह परीक्षा कैसे लेंगे, इसका भी वही तय करेंगे तो आखिर यह जो उच्च शिक्षा विभाग है, उसका भी वही तय करेंगे तो आखिर जो उच्च शिक्षा विभाग है, उसका कोई नियंत्रण प्रवेश पर, शुल्क पर या नहीं और यदि है तो इन महाविद्यालयों ने अपनी मनमानी कैसे की और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्याम देव राय चौधरी जी की चिन्ता बिल्कुल सार्थक है और छात्रों की परीक्षा हो, उनका परीक्षाफल निकले यह चिन्ता हम सबकी है और इस नई सरकार के आते ही परीक्षा के बारे में जो न्यायालय में विचाराधीन वाद रहे हैं उनके निस्तारण के लिये अलग से हम लोगों ने प्रयास किया और जैसा कि माननीय सदस्य ने खुद भी अवगत कराया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई और लखनऊ हाईकोर्ट में मा0 मुख्य न्यायाधीश महोदय ने स्वयं सुनवाई की और मान्यवर, लगातार सुनवाई चलती रही, निर्णय कभी भी आ सकता है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मान्यवर, दूसरी मा0 सदस्य की चिन्ता फीस के बारे में है,

इसमें रहा नहीं है लेकिन फिर भी अवगत करा दूं कि एक जस्टिस शरीन कमेटी बनी थी और शरीन कमेटी ही फीस का निर्धारण करती थी, जिसका कार्यकाल समाप्त होने के कारण कमेटी के गठन की कार्यवाही की जा रही है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो शरीन कमेटी है वह फीस का निर्धारण करेगी अपना निर्णय देगी। लेकिन जो फीस के विषय में आपने कह दिया कि इसका विषय नहीं है लेकिन मैंने यह कहा कि भारी शुल्क लेकर उन लोगों को प्रवेश दिया गया इसलिये मैं समझता हूं कि यह अनुपूरक बनता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो आपने कहा कि उन्होंने शत-प्रतिशत एडमिशन ले लिया नियमों के विपरीत तो मान्यवर, वह नियम क्या हैं ? और उसका अनुपालन नहीं किया जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा और छात्रों ने ही कोर्ट की शरण ली और कोर्ट जो सुनवाई कर रहा है वह छात्रों के रिट के आधार पर कर रहा है, इससे कहीं से यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें उच्च शिक्षा विभाग का भी कोई योगदान है या आपकी भी कोई भूमिका है। मान्यवर, क्या यह सारे प्रकरण में, जो भी अनियमिततायें की गई, जिसके कारण वह छात्र परीक्षा से वंचित रहे हैं और उन्हें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा, इसमें आपके विभाग की कोई भूमिका है या नहीं और है तो क्या है ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि बी0एड0 की परीक्षा और उसकी काउंसिलिंग विश्वविद्यालय से होती है। मैं पिछले दिनों की बात कर रहा हूं, उसमें शासन की कोई भूमिका नहीं है लेकिन जो माननीय सदस्य अवगत करा रहे हैं कि कुछ महाविद्यालयों ने मनमानी की है, उन्होंने न तो काउंसिलिंग से सीट लिया न यूनिवर्सिटी से सीट लिया, अपने से भर लिया उसके खिलाफ उनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है।

प्रदेश की सहकारी समितियों में कीटनाशक आदि उपलब्ध कराये जाने की कार्ययोजना

*6-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समस्त सहकारी समितियों पर अनिवार्य रूप से कीटनाशक, फफूंदीनाशक, बैक्टीरिया रोधी व टानिक दवाएं तथा सी0ए0एन0 (किसान खाद) उर्वरक, जिंक इत्यादि उपलब्ध कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

समितियों में कृषि रक्षा रसायनों व जिंक सल्फेट की आपूर्ति जनपदों से प्राप्त मांग के अनुसार किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मेरा प्रश्न मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से है। मान्यवर, मुझे आश्वस्त किया गया है कि मांग के अनुरूप सप्लाई की जा रही है लेकिन सदन के अन्तर्गत बार-बार यह बात उठती है कि जो मांग है रासायनिक उर्वरकों की, कीटनाशकों की, उसके अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होती है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार कोई ऐसा नियम बनायेगी जिससे कि डिमांड के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि विभिन्न समितियों द्वारा कुछ रसायनों की जैसे जिंक सल्फेट है, इस तरह की अन्य दवायें हैं, उसका आंकलन किया जाता है। मांग के अनुसार समितियां अपने स्तर से उसे प्राप्त करके किसानों को उपलब्ध कराती है।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, जनपद हाथरस में जिप्सम की आपूर्ति किसानों की मांग के अनुरूप नहीं की जा रही है, क्या इसे पूरा करायेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो ऐसे रसायन हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट होती है, उन रसायनों को समितियां क्रय नहीं करती हैं और सामान्य रूप से मैंने जो बताया कि जिंक सल्फेट और कुछ अन्य ऐसे रसायन का आंकलन समितियां करती हैं, मान्यवर, मेरे पास सूची है बहुत से रसायन हैं जिनको बाद में उन्हें वापस करना पड़ा। तो इससे समितियों की हानि होती है। इसलिये मांग के अनुसार ही उसको मंगाकर विक्रय की जाती है।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

इलाहाबाद बोर्ड के पाठ्यक्रम को सी0बी0एस0सी0 की भांति अंग्रेजी माध्यम से चयनित किये जाने पर विचार

*7-डा0 अजय तोमर-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद बोर्ड के पाठ्यक्रम को सी0बी0एस0सी0 की भांति अंग्रेजी माध्यम से आयोजित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

जी हां।

नोट :-नत्थी "ख" के तारांकित प्रश्न संख्या-6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जो छात्र परिषदीय परीक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें अंग्रेजी माध्यम के प्रश्नपत्र उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

विशिष्ट बी0टी0सी0 अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

*8-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विशिष्ट बी0टी0सी0 ट्रेनिंग पूरी कर चुके अध्यापकों की नियुक्ति का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की नकली दवाओं पर रोक लगाये जाने की योजना

*9-श्री उदयभान करवरिया-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नकली दवा पर रोक लगाने हेतु औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा कोई कदम उठाये गये हैं ? क्या औषधि नियंत्रण विभाग के पास कोई अभिसूचना इकाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां, प्रदेश में नकली दवाओं के निर्माण/बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण हेतु माह जुलाई, 2007 से 30 सितम्बर, 2007 तक प्रदेश के सभी जनपदों में विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 1381 छापे मारे गये तथा 2546 नमूने लिये गये, 28 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, 25 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

प्रदेश में दवा व्यवसाय की बहुलता वाले 12 जनपदों में माह अक्टूबर, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक विशेष छापामार अभियान चलाया गया, जिसमें 273 छापे डाले गये, 286 नमूने लिये गये, 06 प्राथमिकी दर्ज कराई गई तथा 09 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

उक्त लिये गये नमूनों में 737 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिसमें 14 नकली एवं 44 अधोमानक पाये गये। 22 मामलों में मा0 न्यायालय में वाद दायर किये गये तथा शेष में विवेचना प्रचलित है।

औषधि नियंत्रण विभाग के पास अभिसूचना इकाई पूर्व में कार्यरत थी, किन्तु जनपदों में औषधि निरीक्षकों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण इसमें कार्यरत औषधि निरीक्षकों को जनपदों में तैनात कर दिया गया है। वर्तमान में अभिसूचना का कार्य स्थानीय अभिसूचना इकाई से लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्नातकोत्तर कक्षाओं में सायंकलीन कक्षायें चलाये जाने की मांग

*10-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्नातक स्तर पर सांय कालीन कक्षाओं की तरह स्नातकोत्तर कक्षाओं में सायंकालीन कक्षायें चलाने पर विचार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की समस्या के निदान हेतु अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/स्थानों की अवस्थापना सुविधाओं के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में सत्र 2006-07 के लिये सम्बन्धित महाविद्यालय के आवेदन पर ए0आई0सी0टी0ई0 एन0सी0टी0ई0, बी0सी0आई0 आदि की परिधि में भिन्न स्नातकोत्तर स्तरीय सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों यथा-कला, वाणिज्य एवं विज्ञान के परम्परागत पाठ्यक्रमों में सांध्यकालीन कक्षाएं संचालित किये जाने की अनुमति शासनादेश संख्या-3371/सत्तर-2-2006-2(166)/2003 दिनांक 21-08-2006 द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रदान की गई थी तथा इसे सत्र 2007-08 के लिये भी शासनादेश संख्या-2555/सत्तर-2-2007-2(166)/2003, दिनांक 25-6-2007 द्वारा यथावत् लागू किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने पर विचार

*11-श्री राम विशुन आजाद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के समस्त छात्र-छात्राओं को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

प्रदेश के राजकीय एवं अशोसकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में निःशुल्क शिक्षा (शिक्षण शुल्क से मुक्त) दी जा रही है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आलू उत्पादन वाले क्षेत्रों में आलू पर आधारित प्रसंस्करण लगाये जाने की कार्ययोजना

*12-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू उत्पादन वाले क्षेत्रों में आलू पर आधारित कोई प्रसंस्करण उद्योग जैसे-चिप्स इथेनोन आदि लगाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कु0 मायावती)-

खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उत्पादकों/निवेशकों को इकाई/उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। विभाग द्वारा स्वयं आलू पर आधारित कोई प्रसंस्करण उद्योग लगाने की योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 अस्पतालों में रैबीज निरोधक टीका की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

*13-श्री लल्लू सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रैबीज निरोधक टीका की सुविधा केवल जिला अस्पतालों में ही उपलब्ध है ? क्या सरकार जनता की समस्याओं एवं दूरी को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा पी0एच0सी0/ सी0एच0सी0 पर प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं। एन्टी रैबीज वैक्सीन जिला चिकित्सालय के अतिरिक्त प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को भी उपलब्ध कराई जाती है और मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा आवश्यकता के अनुरूप पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 पर ए0आर0बी0 वैक्सीन आंवटित किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी जनपदीय मण्डलों में डेंगू के उपचार हेतु सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

*14-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डेंगू के इलाज हेतु सभी मण्डलीय जनपदों के चिकित्सालयों में "प्लेटलेट ट्रान्सफ्यूजन" की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासन कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और कब तक उसका कार्यान्वयन हो जायेगा ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

डेंगू रोग के इलाज हेतु प्रदेश के 07 मण्डलीय जनपदों (मेरठ, झांसी, गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर, आगरा एवं इलाहाबाद) में 'प्लेटलेट ट्रान्सफ्यूजन' की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही विचाराधीन है।

उक्त 07 मण्डलीय जनपदों के जिला चिकित्सालयों में आवश्यक साज-सज्जा, उपकरण, मानव संसाधन आदि की व्यवस्था तथा अलग से वार्ड की स्थापना किया जाना विचाराधीन है।

जनपद इलाहाबाद में गिरते भूगर्भ जल स्तर को रोकने की कार्ययोजना

*15-श्री जोखूलाल यादव

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में भूगर्भ जल का स्तर तेजी से गिरता जा रहा है जिसके कारण पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार गिरते भूगर्भ जल के स्तर को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री लखीराम नागर)-

जनपद इलाहाबाद के 20 विकासखण्डों में से 15 विकासखण्डों में भूगर्भ जल स्तर में 01 से0मी0 से 40 से0मी0 प्रति वर्ष तक की गिरावट परिलक्षित हो रही है। परन्तु भूगर्भ जल स्तर में गिरावट के कारण पेयजल के संकट से सम्बन्धित कोई सूचना नहीं है।

भूगर्भ जल के गिरते हुए स्तर को रोकने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज योजना के अन्तर्गत बहुआयामी रणनीति पूरे प्रदेश के लिये अपनाई जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन भूगर्भ जल संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें की गई हैं :-

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान के प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था कर दी गई है।

(3) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक सीमित रखने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) 200 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों के रुफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 200 वर्ग0मी0 से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों में ग्रुप रिचार्ज स्कीम स्थापित कराने का प्राविधान भी किया गया है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि भविष्य में निर्मित होने वाली आवासीय योजनाओं में जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवेट नेटवर्क के साथ-साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूजल रिचार्ज हेतु पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जायेगा।

(5) पूर्व में निर्मित शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रुफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उ0प्र0 जल निगम द्वारा शासकीय/अर्द्ध शासकीय भवनों पर रुफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है। भूगर्भ जल विभाग द्वारा उक्त पद्धति की स्थापना मॉडल के रूप में की जा रही है।

(7) यह निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई के निर्देश दिये गये हैं।

(8) ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण बन्धी एवं चेक डैम निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(9) कृषि विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बन्धी, इनसीतू (आन फार्म) रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परकोलेशन वेल, तालाब एवं रिचार्ज पिट का कार्य किया जा रहा है।

(10) उ0प्र0 जल निगम द्वारा ग्रामीण पेय जल योजना के अन्तर्गत चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है।

(11) लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का निर्माण तथा चेकडैम का निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(12) भूगर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में भूगर्भ जल दिवस शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(13) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "आदर्श जलाशय योजना" आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सुअर के वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को रोकने के उपाय

*16-श्री मदन भैया व श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुअर कई खतरनाक बीमारियों के वायरस का वाहक है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन सी बीमारियां हैं ? इन बीमारियों को फैलने से रोकने हेतु क्या कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

सुअर मनुष्य में जापानी इन्सेफलाइटिस बीमारी (रोग) का वाहक है।

जापानी इन्सेफलाइटिस रोग को फैलने से रोकने के लिये सरकार द्वारा जे0ई0 नियंत्रण कार्ययोजना बनाई गई है, जिसमें रोग नियंत्रण हेतु वाहक पर नियंत्रण, टीकाकरण, सर्वेक्षण, रोगी का निदान एवं उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वासन आदि किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय कन्या विद्यालयों में कक्षा-9 एवं 11 में सेक्शन की संख्या, कक्ष में बच्चों का प्रवेश तथा इनके बैठने की व्यवस्था की जानकारी

1-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के आर्य कन्या इण्टर कालेज, आर्य महिला इण्टर कालेज तथा जी0 जी0 आई0 सी0 में वर्तमान वर्ष में कक्षा-9 तथा कक्षा-11 में कितने-कितने सेक्शन हैं तथा एक-एक कक्ष में कितने-कितने बच्चों का प्रवेश हुआ है ? क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि क्लास रूम में इन बच्चों के बैठने की ठीक प्रकार से व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या मा0 मंत्री जी इनके बैठने हेतु नये सेक्शन खोलने की अनुमति प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

प्रश्नगत विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है :-

आर्य कन्या इ0का0 शाहजहांपुर		आर्य महिला इ0का0 शाहजहांपुर		राजकीय कन्या इ0का0 शाहजहांपुर	
कक्षा	छात्रा संख्या	कक्षा	छात्रा संख्या	कक्षा	छात्रा संख्या
9 अ	65	9 अ	68	9 अ	137
9 ब	65	9 ब	71	9 अ-2	135
9 स	96	11 अ	96	9 ब	80
9 द	93	11 ब	88	9 स	137
11 अ	80	11 स	19	11 अ	116
11 ब	118	--	--	11 अ-2	113
11 स	66	--	--	11 ब	60
--	--	--	--	11 स	78

आर्य कन्या इण्टर कालेज तथा आर्य महिला इण्टर कालेज शाहजहांपुर में सभी छात्राओं के बैठने हेतु व्यवस्था है। आर्य महिला इण्टर कालेज में 03 नवीन कक्षों का निर्माण कार्य प्रगति

पर है। राजकीय कन्या इण्टर कालेज शाहजहांपुर के भवन विस्तार का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर श्री अंशुमान दत्त की पत्नी द्वारा नसबन्दी कराये जाने के उपरान्त उनको ग्रीन कार्ड जारी न किये जाने के सम्बन्ध में

2-श्री उदयभान करवरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नसबन्दी कराने वालों को ग्रीन कार्ड के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त होती है ? क्या प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-466268, 496265 दिनांक 26-9-07 जो कि अंशुमान दत्त की पत्नी, विकास खण्ड शंकरगढ़ जनपद-इलाहाबाद को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा प्रमाण-पत्र न दिये जाने विषयक मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

जी हां।

संबंधित लाभार्थी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शंकरगढ़, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 05-10-07 को ग्रीन कार्ड संख्या-एएलएलडी-368 निर्गत कर दिया गया है।

जनपद आगरा के शमशाबाद व फतेहाबाद विकासखण्डों में विगत एक वर्ष से पोलियो के मरीजों की संख्या व उपचार की जानकारी

3-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड शमसाबाद व फतेहाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्ष 2006-07 में कितने मरीजों का उपचार किया गया तथा उनमें से पोलियों के कितने मरीज पाये गये ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के विकास खण्ड शमशाबाद में वर्ष 2006-07 (01-04-06 से 31-03-2007) तक 14833 मरीजों का उपचार किया गया तथा उनमें से पोलियो का कोई मरीज नहीं पाया गया।

विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के विकास खण्ड फतेहाबाद में वर्ष 2006-07 (01-04-06 से 31-03-2007 तक) 131509 मरीजों का उपचार किया गया तथा उनमें से पोलियो का कोई मरीज नहीं पाया गया।

जनपद हाथरस में सहकारी बैंक की स्थापना

4-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस (महामायानगर) में सहकारी बैंक की स्थापना हेतु क्या कोई कार्यवाही शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो सहकारी बैंक कब तक स्थापित हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ एवं मथुरा जिला सहकारी बैंकों के विभाजन के फलस्वरूप नवीन हाथरस जिला सहकारी बैंक के गठन के सम्बन्ध में नाबार्ड ने पत्र दिनांक 30-07-2007 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रो0 ए0 वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के क्रियान्वित किये जाने के पश्चात् ही नवसृजित जनपदों में जिला सहकारी बैंक के विभाजन के मामलों में विचार किया जा सकता है।

जनपद मथुरा के सराय दाऊद धानौटी इण्टर कालेज में इण्टर की कक्षायें संचालित किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

5-डा0 अनिल चौधरी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टर कालेज सराय दाऊद धानौटी जनपद, मथुरा की इण्टरमीडियेट कक्षाओं हेतु 24-9-2001 से प्राप्त मान्यता व शिक्षकों व कर्मचारियों को शासन से वेतन भुगतान के बाद भी कक्षायें संचालित नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त विद्यालय में इण्टरमीडियेट की कक्षायें प्रारम्भ कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या-313/रालोद/विमदल/विस/007 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

विद्यालय को इण्टरमीडिएट की मान्यता दिनांक 23-7-1973 को प्रदान की गई थी परन्तु प्रतिबन्धों की प्रतिपूर्ति न करने के कारण दिनांक 15-4-1974 को वापस ले ली गई।

पुनः विद्यालय की अधिनियम की धारा-9 (4) के अधीन इण्टरमीडिएट की वर्ष 2003 की परीक्षा से धारा 7 क (क) के अन्तर्गत मान्यता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, परन्तु संस्थाधिकारी द्वारा वांछित प्रतिबन्धों की पूर्ति न करने के कारण परिषद् द्वारा इण्टर की मान्यता निर्गत नहीं की गई है।

जी हां।

विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न कराये जाने की मांग

6-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में भी लगाया जाता है जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा में व्यवधान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य कराना बन्द करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

शासनादेश संख्या-5966/65-5-97-486/97, दिनांक 06-11-1997, 6972-15-5-2000-365/2000, दिनांक 29-12-2000 तथा 236/79-5-2005-385/2000, दिनांक 06-1-2006 द्वारा केवल स्कूल भवन निर्माण, साक्षरता अभियान, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में अनिवार्य विषयों में केन्द्र पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्य 10 वर्षीय जनगणना पल्स पोलियो, दैवी आपदा सम्बन्धी तथा निर्वाचन सम्बन्धी कार्य किये जाने के निर्देश हैं। इससे विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना क्षीण होती है क्योंकि ये कार्य कभी-कभी ही होते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अस्पतालों में डिस्पोजल सिरिंजों को नष्ट किये जाने हेतु मशीन लगाने की मांग

7-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अस्पतालों में इस्तेमाल की जाने वाली डिस्पोजल सिरिंजों को नष्ट किये जाने हेतु किन-किन अस्पतालों में मशीन लगी है ? क्या सरकार प्रदेश के सभी अस्पतालों में डिस्पोजल सिरिंज नष्ट करने की मशीन लगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश में अस्पतालों में इस्तेमाल की जाने वाली डिस्पोजल सिरिंजों को नष्ट करने हेतु अब तक 1079 चिकित्सालयों में सिरिंज निडिल डिस्ट्रायर मशीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। इनकी सूची मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थ नगर के राजकीय कन्या इण्टर कालेज तेतरी बाजार में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

8-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज-तेतरी बाजार जनपद-सिद्धार्थनगर में कुल कितनी शिक्षिकाओं के पद स्वीकृत हैं और उसके सापेक्ष कितनी

शिक्षिकायें कार्यरत हैं ? क्या सरकार रिक्त शिक्षिकाओं के पद पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्रा-

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, तेतरी बाजार जनपद सिद्धार्थनगर में प्रवक्ता (महिला) के 10 एवं एल0टी0 (महिला) के 13 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 5 प्रवक्ता (महिला) एवं 7 एल0टी0 (महिला) कार्यरत हैं।

जी हां।

प्रवक्ता (महिला) के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचना लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भर दिया जायेगा। एल0टी0 के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल के आदेश के कारण स्थगित है। मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल के उक्त आदेशों के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित है जो विचाराधीन मा0 न्यायालय है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में किसानों द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से बेचे गये धान व गेहूं के बकाया मूल्य के भुगतान की मांग

9-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2002-2003 वर्ष 2003-2004 एवं वर्ष 2004-2005 में किसानों द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से बेचे गये धान व गेहूं का मूल्य सहकारी समितियों पर बकाया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों के बकाया धन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद खीरी के आर0ए0यू0के0 इण्टर कालेज कफारा को परीक्षा हेतु स्वकेन्द्र बनाये जाने की मांग

10-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 ए0 यू0 के0 इण्टर कालेज कफारा-खीरी को इण्टर व हाईस्कूल की बालिकाओं की परीक्षा हेतु स्वकेन्द्र बनाया जायेगा, क्या यह सही है कि उक्त कालेज की 10 कि0 मी0 की परिधि में कोई विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त कालेज को स्वकेन्द्र बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

जी नहीं। उक्त कालेज की 10 कि0मी0 की परिधि में दो विद्यालय आते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र निर्धारण की कार्यवाही शासन द्वारा निर्धारित नीति के आलोक में की गई है।

लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय बनाये जाने की मांग

11-डा0 आर0 ए0 उस्मानी

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 शि0 परिषद् का एक क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में बनाया जायेगा, यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद द्वारा लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट एवं इलाहाबाद मण्डल का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। अतः लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना किये जाने की सम्प्रति आवश्यकता नहीं है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद हाथरस में मानकों के विपरीत विद्यालयों का चयन

12-डा0 अनिल चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में सर्वशिक्षा अभियान वर्ष 2007-08 के लिये मानकों के विपरीत चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों, नगला बाबू वि0 खण्ड मुरसान व जरीपुरा वि0 खण्ड सहपऊ का चयन निरस्त कर, परसौरा वि0 खण्ड सहपऊ व पचावरी वि0 खण्ड सादाबाद का चयन करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या-226/रालोद/विमदल/विस/2007 दिनांक 23-10-07 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में जनपद हाथरस में मानकों के विपरीत चयनित प्राथमिक विद्यालय नगला बाबू के स्थान पर असेवित स्थल विद्यापति नगर (जागेश्वर) हाथरस एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जरीपुरा के स्थान पर असेवित स्थल सलहपुर (सहमऊ) का चयन अध्यक्ष जिला पंचायत, जिला बेसिक शिक्षा समिति, महामायानगर द्वारा किया गया है। पत्र में उल्लिखित स्थल परसौरा (सहपऊ) एवं पचावरी (सादाबाद) का चयन अध्यक्ष जिला पंचायत, जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कक्षा-6 से 8 तक के विद्यालयों के नाम परिवर्तन की जानकारी

13-डा0 अनिल चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वशिक्षा अभियान व शासनादेश संख्या-341/15-5-97-251/97, दि0 17 जून, 1997 की भावना के विपरीत उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों का नाम 'पूर्व माध्यमिक विद्यालय' के बजाय आज तक 'उच्च प्राथमिक विद्यालय' लिखा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त शासनादेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

सामान्यतया पूर्व माध्यमिक विद्यालय का ही प्रयोग किया जाता है।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कक्षा-6 से 8 तक के विद्यालयों का नाम सामान्यतया उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय वर्तमान में भी जनपदों में लिखा जाता है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित हैं। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान में तथा अन्य प्रदेशों में भी उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोग में लाया जा रहा है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालय भी प्रचलन में हैं।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के टाउन एरिया सादाबाद के जच्चा बच्चा केन्द्र के जीर्ण-शीर्ण भवन के पुनर्निर्माण की मांग

14-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के टाऊन एरिया सादाबाद में नगर पंचायत कार्यालय के समीप जवाहर बाजार में स्थित जच्चा-बच्चा केन्द्र का भवन जीर्ण-शीर्ण हालत में है जिससे कार्यरत कर्मचारियों व प्रसव हेतु आने वाली महिलाओं को जान का खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या इस जच्चा-बच्चा केन्द्र का नया भवन बनाने हेतु कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद हाथरस के टाउन एरिया सादाबाद में नगर पंचायत कार्यालय के समीप जवाहर बाजार में स्थित जच्चा बच्चा केन्द्र (मुख्य केन्द्र)' का अधिकांश भाग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हालत में है तथा भवन के सुरक्षित भाग में महिला मरीजों का प्रसव एवं चिकित्सीय कार्य किया जाता है।

उक्त भवन विभाग को दान में उपलब्ध कराया गया है। जो कि वर्ष 1927 में निर्मित है। भवन के अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण भाग में भारी मरम्मत की आवश्यकता है।

प्रश्नगत जच्चा बच्चा केन्द्र के जीर्ण-शीर्ण भाग के मरम्मत हेतु आगणन/प्रस्ताव, मुख्य चिकित्साधिकारी, हाथरस से मांगा गया है। आगणन प्राप्त होते ही मुख्य चिकित्साधिकारी, हाथरस को धनराशि अवमुक्त कर भवन की मरम्मत कराई जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में को-आपरेटिव बैंकों की संख्या तथा बैंकों के घाटे में चलने का कारण

15-डा0 अजय तोमर-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने को-आपरेटिव बैंक है, इनमें से कितने बैंक घाटे में चल रहे हैं ? इन बैंकों के घाटे में चलने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार द्वारा घाटे में चल रहे इन बैंकों की स्थिति ठीक करने के लिये कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

प्रदेश में 50 जिला सहकारी बैंक कार्यरत हैं जिसमें से 37 बैंक संकलित हानि पर कार्यरत हैं।

बैंकों के घाटे के प्रमुख कारण निम्नवत् है :-

- पैक्स सचिवों के वेतन भुगतान हेतु दिये गये ओवरड्राफ्ट के कारण बैंकों को हुई हानि।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बैकों को हुई हानि।
- वर्ष 1990 में लागू ऋण राहत योजना के अन्तर्गत धनराशि समय से न मिलने के कारण बैंकों को हुई ब्याज की हानि।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंको पर आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्राविधानीकरण नियम लागू किया जाना।
- संसाधनों में वृद्धि हेतु सहकारी बैंकों में शासकीय धन जमा करने पर प्रतिबन्ध।

जी हां।

जिला सहकारी बैंकों की लाभ प्रदत्ता में वृद्धि हेतु उनके ऋण व्यवसाय को बढ़ाने के लिये फसली ऋण 6-7 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराकर, वसूली एवं निक्षेप संचय में वृद्धि करके तथा प्रो0 ए0 वैद्यनाथन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में रिवाइवल पैकेज लागू कराकर बैंकों को घाटे से उबारने की योजना क्रियान्वित की गई है।

जनपद बलरामपुर एवं गोण्डा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भवनों का निर्माण कार्य

16-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर एवं जनपद गोण्डा में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माणाधीन हैं तथा इन भवनों का निर्माण कर रही निर्माण एजेंसी कौन-कौन हैं ? क्या सरकार निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करा कर दोषियों को दण्डित करेगी यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद बलरामपुर में 02 एवं जनपद गोण्डा में 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन है। जनपद बलरामपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सादुल्लानगर का निर्माण सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैड़ास बुजुर्ग उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम तथा जनपद गोण्डा के 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है।

यदि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच कराई जाती है।

शासन में इण्टरमीडिएट की मान्यता हेतु लम्बित प्रार्थना-पत्रों की संख्या

17-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 शासन में इण्टरमीडिएट की मान्यता हेतु प्रदेश में कुल कितने विद्यालयों के प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं ? क्या सरकार आवेदन करने वाले कालेजों को इण्टरमीडिएट की मान्यता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यता हेतु कोई पत्रावली शासन के विचाराधीन नहीं है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मान्यता के प्रकरणों पर बोर्ड गठन के बाद ही विचार किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षक के पद हेतु योग्यता रखने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पदोन्नति

18-डा0 अनिल चौधरी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन उ0 प्र0 में शिक्षक पद हेतु योग्यता रखने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षक पद पर पदोन्नति देने पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर दोनों पृथक-पृथक संवर्ग हैं।

जनपद हाथरस (महामायानगर) के उच्चतर प्राथमिक विद्यालय खेड़ा बरामई के सहायक अध्यापक द्वारा फर्जी मृतक आश्रित कोटे से नौकरी प्राप्त कर लेने में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

19-डा0 अनिल चौधरी-

विधान सभा के तृतीय सत्र 2007 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-53 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच कार्यवाही पूर्ण होकर दोषी को दण्डित किया गया ? यदि नहीं तो जांच कार्यवाही में विलम्ब का क्या कारण है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जांच अधिकारी की जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गई है, जिसका परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा जनपद में नकली दवाओं की हो रही बिक्री को रोके जाने की कार्ययोजना

20-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद में नकली दवाओं की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है ? यदि हां, तो क्या इसे रोकने की सरकार द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद आगरा में नकली दवाओं की बिक्री नहीं हो रही है।

यद्यपि जनपद आगरा में नकली दवाओं की बिक्री नहीं हो रही है तथापि नकली दवाओं एवं अधोमानक औषधियों पर अंकुश लगाने हेतु निरन्तर छापामार कार्यवाही की जा रही है।

जनपद आगरा में वर्ष 2007-08 (जनवरी, 2008 तक) में औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों में 62 छापे मारे गये, 142 नमूने एकत्र किये गये, 07 प्राथमिकी दर्ज कराई गई तथा 07 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 02 प्रकरणों में औषधि अधिनियम/नियम के अन्तर्गत वाद दायर किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को असाध्य रोगी का सरकारी खर्च पर उपचार किये जाने की मांग

21-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश के निर्धन लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको हृदय रोग तथा कैंसर व किडनी के घातक रोगों का उपचार सम्पूर्ण

सरकारी खर्चे पर करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

हृदय रोग, कैंसर व किडनी के घातक रोगों का उपचार विभिन्न सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधा के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे के निर्धनों को उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी चिकित्सालयों के बाहर उपचार का खर्च वहन करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

यद्यपि सरकार द्वारा अपने चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है निजी चिकित्सालयों में किये गये सभी चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है।

22-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद अलीगढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अहिरौला में तैनात शिक्षकों की संख्या तथा मानक

23-श्री चौधरी सत्यपाल सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ के खैर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अहिरौला में कितने शिक्षक कार्यरत हैं ? क्या उक्त विद्यालय, मानक के अनुसार शिक्षक तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

प्रश्नगत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अहिरौला में एक शिक्षक कार्यरत है।

उक्त विद्यालय में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती न होने का कारण किसी शिक्षक की मांग न किये जाने के साथ-साथ उक्त विद्यालयों में छात्रों की संख्या अत्यधिक कम मात्र 21 है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के राजकीय विद्यालय इण्टर कालेज खैर के पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा की गई अनियमितता एवं घोटाले की जांच

24-चौधरी सत्यपाल सिंह

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि रा0 विद्यालय इण्टर कालेज खैर, अलीगढ़ के पूर्व प्रधानाचार्य श्री महेश चन्द्र शर्मा द्वारा की गयी अनियमितता एवं करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच जिला अधिकारी कार्यालय के पत्रांक 718/एस0टी0, दिनांक 3-02-07 द्वारा एवं स्मरण पत्र 1268/एस0टी0 दिनांक 8-9-07 उप जिलाधिकारी खैर को सौंपी गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

उप जिलाधिकारी, खैर अलीगढ़ की जांच के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ द्वारा प्रबन्ध समिति को भंग करने की संस्तुति की गई है जिसके सम्बन्ध में प्रकरण मण्डलीय समिति को सन्दर्भित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के राजकीय विद्यालय इण्टर कालेज खैर के पूर्व प्रधानाचार्य के विरुद्ध घोर अनियमितता एवं गबन की जांच

25-चौधरी सत्यपाल सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि रा0 विद्यालय इण्टर कालेज खैर अलीगढ़ के पूर्व प्रधानाचार्य श्री महेश चन्द्र शर्मा की घोर अनियमितताओं और करोड़ों रुपये की घोटाले की जांच मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा के आदेश दि0 22-02-07 के अनुपालन में सह जिला विद्यालय जिला निरीक्षक अलीगढ़ श्री के0 डी0 एन0 राम द्वारा पूर्ण करके जांच आख्या 10127/2006-07, दिनांक 17-02-07 द्वारा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा प्रेषित कर दी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

सह जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 17-03-07 द्वारा जांच आख्या मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा को उपलब्ध करायी गई है।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा के पत्र दिनांक 14-5-07 द्वारा प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के रा0वि0 इण्टर कालेज खैर की आडिट रिपोर्ट

26-चौधरी सत्यपाल सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि रा0 वि0 इण्टर कालेज खैर अलीगढ़ का आडिट जिला सम्परीक्षा अधिकारी स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग अलीगढ़ श्री आशीष पाण्डेय द्वारा किये जाने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट पत्रांक एल0 ए0/937 दिनांक 20-06-07 द्वारा प्रेषित की थी जिसकी प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ को भी प्रेषित की गयी थी ? यदि हां, तो उस आडिट रिपोर्ट पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जिला सम्परीक्षा अधिकारी अलीगढ़ द्वारा अपनी आडिट रिपोर्ट पत्रांक एल0ए0/957 (1) दिनांक 30-6-07 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ को प्रेषित की गई है।

जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ द्वारा प्रश्नगत आडिट रिपोर्ट में उल्लिखित आपत्तियों के निस्तारण करने हेतु क्रमशः दिनांक 22-8-07, 14-9-07, 28-11-07 तथा 03-01-08 द्वारा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य राष्ट्रीय विद्यालय इण्टर कालेज खैर अलीगढ़ को निर्देश दिये गये और आपत्तियों का निस्तारण न किये जाने की दशा में प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विद्यालय को सूचित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के बबेरू कस्बे के कतिपय विद्यालयों की मान्यता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

27-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-12-07 जो जनपद बांदा के बबेरू कस्बे में श्रेणी 6(4) की सुरक्षित भूमि में फर्जी अभिलेख लगाकर शिशु ज्ञान स्थली पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं प्रा0 विद्यालय बबेरू की मान्यता समाप्त किये जाने विषयक है रामगोपाल प्रजापति एड0 के शिकायती-पत्र के साथ सचिव बेसिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रकरण की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा से जांच कराई गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्या के अनुसार अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) बांदा के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जांच में प्रथम दृष्टया प्रश्नगत भूखण्ड पर श्री भागवत प्रसाद का भौमिक अधिकार नहीं है। तद्क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पत्र दिनांक 12-2-2008 के द्वारा सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद को शिशु ज्ञान स्थली पूर्व माध्यमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालय बबेरू, क्षेत्र बबेरू की मान्यता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति भेजी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

28-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[दिनांक 14-2-2008 के अता0 प्र0 सं0-103 द्वारा उत्तरित]

जनपद बागपत की छपरौली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत चयनित अम्बेडकर ग्रामों की प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत आदि के लिये आवंटित धनराशि एवं उसके दुरुपयोग की जांच की मांग

29-डा0 अजय तोमर

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत की छपरौली विधान सभा क्षेत्र के 31-12-07 तक चयनित अम्बेडकर ग्रामों की प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाईस्कूलों में मरम्मत, रंगाई, शौचालय आदि हेतु वर्ष 2007-2008 में कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या प्रश्नकर्ता के कथन को सत्य मानते हुये कि स्वीकृत अधिकांश धन का

दुरुपयोग/गबन किया गया है ? सरकार अन्य किसी विभाग की कमेटी गठित कर प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

वर्ष 2007-08 में जनपद बागपत की छपरौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चयनित अम्बेडकर ग्रामों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत हेतु रु0 17,74,000/- तथा रंगाई, पुताई हेतु रु0 10,45,000/- की धनराशि आवंटित की गई है।

शौचालय निर्माण हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

जी नहीं।

प्रकरण संज्ञान में आने पर नियमानुसार जांच की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के स्वास्थ्य केन्द्र बड़ौत में एम्बुलेन्स से मरीजों को जनपद अथवा बाहर ले जाने में हुए व्यय

30-डा0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र बड़ौत पर एम्बुलेन्स की सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो वर्ष 2006-2007 व 2007-2008 में अब तक कुल कितने मरीजों को जनपद में अथवा बाहर किसी उच्च स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाने में प्रयोग में लाया गया है ? इन वर्षों में कितनी धनराशि पेट्रोल/डीजल एवं मरम्मत पर व्यय की गयी है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

वर्ष 2006-2007 व 2007-2008 में अब तक कुल 47 मरीजों को जनपद में अथवा बाहर किसी उच्च संस्थान पर ले जाने में प्रयोग में लाया गया है।

इन वर्षों में रु0 60,374.36 की धनराशि पेट्रोल/डीजल एवम् मरम्मत पर व्यय की गई है।

प्रदेश के प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पतालों में सभी प्रकार के टेस्ट/आपरेशन की फीस निर्धारित किये जाने की मांग

31-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उ0 प्र0 के प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पतालों के लिये पैथोलाजिकल टेस्ट, रेडियोलाजिकल टेस्ट फीस तथा आपरेशन, कमरा का किराया आदि का अधिकतम मानक निर्धारित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन याचिका संख्या-820/2002 श्री राजेश श्रीवास्तव बनाम श्री ए0पी0 वर्मा व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में लैब पैथालोजी/निजी क्लीनिक के स्थापना तथा संचालन के मानकीकरण हेतु गठित समति की रिपोर्ट मा0 उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत की गई है।

उक्त के क्रम में अधिनियम बनाये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी के कतिपय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण मानक के अनुसार न कराये जाने की जांच

32-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी का प्राइमरी पाठशाला नारंगपुर, नोही, उमरपुर के बने मुख्य भवनों एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण मानकों के अनुसार नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्मपाल सैनी-

प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी के प्राइमरी पाठशाला नारंगपुर, नोही, उमरपुर के बने मुख्य भवनों एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण मानकों के अनुसार कराया गया है अथवा नहीं, इसकी जांच हेतु जिलाधिकारी द्वारा त्रिसदस्यीय समिति गठित कर जांच के निर्देश दिये गये हैं।

जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय पट्टी में स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में सभी विषयों की शिक्षा प्रदान किये जाने की मांग

33-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्थापना सहित सभी विषयों की शिक्षा प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार स्नातकोत्तर विषयों के भी पठन-पाठन की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

राजकीय महिला महाविद्यालय प्रतापगढ़ में स्नातक स्तर पर कला संकाय संचालित है, जिसमें छात्राओं की संख्या कम है। इसके अतिरिक्त जनपद में 03 और राजकीय महाविद्यालय संचालित है तथा पट्टी में राज्य अनुदानित पी0 जी0 कालेज पट्टी प्रतापगढ़ भी संचालित है, जिसमें विज्ञान एवं शिक्षा संकाय की कक्षायें चलती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

छात्राओं की संख्या पर्याप्त न होने के कारण।

जनपद इलाहाबाद के आदर्श बालिका प्राथमिक विद्यालय शंकरगढ़ में छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की जांच

34-श्री उदयभान करवरिया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श बालिका प्राथमिक विद्यालय टाउन एरिया शंकरगढ़, इलाहाबाद मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 2006-07 की छात्रवृत्ति के मांग पत्रों को समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में प्रेषित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्मसिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रकरण की जांच मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) इलाहाबाद से कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

35-चौधरी सत्यपाल सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद अलीगढ़ के उ0मा0 विद्यालय अहिरोला में मानक के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति

36-चौधरी सत्यपाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के खैर विधान सभा क्षेत्र के उ0 मा0 विद्यालय अहिरोला के राजकीय विद्यालय में मानक के अनुसार शिक्षक कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

उक्त विद्यालय में एक शिक्षक कार्यरत है। इसका कारण यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में छात्र संख्या अत्यधिक कम मात्र 21 हैं। किसी अन्य शिक्षक की मांग भी नहीं की गई है।

वर्तमान समय में स्थानान्तरण पर रोक लगाई गई है। रोक समाप्त होने के उपरान्त आगामी वार्षिक प्रबन्ध में स्थानान्तरण से उक्त विद्यालय में मांग के आधार पर आवश्यकतानुसार शिक्षकों की तैनाती कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

37-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद लखीमपुर खीरी में प्राथमिक स्कूलों के भवनों के निर्माण का लक्ष्य

38-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2006-07 में जनपद लखीमपुर खीरी में कितने प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण का लक्ष्य था, उसमें से कितने भवनों का निर्माण कार्य करा दिया गया है तथा कितने शेष हैं ? शेष अधूरे भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 2007-08 में जनपद खीरी में कितने प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य है ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

वर्ष 2006-07 में जनपद लखीमपुर खीरी में 120 प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 119 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 01 प्राथमिक विद्यालय कोल्हौरा का निर्माण कार्य मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश के कारण अवरुद्ध है।

स्थगन आदेश को अपास्त कराने की कार्यवाही गतिमान है। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

वर्ष 2007-08 में जनपद लखीमपुर खीरी में 10 प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य निर्धारित है।

जनपद लखीमपुर खीरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फूलबेहड़ के प्रभारी को केन्द्र पर रात्रि विश्राम की व्यवस्था

39-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फूलबेहड़ जिला लखीमपुर खीरी प्रभारी के लिये केन्द्र पर रात्रि विश्राम की समुचित व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रभारी केन्द्र पर रात्रि विश्राम करते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी में रोगी कल्याण समिति के गठन के उपरान्त समिति की बैठकें

40-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में है कि शासनादेशानुसार एस0एस0पी0जी0 मण्डलीय जिला चिकित्सालय वाराणसी में रोगी कल्याण समिति के गठन के उपरान्त समिति की प्रथम बैठक दि0 26-3-2007 को हुई थी एवं नियमानुसार प्रत्येक दो माह पर बैठक आयोजित करना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रथम बैठक की लम्बी अवधि बीतने के उपरान्त भी बैठकों का आयोजन नहीं करने का क्या कारण है ? क्या नियमित बैठक हेतु सरकार आवश्यक निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

रोगी कल्याण समिति (कार्यकारी) की बैठक दिनांक 03-02-07 एवं 22-03-07 को हुई थी । तत्पश्चात् सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत रोगी कल्याण समिति के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दिनांक 8-10-07 को पूर्ण होने के पश्चात् कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 28-11-07 को सम्पन्न हुई है और अगली बैठक दिनांक 07-02-08 को प्रस्तावित है।

रोगी कल्याण समिति (एडवाइजरी) के बैठक दिनांक 26-03-07 को सम्पन्न हुई थी, परन्तु समिति का रजिस्ट्रेशन सोसायटी ऐक्ट के अन्तर्गत नहीं होने के कारण विलम्ब हुआ। वर्तमान समिति का रजिस्ट्रेशन हो गया है तथा प्रत्येक दो माह पर समिति की बैठक की जायेगी।

सरकार द्वारा नियमित बैठक हेतु पूर्व में ही निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जूनियर हाईस्कूल व प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की संख्या तथा रिक्त पदों पर तैनाती

41-डा0 अजय तोमर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने जूनियर हाई स्कूल व प्राथमिक विद्यालय हैं तथा इनमें मानक के अनुसार कितने शिक्षक होने चाहिये तथा वर्तमान में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 33038 उच्च प्राथमिक तथा 101387 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्यालयों में नियमानुसार स्वीकृत/सृजित पदों के सापेक्ष प्राथमिक विद्यालय में 273653 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 105081 शिक्षक होने निर्धारित है।

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में 101480 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 37604 पद रिक्त हैं।

जी हां।

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 88,000 रिक्त पदों को भरने के सापेक्ष 60,000 पदों पर विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2007 के अन्तर्गत बी0एड0/एल0टी0 अथवा समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया गतिमान है तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं जो सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

42-डा0 धर्मपाल सिंह-

[2रे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के अति विशिष्ट गृह में आकस्मिक चिकित्सा सुविधा सहित डिस्पेंसरी स्थापित किये जाने पर विचार

43-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अति विशिष्ट अतिथि गृह महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में सांसद श्री अशोक रावत ने आकस्मिक चिकित्सा सुविधा सहित डिस्पेंसरी स्थापित करने की संस्तुति 17-09-07 को की है ? क्या यह सही है कि शासन ने चिकित्सा अनु0-1 ने अपने पत्रांक 4719/5-1-2005 दि0 14-12-05 द्वारा नई डिस्पेंसरी खोलने की संस्तुति महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0 प्र0 से मांगी है ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी अति विशिष्ट अतिथि गृह लखनऊ में आवश्यक चिकित्सा सुविधा सहित नई डिस्पेंसरी स्थापित करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से इस बारे में सम्यक् प्रस्ताव प्राप्त होने पर नई डिस्पेंसरी स्थापित करने पर विचार किया जायेगा।

उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई पर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच

44-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई (श्री प्रताप सिंह बघेल) पर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध पाये जाने पर आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा 13 जुलाई, 07 को एक अर्द्ध शास0 पत्र सं0 3846, प्रमुख सचिव, शिक्षा को भेजा गया, जिसमें श्री बघेल को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह भी सही है कि निलम्बन और विभागीय कार्यवाही के बजाय श्री बघेल को प्रोन्नत वेतनमान देकर हरदोई में ही जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर ही कार्यरत रखा गया ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

श्री बघेल को जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई के पद से आदेश दिनांक 4-1-2008 द्वारा स्थानान्तरित कर उप शिक्षा निदेशक, विज्ञान मुख्यालय, इलाहाबाद के पद पर तैनात किया जा चुका है तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जा चुकी है।

जी नहीं। उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की गई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फिरोजाबाद के प्राथमिक कन्या विद्यालय देवनगर के जर्जर भवन के पुनः निर्माण की मांग

45-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के मोहल्ला देवनगर स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय जर्जर अवस्था में होने के कारण बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को विवश हैं ? यदि हां, तो उक्त भवन का पुनः निर्माण कराया जायेगा, यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

विद्यालय किराये के भवन में संचालित है, जर्जर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम ढिंढाली प्राथमिक पाठशाला में मिड डे मील की खाद्य सामग्री में जहर मिलाने के प्रकरण की जांच

46-श्री हुकुम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में ग्राम ढिंढाली के प्राथमिक पाठशाला में मिड डे मील की खाद्य सामग्री में जहर मिलाने का कोई प्रकरण

अक्टूबर-दिसम्बर, 2007 में सरकार के संज्ञान में आया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच कराई गई ? यदि हां, तो कौन लोग दोषी पाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी हां।

प्रकरण की जांच करांयी गयी। जांच के आधार पर मु0अ0सं0-142/759/07 धारा 284 आई0पी0सी0 पंजीकृत कराया गया, जो अभी विवेचनाधीन हैं

प्रश्न नहीं उठता।

उच्च शिक्षा विभाग में अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने हेतु महाविद्यालयों के लम्बित प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण

47-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च शिक्षा विभाग में वर्तमान समय में अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने हेतु कुल कितने महाविद्यालयों के प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं ? क्या इन महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

विशेष अपील संख्या-903/2006 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-08-2006 में राज्य सरकार को अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने के अधिकार पर रोक लगा दी गयी है। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध संस्था के प्रबन्ध समिति द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित की गयी है।

प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद सिद्धार्थनगर में प्रा0 स्वा0 केन्द्र बांसी की स्थापना का प्रकरण

48-श्री लालजी यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर की स्थापना का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रा0 स्वा0 केन्द्र खोले जाने/निर्माण कराये जाने की अनुमति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांसी जनपद सिद्धार्थनगर की स्थापना का प्रकरण विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल खोलने की मांग

49-श्री लालजी यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में विधान सभा क्षेत्र बांसी में प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूलों की काफी कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार नये विद्यालय खोले जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद सिद्धार्थनगर में विधान सभा क्षेत्र बांसी के अन्तर्गत विकास खण्ड बांसी, मिठवल तथा खेसरहा है, जिसमें वर्तमान में निम्नांकित विवरण के अनुरूप परिषदीय विद्यालय हैं :-

विकास खण्ड	प्रा0वि0	पू0मा0वि0
1-बांसी	107	34
2-मिठवल	129	52
3-खेसरहा	115	50

वर्ष 2007-08 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार उक्त विकास खण्डों के अन्तर्गत असेवित बस्तियों में 32 प्राथमिक विद्यालय तथा 13 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की आवश्यकता है।

वर्ष 2008-09 में सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना में आवश्यकतानुसार नवीन विद्यालयों को खेलने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव किया गया है जो भारत सरकार से स्वीकृत होना है।

भारत सरकार से वर्ष 2008-09 के वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति के उपरान्त असेवित बस्तियों में नवीन विद्यालय खोलने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रभारी नियुक्त करने की नीति/मानक

50-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रभारी नियुक्त करने की कोई नीति या मानक निर्धारित हैं ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में विद्यालय भवन निर्माण हेतु प्रभारी नियुक्त करने में उक्त नीति या मानक का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां। प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रभारी नियुक्त करने की नीति/मानक निम्नवत् है :-

- एक अध्यापक से एक ही विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कराया जाये।
- किसी भी दशा में बाहर के अध्यापक से निर्माण कार्य न कराया जाये। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी स्थानीय प्रधान तथा प्रधानाध्यापक को ही सौंपी जाये।
- यदि बाहर के अध्यापक को आवंटित कर दिया गया है तो परिवर्तित कर स्थानीय प्रधान व प्रधानाध्यापक/भवन प्रभारी को आवंटित किया जाये।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2007-08 में प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भवन प्रभारियों की नियुक्ति निम्नांकित मानक का पालन करते हुए की गई है :-

- अपने सेवाकाल में जो कोई भवन न बनवाया हो तथा संबंधित विकास खण्ड के साथ-साथ स्थानीय हो।
- यदि उपरोक्तानुसार कोई अध्यापक न हो तो वर्ष 2007-08 में तीन वर्ष पूर्व यदि अपने सेवाकाल में मात्र एक विद्यालय बनवाया जो तथा संबंधित विकास खण्ड के साथ-साथ स्थानीय हो।

जनपद सिद्धार्थनगर के भवन निर्माण प्रभारी हेतु मानक के विपरीत किसी को भवन निर्माण प्रभारी नहीं बनाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत मदवार आवंटित धनराशि

51-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 एवं वर्तमान वर्ष 2007-2008 में वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि किस-किस मद हेतु प्राप्त हुई, उक्त धनराशि पर वर्षवार कितना ब्याज अर्जित किया गया ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि अर्जित ब्याज की धनराशि को किस मद में व्यय किया गया ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद सिद्धार्थनगर में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 एवं वर्तमान वर्ष 2007-08 (31-12-07 तक) वर्षवार एवं मदवार प्राप्त धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	मद का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	बी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0	13.03	12.89	12.79	12.79

क्र0सं0	मद का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
2	निर्माण कार्य	1409.8	1054.17	1570.46	1874.3
3	ई0जी0एस0/ ए0आई0सी0	71.76	57.54	100.01	74.86
4	नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक	64.28	71.15	101.3	137.02
5	आई0ई0डी0	1.84	28.98	42.91	32.54
6	इनोवेटिव एक्टीविटी	9	26.74	25.9	8.97
7	अनुरक्षण अनुदान	80.91	100.13	102.85	108
8	डी0पी0ओ0 मैजेजमेंट/ एम0आई0एस0	22	46.84	34.15	16.65
9	रिसर्च इवेल्यूऐशन मानीटरिंग	6.41	4.56	1.96	0.2
10	विद्यालय विकास अनुदान	33.56	42.16	43.02	45.18
11	शिक्षामित्र मानदेय	358.36	526.91	549.84	801.84
12	शिक्षक अनुदान	34.31	28.06	28.51	25.47
13	टी0एल0ई0	194.8	3.2	24.5	0
14	डायट् (ट्रेनिंग)	42.73	63.54	49.69	67.32
15	एन0पी0जी0ई0 एल0	77.02	309.54	309.93	151.24
16	वी0ई0सी0 ट्रेनिंग	0	0	0	1.61
	कुल :	2419.81	2376.41	2997.82	3357.99

उक्त धनराशि पर वर्षवार अर्जित ब्याज की धनराशि : 14.50, 23.62, 13.09, 3.29 अर्जित ब्याज की धनराशि किसी मद में व्यय नहीं की गई है।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम मोगलहा के श्री राम वृक्ष द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर जांच

52-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड उस्का बाजार के ग्राम मोगलहा के निवासी श्री राम वृक्ष आदि के शिकायती-पत्र की जांच आख्या सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी उस्का बाजार ने दिनांक 22-9-2007 को बेसिक शिक्षा अधिकारी,

सिद्धार्थनगर को दी है ? यदि हां, तो जांच आख्या पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र लिखा गया है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा सम्बन्धित के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी, सिद्धार्थनगर को पत्र दिनांक 24-1-08 लिखा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में गर्भवती माताओं को फस्ट रेफरल यूनिट तक पहुंचाने/सुरक्षित प्रसव के उपरान्त लाभार्थी को दी गयी धनराशि के विवरण की जानकारी

53-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2006-07 में गर्भवती माताओं को फस्ट रेफरल यूनिट तक पहुंचाने/सुरक्षित प्रसव के उपरान्त लाभार्थी माताओं को या उनके अधिकृत व्यक्ति को दी गयी धनराशि का विवरण सूची सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2006-07 में गर्भवती माताओं को (फर्स्ट रेफरल यूनिट) एफ0आर0यू0 तक पहुंचाने/सुरक्षित प्रसव के उपरान्त लाभार्थी माताओं को या उनके अधिकृत 1864 व्यक्तियों को कुल रु0 3,72,800/- की धनराशि वितरित की गई है, जिनका सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रवार विवरण/सूची निम्नवत् है :--

क्र0सं0	सा0/प्रा0 स्वा0 के0 का नाम	लाभार्थियों की संख्या	प्रति लाभार्थी की दर	व्यय की गयी धनराशि (रुपयों में)
1	2	3	4	5
1	बर्डपुर	300	200	60,000
2	उस्का	71	200	14,200
3	जोगिया	192	200	38,400
4	बढ़नी	149	200	29,800
5	भनवापुर	288	200	57,600

1	2	3	4	5
6	डुमरियागंज	264	200	52,800
7	मिठवल	312	200	62,400
8	खुनियांव	288	200	57,600
	योग :	1864	..	3,72,800

वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों को बीमारी के दौरान सहायता हेतु बीमा योजना की जानकारी

54-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (बी0पी0एल0) परिवारों के लिये भारत सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को बीमारी के दौरान सहायता हेतु 30,000/- रुपये तक की कोई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है ? यदि हां, तो वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों को चिन्हित कर उन्हें स्मार्ट कार्ड प्रदान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नकली दवाइयों के प्रकरण

55-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नकली दवाइयों के कितने प्रकरण जनवरी, 2005 से 31 दिसम्बर, 2007 तक प्रकाश में आये ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या ऐसे अवैध उत्पादन पर सर्वेक्षण कराकर रोक लगाने पर सरकार तत्काल कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश में जनवरी, 2005 से 31 दिसम्बर, 2007 तक नकली दवाओं के 28 प्रकरण प्रकाश में आये।

उपरोक्त 28 प्रकरणों में से 25 प्रकरणों में मुकदमें पंजीकृत करा दिये गये हैं एवं शेष 03 प्रकरणों में विवेचना प्रक्रियान्तर्गत है।

जी हां, ऐसे अवैध उत्पादन पर रोक लगाने हेतु प्रदेश में जुलाई, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक कुल 1654 छापे डाले गये, 31 प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, 37 दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 11 निर्माण इकाइयों के लाइसेन्स निरस्त किये गये।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये एफ0 डी0 ए0 लागू किये जाने की मांग

56-श्री सुन्दर सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये क्या सरकार उ0 प्र0 में एफ0डी0 ए0 (खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण की प्रणाली) लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

उ0 प्र0 में एफ0 डी0 ए0 (खाद्य एवं औषधि प्रशासन) की स्थापना का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट विद्यालयों को वित्तविहीन मान्यता हेतु लम्बित पत्रावलियां

57-श्री अरविन्द गिरि-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में वर्ष 2007 में हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट विद्यालयों की वित्तविहीन मान्यता हेतु कितनी पत्रावलियां शासन के विचाराधीन हैं ? इन विद्यालयों की मान्यता हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इन विद्यालयों को एक निश्चित समयावधि में मान्यता प्रदान कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यता हेतु कोई पत्रावली शासन के विचाराधीन नहीं है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मान्यता के प्रकरणों पर बोर्ड गठन के बाद ही विचार किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

58-डा0 अनिल चौधरी-

[दिनांक 14-2-2008 के अता0प्र0सं0-104 द्वारा उत्तरित]

जनपद आगरा के लघु सिंचाई खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कर्मचारियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में पत्र

59-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र सिंह तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड आगरा द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0-336/रालोद/विमदल/विस/007, दिनांक 26-12-07 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

लघु सिंचाई विभाग के अभिलेखों के अनुसार प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में टी0 बी0 के मरीजों में ड्रग रेजिस्टेंट के मरीजों का प्रतिशत व उपचार

60-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में टी0बी0 (ट्यूबर कुलोसिस) के मरीजों में कितने प्रतिशत मरीज ड्रग रेजिस्टेंट टी0बी0 के हैं ? इनकी पहचान व उपचार के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

टी0बी0 के मरीजों में ड्रग रेजिस्टेन्ट टी0 बी0 मरीजों का सर्वे भारत सरकार द्वारा नहीं कराया गया है।

ड्रग रेजिस्टेंट टी0 बी0 के मरीजों की पहचान व उपचार के लिये भारत सरकार के निर्देशानुसार पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ एवं अन्य माइक्रोवैक्टीरियल रोग संस्थान, आगरा की इण्टरमीडिएट रिफरेन्स लैब (आई0आर0एल0) में ड्रग रेजिस्टेंट सर्वेलेन्स (डी0आर0एस0) का कार्य सम्पादित कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बरेली मण्डल के महाविद्यालयों में रिक्त प्रधानाचार्य के पदों पर पूर्णकालिक नियुक्ति की मांग

61-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के रुहेलखण्ड डिवीजन (बरेली मण्डल) में कितने महाविद्यालय ऐसे हैं जहां पर वर्षों से पूर्णकालिक प्रधानाचार्य नहीं हैं ? क्या मा0 मंत्री जी शिक्षार्थियों के हित में तत्काल निर्णय लेकर रुहेलखण्ड मण्डल के सभी जिलों के अनुदानित महाविद्यालयों में पूर्णकालिक/ स्थायी प्रधानाचार्य/प्राचार्य की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

बरेली मण्डल के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में से 06 महाविद्यालयों में पूर्णकालिक प्रधानाचार्य नियुक्त नहीं है।

सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु चयन कराने का अधियाचन उ0 प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है।

उ0 प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद से चयनोपरान्त प्राचार्यों की नियमित नियुक्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ में मेडिकल केयर यूनिट में तैनात फार्मेसिस्टों को जिला चिकित्सालय में नियम विरुद्ध सम्बद्ध किये जाने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

62-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 2007 तक मेडिकल केयर यूनिट, आजमगढ़ में तैनात कितने फार्मासिस्टों को अपर निदेशक, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ द्वारा जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में नियमों के विरुद्ध सम्बद्ध किया गया है ? क्या यह सही है कि शासनादेश संख्या-5619 व शासनादेश सं0 1444/2002 में सम्बद्धता न किये जाने का स्पष्ट निर्देश हैं ? यदि हां, तो शासनादेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

एक फार्मेसिस्ट को जिला चिकित्सालय आजमगढ़ से सम्बद्ध किया गया है।

जी हां।

सम्बद्ध किये गये फार्मेसिस्ट की सम्बद्धता को दिनांक 21-01-2008 को समाप्त कर दिया गया है। दोषी अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है, जिसके प्राप्त होने पर उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में मधुमेह के रोगियों को दी जाने वाली दवाओं से टैक्स माफ किये जाने पर विचार

63-श्री मिथिलेश कुमार-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 सरकार मधुमेह रोगियों को दी जाने वाली दवा की खरीद पर लगने वाले टैक्स को माफ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

कर निर्धारण का कार्य कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा किया जाता है और एकरूपता का सिद्धान्त अपनाते हुए औषधियों पर 4 प्रतिशत का कर आरोपित किया गया है, किसी विशेष औषधि को अधिमान्यता दिये जाने की नीति नहीं है।

जनपद उन्नाव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग

64-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में वर्ष 2007-08 में कितने नये प्राथमिक स्वा0 केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

वर्ष 2007-08 में कोई नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

वर्ष 2007-08 में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक न होने के कारण जनपद उन्नाव में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

आगरा जनपद में अम्बेडकर ग्रामों में एकल प्राथमिक विद्यालय बन्द होने की जानकारी

65-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में वर्ष 2007-2008 में कितने अम्बेडकर ग्रामों में एकल प्राथमिक विद्यालय तथा कितने अम्बेडकर ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय बन्द हैं ? इन विद्यालयों के बन्द होने के क्या कारण हैं ? बन्द पड़े हुए विद्यालयों के लिये कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्मपाल सिंह सैनी-

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र के अम्बेडकर ग्रामों में रिक्त प्राथमिक विद्यालयों में 31 प्राथमिक विद्यालय एकल अध्यापकीय है तथा कोई भी प्राथमिक विद्यालय बन्द नहीं है।

कोई विद्यालय बन्द नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी के क्षेत्रीय कार्यालय में असेवित विद्यालयों को मान्यता दिये जाने विषयक लम्बित पत्रावलियां

66-श्री लालजी यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में कितने इण्टरमीडिएट असेवित विद्यालयों को मान्यता दिये जाने विषयक पत्रावलियां लम्बित हैं तथा इनकी जिलेवार स्थिति क्या है ? क्या सरकार द्वारा असेवित इण्टर कालेजों को समिति के माध्यम से मान्यता दिये जाने हेतु निर्देश दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले जनपदों से असेवित विद्यालयों के 30 प्रकरण मान्यता हेतु लम्बित हैं। जिन जनपदों के प्रकरण लम्बित हैं उनका विवरण निम्नवत् है :-

सुल्तानपुर	04
बाराबंकी	02
अम्बेडकर नगर	02
गोण्डा	01
बस्ती	01
सिद्धार्थनगर	01
संतकबीरनगर	01
गोरखपुर	06
महराजगंज	01
देवरिया	06

कुशीनगर	01
आजमगढ़	01
मऊ	01
गाजीपुर	01
वाराणसी	01

मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में बोर्ड पुनर्गठन हेतु इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2007 पर महामहिम श्री राष्ट्रपति का अनुमोदन प्रतीक्षित होने के कारण अग्रेतर कार्यवाही बाधित है।

इस बारे में कोई समयावधि निर्धारित करना संभव नहीं है।

जनपद वाराणसी के श्री राम कृष्ण विद्या मन्दिर इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक की वासुदेवाचार्य को नियमित वेतन दिये जाने की मांग

67-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वासुदेवाचार्य सहायक अध्यापक, श्री राम कृष्ण विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, वाराणसी को प्रधानाचार्य तथा प्रबन्धक द्वारा उत्पीड़ित किये जाने की जांच हेतु तथा नियमित वेतन दिलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम- 162440/2007, दिनांक 18-8-2007 प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है तथा क्या शिक्षक को नियमित वेतन दिलाये जाने हेतु कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी द्वारा वेतन वितरण अधिनियम, 1971 की धारा-3 (3) के अन्तर्गत माह मई, 2007 से अक्टूबर, 2007 तक का वेतन भुगतान कर दिया गया तथा माह जनवरी, 2008 तक का वेतनादि का भुगतान कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के समस्त परिषदीय विद्यालय के भवनों की मरम्मत, रंगाई, पुताई तथा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष्य अवशेष निर्माण कार्य

68-श्री राम विशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषदीय विद्यालय भवनों की मरम्मत, रंगाई, पुताई तथा भवनों के निर्माण हेतु शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा जनपद भ्रमण में निरीक्षण किये जाने हेतु एवं अतिरिक्त बिन्दुओं की जांच हेतु प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश सं0-2008-79-5-2007, दिनांक 26 जून, 2007 को समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजा था ? यदि हां, तो क्या जनपद गोण्डा में उक्त शासनादेश के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा कराई गयी ? यदि हां, तो उसके क्या

परिणाम आये ? क्या सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी हां।

जनपद गोण्डा के समस्त परिषदीय विद्यालय भवनों की मरम्मत, रंगाई व पुताई का कार्य पूर्ण।

वर्ष 2006-07 में भवन निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष एक प्राथमिक विद्यालय में न्यायालयीय विवाद तथा एक प्राथमिक व एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण अवशेष है।

जी हां।

निर्धारित समय पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के चौ0 चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय छपरौली में स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय की कक्षायें प्रारम्भ किये जाने की मांग

69-डा0 अजय तोमर-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत की चौ0 चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय छपरौली (बागपत) में स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय की कक्षायें शुरू करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में उक्त महाविद्यालय को कब तक अनुमति प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

छात्र संख्या पर्याप्त न होने के कारण।

प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक/प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्य योजना

70-डा0 अजय तोमर-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कितने शिक्षक/प्रवक्ता के पद रिक्त हैं ? क्या इन रिक्त पदों को भरे जाने की कोई कार्य योजना प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम के 2854 तथा प्रवक्ता वेतन के 937 पदों का अधियाचन उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित है।

जी हां।

उ0 प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत विषय विशेषज्ञों का आमेलन किया जा रहा है।

विषय विशेषज्ञों के आमेलन के पश्चात् शेष रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रामपुर में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ब्लाकों की चयनित सूची

71-श्री संजय कपूर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जनपद मे सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उ0 प्र0 विद्यालय मुल्लखेड़ा खुटाखेड़ा, करसौला, खेमपुर ब्लाक विलासपुर व मिजीनूरपुर, खेमपुर ब्लाक मिलक आदि जनपद के समस्त ब्लाकों की चयनित सूची में ज्यादातर विद्यालय दूरी के मानक को पूरा नहीं करते हैं ? यदि हां, तो नियम विरुद्ध चयनित इन विद्यालयों को चयनित करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद रामपुर में वर्ष 2007-08 के लिए नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्थल चयन हेतु बैठक अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्षता में दिनांक 30-9-07 को सम्पन्न हुई। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद की असेवित बस्तियों की सूची का परीक्षण कराकर उपलब्ध करायी गयी तथा विद्यालयों के मानक को लिखित रूप से सदस्यों को भी प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष, जिला पंचायत एवं सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा चयनित सूची के परीक्षणोपरान्त जनपद में विद्यालयों का निर्माण प्रारम्भ कराया गया है। इस प्रकार बिलासपुर ब्लाक के मुल्लाखेड़ा, खूंटाखेड़ा, करसौला, खेमपुर तथा मिलक ब्लाक के मिर्जानूरपुर, खेमपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय दूरी के मानक को पूरा करते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में फेन्सीफेरम मलेरिया के उपचार की व्यवस्था

72-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में फेन्सीफेरम मलेरिया के उपचार की सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां, जनपद आगरा फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में फेल्सीफेरम मलेरिया के उपचार की सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत तथा मेरठ में जूनियर हाई स्कूलों में त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

73-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत तथा मेरठ में त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूलों में वर्तमान समय में कितने संस्कृत अध्यापक पद रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि संस्कृत अध्यापकों के अभाव के कारण छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद बागपत तथा मेरठ में त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई पद रिक्त नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की स्वीकृति की जानकारी

74-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में कौन-कौन से स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम चलाने हेतु शासन ने स्वीकृति दी है ? बिना शासकीय स्वीकृति के चलाये गये पाठ्यक्रमों के संदर्भ में शासन ने क्या नीति निर्धारित की है ? गोरखपुर विश्वविद्यालय में बिना शासकीय स्वीकृति के कौन-कौन से पाठ्यक्रम संचालित हो रहे थे ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान), बी0एस0सी0 (कम्प्यूटर साइंस), एम0बी0ए0, बी0जे0 (हिन्दी), बी0एस0सी0 (माइक्रोबायोलाजी), एम0एस0सी0 इलेक्ट्रानिक्स, एम0एस0सी0 बायोटेक्नालाजी, बी0एस0सी0 इन्डस्ट्रियल कमेस्ट्री।

उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 एवं विश्वविद्यालय की परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार ही नये पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 204 पर।)

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप भवन व छात्राओं के लिये अलग शौचालय की मांग

75-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप भवन तथा लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है ? सरकार द्वारा इस कमी को कब तक दूर कर दिया जायेगा ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्रदेश में वर्तमान में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवनों का मानक निम्नवत् है :-

प्राथमिक	02 कक्ष, 01 बरामदा
विद्यालय	01 प्रधानाध्यापक कक्ष
उच्च प्राथमिक विद्यालय	04 कक्ष, 01 बरामदा, 01 प्रधानाध्यापक/भण्डार कक्ष

ई0एम0आई0एस0 डाटा वर्ष 2006-07 के अनुसार प्रदेश में 24103 प्राथमिक विद्यालय तथा 5981 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है।

धनराशि उपलब्ध होने पर।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में राजकीय बालिका विद्यालय की संख्या

76-श्री जोखू लाल यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापपुर के अन्तर्गत कितने राजकीय बालिका इण्टर कालेज हैं ? क्या सरकार विकास खण्ड स्तर पर राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोले जाने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

01 (एक)

विकास खण्ड स्तर पर राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोले जाने की योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के चौ0 चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय छपरौली में स्नातक स्तर पर विज्ञान व कामर्स की कक्षाएं प्रारम्भ किये जाने पर विचार

77-डा0 अजय तोमर-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के चौ0 चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय छपरौली (बागपत) में स्नातक स्तर पर विज्ञान व कॉमर्स की कक्षाओं को शुरू करने की कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या अगले शिक्षण सत्र में उक्त कक्षाएं शुरू हो जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

औचित्य पाये जाने एवं औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कक्षाएं प्रारम्भ की जायेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 109 के अन्तर्गत नियमावली बनाये जाने की प्रक्रिया

78-श्री रिजवान अहमद-

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 109 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने हेतु नियम अथवा नियमावली उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (चार) के अतिरिक्त अन्य खण्डों हेतु राजपत्र में अभिसूचित की गयी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब धारा 109 के समस्त खण्डों हेतु राजपत्र में नियमावली प्रकाशित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-109 के अन्तर्गत नियमावली बनाये जाने की प्रक्रिया प्रचलित है।

जनपद सिद्धार्थनगर के सभी सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से गर्भवती महिलाओं को प्रसव कराने उपरान्त आन स्पाट भुगतान हेतु धनराशि का व्यय विवरण

79-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा पत्रांक-सि0न0/यान0आई0पी0/व्यय विवरण/07-08-585- 62, दिनांक 10-05-2007 के द्वारा जनपद के सभी सामु0/प्रा0 स्वा0 केन्द्र के प्रभारियों से जटिल गर्भवती माताओं को एफ0आर0यू0 (फस्ट रेफरल यूनिट) तक पहुंचाने तथा परिवहन सुविधा हेतु सुरक्षित प्रसव कराने के उपरान्त लाभार्थी माताओं या उनके अधिकृत केयर टेकर/सहयोगी को आन स्पाट भुगतान हेतु दिये गये धनराशि का व्यय विवरण बाउचर/समायोजन मांगा था ? यदि हां, तो क्या सभी सामु0/प्रा0 स्वा0 केन्द्र से व्यय विवरण बाउचर/समायोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

समायोजन बाउचर प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य उत्पादन तथा व्यय की गई धनराशि

80-श्री राम विशुन आजाद-

क्या मत्स्य एवं सैनिक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मत्स्य विभाग द्वारा कितने जल क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन हो रहा है तथा वर्ष 2006 से 2007 तक में कितनी धनराशि सरकार द्वारा इस हेतु व्यय की गयी है तथा 31-12-07 तक सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है ?

मत्स्य एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जमुना प्रसाद)-

उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन मुख्यतः ग्रामीण तालाबों एवं सिंचाई विभाग के जलाशयों से होता है। ग्रामीण तालाब ग्राम समाज/राजस्व विभाग के स्वामित्व में हैं। वर्ष 2007-08 तक राजस्व विभाग द्वारा 70029.80 हेक्टेयर जल क्षेत्र के तालाब पट्टे पर उठाये गये हैं। उक्त क्षेत्र के साथ ही निजी स्वामित्व के तालाबों जिनका क्षेत्रफल 22175 हे0 में मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार कुल 92204.80 हे0 के तालाबों में मत्स्य उत्पादन का कार्य हो रहा है। तालाब सुधार कार्यक्रम (मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना) अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में कुल रु0 680.82 लाख तथा माह दिसम्बर, 2007 तक रुपया 355.66 लाख व्यय किया गया।

ग्राम समाज के तालाबों के पट्टे से प्राप्त लगान की आय राजस्व विभाग को सीधे प्राप्त होती है।

मत्स्य विभाग मत्स्य विकास निगम एवं मत्स्य जीवी सहकारी संघ के प्रबन्धान्तर्गत कुल 77600 हे0 क्षेत्रफल के जलाशय हैं। उक्त जलाशयों से वर्ष 2006-07 में रुपया 205.86 लाख की आय प्राप्त हुई है।

81-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गाजियाबाद के विद्यावती मुकुन्द लाल महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षक के सततीकरण की मांग

82-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विद्यावती मुकुन्द लाल महिला महाविद्यालय की प्राचार्य से सन्दर्भ संख्या-643-645/2006-07, दिनांक 13 मार्च, 2007 को एक पद शारीरिक शिक्षक के सततीकरण हेतु शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शिक्षा डिग्री अर्थ-1 अनुभाग इलाहाबाद को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो उक्त सन्दर्भ में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

जी हां।

सततीकरण शासन के पत्र दिनांक 29 अक्टूबर, 2007 द्वारा किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में नीति

83-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होने के बावजूद शिक्षकों से कौन-कौन से गैर शिक्षकीय कार्य लिए जाते हैं ? क्या शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य लिए जाने से पठन-पाठन का कार्य एवं माहौल प्रभावित होता है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य न लिए जाने के सन्दर्भ में क्या नीति निर्धारित की गयी ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

शासनादेश संख्या-5966/65-5-97-486/97, दिनांक 06-11-1997 6972/15-5-2000-365/2000, दिनांक 29-12-2000 तथा 236/79-5-2005-385/2000, दिनांक 06-1-2006 द्वारा केवल स्कूल भवन निर्माण साक्षरता अभियान, माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में अनिवार्य विषयों में केन्द्र पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्य, 10 वर्षीय जनगणना, पल्स पोलियो, दैवीय आपदा सम्बन्धी तथा निर्वाचन सम्बन्धी कार्य किये जाने के निर्देश हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में समस्त सरकारी अस्पतालों में रैबीज इंजेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

84-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुत्तों एवं बन्दरों के काटने से पीड़ित नागरिकों की चिकित्सा हेतु क्या समस्त सरकारी अस्पतालों में रैबीज इन्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय बालिका डिग्री कालेज, ढिढुई में विभिन्न विषयों में रिक्त अध्यापकों के पद व नियुक्ति की मांग

85-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका डिग्री कालेज, ढिढुई एवं मंगरौरा, प्रतापगढ़ में किन-किन विषयों के अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? जिससे उन विषयों का पठन-पाठन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेज में रिक्त अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

राजकीय महिला महाविद्यालय ढिढुई प्रतापगढ़ में हिन्दी, अंग्रेजी, शिक्षा शास्त्र व शारीरिक शिक्षा तथा राजकीय महाविद्यालय मंगरौरा प्रतापगढ़ में सांख्यिकी, शिक्षा शास्त्र, भू-गर्भ विज्ञान व शारीरिक शिक्षा विषयों में प्रवक्ता के एक-एक पद रिक्त हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गिरते भू-गर्भ जल स्तर को रोकने के उपाय

86-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गिरते भू-गर्भ जल स्तर को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कोई उपाय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाखीराम नागर-

जी हां।

भू-गर्भ जल के गिरते हुए स्तर को रोकने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन एवं भू-गर्भ जल रिचार्ज योजना के अन्तर्गत बहु आयामी रणनीति पूरे प्रदेश के लिए अपनायी जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन भू-गर्भ जल संवर्द्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें की गयी हैं :-

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था कर दी गयी है।

(3) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक सीमित रखने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) 200 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 200 वर्ग मी0 से कम क्षेत्रफल के भू खण्डों में ग्रुप रिचार्ज स्कीम स्थापित कराने का प्राविधान भी किया गया है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि भविष्य में निर्मित होने वाली आवासीय योजनाओं में जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवेज नेटवर्क के साथ-साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू-जल रिचार्ज हेतु पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जायेगा।

(5) पूर्व में निर्मित शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रुफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उ0 प्र0 जल निगम द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर रुफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है। भू-गर्भ जल विभाग द्वारा उक्त पद्धति की स्थापना माडल के रूप में की जा रही है।

(7) यह निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई के निर्देश दिये गये हैं।

(8) ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/बन्धी एवं चेक डैम निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(9) कृषि विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बन्धी, इनसीतू (आन फार्म) रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परकोलेशन वेल, तालाब एवं रिचार्ज पिट का कार्य किया जा रहा है।

(10) उ0 प्र0 जल निगम द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है।

(11) लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का निर्माण तथा चेक डैम का निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(12) भू-गर्भ के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में भू-गर्भ जल दिवस शासकीय दिवस के रूप आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(13) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "आदर्श जलाशय योजना" आरम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई द्वारा शिक्षकों के स्थानान्तरण/समायोजन/संशोधन में की गई अनियमितता की जांच

87-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई द्वारा शिक्षा सत्र-2007-08 में शिक्षकों के समायोजन/स्थानान्तरण/संशोधन के नाम पर की गयी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत विषयक श्री जगदीश प्रसाद त्यागी प्रा0अ0/समाजसेवी नि0-आजादनगर, कुरसठ, हरदोई के प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-08-07 जो जिलाधिकारी, हरदोई को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी को उपरोक्त जांच हेतु निर्देशित किया था ? क्या यह सही है कि जिला विकास अधिकारी ने सन्दर्भित जांच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी है ? यदि हां, तो जिस अधिकारी पर दोष लगाये गये हों उसे ही जांच स्थानान्तरित करने का औचित्य क्या है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के मल्लावां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात फार्मासिस्ट श्री राजकुमार गुप्ता के भ्रष्टाचार की जांच

88-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के प्राथमिक स्वा0 केन्द्र मल्लावां में कार्यरत फार्मासिस्ट श्री राजकुमार गुप्ता की अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत दिनांक 18-11-06 सं0-48222 लोकवाणी में दर्ज हुई है ? यदि हां, तो क्या लोकवाणी में दर्ज शिकायत की जांच उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा करायी गयी है ? क्या यह भी सही है कि जांचोपरान्त उक्त फार्मासिस्ट को दिनांक 07-02-2007 को स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया था ? यदि हां तो उक्त स्थानान्तरण आदेश को पुनः निरस्त कर श्री गुप्ता को यथावत् मल्लावां में बनाये रखने का औचित्य क्या है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

श्री राजकुमार गुप्ता फार्मासिस्ट के प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई द्वारा स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया था किन्तु पुनः प्रकरण की करायी गयी जांच में प्राप्त जांच आख्या के क्रम में श्री राजकुमार गुप्ता फार्मासिस्ट को आदेश दिनांक 04-02-08 द्वारा प्रा0 स्वा0 केन्द्र मल्लावां से प्रा0 स्वा0 केन्द्र हरियावां हरदोई में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

प्रदेश शासन द्वारा राज्याधीन सेवाओं पर भर्ती पर लगाये गये प्रतिबन्ध के बावजूद गोरखपुर मण्डल में की गई नियुक्तियों की जांच

89-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 12 दिसम्बर, 2006 को राज्याधीन सेवाओं की भरती पर लगाये गये प्रतिबन्ध विषयक शासनादेश संख्या-20-1-91-का-2-2006 कार्मिक अनुभाग क्या सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों पर भी लागू होता है ? यदि हां, तो गोरखपुर मण्डल में उक्त आदेश का उल्लंघन करके 12 दिसम्बर, 2006 से 31-12-07 तक की गयी नियुक्तियों का विवरण क्या है ? सरकार ने इस विषय पर कार्यवाही हेतु क्या नीति निर्धारित की है ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

प्रश्नगत अवधि में शासनादेश का उल्लंघन नहीं किया गया। नियुक्तियों का विवरण मा0 अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

90-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[2सरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर के नियंत्रण की कार्य योजना

91-श्री लल्लू सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से बचाव हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

जी हां।

मस्तिष्क ज्वर रोग को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा मस्तिष्क ज्वर (जे0ई0) नियंत्रण कार्य योजना बनायी गयी है, जिसमें रोग नियंत्रण हेतु वाहक पर नियंत्रण, रोगी का निदान एवं उपचार, टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पुनर्वासन आदि सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद मण्डल में खसरा रोग से बचाव हेतु टीकाकरण अभियान चलाये जाने की कार्य योजना

92-श्री लल्लू सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मण्डल के अधिकांश जनपद खसरा (छोटी चेचक) की चपेट में माह जनवरी, 2008 से हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में इस रोग से बचाव हेतु कोई कार्य योजना (टीकाकरण अभियान) बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

फैजाबाद मण्डल के जनपद सुल्तानपुर में खसरे के 23 रोगी माह जनवरी, 2008 में पाये गये, जिसमें से 02 की मृत्यु हो गयी।

भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में खसरा से बचाव हेतु टीकाकरण की कार्य योजना बनायी गयी है, जिसमें 09 माह की आयु के बच्चों को टीका लगाकर खसरे से प्रतिरक्षित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय डिग्री कालेज ढिढुई को उच्चीकृत करते हुये पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें प्रारम्भ किये जाने की मांग

93-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय डिग्री कालेज, ढिढुई को उच्चीकृत करते हुए पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें प्रारम्भ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

जी नहीं।

छात्र संख्या पर्याप्त न होने के कारण।

प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विकलांग बच्चों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी

94-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वशिक्षा अभियान, उ0 प्र0 में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में विकलांग बच्चों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

उत्तर प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य रूप से निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं :-

- चिकित्सकों द्वारा बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाता है तथा 40 प्रतिशत विकलांगता होने पर विकलांगता प्रमाण-पत्र बनवाया जाता है।
- बच्चों के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं।
- दृष्टिहीन बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं।
- बच्चों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु विद्यालयों में रैम्प का निर्माण किया जा रहा है।
- 03 माह के आवासीय ब्रिज कोर्स में पंजीकृत बच्चों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था के साथ-साथ ड्रेस, स्वेटर, बैग, कापी, किताबें आदि की व्यवस्था की जाती है।

जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर में बन्द सहकारी समितियों को सहायता प्रदान कर संचालित किये जाने की मांग

95-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा एवं जनपद बलरामपुर में बंद साधन सहकारी समितियों को सरकारी सहायता देकर क्या सरकार पुनर्जीवित करके संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर की जिला सहकारी बैंक लि0 गोण्डा दिनांक 17-8-02 से परिसमापन में होने से उक्त जनपदों की साधन सहकारी समितियां वित्त पोषण न होने के कारण बन्द हैं।

उपरोक्त स्थिति में इन्हें संचालित करना सम्भव नहीं है।

दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को बकाया मानदेय के भुगतान की मांग

96-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उर्दू बी0टी0सी0 दो वर्षीय विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय रु0 2500/- दिया जाना प्रस्तावित था क्या विगत 18 माह से उक्त मानदेय नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बकाया मानदेय का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण 2005 के प्रशिक्षणार्थियों को 06 माह के मानदेय भुगतान के लिए धनराशि वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा जनपदों को आवंटित की जा चुकी है। शेष प्रशिक्षण अवधि का मानदेय तत्समय मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दिये जाने के कारण नहीं दिया गया है।

जी हां।

कार्यवाही गतिमान।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में यू0पी0 हेल्थ प्रोजेक्ट योजना के तहत विगत पांच वर्ष में प्राप्त धन तथा कराये गये कार्य

97-श्री लालजी यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 हेल्थ प्रोजेक्ट योजना के तहत जनपद सिद्धार्थनगर में कितना धन विगत पांच वर्षों में खर्च हुआ है और कौन-कौन से कार्य उक्त योजना के तहत कराये गये हैं ? इसका विवरण क्या है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

जनपद सिद्धार्थनगर उ0 प्र0 हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना से आच्छादित 28 जनपदों में सम्मिलित नहीं है। अतः यहां पर उ0 प्र0 हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना की ओर से कोई कार्य नहीं कराया गया है और न ही परियोजना द्वारा कोई धन खर्च किया गया है।

सहकारिता विभाग में पैक्स फेड लखनऊ में प्रतिबन्ध के बावजूद प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये गये अधिकारी/कर्मचारी का औचित्य

98-श्री लालजी यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन स्तर से सहकारिता विभाग में प्रतिनियुक्ति किये जाने पर रोक है ? यदि हां, तो पैक्स फेड लखनऊ में कितने लोग प्रतिबंध के बावजूद प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये गये हैं ? क्या सरकार प्रतिनियुक्ति पर तैनात लोगों को मूल विभाग में वापस भेजने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

पैक्स फेड में 22 अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं।

पैतृक विभाग द्वारा मांग किये जाने के आधार पर वापस किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में ही, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप अनुमति दें तो बोलें।

श्री अध्यक्ष-

बताइये, क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज की कार्यवाही में मेरा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 61 पर प्रश्न लगा है। प्रश्न का जो आखिरी प्रस्तर है, उसमें मैंने पूछा है कि क्या सभी जिलों के अनुदानित महाविद्यालयों में पूर्णकालिक/स्थायी प्रधानाचार्य/प्राचार्य की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? उत्तर के दूसरे प्रस्तर में मंत्री जी ने कहा है कि सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु चयन कराने का अधियाचन उ0 प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है। मान्यवर, पांच-पांच वर्षों से नियमित प्रिंसिपल नहीं हैं, जिससे कालेजों में अव्यवस्था है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कोई समय-सीमा होनी चाहिए कि कब तक नियमित प्रधानाचार्य नियुक्त हो जायेंगे ? इससे शिक्षा पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मान्यवर, इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 फरवरी, 2008 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं :--

पहली सूचना श्री विद्या सागर गुप्ता की लखनऊ स्थित लक्ष्मण मेला ग्राउण्ड पर पौधारोपण का कार्य निरस्त कर पूर्व की भांति सामाजिक एवं अन्य कार्यों का आयोजन करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री आर0 के0 चौधरी की गोरखपुर के थाना शाहपुर अन्तर्गत मौर्या हास्टल से 15 वर्षीय दलित छात्रा के अपहरण की प्राथमिक सूचना दर्ज करके अभियुक्तों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री सुरेश चन्द्र

तिवारी की लखनऊ के कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त नटखेड़ा रोड का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी की है, वह अनुपस्थित हैं। पांचवीं सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह की आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों में अधूरे विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की मुजफ्फरनगर के जलालाबाद नगर पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की खीरी के विकास खण्ड बांकेगंज के ग्राम अलीगंज में स्वीकृत पावर स्टेशन के रुके निर्माण को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की उन्नाव सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम करनीपुर में अनुसूचित बस्ती में आवागमन के रास्ते को बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्री संजय कपूर की रामपुर के तहसील भवन विलासपुर के जर्जर भवन का नव-निर्माण कराने के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री शम्भू चौधरी की कुशीनगर की नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की बांदा के तिन्दवारी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों में राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की सरायं ताल्लुका छितौना (बिजली पुरा क्षेत्र) जिला शाहजहांपुर में दबंगों का कब्जा हटाने एवं चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी में घरेलू गैस की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना डा0 राजकुमार सिंह की गाजीपुर के जमानियां क्षेत्रान्तर्गत गाजीपुर-जमानियां राष्ट्रीय राजमार्ग पर परिवहन निगम द्वारा पर्याप्त संख्या में बसों का संचालन एवं चोचकपुर तथा धरम्मरपुर में यात्री प्रतीक्षा शेड का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है।

माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचना अस्वीकार की गयी-श्री हरपाल सिंह, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री प्रदीप जैन आदित्य एवं श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह धुन्नी भैया।

उपस्थित मा0 सदस्यों की स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।

लखनऊ स्थित लक्ष्मण मेला ग्राउण्ड पर पौधा रोपण का कार्य निरस्त कर पूर्व की भांति सामाजिक एवं अन्य कार्यों का आयोजन करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विद्या सागर गुप्ता-

महोदय,

[पूर्वी विधान सभा लखनऊ स्थित लक्ष्मण मेला ग्राउन्ड पर वर्षों से सामाजिक, धार्मिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते चले आ रहे हैं। मेला ग्राउन्ड लखनऊ के निर्माता लक्ष्मन जी के नाम पर रखा गया है। नगर के बीचोबीच एक ही ऐसा ग्राउन्ड है जहां नगर के हजारों नागरिक कार्यक्रमों में भाग लेकर लाभान्वित होते हैं।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, कुछ दिनों से इस ऐतिहासिक ग्राउन्ड पर पौधा रोपण का कार्य शुरू कर दिया गया है जो सर्वथा अनुचित है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि पौधा रोपण का यह कार्य तुरन्त निरस्त किया जाय और सामाजिक, धार्मिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन पूर्व की भांति चलने दिया जाय।]

गोरखपुर के थाना शाहपुर अन्तर्गत मौर्या हास्टल से 15 वर्षीय दलित छात्रा के अपहरण की प्राथमिक सूचना दर्ज करके अभियुक्तों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री आर0 के0 चौधरी-

[महोदय, दिनांक 28-01-2008 को गोरखपुर जनपद के थाना शाहपुर के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक के सामने मौर्या हास्टल से दलित छात्रा कु0 बिन्दू राज आयु लगभग 15 साल का 2 दबंग नवयुवकों ने अपहरण कर लिया। कु0 बिन्दू राज पुत्री श्री मिश्री लाल लखीमपुर की रहने वाली है। वह गोरखपुर में "इन्फारमेशन एण्ड टेक्नालोजी" के डिप्लोमा में अपनी पढ़ाई के लिये "मौर्या हास्टल" में कमरा लेकर रहती थी। कु0 बिन्दू राज 15 वर्षीय नाबालिक लड़की है। उसके पिता ने गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा थाना शाहपुर में घटना की लिखित तहरीर दिया परन्तु अभी तक थाने की पुलिस और गोरखपुर के पुलिस अधिकारी छानबीन करने की बात करते रहे। अभी तक न तो घटना की एफ0आई0आर0 लिखी गयी और न कु0 बिन्दू राज की बरामदगी की गयी। अपहृता के पिता श्री मिश्री लाल लखीमपुर में सहकारी बैंक के शाखा प्रबन्धक हैं। न्याय पाने के लिये वे दर-दर भटक रहे और पुलिस अधिकारियों की मिन्नतें कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है।

अतः आपसे आग्रह है कि दलित छात्रा कु0 बिन्दू राज आयु 15 वर्ष के अपहरण की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करके अपहृता को बरामद करने व अभियुक्तों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।]

लखनऊ के कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त नटखेड़ा रोड का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र, लखनऊ कैन्ट, लखनऊ में वी0आई0पी0 रोड, पकरी के पुल से आलमबाग चौराहे को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग, नटखेड़ा रोड पूर्णरूपेण क्षतिग्रस्त है, जगह-जगह गढ्ढे हैं, इस मार्ग पर क्षेत्र के दसियों मोहल्ले पड़ते हैं, लाखों लोग इस मार्ग से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रतिदिन निकलते रहते हैं। मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं, जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाना अति आवश्यक है।

इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गावों में अधूरे विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राजेन्द्र सिंह-

[महोदय, आगरा जनपद के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड फतेहाबाद व शमसाबाद में विद्युतीकरण के लिये अम्बेडकर गांव व सामान्य गांव बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा है, कुछ गांवों में अधूरा कार्य हुआ है, संज्ञान में लेते हुए निम्न गांवों में विद्युतीकरण कराने का कष्ट करें। गढ़ी रामपाल ख्याली का वास, ठाकुरदास की गढ़ी किराना की गढ़ी, लाल की गढ़ी, (सभी अम्बेडकर गांव) गढ़ी धर्मपाल मझटीला व कछियारा।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही किये जाने हेतु मांग करता हूं।]

मुजफ्फरनगर के जलालाबाद नगर पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अब्दुल वारिस खां-

[जनपद मुजफ्फरनगर में जलालाबाद नगर पंचायत स्थित है इसकी आबादी लगभग 25 हजार परन्तु यहां पर न ही कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है और न ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इतनी बड़ी इतनी बड़ी आबादी क्षेत्र को समय से प्राथमिक उपचार प्राप्त नहीं हो पाता है व पिछले वर्ष यहां पर काफी व्यक्ति डायरिया से पीड़ित हुये थे जिन उपचार के लिये जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर ले जाना पड़ा था। कस्बा जलालाबाद के निकट लगभग 10 गांव पड़ते हैं जिनमें भी कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है यह क्षेत्र जनपद मुख्यालय से लगभग 40 किमी0 की दूरी पर है इस क्षेत्र के काफी व्यक्तियों को समय से उपचार न होने से कारण मृत्यु हो गयी है इस क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार से ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खीरी के विकास खण्ड बांकेगंज के ग्राम अलीगंज में स्वीकृत पावर स्टेशन के रुके निर्माण को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 आर0ए0 उस्मानी-

[महोदय,आपको अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड बांकेगंज के अन्तर्गत ग्राम अलीगंज में विद्युत विभाग का पावर स्टेशन स्वीकृत हुआ था स्थल का चयन होकर कार्य भी प्रारम्भ हो चुका था किन्तु उपरोक्त पावर सब स्टेशन बनना रुक गया है जिससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश/जनाआक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार से व्यक्तव्य देने की मांग करता हूं।]

उन्नाव सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम करनीपुर में अनुसूचित जाति की बस्ती में आवागमन के रास्ते भी बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुन्दर लाल लोधी-

[महोदय,जनपद उन्नाव के सदर तहसील के ग्राम करनीपुर में ग्राम के पश्चिम की ओर अनुसूचित ःस्ती है। वहां पर सुगमता से आने जाने के लिए चकबन्दी में रास्ता छोड़ा गया था जो नक्शे में दर्ज हे और ग्राम के दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और रास्ता बन्द कर दिया गया है इस सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी उन्नाव से रास्ता खुलवाने का आग्रह किया, परन्तु अभी तक रास्ता न खुल सका। समस्त अनुसूचित वर्ग के लोगों में रोष व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की मांग करता हूं।]

रामपुर के तहसील भवन बिलासपुर के जर्जर भवन का नव निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजय कपूर-

[मैं सदन के माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र बिलासपुर की तहसील भवन की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह तहसील भवन अत्यन्त प्राचीन है तथा जीर्णावस्था में है। बरसात के समय में इसमें जितनी बरसात बाहर होती है उतना ही पानी अन्दर भी टपकता है। इसकी दीवारें अत्यन्त पुरानी है, जो कि अक्सर गिर जाती है। इसकी मरम्मत करके काम चलाया जा रहा है तथा छत कड़ियों से निर्मित है जो कि गल चुकी है यहां पर दीवार गिरने व छत कड़ियां गिरने से कई बार लोगों को गम्भीर चोटें लग चुकी हैं। इसको नया बनाने की मांग पिछले 20-25 साल से चली आ रही है। इसके नया न बनने से जनता में रोष व्याप्त है। यदि इसका पुनः निर्माण नहीं कराया गया तो किसी भी दिन कोई गम्भीर घटना घटित हो सकती है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसका अविलम्ब बनाया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। इसके सम्बन्ध में नये भवन के निर्माण का प्रस्ताव बहुत लम्बे समय से शासन में लम्बित है। तहसील भवन जर्जर होने के कारण वहां पर लोग ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं और छत पर लगी कड़ियों के टूटने का डर बना रहता है। तहसील भवन का नया निर्माण कराये जाने के लिए बहुत समय से मांग चली आ रही है। लेकिन इस पर किसी प्रकार की सुनवाई न होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों एवं जनमानस में काफी असन्तोष एवं रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करें।]

कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत 14 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री शम्भू चौधरी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र नौरंगिया में बिजली आपूर्ति की दुर्व्यवस्था की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

मान्यवर, विधान सभा नौरंगिया उ0 प्र0 एवं बिहार तथा नेपाल की सीमा से सटा हुआ बाढ़ प्रभावित, दस्यु प्रभावित क्षेत्र है, इस विधान सभा अन्तर्गत उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम द्वारा लक्ष्मीगंज एवं खड्डा में चीनी मिलें संचालित की जा रही हैं, सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को 14 घण्टे बिजली आपूर्ति का आदेश दिये जाने के बावजूद मेरे विधान सभा में प्रतिदिन मात्र 3 से 4 घण्टे ही बिजली आपूर्ति हो रही है।

बिजली आपूर्ति की दुर्व्यवस्था से मेरे क्षेत्र में निरन्तर अपहरण, लूट, हत्या आदि की घटनाएं हो रही हैं, चीनी मिलों को विद्युत आपूर्ति न मिल पाने से किसानों, मजदूरों एवं मिल को भी निरन्तर परेशानियां हो रही हैं, बोर्ड की परीक्षा नजदीक आने से बोर्ड परीक्षार्थियों को भी बिजली के अभाव में तमाम प्रकार की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, बिजली से संचालित सभी रोजगार ठप पड़ रहे हैं, गरीब एवं पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण मजदूरों की जीविका प्रभावित हो रही है, बिजली के अभाव में क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में चोरी की घटनायों में वृद्धि हो रही है, बिजली आपूर्ति की दुर्व्यवस्था से जन-जीवन प्रभावित है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकर का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विधान सभा नौरंगिया में 14 घण्टे प्रतिदिन बिजली आपूर्ति की कार्यवाही सुनिश्चित कराने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बांदा के तिन्दवारी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों में राजकीय नलकूप लगाये जाने एवं खराब नलकूपों को शीघ्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[महोदय, मैं आपका ध्यान अति लोक महत्व के विषय की तरफ कराना चाहते हैं। जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के राजकीय नलकूप जल स्तर गिर जाने से नलकूप पानी देना बन्द कर दिया है। ब्लाक जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखरखुर्द के लगभग 50% राजकीय नलकूप बन्द हो गये जिससे लाखों किसानों की फसल सूख गयी है, किसानों के सामने खाने एवं जानवरों के लिए चारे की समस्या उत्पन्न हो गयी है। केन कैनाल के तिन्दवारी रजबहा में लगातार कई वर्षों से टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है तथा शेष क्षेत्र में नहरें नहीं है। भगवान भरोसे ही किसान खेती कर रहा है, ब्लाक जसपुरा के ग्राम नरागढ़ बुधेड़ा, खप्टिहाखुर्द डांडामऊ, भरौली, इछावर, मड़ौली कला, महावरा, सबादा, सिन्धन कला, अदरी, झंझरी, जसपुरा, गड़रिया, अमारा, बरेहटा, गौरीकला, रामपुर, सिकहुला, लस्ड़ा तथा ब्लाक तिन्दवारी के ग्राम पैलानी, नरी, कुकुवाखास, अमलौर, रेहुटा, खप्टिहा कला, साड़ी खैरेई, अलोना, पलरा, भुजरख, लोहारी, बरेटी कला, बम्बिया, बिछवाही, महेन्द्र, तारा, डिघवट, जसईपुर, सिंहपुर, बेन्दा, जौहरपुर, अरसौड़ा, खेरहीमाफी, महुई, कुरसेजा, गोखरही, बहिंगा एवं ब्लाक बड़ोखर खुर्द के ग्राम लुकतरा, मघरी, छेहरांव, पचुल्ला, चकघटगन, कहोखर मवई बुजुर्ग आदि गांवों में लाखों एकड़ भूमि असिंचित पड़ी है। जहां पर राजकीय नलकूप लगाये जाने आवश्यक हैं। पिछले वर्षों केवल 63 राजकीय नलकूप जनपद बांदा में स्वीकृत हुए थे यह भी असिंचित एरिया में न लगाकर सिंचित एरिया में लगाये जा रहे हैं। हमारे द्वारा नलकूप विभाग को दिये गये स्थानों व ग्रामों के नलकूप नहीं लग रहे हैं जिसके कारण किसान भुखमरी एवं तबाही के कगार पर पहुंच गये हैं। उपरोक्त गांवों में सौ राजकीय नलकूप लगाये जाने की आवश्यकता है तथा जो नलकूप खराब हैं उनको भी युद्धस्तर पर चालू कराया जाय।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर माननीय सिंचाई मंत्री जी से राजकीय नलकूप दिलाने की कृपा करें।]

प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[प्रदेश में संस्कृत भाषा, संस्कृत विद्यालयों, शिक्षकों एवं छात्रों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। भारतरत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर जैसे संविधान निर्माण न सिर्फ संस्कृत के उन्नयन की बात करते थे बल्कि राष्ट्र एवं समाज के विकास के लिये संस्कृत को अनिवार्य मानते थे। आज प्रदेश के अधिकांश एकल या दो संस्कृत अध्यापकों के बल पर चल रहे हैं।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1994 से संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। बहुतेरे एकल विद्यालय उनके शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के बाद बन्द हो गये। सरकार प्राथमिक विद्यालयों ने शिक्षामित्र, माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ एवं महाविद्यालयों में मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति करके शिक्षण कार्य करती है, लेकिन संस्कृत विद्यालयों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लागू की गयी। संस्कृत विद्यालयों में लिपिक एवं चपरासी के पद भी सृजित नहीं किये गये।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू कहीं विषय के रूप में नहीं है लेकिन फिर भी 13000 उर्दू शिक्षक नियुक्त किये गये और वहीं दूसरी ओर कक्षा-3 से संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन इन विद्यालयों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती है।

सरकार मदरसों का आधुनिकीकरण कर रही है और उनमें रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर रही है। लेकिन संस्कृत विद्यालयों के आधुनिकीकरण एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रम यथा कम्प्यूटर, यात्रा सहायक, योग, पौरोहित्य प्रशिक्षण तथा ज्योतिष विज्ञान प्रशिक्षण के कोर्स प्रारम्भ करने की कोई योजना नहीं बनाई जाती है। इन विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालायें, क्रीड़ा प्रशिक्षण तथा संगीत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने पर कोई विचार नहीं किया जाता।

यू0पी0 बोर्ड संचालित विद्यालयों में एक ओर तो 8-9 पुस्तकों को रखकर विषय के रूप में कठिन बना दिया गया है और दूसरी ओर बहुतेरे विद्यालयों को संस्कृत के विकल्प के रूप में कम्प्यूटर विषय रखकर उन्हें संस्कृत से विमुख होने के लिये प्रेरित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश शासन ने संस्कृत के विकास हेतु अब तक कोई कार्य योजना न तो बनाई है और न ही इस हेतु किसी अध्ययन दल अथवा आयोग का गठन किया है।

अतः संस्कृत, संस्कृति, संस्कार एवं सभ्यता, संवर्धन के इस अत्यन्त महत्वूपर्ण लोकमहत्व के निश्चित विषय पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के कार्य-संचालन नियमावली के नियम-301 के तहत शासन को सदन के पटल पर जवाब रखने हेतु निर्देशित करें।]

सराय ताल्लुका छितौना (बिजलीपुरा क्षेत्र) जिला शाहजहांपुर में दबंगों का कब्जा हटाने एवं चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय, सराय ताल्लुका छितौना (बिजलीपुरा क्षेत्र) ब्लाक-भावलखेड़ा, तहसील-सदर, जिला-शाहजहांपुर की चकबन्दी किये जाने का आदेश 3 वर्ष पहले पारित किया गया था। इस क्षेत्र की अति कमजोर तथा गरीब लोगों के खेत बड़े-बड़े माफिया लोगों ने जबरदस्ती जोत रखे हैं, इन खेतों से होकर जाने वाला रास्ता भी जोत लिया गया जो एक-एक व दो-दो बीघा के काश्तकार हैं वे रोते हैं, चिल्लाते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। दबंग माफिया व बड़े-बड़े लोगों के कारण ना तो रास्ता खाली कराया जा सका और ना ही छोटे-छोटे गरीब काश्तकार अपनी जमीन पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कब्जा ही वापस ले सके। इस क्षेत्र की चकबन्दी कराने के आदेश लगभग 3 वर्ष पहले हो चुके हैं परन्तु वह भी बड़े लोगों के दबाव में नहीं हो पायी। एस0ओ0सी0 चकबन्दी ने पुलिस फोर्स मांगी किन्हीं कारणों से नियत समय पर फोर्स नहीं मिल सकी, परिणामस्वरूप चकबन्दी नहीं हो सकी है और बड़े लोगों का कब्जा आज भी बरकरार है। अब दबंग लोग चकबन्दी के स्थानीय अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं कि चकबन्दी ना कराई जावे ताकि इनका कब्जा बना रहे। गरीब-कमजोर आदमी का शोषण होता रहे, अभी तक सभी प्रयास निष्फल रहे।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन से शीघ्र दबंगों का कब्जा हटाने, रास्ता खाली कराने तथा उस स्थान पर चकबन्दी कराये जाने की मांग करता हूं।]

वाराणसी में घरेलू गैस की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[महोदय, वाराणसी में रह-रह कर की घरेलू गैस की कमी से उपभोक्ताओं को कष्ट का सामना करना पड़ता है। जब गैस की कमी होती है तो काला बाजारी भी बढ़ जाती है। उक्त कमी में अवैध ढंग से री-फिलिंग में लिप्त कारोबारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उक्त कारोबारी ट्रालीमैनों की मिलीभगत से आपूर्ति किये जाने वाले सिलेण्डरों से 4-4, 5-5 किग्रा0 गैस अवैध तरीके से निकाल लेते हैं और उक्त गैस को पुनः उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है जिससे उपभोक्ताओं को कम गैस वाले सिलेण्डर मिलने की शिकायत आम रहती है। उक्त अवैध कारोबारी उक्त गैस को छोटे सिलेण्डरों में भरकर भी बाजार में बेचते हैं जिससे भी बाजार में गैस की किल्लत पैदा हो जाती है। उक्त के क्रम में अभी पिछले दिनों वाराणसी में शिवपुर के निराला नगर में आपूर्ति विभाग द्वारा छापेमारी कर एक टैम्पो, 30 घरेलू गैस सिलेण्डर और एक रिफिलिंग यंत्र बरामद किया गया तथा इसी क्षेत्र में एक और ट्राली 14 घरेलू गैस सिलेण्डर व दो 5 किग्रा0 के सिलेण्डर तथा एक रिफिलिंग यंत्र बरामद किया गया। इसी प्रकार चौक थानान्तर्गत एक मकान में दबिश देकर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर व 15 छोटे गैस सिलेण्डर सहित 16 रेगुलेटर बरामद किया गया। उपभोक्ताओं को नियमित रूप से घरेलू गैस की आपूर्ति सही वजन के साथ होता रहे इस हेतु शासन-प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रभावी कार्यवाही किया जाना जनहित में अपेक्षित है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा उपरोक्त लोकमहत्व की सूचना पर ध्यानाकर्षण करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गाजीपुर के जमानियां क्षेत्रान्तर्गत गाजीपुर-जमानियां राष्ट्रीय राजमार्ग पर परिवहन निगम द्वारा पर्याप्त संख्या में बसों का संचालन एवं चोचकपुर तथा धरम्मरपुर में यात्री प्रतीक्षा शेड का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राजकुमार सिंह गौतम-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जमानियां (जनपद-गाजीपुर) के अन्तर्गत गाजीपुर-जमानियां राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 30 किमी0 है। यह व्यस्ततम मार्गों में से है एवं हजारों की संख्या में जनता का आवागमन होता है। आश्चर्य का विषय है कि उ0 प्र0 रा0 प0 निगम द्वारा इस मार्ग पर एक भी बस संचालित नहीं होती है। अवैध अनफिट प्राइवेट बसों/जीपों आदि का व्यापक स्तर पर संचालन होता है। इन वाहनों में क्षमता से कई गुना अधिक यात्रियों को ठूंस-ठूंस कर भरा जाता है एवं उनसे मनमाना किराया वसूल किया जाता है। कमोवेश यही स्थिति गाजीपुर-धरम्मरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (30 किमी0) की भी है। अन्तर मात्र इतना है कि इस मार्ग पर एक रोडवेज बस संचालित होती है। जमानियां विधान सभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है एवं इसकी सीमा बिहार प्रान्त से लगती है। शासन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने के लिये कटिबद्ध है। जनता की सुविधा हेतु उपर्युक्त मार्गों पर उ0 पु0 रा0 प0 निगम द्वारा पर्याप्त संख्या में बसों का संचालन एवं उक्त मार्गों पर स्थित चोचकपुर तथा धरम्मरपुर में यात्री-प्रतीक्षा शेड का निर्माण नितान्तावश्यक है।

कृपया लोक-महत्व के उक्त विषय को सदन में प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 फरवरी, 2008 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 8 सूचनाएं प्राप्त हुईं :--

पहली सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भोराकला अन्तर्गत ग्राम आदमपुर के मृतक ग्राम प्रधान के परिवार को सुरक्षा प्रदान किये जाने विषयक दिनांक 29 जून, 2007 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दिनांक 4 जुलाई, 2007 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य में दिये गये आश्वासन के बावजूद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा उचित कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की पन्द्रहवीं विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन न होने के सम्बन्ध में।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में बैक लाग को पूर्ण करने हेतु समूह 'घ' की सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया की जांच विषयक दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 को नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल तथा श्री अम्बिका चौधरी की नये परिसीमन से बदले विधान सभा क्षेत्रों के स्वरूप में विधायक निधि खर्च किये जाने पर नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में यह नहीं सुनी जायेगी।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आपने जो पहले ही आदेश कर दिया कि नहीं सुनी जायेगी। हमारी सूचना पर सुन तो लीजिए बाद में भले ही टर्न डाउन कर दें यह सारे विधायकों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कौन ऐसा विधायक है जिससे यह जुड़ा न हो ?

श्री अध्यक्ष-

पांचवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की श्री श्रीराम यादव, निवासी ग्राम आराजी गलहपुरवा महाजी देवारा, जनपद आजमगढ़ के साथ किये गये दुष्कर्म के आरोपी थाना महराजगंज के थानेदार व दीवान की गिरफ्तारी न हो जाने के सम्बन्ध में।

छटी सूचना श्री शैलेन्द्र यादव "ललई" की स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था के राम्बन्ध में।

सातवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की सघन सहकारी समिति लि0, बल्ला, चौसाना, जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2003 में पूर्व सभापति एवं पूर्व सचिव व अन्य व्यक्तियों के द्वारा किये गये घोटाले के फलस्वरूप किसानों के लिये उत्पन्न हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में।

आठवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, चौधरी सतपाल सिंह तथा श्री अब्दुल वारिस खां की निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भोराकला अन्तर्गत ग्राम-आदमपुर के मृतक ग्राम प्रधान के परिवार को सुरक्षा प्रदान किये जाने विषयक मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उचित कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना

*श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष महोदय, जनसमस्या हम लोग उठाते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में इस अपेक्षा के साथ उठाते हैं कि शासन की ओर से समुचित कार्यवाही होगी मुझे इस बात के लिये प्रसन्नता है कि जब जब इस समस्या का उल्लेख किया शासन ने सदैव संवेदनशीलता दिखाई और कार्यवाही की। यह सवाल मैंने तब से उठाना शुरू किया जब मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री होते थे मैंने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां पर प्रश्न उठाया और मुझे खुशी है कि साथ ही साथ आदेश हुए और साथ ही साथ परिवार की सुरक्षा व्यवस्था की गयी और तुरन्त वहां पर सुरक्षा कर्मी पहुंच गये उसके बाद सरकार बदली और मैंने फिर प्रश्न उठाया क्योंकि इस बीच सुरक्षा वापस ले ली गयी थी मैंने नियम 51 में इसे दिया। इसके बाद तीन बार वर्तमान सरकार के समक्ष मैंने इस प्रश्न को उठाया और तीनों बार सरकार की ओर से लिखित उत्तर आया कि सुरक्षा मुहैया करा दी गयी है यह भी सही है कि आपने सुरक्षा मुहैया करा दी थी लेकिन अधिकारियों के मन में कहीं न कहीं एक प्रतिक्रिया होती है उनको यह लगे कि यह सदन में उठाया जा रहा है और सदन के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है तो चलिये हम सुरक्षा हम दो दिन के लिये दे देंगे और बाद में विद्ड्रा कर लेंगे। यही यहां पर इस अधिकारी ने किया। होता यह है कि हम लोग कभी-कभी अधिकारियों के हर गलत काम की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि अधिकारी सही है शायद विधायक गलत बात कर रहे हैं। इसमें मुख्य मंत्री का पत्र भी है उन्होंने कहा कि शासन से निर्देश दिये गये हैं और निर्देश देने के साथ-साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर ने अवगत कराया है कि सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करा दिया गया है। आज स्थिति यह है कि ऐसा व्यक्ति जो तीन बार गांव का प्रधान रहा, जिला पंचायत का सदस्य रहा हमारी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष रहा है उसकी हत्या हुई और हत्या होने के बाद आज भी मुल्जिम फरार चल रहा है और बराबर यह कह रहा है कि 'जब तक उसके दोनों बेटों की हत्या नहीं कर देंगे पेश नहीं होंगे' पुलिस हत्यारे को आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी सुरक्षाकर्मी भी हटा लिया गया। अदालती कार्यवाही शुरू हो गयी है, साक्ष्य शुरू हो गया है पिछली चार तारीख से साक्षी नहीं आ रहे हैं कि साक्ष्य के लिये उनकी हत्या कर दी जायेगी विवश होकर न्यायाधीश ने यह आदेश पुलिस अधीक्षक को दिया कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय वह आदेश ताक पर रख दिया। तीन बार से वहां पर साक्षी नहीं आ रहे हैं और यह हो सकता है कि अगर साक्षी नहीं आयेंगें तो न्यायालय को मजबूर होकर साक्ष्य के अभाव में उन मुजरिमान को, हत्यारों को बरी करना पड़ेगा। एक ओर तो हम बार-बार यह कहते है कि प्रयास किये जायेंगें, हत्यारों को सजा दिलाई जायेगी। मान्यवर, जब साक्षी ही नहीं आ पायेंगें गवाही के लिये, शासन का जो दायित्व है, उनकी सुरक्षा का, जब उस दायित्व का निवर्हन ही नहीं किया जायेगा तो किस तरह से न्याय मिलेगा ? मान्यवर, मैंने स्वयं बात की कि आखिर क्या कारण है कि क्यों आपको सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है ? यह मुकदमा इतना संगीन है एक आदमी की दिन दहाड़े निर्मम हत्या की गई है शासन से निर्देश हो गया, सदन से तीन-तीन बार निर्देश हो गये उसके बावजूद भी साक्षी की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं मान्यवर, तो मुझे मजबूर होकर आज सदन की शरण में आना पड़ा। आपने कृपापूर्वक मुझे समय भी दिया। मान्यवर, आज मैं अपने आपको आहत महसूस कर रहा हूं। आज मैं यह सोचता हूं कि जनप्रतिनिधि होने का क्या लाभ है कि हम ऐसे परिवार की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं जो वहां जाकर साक्ष्य देना चाहता है, बयान देना चाहता है वहां अदालत में जाकर हत्यारों को सजा दिलाना चाहता है। मान्यवर, अगर सुरक्षा के अभाव में वह साक्षी वहां पर नहीं आ पा रहे हैं फिर इस तरह के प्रश्न को यहां सदन में उठाये जाने की उपयोगिता क्या रह जायेगी ? शासन द्वारा लिखित घोषणा करने, आश्वासन देने, निर्देश देने के बाद भी उसका पालन न हो इसकी क्या

उपयोगिता रह जायेगी ? मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए अपेक्षा करता हूं कि उस पुलिस अधिकारी, जो भी उसका नाम हो, जो सदन की भावना की बराबर अवहेलना कर रहा है। जो अधिकारी मुख्य मंत्री के निर्देशों की अवहेलना कर रहा है उस अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही हों। मैं अपेक्षा करूंगा संसदीय कार्य मंत्री से कि आज ही उस परिवार की सुरक्षा के लिये प्रभावी आदेश जारी कर दिये जावं ताकि शाम तक उनको सुरक्षा मिल जाय और आगे उनको छुप-छुप कर जीवन व्यतीत न करना पड़े।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जहां तक कि प्रश्न है, यह औचित्य का प्रश्न तो नहीं है। सदन में अगर आश्वासन रहता है तो उसके लिये आश्वासन समिति उस पर विचार करती है मान्यवर, लेकिन मान्यवर इस बात के लिये यह सरकार कटिबद्ध है। जहां तक सुरक्षा मुहैया कराने का सवाल है, उसके लिये एक समिति बनी है और समिति समय-समय पर विचार करके सुरक्षा देने और न देने का निर्णय लेती है उच्च स्तर पर और उसके अनुसार जैसा उचित होगा कार्यवाही की जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आज्ञा चाहता हूं कि जो सूचना मैंने दी है, मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं कि वह मुझको वापस करने की अनुमति दे दें। अगर संसदीय कार्य मंत्री जी का यही उत्तर आना था, यही उनकों संवेदनशीलता दिखानी थी कि समिति बनी हुई है। मान्यवर, अगर समिति बनी हुई है तो आपने लिखित सूचना में जो उत्तर दिया है मुख्य मंत्री के हस्ताक्षरित जिसमें यह कहा है कि हमने निर्देश दे दिये हैं तो मुख्य मंत्री की सूचना और मुख्य मंत्री के आदेश के ऊपर भी कोई समिति है क्या ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, उनको एक सुरक्षा मिली थी और फिर वह वापस हुई। फिर सुरक्षा दो दिन के लिये मिली थी फिर वापस हुई और जनपद स्तर से ही वहां के अधिकारी वापस करते हैं या यहां से समिति के द्वारा कोई निर्देश जाता हो इसको जरूर दिखवा लें। सुरक्षा मिल रही है फिर दो दिन के बाद वापस फिर मिल रही है और सरकार की तरफ से एक वक्तव्य भी आया कि नहीं इनको उपलब्ध करा दिया गया है। माननीय मंत्री जी, इसको गम्भीरता से लेते हुए आज ही दिखवा लिया जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, दिखवा लेंगें और जो उचित होगा करवा लेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

कोई टैक्निकल बाधा तो है नहीं।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, यह तो गवाही के लिये सुरक्षा मांग रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं, कोई बाधा नहीं।

श्री हुकुम सिंह-

कुछ तो कहिये। खड़े होकर कह दीजिये। हम खड़े हैं तो आप भी खड़े होकर कह दीजिये कि आज ही सुरक्षा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

अरे नहीं एक बार मिली है फिर वापस हुई है। माननीय मंत्री जी चलें कक्ष में बैठकर बात कर लेंगे। माननीय हुकुम सिंह जी भी रहेंगें। जो मसला थोड़ा गम्भीर है क्योंकि केस में गवाही नहीं हो पा रही है।

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है मान्यवर।

(श्री प्रमोद तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लालजी वर्मा-

तिवारी जी कुछ नहीं कहना चाहते।

पन्द्रहवीं विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन न होने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, उपाध्यक्ष के चुनाव का मामला आपके और शासन के बीच में है। आप लोग निर्णय लें। यह मैं उठाना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय हुकुम सिंह को सुना, संसदीय कार्य मंत्री को सुना यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है। इसलिये अग्राह्य करता हूं। माननीय तिवारी जी, का प्रश्न एक व्यवस्था है, इसको देख लिया जायेगा। इसको अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना सुरेश कुमार खन्ना जी की है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

तीसरी सूचना तो हमारी है।

श्री अध्यक्ष-

आप चौथे नम्बर पर हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है खन्ना जी पहले पहली का नम्बर बतायें तीसरी पर बाद में आएं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

कोई हैं नहीं किसको बतायें ?

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

चौधरी साहब से पूंछकर बता देंगे।

श्री अध्यक्ष-

पहली, दूसरी, तीसरी सब तो चौधरी साहब के संग हैं।

(हंसी)

जनपद शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में बैकलाग को पूर्ण करने हेतु समूह 'घ' की सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया की जांच विषयक नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर समय सीमा के अन्दर न मिलने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम-300 के अर्न्तगत इस औचित्य के प्रश्न पर बोलने की अनुमति दी। मान्यवर, आप मेरी सूचना देख लें। विधान सभा की कार्यवाही देख लें दिनांक 4-12-2007 को मेरी एक सूचना नियम-301 के अन्तर्गत चयनित की गई। मैंने अपेक्षा की थी कि हमको यह जबाव मिलेगा नियमों के अनुसार एक महीने के अन्दर, हमको जबाव नहीं मिला तो मैंने मान्यवर 12 फरवरी को एक सूचना इसी सदन में नियम-300 के अन्तर्गत दी। आपने कृतज्ञतापूर्वक व्यवस्था दी कि सारी की सारी सूचनाओं पर उत्तर मिल जाएगा और यह उत्तर हमें पिजन होल में रखा मिल गया। इसमें मान्यवर, दिया हुआ है 58वें नम्बर पर हमारी सूचना दी है जो उत्तर भेजा है इसमें हमारा विषय दिया है और तारीख दी है और जो सूचना हमें मिल गई, नहीं मिल गई इसके कालम में दिया है अप्राप्त। मान्यवर, हम लोग इस आशय से, विधान सभा में सूचना देते हैं, इस आशय से प्रश्न विधान सभा में उठाते हैं कि उसका समुचित समाधान होगा, उसका सरकार संज्ञान लेगी, उसका उत्तर देगी। मान्यवर, नियमावली के तहत मान्यवर हमारी यह अपेक्षा रहती है मान्यवर, या तो नियमावली में सुधार करवा दें कि माननीय मंत्री जी को विशेष रूप से इसमें समय ज्यादा दे दिया जाए अन्यथा मान्यवर इस सूचना का उत्तर दिलवा दें। हम बहुत दुखी हैं कि हमारे दो बार विधान सभा में उठाने पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है। आपने कृपापूर्वक निर्देश दिए दो बार उसके बाद भी मान्यवर, नियमों का पालन इस प्रकार हुआ कि हमको उत्तर तो मिल गया लेकिन सूचना अप्राप्त है। मान्यवर इस सम्बन्ध में मैं आपका संरक्षण चाहता हूं आखिर कितने समय में माननीय मंत्री जी इसकी सूचना दे देंगे ? मैं आपका संरक्षण चाहता हूं इस पीठ से कई बार निर्देशित किया गया माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को इस बात के लिए आश्वस्त किया उसके बाद भी उत्तर न मिलना बहुत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुःखद है और हम बहुत दुःखी हैं इस बात से कि यह सरकार बार-बार इस पीठ के निर्देशों का पालन नहीं करती है। इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए इसमें मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, कई ऐसे विषय होते हैं जिसमें जांच में समय लग जाता है जैसा कि माननीय खन्ना जी ने स्वयं कहा है तो जब जांच का विषय है तो जांच के उपरान्त पूर्ण उत्तर प्राप्त होगा। जहां तक संसदीय कार्य विभाग को समय से एक महीना निर्धारित है उसके अनुसार उसको सूचना दी गई है अभी जांच के पूर्ण होने के उपरान्त इनको उत्तर मिल जाएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नियमों में सुधार होना चाहिए। एक महीने के अन्दर मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय कार्य मंत्री जी, इस तरह का विषय हर सत्र में आता है कि जहां नियमावली में निर्धारित समय हो, और समय से माननीय सदस्यों को सूचनायें नहीं मिलती हैं कई बार व्यवस्था भी दी गई और कहा भी गया कि समय के अन्दर सूचनायें प्राप्त की जाएं यह जांच का विषय है कि 30 दिन में अधिकारी चाहें तो कर सकते है इसलिए इस सूचनाओं के संदर्भ में गम्भीरता से ले लें कि निर्धारित समय के अन्दर जो निर्देश यहां से दिए जाते हैं या आप देते हैं उनकी सूचना पर कार्यवाही, साथ ही नियम-301 में सूचनायें जो देते हैं उसका नियम है सूचना आने का और माननीय सदस्यों को सूचना देने का। इसमें कड़ाई से निर्देश दे दें। इस तरह के हमेशा विषय आ रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

आपके निर्देशों का मान्यवर, पालन करा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मेरी जानकारी है कि जांच पूरी हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सुरेश कुमार खन्ना जी को सुना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-300 के अन्दर नहीं आती है मैं इसको निरस्त करता हूं।

*श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, मेरी सूचना 37 नम्बर पर है। मान्यवर, मेरा भी अनुरोध सुन लें, इसमें कोई जांच नहीं है, पेयजल आपूर्ति के लिए स्टेबलाइजर या जनरेटर की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में है। मान्यवर, मैंने इसको 6/11 को भी लगया था। पेयजल ही समस्या हमारे क्षेत्र की बहुत ही भयंकर समस्या है, गर्मी में जानवर और आदमी एक ही जगह पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वह जवाब दे दें कि वहां पर पेयजल की समस्या के समाधान हेतु जनरेटर या स्टेबलाइजर की व्यवस्था करा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

इसी सन्दर्भ में मैंने निर्देश दिया है कि समय से उत्तर आए।

नये परिसीमन से बदले विधान सभा क्षेत्रों के स्वरूप में विधायक निधि खर्च किये जाने पर नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, इस विधान सभा में जो बजट पास होता है, वह मदवार रखा जाता है और यह व्यवस्था की गयी थी कि प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में खर्च करने के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपये विधायक निधि के रूप में दिया जायेगा। श्रीमन्, परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट आयी है, जिसको भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया, चुनाव आयोग ने भी स्वीकार कर लिया। चुनाव आयोग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं कि नये लोक सभा के चुनाव नये परिसीमन के आधार पर होंगे, विधान सभा के नये चुनाव भी नये परिसीमन के आधार पर होंगे, केवल उप चुनाव पुराने परिसीमन के अधार पर होंगे। लेकिन एक प्रश्न जो पैदा हुआ है, जिसको हम उठा रहे हैं कि निधि का जो पैसा हमको मिलेगा, अगर हमारा चुनाव क्षेत्र बदल गया, आज करीब-करीब सभी विधायकों के चुनाव क्षेत्र जो हैं, उनका स्वरूप बदल गया है। अब सवाल है कि हम इस निधि को पुराने क्षेत्र में लगाये या नये क्षेत्र में लगायें ? बहुत से क्षेत्र तो ऐसे हैं, जो विलुप्त हो गये हैं। आज पूरा दैनिक जागरण में दिया गया है कि कितने क्षेत्र विधान सभा के विलुप्त हो गये हैं तो एक ऐसी समस्या खड़ी हुई है। मान्यवर, सरकार की एक गाइड लाइन है, सरकार कैबिनेट से मंजूर करके गाइड लाइन बनाती है कि उस गाइड लाइन के तहत हम उस निधि को कहां खर्च कर सकते हैं ? जो अभी तक की गाइड लाइन है उसके अनुसार हम अपना पिछला निर्वाचन क्षेत्र, जहां से हम चुनकर आये हैं, वहीं खर्च करेंगे लेकिन हमको मालूम है कि अगला चुनाव हमें कौन से क्षेत्र से लड़ना है, कहां जाना है तो श्रीमन्, हमारी रूचि होगी कि जहां से हमें अगला चुनाव लड़ना है, वहां पर अपनी निधि को लगायें। एक अजीब विरोधाभास हो गया है, तो ऐसा नहीं कि आप इस पर आज की व्यवस्था दे दें, आप सभी दलीय नेताओं को बुला लें, इस पर कोई ऐसी गाइड लाइन हो जानी चाहिए कि हमारी रूचि यह नहीं रहेगी कि हम यह निधि पुराने निर्वाचन क्षेत्र में लगायें लेकिन नये पर लगा नहीं सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सारे नेताओं को, संसदीय कार्य मंत्री जी, यह मेरा सुझाव उचित होगा, सभी को बुला कर कोई एक नई व्यवस्था कर ली जाए क्योंकि हम लोगों को अभी 4 साल उस निधि को खर्च करना है तो उस चार साल के लिए कोई नई गाइड लाइन हो जाए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, एक ऐसा संवेदनशील विषय मा0 नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने उठाया है, जिसमें सदस्यों को कठिनाई हो सकती है। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए था लेकिन सवाल आ गया है इसलिए कह रहा हूं। जिन लोगों ने चुन करके भेजा है, उन्हीं के हम विधायक हैं और आज की विधायक निधि, उन्हीं लोगों के बदौलत दस्तखत करने का अधिकार मिला है और किसी सदस्य को किसी भी हालत में किसी निधि को, जिन्होंने विधायक चुना है, उनके इन्ट्रेस्ट की कास्ट पर आगे आने वाले दिनों में किसी को प्रसन्न करने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए मान्यवर, इस प्रश्न पर आप चाहे किसी भी तरह से व्यवस्था दें, जिन वोटर्स के बनाने से आप विधायक चुने गये हैं, उसके बाहर किसी तरह का अधिकार नहीं हो, अगली बार ईश्वर करे, सभी लोग चुनकर आयें और जिन लोगों से चुन करके आयें, उनका ध्यान करें, यह होना चाहिए, कोई दूसरी व्यवस्था इसमें नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं कुछ नहीं। मैंने मा0 नरेश चन्द्र अग्रवाल जी को सुना, मा0 अम्बिका चौधरी जी को सुना, यह सूचना नियम-300 में नहीं आती, मैं इसको निरस्त करता हूं। शेष सूचनाओं को अग्राह्य करता हूं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई', सदस्य, विधान सभा के स्वयं की सुरक्षा-व्यवस्था के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(मा0 श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला है ?

*श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने आपसे व्यक्तिगत मिलकर आग्रह भी किया था। मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी लेकिन वह हटा ली गयी है। हमें कुछ लोगों से जान का खतरा है। मान्यवर, व्यक्तिगत रूप से शायद आपको भी इस बात की जानकारी होगी। मान्यवर, मैंने आपसे भी आग्रह किया था और शासन को भी लिखित रूप से अवगत करा दिया है। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरी सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें ताकि मेरी जान को सुरक्षा हो सके। मैंने आपसे भी व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया था। मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कृपया नियमों का हवाला न दें। 22-23 साल पुराने साथी हैं। मेरा आपसे भी आग्रह है कि मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाये मान्यवर, आप कुछ कह दें।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें तो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 एवं 2005-2006 के वार्षिक लेखों का विवरण †

* ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 एवं 2005-2006 के वार्षिक लेखों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए (3) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां ††

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-67/ग्यारह-9(1)-08-उ0 प्र0 अध्या0-37-2008-आदेश-(2)-2008, दिनांक 10 जनवरी, 2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा-4(5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-02/ग्यारह-9(295)/07-उ0प्र0अध्या0-37-2007-यू0पी0 वैट नियमावली-08-आदेश (01)-2008, दिनांक 01 जनवरी, 2008 उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क(1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 फरवरी, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 फरवरी, 2008 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 फरवरी, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

---

† छापा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†† छापी नहीं गईं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 फरवरी, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 फरवरी, 2008 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 फरवरी, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की नियम समिति (2007-2008) का प्रथम प्रतिवेदन †

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की नियम समिति (2007-2008) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बागपत के मुख्य उप नगर बड़ौत के बीच से निकलने वाले मीरापुर राजवाहे की सिल्ट सफाई तथा आबादी वाले क्षेत्र को पक्का कराये जाने विषयक श्री बच्चू सिंह राणा आदि निवासीगण जनपद बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

*डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बागपत के मुख्य उप नगर बड़ौत के बीच से निकलने वाले मीरापुर राजवाहे की सिल्ट सफाई तथा आबादी वाले क्षेत्र को पक्का कराये जाने विषयक श्री बच्चू सिंह राणा तथा श्री मास्टर सहदेव सिंह, निवासीगण, जनपद बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-10, 11 तथा 12 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 †

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गईं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक 20-3-2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 †

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008 ††

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 31-3-2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

†† दिनांक 31-3-2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 फरवरी, 2008 को नियम-311 में प्राप्त चार सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है, इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। इसमें पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री राम सेवक, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री संजीव दरियाबादी, श्री अजय पाल सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री शिव गणेश लोधी, श्री अशोक सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री संजय कपूर व श्री माधो पासवान जी की प्रदेश में यू0पी0 बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी जो कि नियम-311 में प्राप्त हुई थी, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री अम्बिका चौधरी, श्री राम किशुन जी की, गंगा एक्सप्रेस हाई-वे के किनारे किसानों, कृषि भूमि तथा गंगा की शुद्धता के कुप्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं। तीसरी सूचना नियम-311 में प्राप्त श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री अरविन्द गिरि, श्री अम्बिका चौधरी, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री उदयराज, श्री महबूब अली जी की, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, मा0 विधायकों, मा0 सांसदों के विरुद्ध पुलिस उत्पीड़न की कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री प्रदीप माथुर जी की 'ताज एक्सप्रेस वे' के लिए अधिग्रहीत किसानों की भूमि का उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री अनूप साण्डा जी की संत रविदास नगर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री वी0के0राय की पुत्री कु0 रचना राय के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई, अतः अस्वीकृत हुई-1-श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री संजीव दरियाबादी, श्री अजयपाल सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री शिव गणेश लोधी, श्री अशोक सिंह, श्री विनोद चुतुर्वेदी, श्री संजय कपूर, श्री माधो पासवान, 2-श्री राम किशुन, 3-डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल, 4-डा0 धर्मपाल सिंह, 5-श्री आर0के0चौधरी, 6-श्री इमरान मसूद, 7-श्री प्रदीप जैन आदित्य, 8-श्री हुकुम सिंह, 9-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, 10-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी जी, 11-डा0 अनिल चौधरी, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री अब्दुल वारिस खां। मैं पहली सूचना ले रहा हूं।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रदेश में यू0पी0बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने सम्बन्धी सूचना पर बोलने का अवसर दिया।

लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान के अस्तित्व को समाप्त किये जाने विषयक सूचना को तात्कालिक एवं अविलम्बनीय होते हुए भी अग्राह्य किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने नियम-56 के अन्तर्गत लखनऊ में लक्ष्मण मेला मैदान के विषय में एक मामला उठाया था।

श्री अध्यक्ष-

बात कर ली है, कल हो जायेगा।

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, हम लोग, जो हमारी नियमावली है उसके अन्तर्गत नोटिस देते हैं और हर नोटिस की अपनी इनग्रेडियन्स होती है। हमने नियम-56 के अन्तर्गत तात्कालिक विषय, अविलम्बनीय विषय पर, लखनऊ के विधायकों ने, लक्ष्मण मेला मैदान के ऊपर एक नोटिस दी। हम यह जानना चाहते हैं कि वह कौन से कारण हैं जिनसे हमको बोलने से वंचित किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 के अन्तर्गत जो शलाका होती है उसके आधार पर सूचना निकलती है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मैं आरोपित नहीं कर रहा हूं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर शालीनता दण्डित हो रही है और न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसा तात्कालिक विषय इससे बड़ा कोई तात्कालिक विषय नहीं हो रहा है। सात दिन से लगातार बुल्डोजर चला कर के सरकार के इशारे पर ऐतिहासिक लक्ष्मण मेला स्थान को बरबाद करने की कोशिश की जा रही है और अगर पेड़ लगाना है तो पेड़ लगाने के लिए यहां बहुत से स्थान खाली पड़े हुए हैं, वहां पर पेड़ लगाये जायें।

श्री अध्यक्ष-

श्रीवास्तव जी, एक मिनट मेरी बात सुन लें, फिर आप अपनी बात कह लें। अगर नियमावली के आधार पर चलेंगें तो शलाका के आधार पर दो सूचनायें सुनने के लिए ली जाती है, शेष सूचनाओं की तरफ कुछ ध्यान आकर्षित कर लिया जाता है कुछ अग्राह्य कर दी जाती हैं। आज उसी नियम के तहत दो सूचनायें ली गई उसमें मैंनें एक चयनित किया प्रथम सुनने के लिए, इसमें छात्रों की परीक्षा चल रही है, बिजली समस्या है उनके सामने। मैंनें अभी आपसे बात किया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था कि मैं इसको भी महत्वपूर्ण विषय समझता हूं और आज में ही इसकी तात्कालिकता खत्म नहीं हो जायेगी, आप इसको कल दीजिएगा, महत्वपूर्ण स्थान है मैं इसको कल सुन लूंगा।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जब आप सारी सूचनायें सुन लें जो आपने शलाका के आधार पर चयनित की हैं, मेरी विनती है जो विषय मैंनें दिया है, विस्फोटक स्थिति है मान्यवर और हिंसा भी फैल सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जानें जा सकती हैं मान्यवर, क्योंकि इससे पहले भी घटनायें ऐसी हो चुकी हैं। मैंनें संदर्भ के रूप में तो ऊपर दे दिया मामला, लेकिन जो अंतिम पंक्ति पांच है, उसको देख लें, कल ही महापंचायत वहां पर हुई है मुजफ्फरनगर में और उसने यह निर्णय लिया है कि महेन्द्र सिंह टिकैत जो किसान नेता है अगर उसको गिरफ्तार करने का दोबारा प्रयास किया गया तो वहां खून-खराबा हो जायेगा। मान्यवर, सरकार द्वारा अगर सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध, राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध उत्पीड़न की कार्यवाही इसी प्रकार चलती रहेगी मान्यवर, तो उस पर प्रतिक्रिया तो होनी ही होनी है। मान्यवर, केवल दोष इनका इतना था कि जातीय विशेष के आरक्षण को लेकर के यह लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करना लोकतंत्र का अधिकार है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, अब अगर इस तरह से चलेगा, सारी बात तो आ जा रही है फिर कहने को बात रह क्या जायेगी मान्यवर ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, आपने ही कहा कि यह संवेदनशील मसला है अगर गिरफ्तारी से वहां क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है यह तकरार है। आपने कहा ठीक है अगर आपने उधर चयनित किया तो पहले उनको सुन लें अगर समय मिलता है तो मेरी बात को भी सुन लें।

श्री हुकुम सिंह-

ठीक है मान्यवर।

*श्री विद्या सागर गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप ही के विषय में माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा था, माननीय गुप्ता जी मैंनें सुरेश जी से भी कहा था, आपकी सूचनायें हैं, वास्तव में महत्वपूर्ण मसला है, इस पर मैंनें कह दिया है कि इसकी तात्कालिकता आज ही समाप्त नहीं हो जायेगी, इस पर आपको कल सुन लिया जायेंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विद्या सागर गुप्ता-

ठीक है मान्यवर, इसको कल ले लीजिएगा।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने करोड़ो छात्र/छात्राओं की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया बल्कि उनके चिंतित अभिभावकों की समस्या को उठाने का मुझे अवसर दिया है मान्यवर, मैं यह कह सकता हूं कि इसमें अविलम्बनीयता इसलिए है कि वह प्रतिदिन की समस्या है, कल की भी समस्या थी, आज की भी समस्या है, लोकमहत्व इसलिए है मान्यवर कि शायद ही कोई परिवार हो, जिसका कोई न कोई सदस्य प्रभावित न होता हो तो मान्यवर, इससे बड़ा लोकमहत्व भी और कुछ नहीं हो सकता है और यह भी एक हकीकत और सच्चाई है मान्यवर कि आज उत्तर प्रदेश में जैसे ही सूरज डूबता है, वैसे ही बिजली पूरे उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिन्दा शहरों को अगर आप छोड़ दें तो कस्बे, जिलों में बिजली चली जाती है, जिला मुख्यालयों में बिजली नहीं रहती है। मान्यवर, यह सामान्य जीवन बन गया है लेकिन आप मान्यवर जरा सी कल्पना करें कि मार्च से उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षायें होने जा रही हैं और यह ऐसा बोर्ड है कि दुनिया का सबसे बड़ा यू0पी0 बोर्ड है मान्यवर, जिसमें सबसे ज्यादा परीक्षार्थी बैठते हैं, दुनिया में इससे बड़ा सदस्य संख्यावाला, परीक्षार्थी संख्यावाला कोई बोर्ड नहीं है। इसी के साथ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो डिग्री कालेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोलज हैं, उनकी भी परीक्षायें मार्च और अप्रैल में मान्यवर, उनके कार्यक्रम घोषित हो गये हैं। मान्यवर, अप्रैल में ही ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षायें जो कम्पटीटिव इक्जामिनेशन होते हैं मान्यवर, उनकी भी तिथियां निर्धारित हैं अप्रैल-मई मई में, तो अगर एक तरह से देखा जाये तो मान्यवर, तीन चौथाई उत्तर प्रदेश इससे प्रभावित होने जा रहा है, सीधे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या परीक्षार्थी के रूप में या अभिभावक के रूप में या परिवार के रूप में। मान्यवर, कारण इसका सिर्फ यह है कि आज जो बिजली की उपलब्धता है, इसको माननीय मंत्री जी भी स्वीकार करेंगें, कि जो उपलब्धता है और जो डिमाण्ड है, जो जरूरत है यानी डिमाण्ड और सप्लाई के बीच में एक और तीन का अन्तर आ गया है। मान्यवर, जो अन्तर करीब 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत होता था वह एक अनुपात तीन का हो गया है। आज जितनी बिजली उत्तर प्रदेश में है उससे तीन गुना से ज्यादा की आज आवश्यकता है। मान्यवर, वर्ष 1989 के बाद से प्रदेश में जो गैर कांग्रेसी सरकारें सत्ता में आती रही है उनमें से किसी ने भी कोई भी पॉवर प्लांट नहीं लगाया है। मान्यवर, पॉवर प्लांट न लगने के कारण मांग तो बढ़ती गयी लेकिन जो अंतर था वह और बढ़ता गया और बिजली की उपलब्धता के नाम पर कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, जो हमारी टांडा और ऊंचाहार की परियोजनायें थीं वह उत्तर प्रदेश की जो परिसम्पत्तियां थीं वह या तो बेंच दी गयीं या उत्तर प्रदेश से बाहर चली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी हैं। मान्यवर, उत्तराखंड राज्य बना जो पानी से बिजली बनने के प्रोजेक्ट थे वह सारे के सारे उत्तराखंड को दे दिये गये हैं। कोई समझौता भी नहीं किया गया कि उनसे जो बिजली पैदा होगी उस बिजली पर उत्तर प्रदेश का भी अधिकार होगा। मान्यवर, आज बिजली आपूर्ति की इस अव्यवस्था के कारण प्रदेश के करोड़ों विद्यार्थियों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। आज शामं होते ही सूरज के डूबते ही तमाम जगहों पर बिजली चली जाती है। फिर जब बिजली जाती है तो वह रात में 10 बजे और 11 बजे के बाद आती है। बयान सरकार आज कुछ भी मान्यवर यहां पर दे दें लेकिन जो स्थिति है उसमें देहातों में बिजली 6-7 घंटे और 8 घंटे से अधिक नहीं आ रही है।

(विपक्षी दलों के कई सदस्यों की आवाजें-केवल तीन से चार घंटे ही बिजली आ पा रही है।)

मान्यवर, इस तरह से घंटों का अंतर हो सकता है मेरे कहने में। तो मेरा इस पर सुझाव भी है कि उपलब्ध क्षमता के अनुसार एक समय सारिणी आपूर्ति की बना लें। शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक बिजली आना अनिवार्य है। मान्यवर, जो इस विभाग में रहने का थोड़ा बहुत अनुभव है उसके आधार पर यह कह सकता हूं कि जो आपका रिहन्द का जलाशय है उसको आप अतिरिक्त रूप से चलायें और लोगों को शाम को 6 बजे से 10 बजे तक अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये। मान्यवर, बिजली जिस कीमत पर भी मिलें शाम को 6 बजे से 10 बजे तक सप्लाई के लिये खरीदी जाये। शाम को 6 बजे से 10 बजे तक बिजली देना तब तक अनिवार्य रखा जाये जब तक यह बोर्ड की और यूनिवर्सिटी की परीक्षायें सम्पन्न न हो जायें। मान्यवर, हम यह बिजली पंखें और एयर कंडीशनर चलाने के लिये नहीं मांग रहे हैं हम बिजली सौन्दर्यीकरण के लिये नहीं मांग रहे हैं हम बिजली उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिये मांग रहे हैं ताकि बिजली की उपलब्धता हो और छात्र पढ़ पायें अन्यथा पूरे प्रदेश का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। मान्यवर, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय आज और कोई नहीं हो सकता है। मान्यवर, आप देखें कि आज जो विन्टर रेन होती है वह पूरी तरह से नहीं हो पायी है उससे आपकी गेहूं की फसल जा रही है। मेरा तो यह भी सुझाव है कि बिजली आयात की जाये और जरूरत पड़े तो अतिरिक्त रूप से भी खरीदी जाये। रिहंद में अतिरिक्त बिजली पैदा की जाये और हमारे छात्र-छात्राओं को शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनिवार्य रूप से बिजली दी जाये। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है हम इस पर आपके माध्यम से कोई सुनिश्चित आश्वासन सरकार से चाहते हैं।

*श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का अवसर प्रदान किया है। माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो प्रदेश के छात्रों के विषय में और आम नागरिकों के विषय में भावनायें व्यक्त की हैं उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, सिर्फ यह विचार प्रकट करना चाहता हूं कि आज जो गंभीर स्थिति छात्रों के समक्ष बिजली की उपलब्धता के विषय में है इससे भी कहीं ज्यादा भयानक स्थिति के कारण आम नागरिक प्रभावित हो रहे हैं। विशेषकर परीक्षा का समय आने वाला है इसमें मुश्किल से कुछ ही समय शेष रह गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश के जो भविष्य हैं उनकी चिन्ता करें तो यह स्वाभाविक रूप से पायेंगे कि लाखों छात्र अपनी पढ़ाई पूरी तैयारी के साथ नहीं कर पा रहे हैं। उनको पढ़ाई के समय बिजली नहीं मिल पा रही है। इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को मैंने पत्र दिया था। वाराणसी जो एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है उसको बिजली प्राथमिकता के आधार पर दी जाय। इसके औचित्य के साथ मैं बराबर यह प्रश्न उपस्थित करता रहा हूं। लेकिन मुझे खेद है कि उस पर जितनी गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए यह नहीं दे पा रही है सरकार। मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बनारस जैसे शहर के अन्दर, इतना महत्वपूर्ण शहर होने के बाद भी जहां कई-कई विश्वविद्यालय है और तमाम कालेज है, सांस्कृतिक राजधानी है, फामोटिंग आबादी है उसकी संख्या भी प्रर्याप्त है वहां के लोगों को भी बिजली नहीं मिल पा रही है छात्र-छात्राओं की तो बात ही दीगर है। वहां पर जो बिजली मिल रही है अभी ग्रामीण अंचल के लोगों ने कहा 3-4 घंटे से अधिक नही है वहां का अनुभव तो मुझे नहीं है। लेकिन, जो शहर है उसमें भी जो मेरा शहर है बनारस जो इतना महत्वपूर्ण शहर है वहां मैंने यह देखा है और माननीय मंत्री जी को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि आज की तिथि में 9-10 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है और वह भी किश्तों में और इसका एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम परीक्षार्थी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं वह भी है, व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहे हैं वह भी है, कल-कारखाने नहीं चल पा रहे हैं वह भी है लेकिन एक पक्ष यह भी है कि इसके कारण जो ट्यूबवेल्स है पानी के वह भी नहीं चल पा रहे हैं जिससे पेयजल की भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है। मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के कार्य-स्थगन पर बल देते हुए आपके माध्यम से मांग करता हूं कि प्रदेश की विद्युत की स्थिति में सुधार के लिये जो प्रभावी कदम हों वह उठाये जायें और विशेष करके मेरे बनारस के लिये भी कोई विशेष व्यवस्था लागू की जाये ताकि वहां के लिये जो विद्युत मिल रही है वह पर्याप्त मात्रा में मिले। छात्रों के भविष्य को देखते हुए उनकी पढ़ाई के लिये जो आवश्यक बिजली है वह मिले और पेयजल के लिये भी ट्यूबवेल चलाने के लिये पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले। धन्यवाद।

*श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे लोकमहत्व के इस प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित प्रत्येक विधान सभा में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए और खास तौर से जब बोर्ड के इक्जाम आ रहे हैं लेकिन पूरी वह बात हमारे नेता जी कह चुके हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि झांसी के अन्दर जो विद्युत उत्पादन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केन्द्र है जिसमें 250-250 मेगावाट की दो इकाइयां लगी हैं और 110-110 मेगावाट की दो इकाइयां लगी हैं। वहां पर आज तक पूरी क्षमता से कभी विद्युत का उत्पादन नहीं हुआ। क्योंकि निचले स्तर पर विद्युत विभाग में पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। हमने इस सदन के माध्यम से भी एक प्रश्न लगाया था कि माननीय मंत्री जी अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच करायें कि जितनी क्षमता की नई इकाइयां लगी हुई है और उन नई इकाइयों में कोई उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा हमारे यहां माता टोली में जो विद्युत उत्पादन होता है उसमें तो हम मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वह दे देते हैं लेकिन जो राजघाट थर्मल प्रोजेक्ट है, राजघाट बांध परियोजना पर जो विद्युत निर्माण होती है उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं मिलता। एक तरफ जहां हम एक-एक मेगावाट के लिये केन्द्र पर निर्भर हैं वहां पर जो हमारा अपना अधिकार है-वह हमें नहीं मिल पाता। हम आपके माध्यम से लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करेंगे कि जो विद्युत उत्पादन केन्द्र है उन विद्युत उत्पादन केन्द्रों को पूरी क्षमता से चलाने के लिये एक उच्च स्तरीय जांच करायें ताकि जो एक सारे सदन की मांग है कि विद्युत की कटौती न हो वह पूरी हो सके और दूसरा हम मंत्री जी से एक चीज और कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है कि सूखे बुन्देखण्ड में 20 घण्टे की विद्युत आपूर्ति की घोषणा की है। लेकिन आज भी हमारे गांव जिनमें राजीव गांधी विद्युतीकरण से विद्युतीकृत हो गया है लेकिन आज भी चालू नहीं हो पाये हैं जिस कारण गांव में एक घंटे भी बिजली नहीं आती है। तो मैं चाहूंगा कि लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन में चर्चा कराई जाय।

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने माननीय श्याम देव राय चौधरी जी ने तथा माननीय जैन साहब ने जो समस्यायें रखी हैं, मैं इससे सहमत हूं कि पूरे प्रदेश में करीब 2 हजार मेगावाट बिजली की कमी है। माननीय अध्यक्ष जी, यह डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति में जो अन्तर है वह करीब 2 हजार मेगावाट का है। हम 6 हजार मेगावाट से ज्यादा विद्युत की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और यह मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं कि पूरे प्रदेश में, जो माननीय बहन कु0 मायावती जी ने जब चौथी बार मुख्य मंत्री पद की शपथ ली तो मैंने पूरे प्रदेश का दौरा किया और यह पाया कि कहीं 4 घण्टे, कहीं 6 घण्टे, कहीं तीन घण्टे, कहीं दो घण्टे, कहीं 8 घण्टे बिजली नहीं मिल रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं, कि हमने पूरा प्रयास किया स्थिति को सुधारने का। माननीय तिवारी जी स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार ने सिवाय बहन कु0 मायावती जी के अलावा विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई प्रयास नहीं किया। यह बात मैं तथ्यों और तारीख सहित बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1989 में अनपारा बी लगाया गया था जिसका कमीशन 1992 में हुआ उसके बाद नवम्बर, 2002 में 420 मेगावाट का एक पावर हाउस जिसमें 210-210 मेगावाट की दो इकाइयों का शिलान्यास किया गया, उस समय मैं ऊर्जा मंत्री था, बहन कु0 मायावती जी मुख्य मंत्री थी, वह पारीछा में वहां पर गयी थीं, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था

और उसका कमीशन/लोकर्पण 30-11-2007 को हुआ है। अब करीब 400 मेगावाट बिजली हमको उधर से मिल रही है। इस बीच में किसी भी सरकार ने, आप भी रहे, आप भी रहे, आप भी रहे, सम्मिलित भी सब लोग रहे, लेकिन किसी भी सरकार ने एक मेगावाट का पावर हाउस उत्तर प्रदेश में लगाने का काम नहीं किया। मैं तथ्यों सहित बता रहा हूं। यह बड़ी गम्भीर समस्या है और केवल आपकी नहीं, पूरे सदन की और पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है और इसमें माननीय प्रमोद तिवारी जी की मदद भी चाहता हूं और कांग्रेस के जो हमारे माननीय सदस्यगण हैं, उनका सहयोग भी चाहता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिये हमारी सरकार ने जैसे ही बहन जी ने ओथ लिया, हमको बुलाया, अधिकारियों को बुलाया और कहा कि 10 हजार मेगावाट की, पावर हाउस लगाने के लिये कार्य योजना तैयार होनी चाहिए।

मान्यवर, हम लोगों ने कार्य योजना तैयार की और खुशी की बात यह है कि 1992 से लेकर अनपरा-बी के बाद अगर कहीं किसी सरकार ने कोई काम किया है तो बहन कु0 मायावती जी की सरकार ने काम किया है। मैं इसको तथ्यों सहित बताता हूं। मान्यवर, 27-10-2007 को अनपरा-सी को निजी क्षेत्र में देने की सहमति दी गयी। इसके विरोध में तमाम हमारे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की नोटिस दी गयी, आन्दोलन की नोटिस दी गयी, तब हम और हमारे चीफ सेक्रेट्री, प्रमुख सचिव अनपारा गये और बात की। यहां भी चीफ सेक्रेट्री लेविल पर बात हुई और 27-10-2007 को वहां भी काम शुरू कर दिया गया और वहां से हमको 1.91 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलेगी और दूसरी हमारी सरकार की, बहन कु0 मायावती जी की उपलब्धि यह है कि एक हजार मेगावाट का अनपरा-डी के लिये हमने 24 अक्टूबर को बी0एच0ई0एल0 को काम करने के लिये दिया है और इसके लिये 400 करोड़ रुपया हमने 13 जनवरी को उनको दे दिया है। हम माननीय मुख्य मंत्री जी से समय मांग रहे हैं हो सकता है कि 10-5 दिन में हमको समय मिल जाय तो अनपरा-डी का भी शिलान्यास वह कर दें और उसका भी काम मान्यवर, युद्धस्तर पर शुरू हो जाय। 30-11-2007 को पांच सौ मेगावाट का पावर हाउस हरदुआगंज, जनपद अलीगढ़ का भी शिलान्यास मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया, वहां पर भी युद्धस्तर पर काम चल रहा है, तीन बार मैं स्वयं वहां जा करके देख आया हूं। पांच सौ मेगावाट के लिये 30-11-2007 का पारीछा में जनपद झांसी में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया वहां भी काम जारी है और मैं दो बार वहां भी जा चुका हूं। 26 नवम्बर को एन0टी0पी0सी0 के साथ मेजा में 1320 मेगावाट का पावर हाउस चलाने के लिये मा0 मुख्य मंत्री जी ने अनुबन्ध किया है।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री रामवीर उपाध्याय-

महाना जी, सुन लीजिए। मा0 प्रमोद तिवारी जी ने बताया यह भी ऊर्जा मंत्री रहे हैं, तो समस्या खड़ी हुई है मैं कहना चाहता हूं आपसे कि 13 फरवरी, 1992 को कौन मुख्य मंत्री थे, उस समय हमारे 440 मेगावाट के ऊंचाहार विद्युत परियोजना को 925 करोड़ रुपये में बेचा गया, उस समय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे। उसके बाद 14 जनवरी, 2000 को 800 करोड़ रुपये

में मा0 राजनाथ सिंह ने एन0टी0पी0सी0 को बेच दिया। मान्यवर, यह बेचते रहे, आज जो समस्या खड़ी हुई है इसीलिये खड़ी हुई है क्योंकि 1989 के बाद किसी भी सरकार ने चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो और चाहे मिलीजुली सरकार रही हो, किसी भी सरकार ने एक भी मेगावाट का पावर हाउस लगाने का काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया। मान्यवर, हम सहयोग चाहते हैं प्रमोद तिवारी जी का, मान्यवर, 24 तारीख को मैं व्यक्तिगत रूप से मा0 सुशील कुमार शिन्दे जी से मिला। मेरे अधिकारी, चेयरमैन वगैरह सभी गये थे। हमने कहा कि हमें 2000 मेगावाट और बिजली दे दीजिए इनसे तीन बार पहले भी मैं मिल चुका हूं और आज भी हमारे प्रमुख सचिव, हमारे निदेशक भारत सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं कि हमें बिजली दो। प्रदेश की जो समस्या है, उससे हम सहमत हैं और उसका समाधान हम करेंगे। मैं लगातार बात कर रहा हूं, मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी जिक्र किया है, चिट्ठी लिखी है और मान्यवर, हम पावरहाउस लगा रहे हैं चार हजार मेगावाट के पावरहाउस लगाने का काम धरातल पर शुरू हो चुका है। मान्यवर, यह काम 1989 के बाद पहली बार हो रहा है और 10 हजार मेगावाट के पावरहाउस हम इसी पंचवर्षीय योजना में लगाना चाहते हैं।

हम आपको बताना चाहते हैं कि मा0 मुख्य मंत्री जी इस मामले में बहुत संवेदनशील हैं और हमें बराबर निर्देश देती रहती हैं और पूछती रहती हैं और चीफ सेक्रेटरी तथा अन्य बड़े अधिकारी हमारे साथ लगे हुए हैं। लेकिन समय लगेगा, जो व्यवस्था इन लोगों ने 18 साल में बिगाड़ दी है, इसे फिर से सवांरने में कम से कम तीन-चार साल का समय लगेगा। यह कटु सत्य है इसे सुनिये, हरदुआगंज में काम शुरू हो चुका है, आनपारा सी में काम शुरू हो चुका है, मेजा में अनुबन्ध कर लिया गया है। 15 जनवरी, 2008 को मा0 मुख्य मंत्री जी का जन्मतिथि होता है, उस दिन चार हजार मेगावाट का पावरहाउस लगाने के लिये काम किया जा रहा है। इसे हम इस पंचवर्षीय योजना में पूरा करेंगे, हम सभी लोग चिन्तित हैं और हम लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रयास किया है। मैं यह मानता हूं कि इस समय डिमांड और सप्लाई में दो हजार मेगावाट का डिफरेंस है। हम बराबर सम्पर्क कर रहे हैं मैं व्यक्तिगत रूप से तीन-चार बार श्री सुशील कुमार शिन्दे जी से मिला हूं कि हमें बिजली दे दो और 24 तारीख को फिर मिला हूं। भारत सरकार का जो उपक्रम एन0टी0पी0सी0 है, जहां से हमें बिजली मिलती है, कभी-कभी वहां खराबी हो जाती है तो हमें दिक्कत हो जाती है। और जहां तक रिहन्द की बात आप कर रहे हैं 11 फुट नीचे चला गया जल स्तर और बारिस हो नहीं रही है। टिहरी में मैं गया था वहां भी जलस्तर कम हो गया है। सरकार पूरी तरह से चिन्तित है, संवेदनशील है और मा0 मुख्य मंत्री जी भी इस मामले में चिन्तित हैं। और 4 हजार मेगावाट का पावर हाउस लगाने का काम शुरू हो गया है, 6 हजार मेगावाट का पावर हाउस बनाने के लिये हम लगे हुए हैं। जो समस्या मा0 तिवारी जी, चौधरी साहब और जैन साहब की है, उससे अवगत हूं। बच्चों को सही समय पर पढ़ाई के लिये बिजली मिले इसकी व्यवस्था हम करेंगे।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय मंत्री जी ने जिन प्रयासों की बात कही है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, राम सेवक जी खड़े हुए हैं, बहुत बुजुर्ग सदस्य हैं, कभी बोलते नहीं है इसलिये पहले उनकी बात आ जाए।

*श्री राम सेवक-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बिजली बहुत ही जरूरी चीज है। मैं अपने क्षेत्र की बिजली समस्या को लेकर मा0 मंत्री जी के पास गया, अपनी दरख्वास्त दी। उन्होंने हमारी बात को बड़े प्रेम से सुना और चाय भी पिलाई। जब मैं अपने क्षेत्र में पहुंचा तो हमारे यहां 3 क्षेत्र हैं, जिसमें मुसाफिरखाना में बिजली आ रही है, सुकुल बाजार और जगदीशपुर में बिजली नहीं आ रही है। मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि दोनों क्षेत्रों पर भी कृपा करके बिजली दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मा0 मंत्री जी ने प्रयास की बात कही है, अपने प्रयासों पर सरकार ईमानदार और गम्भीर है तो धन्यवाद देता हूं। मा0 मंत्री जी ने यह भी कहा है कि पिछली किसी सरकार ने प्रयास नहीं किया। रोजा परियोजना को शुरू करने का काम किसने किया, अनपरा सी को शुरू करने का काम किसके कार्यकाल में हुआ, मैजा की स्वीकृति और उनको बुलाकर एम0ओ0यू0 साइने काने का काम किसने किया ? 4 हजार मेगावाट की गैस आधारित रिलायंस पावर परियोजना दादरी में लगाने का प्रयास किसने शुरू किया ? इन सारे उद्यमों की चर्चा करने में सरकार को शर्म आ रही है तो मुझे आश्चर्य होता है। आप कोई प्रयास करना चाहते हैं तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। यह आक्षेप लगाने से काम चलने वाला नहीं है। वस्तुतः समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से पहले 12 वर्षों से कोई प्रयत्न नहीं हुए। विष्णु प्रयाग किसका प्रयास था ? जिस उद्यम को स्थापित करने के लिये सरकार ने काम किया, उसकी सराहना आपको करनी चाहिये। यह हम आपको कहना चाहते हैं कि असत्य आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। हमारी सरकार ने 16 घण्टे बिजली प्रत्येक गांव में देना सुनिश्चित किया। 29 अगस्त, 2003 को मा0 मुलायम सिंह जी ने मुख्य मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हमने 16 घण्टे बिजली देना सुनिश्चित किया, आपको इन बातों का उल्लेख करना चाहिये, आक्षेप लगाने से काम नहीं चलेगा। हम आपके ऊपर आक्षेप नहीं करते हैं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, चौधरी साहब ने ऐसी बातें रखी हैं, अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं। नोयडा में बिजलीघर लगाने के लिये चर्चा होती रही, पिछली बार चर्चा हो रही थी, नेता प्रतिपक्ष मौजूद थे, मा0 हुकुम सिंह जी भी थे, दोनों आपस में भिड़ गये थे। भाषण देते रहे, शिलान्यास होता रहा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन धरातल पर क्या हुआ। (सत्तापक्ष की तरफ से शेम-शेम की आवाजें आयीं।) जहां तक अनपरा सी की बात है। अनपरा सी 2003 में लग गया होता, अगर विलम्ब हुआ तो आपकी वजह से हुआ। मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं ऐसे नहीं कह रहा हूं। 25 अगस्त, 2003 को हमारी नेता आदरणीय बहिन कु0 मायावती जी ने मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 26 अगस्त, 2003 को जापान से जे0बी0आई0 बैंक वाले आये थे। वह काम मैं समझता हूं कि 2003 में शुरू हो जाता। एक व्यक्ति एक उद्योगपति को खुश करने के लिये चार साल का विलम्ब किया गया। अभी भी विलम्ब हो रहा था अगर बहन कुमारी मायावती जी ने इसमें निर्णय नहीं लिया होता तो 27 अक्टूबर, 2007 से इसमें काम शुरू नहीं होता। रोजा के लिये पहले प्रयासरत थे लेकिन कितना काम किया यह किसी से छिपा नहीं है। अगर इस दिशा में किसी ने काम किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मंत्री जी ने रोजा व अनपरा सी के बारे में पिछली सरकार की कार्यवाही को स्वीकार कर लिया इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब बात आ गई। चर्चा नहीं हो रही है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

आपने अनपरा सी में विलम्ब किया नहीं तो अब तक अनपरा सी से एक हजार मेगावाट बिजली मिल रही होती। आपने इसमें चार साल का विलम्ब किया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप भी सदन में बहुत दिन से बैठ रहे हैं मैं भी बहुत दिन से बैठ रहा हूं। मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 1989 के बाद इस क्षेत्र में कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। मैं 1989 के बाद से लगातार इस सदन में बैठता रहा हूं उसके बाद जितनी सरकारें आई और जितने मेगावाट बिजली उत्पादन की उन्होनें घोषणायें की भगवान ने अच्छा किया कि वह पूरी नहीं हुई नहीं तो प्रदेश में इतनी ज्यादा बिजली पैदा होती कि प्रदेश जलकर राख हो जाता। कोई भी सरकार आती है वह 10 हजार मेगावाट से नीचे की बात नहीं करती है लेकिन जब सरकार जाती है तो 10 मेगावाट बिजली भी छोड़कर नहीं जाती है। जितने मेगावाट बिजली उत्पादन की बात मंत्री जी कह रहे हैं इतने से तो पूरा प्रदेश बिजली से नहा जायेगा।

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

वास्तविक धरातल पर कार्यवाही होगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

उसी श्रृंखला में आप भी आ गये हैं। मंत्री जी रोज कही न कहीं छापे मार रहे हैं आपके अच्छे अधिकारी लगे हुए हैं योजनायें बहुत अच्छी है लेकिन इनसे बिजली तीन-चार साल बात मिलेगी। मेरी चिन्ता दूसरी है वर्ष 2008 की बोर्ड की परीक्षा में जो छात्र बैठने वाले हैं उनके

बारे में मेरा एक विनम्र निवेदन है कृपा करके कहीं से भी कटौती करके सायं 6 बजे से रात 10 बजे तक कहीं से भी खरीदकर चाहे मंहगी ही मिले लेकिन बिजली खरीदकर कहीं से भी उपलब्धता सुनिश्चित करके जब तक बोर्ड की परीक्षायें खत्म न हो जायें तब तक ग्रामीण अंचलों में कस्बों में और जिला मुख्यालयों में सायं 6 बजे से 10 बजे तक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करायें। यह अनुरोध है अगर कर सकते हैं तो कह दीजिये न कर सकते हों तो बता दीजिये।

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मंत्री जी ने बहुत सी प्राथमिकताओं को बताया उसका स्वागत है लेकिन पनकी पावर हाउस कानपुर महानगर का एक टरबाइन बन्द है। टोकन खर्चे पर उसका विस्तारीकरण व उसको शुरू भी किया जा सकता है 250 मेगावाट के लिये यह प्रयास भी जोड़ लें तो कानपुर महानगर को बिजली प्राप्त हो सकेगी और आसपास के जिलों को भी उससे जरूर लाभ होगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मंत्री जी ने कहा कि 1989 के बाद कोई प्रयास नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब चर्चा नहीं हो रही है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मैं इसे बड़बोलापन ही कहूंगा आप देख लें विष्णु प्रयाग किसके जमाने में लगा, मनेरा भाली फेज-1 किसके जमाने में लगा।

अब गई उत्तराखण्ड में लेकिन है उत्तर प्रदेश की।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा चलिये देखिये। आगे आपकी नोटिसेज हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

नहीं मान्यवर, पारीक्षा में 210 मेगावाट की किसके जमाने में लगी ? आनपारा सी, ओबरा का रिफरनिशमेंट, यह किसके जमाने में हुआ ? यह कैसी बात कर रहे हैं। जो गलत आरोप लगाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

चलिये। अब इसमें सवाल जवाब नहीं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

श्रीमन् इन्होंने बेची है। मैं तो तारीख बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

चलिये सब लोग अपनी-अपनी ताल ठोकिये।

श्री रामवीर उपाध्याय-

आप जब भारतीय जनता पर्टी में थे आपने 13 फरवरी, 1992 को बेचा है ऊचाहार को।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

चलिये, अब कुछ नहीं। अब इसमें कोई सफाई का मसला नहीं। ग्राह्यता पर बात आ गई। अब कुछ नहीं। कौन कितना किया। क्या किया अपना-अपना बतायें। (व्यवधान) चलिये मंत्री जी बतायें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी ने छात्रों की जो समस्या रखी है वह बड़ी गम्भीर है और मैं भी उससे सहमत हूं। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि जब परीक्षा शुरू हो तो पढ़ाई के समय बच्चों को बिजली मिल जाय। मैं आपके माध्यम से तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि आप मेरा सहयोग करें। इनकी सरकार है वहां पर अभी 24-1-2008 को 1 हजार मेगावाट के लिये जो माननीय सुशील कुमार शिन्दे जी जो ऊर्जा मंत्री है भारत सरकार में, मैं उनसे मिला था और पूरी टीम के साथ गया था। मेरे अधिकारी भी मेरे साथ गये थे। हमने कहा था कि हमको 1 हजार मेगावाट हमको दे दो हम नगद भुगतान करेंगे आपको। वो लम्बित है, उसको भी करा दें। आप उधर से हमको बिजली दिलवा दें तिवारी जी। हमारा सहयोग करें। बिजली तो माननीय तिवारी जी दिलवायेंगे। मैं तिवारी जी से बड़े विनम्र शब्दों में कह रहा हूं। यह हमारे बड़े भाई भी हैं, आप ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमको ज्यादा नहीं 500 मेगावाट बिजली वहां से दिलवा दें तो हम छात्रों को भी दे देंगे और किसानों की जो समस्या है, जिससे हम लोग रोज जूझ रहे हैं उसका भी समाधान हो जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

जब भी यह चाहें मान्यवर, चलें। मैं कहूंगा लेकिन अभी जो साढ़े तीन गुना एनुअल बजट मिल गया इसका धन्यवाद तो कर दें। आज ही अखबारों में इसके बारे में निकला है कि साढ़े तीन गुना बजट इनको ज्यादा दिया गया है कि जो ग्यारहवीं योजना का है। इनको बिजली दिला दूं तो उसके बाद फिर कीर्तन कौन सुनेगा ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रमोद तिवारी जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को सुना यह नियम-56 में नहीं आती इसलिये अग्राह्य करता हूं।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, कार्यस्थगन प्रस्ताव की नोटिस पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये आभारी हूं। गंगा एक्सप्रेस वे, जिसे सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विकास की योजना कहा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है मैं भी विकास का पूरा समर्थक हूं। सड़क बने, उद्योग लगे इसमें किसी को आपत्ति नहीं है बल्कि स्वागत योग्य है, खुशी होगी। लेकिन किस मूल्य पर लगे ? एक विकास दूसरे का विनाश करे यह विकास नहीं। विकास यह है जिसमें कम से कम क्षति में अधिक से अधिक विकास हो जाय। इसलिये गंगा एक्सप्रेस वे अवैज्ञानिक अव्यवहारिक अधिक क्षतिकारक परियोजना है मान्यवर, लाभ से ज्यादा इससे क्षति होने वाली है। सबसे जो चिन्ता का विषय है कि इसमें जो पारदर्शित होनी चाहिये थी वह नहीं है। इसमें गोपनीयता बरती गई है। सबसे ज्यादा यह गंगा के विनाशकारी है मान्यवर, कोई भी दुनिया का विकसित देश अपनी बड़ी नदियां के किनारे 1 या डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर अर्थात् नदी के बेसिन में 8 लेन की सड़क नहीं बनाई हुई है यह पहली है इसलिये मैंने कहा कि यह गंगा के लिये विनाशकारी है। जब सड़क बन जायेगी कल्पना कीजिये। इनकी भी योजना है कि नगर बसायेंगे, उद्योग लगायें अन-ऑथोराइज्ड कालोनी भी बसेंगी जैसा स्वाभाविक है। उसका कचरा कहां जायेगा मान्यवर, क्योंकि बेसिन में बन रही है तो जिधर ढाल है कचरा वहीं जायेगा। आज तो रोज शोर होता था कि माघ मेले में पानी साफ नहीं है केवल कानपुर के कारण से। जब तमाम एक हजार कि0मी0 की दूरी में अथराइज्ड और अनअथराइज्ड नगर बस जायेंगे, उद्योग लग जायेंगे तो उनका कचरा जब नदी में जायेगा तो गंगा नाला बन जायेगा मान्यवर, गंगा केवल नदी नहीं है यह भारतीय समाज की आस्था का केन्द्र है और भारतीय संस्कृति का मूल केन्द्र है, यह भारत की पहचान है मान्यवर, सामान्य नदी नहीं है। इसकी रक्षा होनी चाहिये। जब 1 कि0मी0 तक 8 लेन की सड़क बन जायेगी। इसमें हजारों गाड़ियां बस जब नदी से एक डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर चलेंगी तो इनसे जो धुआं निकलेगा वह गंगा नदी के पानी को प्रभावित करेगा। उससे आक्सीजन की कमी होगी और घर्षण से जो गर्मी होगी उसके कारण से जो नम जलवायु इस बड़ी नदी का है वह उष्ण हो जाएगा, गर्म हो जाएगा जिसका प्रभाव पौधों पर, जीव जन्तुओं पर होगा इसलिये हमने कहा कि यह अवैज्ञानिक है। गंगा के लिये विनाशकारी है गंगा नाला बन जायेगी इसलिये विकास से गंगा का विनाश होगा। औद्योगिक विकास बनाम आस्था और संस्कृति का प्रश्न हो गया है। आस्था और संस्कृति किसी भी तरह से नष्ट नहीं होनी चाहिये। क्योंकि उद्योग आप कहीं और भी बना सकते हैं। सड़क आप और कहीं भी बना सकते हैं। किसानों की क्षति हो जायेगी बेरोजगार हो जायेंगे आप रोजगार दे सकते हैं। उत्पादन कम हो जायेगा मंगाकर खा सकते हैं उद्योग कहीं और लगा सकते हैं उसका विकल्प है लेकिन अगर गंगा नष्ट हो गई तो उसका कोई विकल्प नहीं है आस्था अगर नष्ट हो गई तो उसका कोई विकल्प नहीं है। संस्कृति अगर नष्ट हो गई तो उसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिये यह एक अवैज्ञानिक, गंगा के लिये विनाशकारी, आस्था और संस्कृति को नष्ट करने वाली योजना है।

मान्यवर, जो व्यवस्था है नगर और उद्योग की, तो एक लाख एकड़, दो-तीन फसली जोत भारत की सबसे उपजाऊ जमीन है वह इसमें चली जायेगी। अर्थात कृषि योग्य भूमि अकृषि योग्य भूमि में चली जायेगी। एक लाख एकड़ जमीन जो सबसे उपजाऊ है तो अगर पचास कुन्तल

भी अगर हम एक एकड़ में मान लें तो पचास लाख कुन्तल फसल चली जायेगी। पचास लाख खाद्यान्न का उत्पादन यहां कम हो जायेगा। मान्यवर, सन् 2025 तक यहां की आबादी 24 करोड़ होने वाली है आज के खाद्यान्न उत्पादन से ड्येढ़ा 6 लाख मीट्रिक खाद्यान्न चाहिये। इस समय हमें जमीन बचाने की आवश्यकता है। 1984 में 184 लाख हेक्टेयर जमीन थी आज यह 167 लाख हेक्टेयर जमीन रह गई है सरकारी आंकड़े के अनुसार। मान्यवर, प्रदेश की सबसे उपजाऊ जमीन हम सड़क बनाने में जो अन्य जगह बन सकती है, उद्योग लगाने में जो अन्य जगह लग सकते हैं इस जगह नहीं बनना चाहिये उसमें इसका उपयोग कर रहे हैं। हजारों गांव उजड़ेंगे गांव बसाना इतना आसान नहीं है आदमी को लगाव होता है। डेढ़ लाख संरक्षित वृक्ष काटने पड़ेंगे जिसमें शीशम, पीपल, बरगद, जामुन के पेड़ काटने पड़ेंगे यही नहीं मान्यवर, इसके आसपास 11 पुरातत्व विभाग के संरक्षित भवन पड़ रहे हैं यह निश्चित है जब हाइवे पर चलेंगे बनने के बाद, तो यह कहीं न कहीं प्रभावित होंगे। यह हमारी धरोहर है। न जाने कितने गंगा के किनारे देव स्थान होंगे मंन्दिर होंगे वह भी रास्ते में पड़ेंगे वह या तो उजड़ेंगे या फिर सड़क रुक जायेगी फिर 25 फुट ऊंचा आप बना रहे हैं एक फुट ऊंचा बनाने के लिये 6 सौ मीटर जमीन की मिट्टी निकालनी पड़ेगी। इसलिये अवैज्ञानिक है। तीन महीने के अन्दर चालीस हजार करोड़ रुपये की योजना फ्लोट कर दी गई बिना किसी परामर्श के, उसके बाद सारी फारमेल्टी पूरी की गई है इसलिये हम इसका विरोध कर रहे हैं कि यह बहुत ही विनाशकारी होगा। खाद्यान्न का उत्पादन खत्म हो जायेगा। सबसे उपजाऊ दो तीन फसली एक लाख हेक्टेयर जमीन, लाखों किसान बेघरवार होंगे। देव स्थान उजड़ेंगे इसलिये इस परियोजना को नहीं स्वीकार करना चाहिये। इसको निरस्त करना चाहिये। दूसरी बात जहां सबसे बड़ा घोटाले का अंदेशा होता है, सबसे बड़ा सन्देह है इसलिये मैं मांग करता हूं कि सारे दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाये। जिस एजेन्सी को एक हजार 67 किलोमीटर की सड़क दी गई है वही एजेन्सी पांच साल पहले ताज एक्सप्रेस वे में उसने पांच साल में एक किलोमीटर सड़क नहीं बनाई। जब से यह सरकार पुनः आई है थोड़ा काम होने लगा है। योजना के अनुसार एक महीने में जितने किलोमीटर सड़क नहीं बनाई जिसे सड़क बनाने का अनुभव नहीं है उसे एक किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने का टेका दिया गया है।

मान्यवर, इसी फर्म के इण्टरनेट पर उसके एसेट्स कितनी है, 11196 करोड़ और उसे काम कितने का दे दिया गया, 40 हजार करोड़ का और इसके साथ कहा क्या गया, मान्यवर, सड़क वह अपने पैसे से बनायेगा, 35 साल तक टोल टैक्स उठायेगा, तब भी केवल 18 परसेण्ट लागत वह प्राप्त कर पायेगा, यानी इतना उदार व्यक्ति है वह 35 साल तक इंतजार करेगा और उसके बदले में जमीन बेची गई तो वहां माल बनाओ, कालोनी बनाओ, यह शर्त समझ में नहीं आयी कि कितने माल बनायेगा, कालोनी बनायेगा या पहले सड़क पूरा करने के बाद वह बनायेगा ? मान्यवर, बुलन्दशहर में 1052 एकड़ जमीन एक्वायर की गई क्यों ? क्योंकि बेवर में इण्टरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित है, ग्रेटर नोयडा पास में है, वहां की जमीन सोने के भाव है, इसमें घोटाला है, पहले कहा गया था कि 4 फर्मों को दिया जायेगा लेकिन फिर एक फर्म को दे

दिया गया। वहां पर जो लोग उपस्थित थे, उन लोगों ने जो किस्से बताये, इसकी जिस दिन से घोषणा हुई उसी दिन से कह रहे थे कि यह तो जे0पी0 एसोसिएट्स को मिलेगा, उसी दिन से कह रहे थे और बाकी जो परमीनशन है, वह तो हम लोग करायेंगे और यह बात सही है।

मान्यवर, इसमें घोटाला ही घोटाला है, इसलिये मैं कहता हूं कि यह किसानों को उजाड़ने का, गांवों को उजाड़ने का प्रदेश के खाद्य उत्पादन को गिराने का और गंगा जो आस्था और संस्कृति की मूल है। सदियों से, वह भारतीय समाज के आस्था पर चोट पहुंचाने का संस्कृति को नष्ट करने का, पुराने धरोहरों को नष्ट करने का और डेढ लाख संरक्षित पेड़ काटकर पर्यावरण को प्रभावित करने का विनाशकारी योजना है। इसलिये इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करके इसे निरस्त करायें और इससे सम्बन्धित जो दस्तावेज हैं जो उसकी गोपनीयता है, उसके विषय में जानने का सदन का अधिकार है, जनता को जानने का अधिकार है कि जो 5 साल में एक कि0मी0 सड़क नहीं बना पाये, उसे एक हजार कि0मी0 क्यों दे दिया गया और सड़क बनी नहीं और 9-9 जिलों में इतनी जमीन 1-1 हजार एकड़ 5-5 सौ एकड़ दे दी जा रही है। मान्यवर, मेरा पूरा भरोसा है, यद्यपि वह सड़क बनायेगा नहीं, लेकिन इसके नाम पर इन 9 जिलों में जो जमीन पाया है, उसी से वह कमायेगा, उसी से आमदनी करेगा, उसको लाभ पहुंचाने के लिये और उसके लाभ में हिस्सेदारी के लिये जैसा नेता प्रतिपक्ष ने उस दिन उठाया था, मैं भी उठा रहा हूं। मान्यवर, नोयडा और ग्रेटर नोयडा में इस सरकार के कुछ पदस्थ लोग जमीन खरीद रहे हैं इसलिये इसके सारे दस्तावेज इस सदन के समक्ष रखे जायें यह हमारी मांग है, यह अत्यन्त संवेदनशीन है, आप इस पर चर्चा करायें, धन्यवाद।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर नेता भाजपा द्वारा रखे गये और हम लोगों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मा0 नेता भाजपा ने जो बिन्दु यहां उठाये हैं, वह बहुत सुस्पष्ट है और मुझे याद है कि जब नेता प्रतिपक्ष महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बातें रख रहे थे, उन्होंने भी इसी से संबंधित विषय पर अपनी बातें रखी थीं। भ्रष्टाचार के आरोप बहुत सुस्पष्ट लगाये गये हैं, नाम लेकर लगाये गये हैं, आरोप सही हों या गलत अगर आरोप लगे हैं तो सरकार का दायित्व उन आरोपों के प्रति जवाबदेही का बनता है। अगर किसी ऐसी संस्था को यह कार्य दिया गया है जिसके पास इतने बड़े स्तर पर सड़कों के निर्माण का कोई अनुभव नहीं है, अगर कोई इतना बड़ा काम दिया गया है और उसके पास इतने बड़े काम को पूरा कराने के लिये आवश्यक पूंजी नहीं है और वह किसी अन्य माध्यम से पूंजी की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा है, अगर किसी योजना को लेकर इतनी सारी शंकायें पैदा हो रही हैं, सबसे बड़ी शंका तो यह पैदा हो रही है कि क्या यह योजना सचमुच नोयडा से चलकर बलिया तक जायेगी या नहीं ? बहुत सारे लोगों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का अब यह मानना है कि यह योजना नोयडा और कानपुर तक सिमट करके रहने वाली है। शायद कानपुर से आगे यह योजना जाने वाली नहीं है। मैं जानता हूं कि यहां जवाब दिया जायेगा तो कहा जायेगा कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, हमने इतनी बड़ी योजना बनायी है, सरकार ने निजी पैसे से व्यवस्था की है, 1 हजार कि0मी0 की जो सड़कें बनेंगी, नोयडा और बलिया की दूरी बहुत घट जायेगी, 8 घण्टे में आना जाना हो जायेगा।

अगर सरकार इतनी ही ईमानदार है तो सरकार इस सदन में छोटी सी घोषणा कर दे कि यह जो निर्माण आप नोएडा में शुरू कर रहे हैं इसको आप नोएडा के बजाय बलिया से शुरू करें और बलिया से बनाते हुए नोएडा तक जाइये। जब बलिया से आने वाली सभी सड़कें बन जायेंगी तो स्वाभाविक रूप से जिन लोगों का आर्थिक हित उसमें फंसा हुआ है जिसका कि नेता भाजपा ने जिक्र किया कि इस योजना के पास होने से पहले ही बहुत बड़ी संख्या में भूमि लोगों ने खरीद डाली और आज उस सड़क को बनवाकर उस भूमि के व्यावसायिक मूल्य को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उस दिन भी नेता प्रतिपक्ष ने किसी एक अधिकारी का नाम लेकर कहा कि एक हजार एकड़ जमीन उनके भाई के नाम पर है। जब इतनी महत्वपूर्ण बात की गई और इतनी बड़ी परियोजना में जो बहुत सामान्य सी चीजें होती हैं। अगर आप कोई काम गंगा नदी के किनारे करने जा रहे हैं तो गंगा का एक सांस्कृतिक, सामाजिक महत्व है तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह इस योजना को स्वीकृति देने के पहले गंगा पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उस पर अध्ययन के लिये एक कार्यदल का गठन कर लेते। यह सरकार अभी 5 साल रहने वाली है। अगर यह योजना बनने लगी और गंगा नदी पर इसका स्थाई प्रभाव पड़ गया या गंगा नदी के किनारे बसे हुए नगरों पर इसका स्थाई प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया। मान्यवर, यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भारत के इतिहास का अध्ययन किया होगा उनको पता होगा कि इस प्रकार के प्राचीन नगरों का कैसे नाश होता है और कैसे नदियों के किनारे नये नगर खड़े हो जाते हैं। एक बंधा अगर आप उतना ऊंचा बनवा देंगे तो स्वाभाविक रूप से जब नदियों का लेवल बढ़ेगा तो वह पानी जायेगा कहां ? 25 मीटर सड़क की ऊंचाई से तो वह उस तरफ जाने वाला नहीं। तो उस पार जो हमारे नगर बसे हुए हैं स्वाभाविक रूप से इन नगरों में बाढ़ बहुत अधिक आने वाली है। पिछले वर्ष हमने देखा बनारस में, माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी यहां बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बहुत लम्बे समय तक पानी के नाते प्रभावित रहा था। यानी कि एक पूरी की पूरी नगरी की व्यवस्था इससे प्रभावित होने वाली है। पर्यावरण की दृष्टि से इसका क्या असर पड़ने वाला है ? प्रदूषण की दृष्टि से इसका क्या असर पड़ने वाला है ? वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम की दृष्टि से इसका क्या असर पड़ने वाला है तो इस सरकार को चाहिये था कि इस महत्वपूर्ण योजना को लेने से पहले इसका मूल्यांकन करना चाहिये था। मूल्यांकन का ब्लैक एण्ड ह्वाइट करते उसके बाद पारदर्शी तरीके से इस काम को हम सबके सामने रखने का काम करना चाहिये था। वैसे भी योजना आयोग कहता है कि इस प्रदेश की 40 प्रतिशत सड़कें ऐसी हैं जो सिंगल लेन हैं। सिर्फ 2 प्रतिशत सड़कें ही डबल लेन बनी हुई हैं। हमारी जो मूल समस्या इस

समय है वह है हमारी सड़कों की खराबी, एक तिहाई सड़कें ऐसी हैं जिनके ऊपर पिच नहीं है। उनमें से आधी सड़कें ऐसी हैं जिन पर मोटर चल नहीं सकते। तो सरकार की प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिये कि जहां सामान्य नगारिक चलने वाले हैं हम उन रोडों को बहुत बेहतर करें। आप अगर कोई बड़ी सड़क योजना डेवलप कर रहे हैं तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चतुर्भुज योजना जो पहले से ही लागू है जब वह पूरी हो जाती तो उसके बनने के बाद यातायात के स्वरूप में बहुत परिवर्तन आने वाला है। एक बार चतुर्भुज योजना बनकर तैयार हो जाती तो उसके बाद यह तय किया जाता कि वास्तव में इस नई सड़क की आवश्यकता है भी या नहीं। उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाता तो बेहतर होता। इसलिये मैं माननीय नेता भाजपा के इस प्रस्ताव पर बल देते हुए मांग करूंगा कि इस पूरे सन्दर्भ में इस सम्पूर्ण विवरण को सदन के पटल पर रख दिया जाये और सदन की सहमति ली जाये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, नियम 56 की सूचना के माध्यम से माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने जो बातें कहीं हैं उसके साथ थोड़ी बातें और जोड़ना चाहता हूं। इस योजना के आधार पर 2-3 भाग हैं। एक घोटाला और भ्रष्टाचार की बात और एक तकनीकी बात। उस बारे में उन्होंने जो कुछ बताया है, नेता सदन ने उससे आगे बढ़कर बात इसी सदन में कही है। मैं उसको दोहराकर सदन का समय नहीं खराब करना चाहूंगा। सरकार की नीयत पूरी तरह से इस सड़क को बनाने की कम और इस सड़के के बनाने के माध्यम से अपने पुराने व्यवसायिक लाभ वाले साथी जे0पी0 एसोसिएट्स के माध्यम से इतनी बड़ी परियोजना को लागू करने की बड़ी भारी गलती करने की, बड़े घोटाले करने की मंशा स्थापित है। इसके बारे में हमें अलग से साक्ष्य देने की जरूरत नही है।

ताज एक्सप्रेस वे का घोटाला प्रदेश के सामने है और उसका परिणाम सबके सामने है। मैं छोटी-छोटी बातों को कहना चाहता हूं। एक सिरा बलिया है, दूसरा सिरा नोयडा है। गंगा मात्र एक नदी नहीं है यह लाइफ लाईन है उत्तर प्रदेश की। सारी दुनिया में हमारी पहचान है गंगा। यह आदि सभ्यता का केन्द्र है। गंगा और यमुना के मैदानी इलाके में दोआब की जैसी मिट्टी और जितना अन्न उपज करने वाली मिट्टी है, ऐसी मिट्टी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। जहां अन्न उत्पादन में इतनी बड़ी गिरावट की स्थिति है वहां अन्न पैदा करने वाले इतने बड़े क्षेत्र को अनुपयोगी कार्य के लिये एक घोटाले के लिये समर्पित करना चाहते हैं, उसके भी आंकड़े रखे गये हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा लेकिन एक बड़ा सवाल है और आपके सामने भी यह आयेगा। संयोग से आपका क्षेत्र गंगा के किनारे नहीं है लेकिन आप उस इलाके से प्रतिनिधित्व करते हैं और पीड़ा को जानते होंगे। गंगा की पटरी पर, बालू और मिट्टी के मिले जुले क्षेत्र में परवल, ककड़ी खीरा, तरबूज और दूसरी सब्जियों की खेती करने वाले लोग मूलतः निषाद, बिन्द और मल्लाह जाति के लोग हैं। उन्हें अनुसूचित जातियों में भी नहीं होने दिया, प्रस्ताव ले लिया सरकार ने और उनकी रोजी रोटी पर भी हमला करने के लिये पूरी तरह से तैयार है। पता नहीं इन्होंने क्या उनका

बिगाड़ा है लेकिन उनका नुकसान करने के लिये, उनकी रोजी रोटी पर हमला करने की पूरी की पूरी तैयारी है और पूर्वांचल खास तौर से जो बाढ़ से प्रभावित होता है, उसकी स्थिति यह है कि सिंचाई विभाग के इसके पहले के स्थापित शोध माननीय मंत्री जी निकलवा लेंगे। स्थापित हैं कि नदियों का जो क्रीडा क्षेत्र है आज नदियों की जो स्ट्रीम है वह तीन चार किलोमीटर दायें और तीन चार किलोमीटर बायें घूमती है और उसमें जब कोई निर्माण होता है तो उसका प्रभाव यह होता है कि सिल्टिंग बढ़ती है। कई बार उसके दुगने स्तर का कटाव दूसरी तरफ होता है कि एक किनारा पक्का करेंगे तो दूसरे किनारा पर कटाव भयंकर होगा और यह प्रदेश में ही होना है, पाकिस्तान में नहीं होना है, यह उत्तर प्रदेश में ही होना है। एक किनारे पर जब एक ठोकर बनाने का सवाल होता है, अनेक परियोजनाओं को हमने देखा है, तो वह जी0एस0टी0सी0 तक जाते-जाते इस आधार पर अस्वीकृत हो जाता है कि टी0ए0सी0 अगर पहले स्वीकृत कर देती है, तो जी0एस0टी0सी0 तक जाते-जाते इस कारण अस्वीकृत कर दिया जाता है कि एक किनारे ठोकर बन जायेगा तो अगले किनारे भयंकर कटान हो जायेगा और एक पूरे किनारे को आप पक्का करने का प्रयास करेंगे, ऊंचे बन्धे के हिसाब से, तो उसकी रक्षा नहीं होगी और दूसरे किनारे पर बाढ़ की रक्षा इसलिये नहीं होगी कि आप पूरी तरह से किनारा बन्द नहीं कर रहे हैं। गंगा में छोटी-छोटी नदियां, बड़े नाले और दूसरी ड्रेनेज आकरके इसमें मिलती चली जाती हैं।

यमुना जैसी बड़ी नदी, टोंस जैसी नदी, गोमती जैसी नदी उसके ऊपर सई और उसके ऊपर दूसरी नदियां यह सभी नदियां गंगा में ही मिल जाती हैं और बलिया तक जो नदियां मिल जाती हैं मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। बलिया के बाद और नदियां मिलती हैं मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं। यह सारे ड्रेनेज के बावजूद जब आप दीवार बनायेंगे, बंधा ऊंचा करेंगे तो वहां से पानी का फैलाव नहीं होगा लेकिन बैक वाटर फ्लो उन ड्रेनेज के माध्यम से शहरों और गांवों में घुसेगा तो ड्रेनेज नहीं होगा और उसका नतीजा यह होगा कि शहरों में जो तबाही मचेगी वह अलग है, लेकिन गांवों में जो फसल उगाने का क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है वह डूबेगा तो वाटर लागिंग की वजह से पूरी की पूरी रबी की फसल वहां पर बोई नहीं जा सकेगी और एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित होगा। एक लाख एकड़ कहा गया था जब किसी को आपत्ति थी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस दिन स्वयं साढ़े अट्ठाइस हजार हेक्टेयर क्षेत्र स्वीकार किया। वस्तुस्थिति साढ़े अट्ठाइस हजार हेक्टेयर की नहीं है, उससे ज्यादा की है लेकिन अगर उतना भी हो तो तबाही इतनी बड़ी होगी कि जितनी कि कल्पना नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ा सवाल मैं रखना चाहता हूं। लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट का सीधे-सीधे प्राविधान है कि जिस उद्देश्य के लिये भूमि का अधिग्रहण होगा उस उद्देश्य से अगर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो वह भूमि किसानों को वापस कर दी जायेगी। श्रीमन्, किसान से मुआवजा नहीं मांगा जायेगा। जमीन का मूल्य नहीं मांगा जायेगा। इस उद्देश्य से अगर उसका एक्वीजीशन होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तो वह जमीन उसको वापस कर दी जायेगी। नया प्राविजन लेकर आ रहे हैं कि सड़क बनाने के लिये जमीन ली जायेगी। लेकिन अगर सड़क नहीं भी बनेगी तो यह जमीन उसी के पास पड़ी रहेगी जिस इण्डस्ट्री

को विकास करने के लिये जे0पी0 एसोसियेट्स को हम दे रहे हैं, किसान को यह वापस नहीं जायेगी। मान्यवर, यह एक प्राविधान है और एक गम्भीर संकेत देता है। लगता है कि मूल उद्देश्य दूसरा है कि जो जमीन कालोनी के विकास के लिये, माल बनाने के लिये और अन्य दूसरे उद्देश्यों के लिये दिया जाना है, उसको गंगा एक्सप्रेस वे, हाई वे के नाम पर एक्वायर करने का काम किया जा रहा है। अब यह तो कह देंगे कि साहब वह तो सीधे करार नियमावली को दे रहे हैं, मान्यवर, करार नियमावली क्या है, इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते होंगे मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। करार नियमावली मान्यवर, एक्वीजीशन के प्राविजन से अलग नहीं है और करार नियमावली में सरकार अगर दलाल की भूमिका निभाना चाहती है इस प्रदेश के गरीब किसानों की भूमि को लुटवा देना चाहती है जे0पी0 एसोसिएट्स को और दलाली करना चाहती है बीच में तो यह एक्वीजीशन का प्राविजन और करार नियमावली का उद्देश्य नही है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया संक्षेप में कहें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं बिल्कुल संक्षेप में कह रहा हूं, मैं बिल्कुल बिन्दु से बाहर एक शब्द भी नहीं कह रहा हूं और न ही वाक्यों को दोहरा रहा हूं। श्रीमन् करार नियमावली का दुरुपयोग करके किसानों की जमीन को लुटवा करके अपने व्यवसायिक हितों के सम्वर्धन के लिये अगर सरकार इस काम को करना चाहती है श्रीमन् तो किसी भी हालत में ऐसा नहीं होना चाहिये और सरकार की मंशा का पता चलता है, हमारी सड़कों का कोई पुरसाहाल नहीं, सड़कों के गड्ढों को ठीक करने का कोई इन्तजाम नहीं, जो निर्माणाधीन पुल थे, उनको रोक दिया, जो निर्माणाधीन सड़कें थी उनको रोक दिया और अब यह आठ लेन की सड़क बनाने का काम करेंगे और बलिया में मान्यवर, मैं जिक्र करना चाहता हूं आपसे खासतौर से बलिया में कोई बड़ा भाग नहीं है, बलिया कोई बहुत सारी जगहों का जंक्शन नहीं है, बलिया आकर के अल्टीमेट जहां पर यह सड़क खत्म होती है मान्यवर, उस पर जाने के लिये माझी का एक पुल है और बिहार को इस पुल से जोड़ने के बाद से भी वहां से इण्टर स्टेट जो ट्रान्सपोर्टेशन है उसमें दस फीसदी भी इजाफा नहीं है माझी पुल बनने के बाद मान्यवर, इसलिये बलिया को आठ लेन की सड़क जोड़ कर गाजीपुर, बलिया के उन किसानों को तबाह करने की जो बात की जा रही है इनकी योजना बुलन्दशहर में यह बात साबित है, उनकी योजना नोएडा के पास किस कारणों से है, व्यवसायिक हित संवर्धन के लिये है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं बिल्कुल समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, एक हजार एकड़ अगर कोई सरकार से भी ऊपर बैठा हुआ अधिकारी, अपने भाई, भौजाई या किसी के नाम से खरीद लिया है और

प्रदेश को लूटना चाहता हो वह बात तो अलग है लेकिन गरीब लोगों के इस इलाके को जहां वह अपनी सब्जी उमा करके मान्यवर, ककड़ी और तरबूजा पैदा करके जो अपने परिवार की रोजी-रोटी चलाना चाहते हैं और जो बाढ़ से पहले ही तबाह हैं उस बाढ़ के स्थाई हल के लिये जहां कोई योजना सरकार लेकर के नहीं आई है, पूरा बजट भाषण आ गया मान्यवर, सरकार का, और राज्यपाल का अभिभाषण आ गया और सरकार का पूरा नौ महीने का कार्यकाल देख लिया जहां बाढ़ से बचाने के लिये कुछ भी नहीं है। श्रीमन् वहां फिर बाढ़ की बिभीषिका में बाढ़ से प्रभावित पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को बरबाद होने के लिये डाल दिया गया। श्रीमन् किसी भी हालत में यह गंगा एक्सप्रेस हाईवे किसानों और प्रदेश के हित में नहीं है यह नहीं बनाई जानी चाहिये। इससे महत्वपूर्ण, इससे अधिक लोकहित का सबसे अधिक अविलम्बनीय लोक महत्व का और कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप श्रीमन् पर्यावरण के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए घोटाले की बात को ध्यान में रखते हुए, सरकारी तौर पर इसके बारे में जो कृत्य किये जा रहे हैं पूरी फाइलों में अब पर्दाफाश हो चुका है, उसको देखते हुए तो इसे देखे ही लेकिन किसानों और विशेष तौर पर गंगा के किनारे बसने वाले छोटी जाति के निषाद, मल्लाह, बिन्द और अन्य छोटी जाति के लोगों की आजीविका को देखते हुए और बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए मान्यवर ....

श्री घूरा राम-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप व्यवस्था का प्रश्न करना चाहते हैं इसलिये मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप में स्पष्ट कर दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसलिये किसी भी हालत में, श्रीमन् अकेले गंगा तट नहीं होगा, जो छोटे नालों के किनारे का मामला है, माननीय विधायक जी उठे मुझे अच्छा लगा, मान्यवर, इनके रसड़ा इलाके में भी, और दूसरे ड्रेन्स इनके इलाके में जाती है वहां भी, वह लोग और भी ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित और तबाह होंगे श्रीमन् और किसी भी हालत में उनको बचाया नहीं जा सकेगा, इसलिये मैं अपने कार्य-स्थगन पर बल देते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

(विपक्ष के कई सदस्य खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

सिरोही जी आप बैठ जायें इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री घूरा राम-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार में और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में गंगा एक्सप्रेस वे जो बनाई जा रही है निश्चित रूप से वहां के किसान इतने खुश हैं कि मीटिंग करके वह कह रहे हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे बनना चाहिये, लेकिन आज विरोधी पक्ष, खासतौर से माननीय अम्बिका चौधरी साहब, इसलिये इसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार की छवि बन रही है। मान्यवर, इनकी छवि खराब हो रही है। इन्होंने कभी कोई विकास का काम तो वहां किया नहीं है। आज बलिया विकास चाहता है। बलिया के लोग गरीब हैं। मान्यवर, जब वहां 8 लेन की सड़क बनेंगी तो निश्चित रूप से विकास होगा। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(श्री अम्बिका चौधरी एवं समाजवादी पार्टी के कई अन्य सदस्य खड़े होकर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

इसमें अब संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आ जाने दें। आगे और भी एजेण्डा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रदेश के विकास के लिये यह एक महत्वाकांक्षी योजना है और मुझे खुशी होती यदि विपक्ष के साथीगण इस योजना को प्रदेश के विकास की एक महत्वपूर्ण योजना मानकर इसकी सराहना करते। लेकिन यहां पर तथ्यहीन बातों को रखकर प्रदेश की आम जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से और प्रदेश के विकास का कार्य अवरुद्ध हो, एक साजिश करने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, इस योजना से जहां बलिया से दिल्ली तक की दूरी है जिसमें दो से ढाई दिन तक पहुंचने में समय लगता है, इस एक्सप्रेस वे के बनने के उपरान्त 10 घण्टे में बलिया से दिल्ली पहुंचा जा सकता है। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, 1047 कि0मी0 की आठ लेन की एक्सप्रेस वे जिसमें सरकार का एक भी पैसा नहीं लगेगा और उसके बाद प्रदेश के विकास की दृष्टि से उसके विकास की कड़ी में यह योजना एक मील का पत्थर साबित होगी। (मेजों की थपथपाहट) इस योजना के लिये प्रदेश सरकार की सराहना होनी चाहिये। मान्यवर, भाजपा नेता ओम प्रकाश सिंह जी ने इसे अवैज्ञानिक करार देने की बात कही है। सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु तैयार की गई परियोजना 2025, जो सिंचाई विभाग द्वारा एक योजना तैयार की गई थी उसमें इनमें मान्यवर, 13862 कि0मी0 मार्जिनल तटबंधों का निर्माण प्रस्तावित किया गया था इसमें से गंगा नदी पर 1200 कि0मी0 में बाढ़ से सुरक्षा की आवश्यकता दर्शायी गई है। मान्यवर, इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से गंगा नदी पर तटबन्धों की आवश्यकता की पूर्ति होगी। मान्यवर, उसमें उपजाऊ खेती और कृषि योग्य जमीन कम प्रयुक्त होगी। मान्यवर, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा था कि इस एक्सप्रेस वे के निर्माण के साथ ही विकासकर्ता को जो इसके योज्य में कुछ और जमीन दी जा रही है वह सब मिलाकर 28 हजार हेक्टेयर जमीन इसमें जायेगी और उसके बाद मान्यवर, इस एक्सप्रेस वे के बनने से बाढ़ की विभीषिका जो रहती है उस पर अंकुश लगेगा। उसके बाद लगभग तीन लाख हेक्टेयर

कृषि योग्य भूमि जमीन पर अधिक फसलें लेकर प्रदेश के कृषि उत्पादन को भी बढ़ाने का काम किया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट)।

मान्यवर, अभी माननीय भाजपा सदस्य ने बुलन्दशहर और जेबर का उल्लेख किया। इसमें जो 12,300 हेक्टेयर जमीन चयनित विकासकर्ता को दी जा रही है उसमें से 8041 हेक्टेयर भूमि एटा जिले में है और ज्यादातर ऐसी जमीन है जो कम उपजाऊ जमीन है। मान्यवर, इसके बाद भी जहां तक माननीय चौधरी साहब ने इस बात का जिक्र किया ताज एक्सप्रेस वे का। ताज एक्सप्रेस वे एक सड़क की स्वीकृति हुई थी, शुरू हुआ था। हमारी सरकार जाने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई इन्होंने उस पर पहले रोक लगाया लेकिन दो साल बाद ढाई साल बाद उसको स्वीकृति भी दे दिया। चौधरी साहब अगर उसमें गलत था तो आपने किन शर्तों पर स्वीकृति देने का काम किया गया। चूंकि शुरू में उस पर प्रतिबन्ध होने के कारण उसके निर्माण की जो अपेक्षित गति थी वह पूरी नहीं हो पाई लेकिन आपने भी स्वीकृति देने का काम किया। यानि आपने इस बात को स्वीकार किया कि हमारी जो योजना थी वह प्रदेश के विकास के लिये एक अच्छी योजना शुरू करने का काम किया गया। इसी तरह से जो आज हम शुरू कर रहे हैं यह प्रदेश के विकास के लिये एक महत्वपूर्ण योजना है जहां तक भाजपा नेता ने इस बात को कहा कि यह अवैधानिक है मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग में बाढ़ परियोजनाओं का नियोजन, निर्माण तथा अनुरक्षण किया जाता है तथा इस विभाग में ऐसे कार्य हेतु प्रशिक्षित और अनुभवी अभियन्तागण कार्यरत हैं। सिंचाई विभाग द्वारा गंगा नदी के बायें तट पर नरौरा से वाराणसी तक के 627 कि0मी0 लम्बे मार्जिनल तटबन्ध निर्मित करने की परियोजना जून, 2007 में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक सी-8एमएस/कैम्प सी/एक/सामान्य/7377 दिनांक 26-6-2007 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि बोर्ड द्वारा उल्लिखित बिन्दुओं का ध्यान रखे जाने के साथ प्रस्ताव पर कार्यवाही कर बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है। यानि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी इस योजना के सम्बन्ध में उनके द्वारा सुझाये गये सभी तथ्यों को इसमें समावेश करने का काम किया गया है।

मान्यवर, दूसरी तरफ पर्यावरण और बाढ़ की सुरक्षा की दृष्टि से परियोजना द्वारा सम्बन्धित विभागों जैसे गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना के सुझाव व स्टेट लेबिल इनवायरेनमेंट इम्पेक्ट असिस्मेंट एथारिटी उत्तर प्रदेश से प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा चुका है तथा उसमें इंगित शर्तों का अनुपालन विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान वीडिंग डाकूमेंट में भी रखा गया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद् द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना हेतु मर्जिनल इम्बेक्टमेंट के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना में विर्निर्दिष्ट परियोजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है तथा जल प्रदूषण तथा निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 24 की उपधारा 2 के प्राविधान के इस प्रकार के प्रस्ताव लागू नहीं होते। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कतिपय बिन्दुओं को ध्यान में रखने का निर्देश देते हुए इस परियोजना पर कोई आपत्ति नहीं होना सूचित किया। इसके

साथ ही साथ बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया कि यह एक्सप्रेस हाइवे है। इसलिये भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय द्वारा इस पर उनके सुझाव प्राप्त कर लिये जायें। उस सुझावों को प्राप्त करने का कार्य किया गया। जिन-जिन भी अवसरों पर वैज्ञानिक आधार पर इसकी स्वीकृति होती है उन सभी विभागों से इसके उल्लेख, इसकी अनुमति के लिये पत्र भेजे गये और इस बात को मैं सुनिश्चित करना चाहूंगा कि जिस भी एथारिटी के द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता होगी उस एथारिटी की स्वीकृति प्राप्त करने का काम किया जायेगा, उसमें कहीं भी किसी भी तरह से कोई अवहेलना नहीं की जायेगी।

मान्यवर, इस परियोजना हेतु अधिग्रहीत भूमि पर एक्सप्रेस वे के किनारे प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले उत्प्रवाह का शुद्धिकरण और निस्तारण की व्यवस्था भी विकासकर्ता द्वारा विद्यमान नियमों के तहत सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि सड़कों पर जब मोटर-गाड़ियां चलेंगी तो उससे जो प्रदूषण होगा, उससे गंगाजल प्रभावित होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था की जा रही है कि किसी तरह से न तो गंगा का जल प्रदूषित हो और न पर्यावरण की दृष्टि से किसी तरह की अन्य समस्या उत्पन्न हो और उन सारी बातों को, जो परियोजना को देने का काम किया जा रहा है उसमें उन सारी बातों का शर्तों में समावेश किया जा रहा है और उन शर्तों को पूरा किया जाना है। परियोजना के पूर्व समस्त आवश्यक अनापत्तियां अनिवार्य रूप से विकासकर्ता द्वारा प्राप्त की जायेंगी उक्त अनापत्तियों की प्राप्ति के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने की शर्त रखी गई। अभी एक चर्चा इस बात की हुई कि अगर वह कार्य पूरा नहीं कर पायेंगे तो जमीन का क्या होगा ? इसके लिये इस बात की भी व्यवस्था की गई कि विकासकर्ता द्वारा परियोजना को सुचारु रूप से समय में पूर्ण करने हेतु परफारमेंस गारन्टी का भी प्राविधान किया गया और साथ ही साथ इस बात की भी व्यवस्था की गई कि यदि विशिष्ट परिस्थितियोंवश परियोजना का क्रियान्वयन बाधित होता है तो उस स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुरूप कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ जो विस्थापित होंगे, जिन लोगों की भूमि इस परियोजना हेतु अर्जित की जायेगी उन्हें भूमि के उचित मूल्य के अतिरिक्त अन्य ऐसी सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। ऐसे परिवारों को विकासकर्ता द्वारा अपनी साझीदार बनाने का प्राविधान करना होगा इस नीति के अन्तर्गत विस्थापित हर परिवार से कम से कम एक सदस्य को तकनीकी प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे उसे रोजगार उपलब्ध हो सके। जिन विस्थापित परिवारों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकेगा, उन परिवारों को 750 दिन का न्यूनतम कृषि मजदूरी के आधार पर भुगतान किया जायेगा। विस्थापित परिवारों को विस्थापित होने की तिथि से एक वर्ष तक माह में 25 दिन के आधार पर न्यूनतम कृषि मजदूरी का भुगतान भी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे परिवारों को रुपये 10 हजार का भुगतान पुनर्वासन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। परियोजना हेतु अधिग्रहीत भूमि के उचित मूल्य के

अतिरिक्त विकासकर्ता द्वारा विस्थापित परिवारों हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 250 वर्गमीटर एवं शहरी क्षेत्र में 150 वर्गमी0 आवासीय भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। विकसित किये जाने वाले लैण्ड पार्सल में 15 प्रतिशत भूमि आवास विस्थापित परिवारों हेतु आरक्षित किये जायेंगे एवं लाटरी सिस्टम द्वारा आवंटन किया जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपने जो कहा है कि आप सड़क में दे रहे हैं या 15 प्रतिशत लैण्ड पार्सल दे रहे हैं, क्या करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

विकसित किये जाने वाले लैण्ड पार्सल में 15 प्रतिशत भूमि आवास विस्थापित परिवारों हेतु आरक्षित किये जायेंगे और लाटरी सिस्टम द्वारा आवंटित किया जायेगा। मान्यवर, प्रदेश के इतिहास में विस्थापित परिवारों को या उन परिवारों को जिनकी कृषि योग्य भूमि इसमें ली जायेगी, इससे ज्यादा सुविधा कहीं भी नहीं दी गई है। यह इस सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसानों के हित को सर्वोपरि मानकर यह व्यवस्था की जायेगी। मान्यवर, अभी मा0 ओम प्रकाश जी ने एक सवाल यह भी किया कि इतने नजदीक जो बनाने की बात की गई है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूंगा कि एक्सप्रेस-वे परियोजना मात्र मार्ग की परियोजना नहीं है वरन् इसके तटबन्ध को बाढ़ नियंत्रण हेतु उपयोग किया जाना प्रस्तावित है चूंकि एक्सप्रेस-वे तटबन्ध का बाढ़ नियंत्रण हेतु उपयोग प्रस्तावित है अतएव एक्सप्रेस-वे से गंगा नदी की दूरी का निर्धारण गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के दिशा-निर्देश एवं भारतीय मानक संस्थान (बी0आई0एस0) की विशिष्टियों के अनुसार किया गया है। विशिष्टियों के अनुसार तटबन्ध की नदी की धारा के मध्य से 1.5 फिट की दूरी पर अथवा किनारे से 1 फिट की दूरी पर, दोनों में से जो अधिक हो, के अनुरूप प्राविधान किया गया है। मान्यवर, इस तरह से वैज्ञानिकों के सुझाव, अभियन्ताओं के सुझाव, बाढ़ नियंत्रण से सम्बन्धित आयोग का सुझाव, पर्यावरण के सम्बन्ध में प्रदूषण बोर्ड का सुझाव परिवहन निदेशालय, भारत सरकार के परिवहन विभाग का सुझाव, इस प्रकार से सभी सुझावों को संकलित करके इसमें समावेश करने का काम किया गया है। इस तरह से यह परियोजना पूरी तरह से प्रदेश के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जहां तक विकासकर्ता के चयन का सवाल आता है तो इस सम्बन्ध में सुपरिभाषित प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्ण पारदर्शिता अपनाते हुए विकासकर्ता का चयन किया गया है। इस हेतु दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 को परियोजना के विकास हेतु परामर्शी का चयन किया गया है। किसी भी तरह से पारदर्शिता के लिये सभी व्यक्तियों को अवसर दिया गया है। चार अलग-अलग क्षेत्र थे, उन चारों क्षेत्रों को संकलित करके जिसकी सबसे कम निविदा थी, प्रदेश के हित में थी, उसका चयन किया गया है और किसी भी तरह से किसी प्रकार की शंका करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के विकास के लिये यह महत्वपूर्ण परियोजना है और बलिया के लोगों को तो इसकी वकालत करनी चाहिये, उनको इसके लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहिये कि बलिया को देश की राजधानी से जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण योजना लेकर यह सरकार आई

है। इस योजना के बनने में प्रदेश के किसानों का विकास होगा, मजदूरों का विकास होगा, उन्हें रोजगार मिलेगा उसके किनारे के लोगों को रोजगार मिलेगा, जो कृषि मंडियों तक ले जाने वाली वस्तुएं हैं उनको मंडी तक पहुंचाने में कम समय लगेगा। इस तरह से किसान का इसमें फायदा है, मजदूरों का इसमें फायदा है और उत्तर प्रदेश के चहुंमुखी विकास की एक मील का पत्थर यह योजना है। इससे निश्चित तौर पर प्रदेश का विकास होगा और जहां तक नियम-56 का सवाल है तो यह नियम-56 की विषयवस्तु नहीं है। इसको बजट में भी तथा महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी रखा गया था। बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान इस पर चर्चा करने का पूरा अवसर मिलेगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे नियम-56 के लिये अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने पारदर्शिता की बात की है तो सरकार सारे दस्तावेज सदन के सामने रखे, जिसका सदन को अधिकार है। क्योंकि इसमें बहुत सी स्वीकृतियां अभी लेनी हैं और इन्होंने सारे विभागीय नाम गिना दिये और वह जिम्मेदारी निभा रहा है फर्म, निर्माण एजेंसी और निर्माण एजेंसियां किस प्रकार से सहमति प्राप्त करती हैं, यह किसी से छिपा नहीं है इसलिये इसमें घोटाला है, बिना सारे परमीशन पूर्ण किये हुए स्वीकृति दे दी गयी और सब कुछ वहीं बनायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, घोटालेबाजों को हमेशा घोटाला ही नजर आता है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सारी भविष्य की योजनाएं हैं, आप अगर पारदर्शिता चाहते हैं, विश्वास में लेना चाहते हैं तो सभी डाक्यूमेंट, जितने भी करस्पांडेंट हुए हैं, सदन के सामने रखें।

श्री अम्बिका चौधरी-

अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उल्लेख किया जो एक्वीजीशन लैण्ड पार्सल है, उसमें जिन लोगों की जमीनें ली जायेंगी उनको 15 प्रतिशत पुनर्वास के लिये दिया जायेगा। अगर 15 प्रतिशत दे देंगे तो कदाचित यह गलती से आ गया है इसलिये मान्यवर, जो लैण्ड एक्यावर कर रहे हैं उसमें 15 प्रतिशत रिहैबिलिटेशन के लिये उस लैण्ड का प्राविधान होगा, ऐसा प्राविधान कदाचित नहीं है, एक तो यह गलती हुई है, मा0 मंत्री जी इसको देख लेंगे। दूसरा यह है कि जो मेरी आशंका थी और जिसको मैंने प्वाइंट-आउट किया था कि लैण्ड एक्वीजीशन का एक अनिवार्य प्राविधान है कि जिस हेतु भूमि का अधिग्रहण होगा उसके अतिरिक्त उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता और न होने पर उसको जमीन वापस हो जायेगी। मा0 मंत्री जी ने कहा कि हाईकोर्ट का एक रिटायर्ड जज रख लेंगे और उससे परामर्श करेंगे, परामर्श की जरूरत नहीं है। लैण्ड एक्वीजीशन का एक स्टैब्लिश प्राविजन है, सारे हिन्दुस्तान में लागू है जिस उद्देश्य से लैण्ड

एक्वीजीशन करना तो उसके अतिरिक्त इस्तेमाल होगा तो मान्यवर, किसी की जमीन कभी भी किसी कालखण्ड में दूसरे उद्देश्य के लिये एक्वायर की जायेगी और दूसरे उद्देश्य के लिये इस्तेमाल की जायेगी। मान्यवर, यह नहीं होना चाहिए। मिल्कियत बदलने का अधिकार सामान्य तौर पर सरकार को नहीं है इसलिए कि एक की जमीन ले करके दलाली करके दूसरे उद्देश्य के लिये दे दीजिए और श्रीमन्, तीसरी बात जो मैंने कही थी कि किनारे जो सब्जी पैदा करने वाले लोग हैं, खासतौर से एक समुदाय के लोग हैं उनको तबाह करने का काम किया है। ये तीन प्रश्न हमने रखे थे इन तीनों का उत्तर आपने नहीं दिया है। मैं मंत्री जी से पुनः पूछना चाहता हूं कि पुनर्वास के लिये जो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति है और मुझे कहते हुए संकोच भी है कि जब मैं स्वयं राजस्व मंत्री था जो पुनर्वास ड्राफ्ट हमने तैयार किया उसी को पूरे देश ने एडाप्ट किया। उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले किया और उसी को देश ने एडाप्ट किया। उसको शब्दशः जो आपने पढ़ दिया है, आवास के मामले में यह लागू है, सड़क के मामले में इसे लागू न करें। पुनः आपसे आग्रह है कि उन लोगों को उजाड़ने पर बसायेंगे, यह छोड़िये, उजाड़ने का काम बंद करिये। इसी के साथ इस कार्य-स्थगन पर मैं चर्चा कराये जाने पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री ओम प्रकाश सिंह जी, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, मा0 अम्बिका चौधरी जी और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, सरकार गोपनीयता बरत रही है, सारे दस्तावेज सदन के पटल पर नहीं रख रही है इसलिये इसके विरोध में, मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह अपने दल भा0ज0पा0 के सदस्यों के साथ नारे लगाते हुए सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-311 के अन्तर्गत सूचना दी थी, उसको आपने नियम-56 में परिवर्तित कर दिया। यह महत्वपूर्ण सूचना है, जब से यह सरकार बनी है, बदले की भावना से निरन्तर मुकदमें दर्ज किये जा रहे हैं। माननीया मुख्य मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि साढ़े नौ हजार मुकदमें प्रदेश में दर्ज हुए, जब से यह सरकार आयी है, हम लोगों का कहना था कि 14 हजार मुकदमें दर्ज हुए और अधिकांश मुकदमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए। हमारे दल के ऐसे 40 विधायक होंगे, हमने उसमें कुछ नामों का उल्लेख किया है जिनके ऊपर मुकदमें दायर किये गये, सैय्यदा शादाब फातिमा के ऊपर 7 क्रिमिनल एक्ट, श्री अम्बिका चौधरी पर डकैती, आजम खां पर 52 मुकदमें, डा0 वकार अहमद शाह पर बहुत सी दफायें लगा दी गयीं, श्री उदयराज आदि पर मुकदमें दर्ज हैं। खाली एम0एल0ए0 पर ही मुकदमें नहीं दायर किये गये,

एम0पी0 पर भी दायर करके उनको अपमानित किया जा रहा है। बदले की भावना से अपमानित किया जा रहा है। 8 तारीख को पिछले महीने छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मा0 शिवपाल सिंह जी अखिलेश भाई वहां पहुंच गये और उसका विरोध किया तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। अगर सत्ता में बैठे हैं। तो संसदीय कार्य मंत्री जी जिन्दगी भर एक पार्टी की सत्ता नहीं रहती है सत्ता में परिवर्तन होता रहता है। हमारे लोग सत्ता में जब थे तो यह काम नहीं किया गया बदले की भावना से कार्यवाही उस समय नहीं की गयी। बदले की भावना से मुदकमें दर्ज कराकर लोगों को पुलिस के हाथों अपमानित करने का काम नहीं किया गया। प्रजातंत्र में इसका विरोध होगा और यह विरोध कभी भी ज्वालामुखी बन सकता है। इसलिये ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कानून के समक्ष सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। मैं यह नहीं कहता कि विधायकों के लिये अलग से कानून बने लेकिन ऐसी नीति जरूर बननी चाहिए जिससे बदले की भावना से कार्यवाही न हो सके। हमें प्रजातंत्र में अपनी बात कहने के लिये पूर्णतया स्वतंत्रता है जब हम विपक्ष में होते हैं तो जो गलत बात होती है उसका हम विरोध करते हैं यह हमारा अधिकार है सरकार चाहे स्वीकार करे या न करे लेकिन हम सुझाव देते हैं, विरोध करते हैं लेकिन उसको विरोध मानकर प्रताड़ित करने की बदले की भावना से कार्यवाही होगी यह हम किसी भी दशा में उचित नहीं समझते हैं। इस बारे में कोई नीति तय होनी चाहिए अगर नीति तय नहीं होगी तो जो तमिलनाडु में हो रहा है वहीं यहां होगा इस पर हम लागों की चिन्ता है। हम नहीं चाहते कि जो प्रदेश पूरे देश को रास्ता दिखाये वह तमिलनाडु के पैटर्न पर चला जाय। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है, मतभेद होता है लेकिन व्यक्तिगत विरोध नहीं होता है। मुझे एक जमाना याद है जब हम सभी लोग एक साथ बैठते थे सदन में विरोध करते थे और बाद में बैठकर आपस में विचार-विमर्श करते थे वह प्रक्रिया खत्म हो गयी है। स्थिति यह हो गयी है कि सत्तारूढ़ दल के किसी मंत्री के यहां विपक्ष का कोई विधायक चला जाय तो मंत्री कहता है कि आप हमारे यहां मत आइएगा हमारी नौकरी खतरे में पड़ जायेगी। यह स्थिति पैदा हो गयी है। पी0डब्लू0डी0 विभाग ने एक आदेश दिया है कि सिर्फ सत्तारूढ़ दल के विधायकों को 10-10 कि0मी0 सड़क दी जायेगी, विपक्ष के विधायकों को नहीं दी जायेगी।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अग्रवाल साहब बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं इनको विषय की ग्राह्यता पर बोलना चाहिए [× × ×] बात सदन में नहीं रखनी चाहिए। अगर इनके पास कोई आदेश है या किसी तरह का प्रमाण है तो यह बतायें। यह ग्राह्यता पर बोल रहे थे इसमें पी0डब्लू0डी0 विभाग बीच में कहां से आ गया। हमने इनकी पार्टी के सदस्यों के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया है, बी0जे0पी0 के लोगों के प्रस्ताव भी स्वीकार किये जो वित्तीय संसाधन हैं, उसके

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अनुसार विकास कार्य कराये जायेंगे। अनर्गल बातें कहने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपके माध्यम से श्री अग्रवाल जी से कहना चाहता हूं कि वह अपनी ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री अध्यक्ष-

अभी इसके बाद बजट पर भाषण भी अग्रवाल साहब का होना है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

ऐसी नीति बनाई जाय जिससे फर्जी मुकदमें विधायकों के ऊपर न लगाए जाएं व बदले की भावना से कार्यवाही न हो। इसके विरोध में प्रदेश में धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं असामान्य स्थिति पैदा हो रही है इससे कानून व्यवस्था का प्रश्न पैदा हो रहा है। यह चीजें न हों इसलिये मैंने यह कार्य-स्थगन का प्रश्न उठाया है। यह अविलम्बनीय है और लोक महत्व का भी है इसलिये कृपा करके इसे स्वीकार कर लें।

(श्री उदयराज यादव व श्री राम विशुन आजाद के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जैसा कि राम सागर अकेला जी ने कहा कि राम विशुन आजाद जी बाहर बोलने की स्थिति में नहीं है इसलिये इनको सदन में ही विशेष अवसर दे दें।

*श्री राम विशुन आजाद-

इसके लिये मैं संसदीय कार्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

श्री उदय राज-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने आज उत्तर प्रदेश के अन्दर समाजवादी पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं तथा अन्य नेताओं का जो इस सरकार के द्वारा उत्पीड़न का सिलसिला शुरू किया गया है उसके तहत नोटिस देने का काम किया है। मान्यवर, जब से उत्तर प्रदेश के अन्दर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है निश्चित रूप से अपराधों को रोक पाना इनके बस में नहीं है। लेकिन किस तरीके से जिन लोगों को इस प्रदेश की जनता ने चुनकर अपनी समस्याएं उठाने के लिये यहां भेजा है उनके ऊपर फर्जी मुकदमें दर्ज कराकर उनको अपमानित करने का काम किया जा सकता है, यह कार्यवाही करने का काम शुरू किया गया है। आज हमारे दल के उप नेता माननीय आजम खां के ऊपर 9 महीने के अन्दर 52 फर्जी मुकदमें कायम करने का काम किया गया है। मान्यवर, माननीय अम्बिका चौधरी जो इस प्रदेश में पूर्व सरकार में मंत्री भी रहे हैं, हम लोगों के नेता हैं, उनके ऊपर किसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के 1-2 महीने के बाद डकैती का फर्जी मुकदमा कायम करने का काम किया गया। उन्नाव के हमारे माननीय सदस्य श्री दीपक कुमार जी सरकारी नाप कराने के बाद लेखपाल, तहसीलदार, कानूनगो से नाप कराये उसके बाद उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम करने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का काम इस सरकार में किया गया है। इतना ही नहीं मैंने एक पत्र लिखा था जिलाधिकारी उन्नाव को जिस समय समाजवादी पार्टी की प्रदेश में हुकूमत थी। एक व्यक्ति ने गलत तरीके से वहां पर एक प्राइमरी विद्यालय के अन्दर जबरदस्ती एक कमरे में कब्जा करके वहां पर स्कूल चलाने का काम किया था। मेरी शिकायत पर डी0एम0 के आदेश के बाद उप जिलाधिकारी ने पुलिस फोर्स के बल पर उसके कब्जे से उसको मुक्त कराने का काम किया था। मान्यवर, जब प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो सरकार ने एक निर्देश दिया कि जितने भी लोगों के मुकदमें समाजवादी पार्टी के समय में नहीं लिखे गये उन्हें एक विशेष सेल बनाकर लिखा जायेगा।

मान्यवर, मेरे विरुद्ध भी इसी व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन देकर कि मैंने उनका उत्पीड़न और उनके विद्यालय भवन को गिराने का काम किया। मैंने जब इसके खिलाफ में तमाम तथ्य दिये तब भी कप्तान ने आदेश कर दिया कि मुकदमा रजिस्टर्ड करके कार्यवाही की जाय। मान्यवर, जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने वह कागज जिलाधिकारी के आदेश दिया था और उप जिलाधिकारी ने जिसके क्रम में वह विद्यालय का कमरा गिराया था वह दिखाया तो मुकदमा नहीं लिखा। मान्यवर, मुकदमा न लिखने पर उसको हटा दिया गया। मान्यवर, किस तरह से यह सरकार समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ व्यवहार कर रही है। मान्यवर, 8 तारीख को जब लखनऊ शहर के अन्दर के0के0सी0 छात्र नेताओं का एक मामला था। छात्र नेताओं ने शिक्षा मंत्री से बात करने की इच्छा जाहिर की थी उन लोगों के ऊपर किस तरह से लाठी चलाई गई और गम्भीर रूप से घायल लड़कों को बलरामपुर अस्पताल में भर्ती किया गया। हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव, सांसद अखिलेश यादव जब एस0एस0पी0 से मिलने गये तो वहां पर किस तरीके से बर्ताव किया गया। मैं भी वहां पर मौजूद था। रात में दो बजे ले जाकर पुलिस लाइन से छोड़ने का काम किया गया। मान्यवर, मैं बहुत कुछ न कहते हुए अभी हाल में दो दिन पहले रायबरेली जनपद में तिलाई से सदस्य मयंकेश्वर शरण सिंह के ऊपर जान से मारने का मुकदमा लिखाने का काम किया गया है। मान्यवर, मैं बहुत कुछ न कहते हुए इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया जा रहा है। उनको फर्जी मुकदमों में फंसाने का जो काम किया जा रहा है उसको रुकवाने का काम किया जाय। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब प्रदेश में यह सरकार बनी थी इस सरकार ने कहा था कि हम प्रदेश की जनता के साथ निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब से प्रदेश में यह सरकार बनी है इसने समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो अपने क्षेत्र में रहकर जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके ऊपर जानबूझकर फर्जी मुकदमें कायम करने का काम किया जा रहा है। केवल कार्यकर्ताओं ही नहीं, विधायकों, सांसदों, प्रमुखों और यहां तक कि ग्राम पंचायत के प्रधानों के खिलाफ भी जानबूझकर फर्जी मुकदमें कायम कराये गये।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की तरफ से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक ग्राम पंचायत है मान्यवर, हन्ना टायर जहां पर दलितों को, अनुसूचित जातियों के लोगों को जो पट्टे की भूमि समाजवादी पार्टी ने उपलब्ध करायी थी। मान्यवर, जब यह सरकार बनी तो इस सरकार ने एक आदेश पारित किया कि दलितों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, जिनको पट्टा मिला है उनको तत्काल कब्जा दिला दिया जाये। क्योंकि वह ग्राम पंचायत हन्ना टायर अम्बेडकर ग्राम था इसके तहत पट्टा कब्जा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई। लेकिन उस पट्टे की भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था जो ब0स0पा0 पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं वह उस जमीन पर कब्जा किये हुए हैं। आज तक दलितों को कब्जा नहीं मिला। दलितों ने मान्यवर, तहसील दिवस के दिन अपना दरख्वास्त दिया कि हमें कब्जा नहीं मिला। इसके बाद पंचम तल पर वह आये और शैलेश कृष्ण के माध्यम से अपनी दरख्वास्त दी। इसके बाद में ए0डी0एम0, तहसीलदार को पंचम तल पर तलब किया गया और यह पूछा गया कि अनुसूचित जाति के लोगों को आज तक पट्टा क्यों नहीं दिलाया गया। मान्यवर, यहां पर [x x x] आश्वासन दिया गया कि मैंने दलितों को पट्टा दे दिया है। यही नहीं मैंने ए0डी0एम0 को जाकर बताया कि आज तक दलितों को कब्जा नहीं दिया गया है। दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दलितों पर फर्जी तरीके से मुकदमें दर्ज कराये गये हैं जो समाजवादी पार्टी के थे। मान्यवर, यह सरकार जिस तरह से बदले की भावना से कार्य कर रही है आने वाली कल्याणकारी सरकार जिस तरह काम नहीं करती है। मान्यवर, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को कहा था कि जो 11 हजार 12 हजार मुकदमें दर्ज किये गये हैं, उन्होंने यह भी कहा था कि उसमें दो हजार मुकदमें जांच के दौरान फर्जी पाये गये। लेकिन मान्यवर, जो मुकदमें फर्जी पाये गये हैं, जिन लोगों ने फर्जी मुकदमें दर्ज किये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई। मैं चाहूंगा कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये। फर्जी मुकदमें जो दर्ज कराये गये हैं उनको वापस लिया जाए और उत्पीड़न सरकार बन्द करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप चौधरी जी क्या कहना चाहते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो नियम-56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन के माध्यम से श्रीमन् समाजवादी पार्टी के सांसदों, विधायकों, अन्य नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ फर्जी मुकदमें दर्ज किये जाने का और उनके उत्पीड़न का मामला माननीय नरेश चन्द्र जी ने, उदय राज जी ने एवं राम विशुन आजाद जी ने उठाया है मुझे बात सिर्फ एक कहनी है यद्यपि आपका एजेण्डा नम्बर एक पर यह है, आपकी सरकार बनी तो सबसे पहले यही काम शुरू किया न

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विकास का काम किया न और कोई काम, यही एजेण्डा नम्बर एक है। लेकिन इसमें एक काम अगर थोड़ी भी हया हो तो इस लोकतंत्र में, लोकशाही को मजबूत करने की और इसको आगे चलाने की तो आप एक काम करें मुकदमें तो आपने दर्ज करा दिये आगे उत्पीड़न नहीं करायेंगे यह बता दें तो काम चल जाएगा लेकिन जो मुकदमें दर्ज करा दिये उन मुकदमों में कम से कम जो अनिवार्यता है कानूनी उसका तो पालन कर लीजिये। आज आप मंत्री हैं आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया तो निश्चित रूप से आपके आस-पास एक कार्डन है एक घेरा है उसमें सुरक्षा कर्मी हैं सरकारी लोग हैं उसमें अगर आपके ऊपर कोई हत्या, बलवा, डकैती, बलात्कार, चोरी का मुकदमा दर्ज होता है तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि उन लोगों से कम से कम जो अगल-बगल रहते हैं जिनके अभिरक्षा में उनका रहना साबित है, सुन लें जरूरी बात है आप इतना भी सुनिश्चित नहीं करेंगे तो यह बात समझ में आयेगी जो न्यायिक प्रक्रिया है फर्जी तो दर्ज कराया ही, आगे की प्रक्रिया भी आप फालो करने वाले नहीं हैं। मेरा कहना है कि अगर आप मुकदमों की तफ्तीश कर रहे हों तो अनिवार्य रूप से जो निश्चित बाध्यता है कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं यहां कोई घटना होगी तो यहां के लोग सबसे पहले देखेंगे तो इन लोगों से न पूछकर हजरतगंज वालों से पूछा जायेगा कि विधान सभा में क्या घटित हुआ तो यह आपकी नीयत का पता चलता है तो इसको देखें जितने फर्जी मुकदमें दर्ज कराये गये हैं वह वापस हों। और श्रीमन्, उत्पीड़न की कार्यवाही बन्द कर दीजिये प्रदेश की जनता ने बलिया में आइना दिखा दिया है, आगे के लिये सावधान रहें और सही रास्ते पर चलें। मान्यवर, इस अविलम्बनीय महत्व के विषय पर चर्चा स्वीकार करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि बदले की भावना से केवल समाजवादी पार्टी काम करती है, बहुजन समाजपार्टी की सरकार ऐसा नहीं करती मान्यवर, हमारी नेता, बहन कुमारी मायावती जी ने अपने उत्तर भाषण में भी यह बताने का काम किया है कि यह सरकार बदले की भावना से कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि प्रदेश की आम जनता को न्याय देने के लिये सबके साथ एक समान व्यवहार करने का काम कर रही है और यह भी बताया कि 2 हजार जो फर्जी मुकदमें पाये गये थे, उन पर भी कानूनी कार्यवाही की जा रही है। इससे साबित होता है कि यह सरकार बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मान्यवर, हमारी प्राथमिकता है, प्रदेश में कानून-व्यवस्था कायम करना, यह सरकार की प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता के तहत हमने कोई भेदभाव नहीं किया कि वह व्यक्ति कौन है, कैसा है, अगर वह बहुजन समाज पार्टी का सांसद भी है, जिला अध्यक्ष भी है, विधायक भी है, मंत्री भी है तो भी उसके खिलाफ कार्यवाही की गई है, अगर वह व्यक्ति अपराध करने वाला है। मान्यवर, अपराध करने वाला व्यक्ति किसी भी पार्टी का कितना बड़ा क्या न हो, प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिये उस पर कार्यवाही की जायेगी, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने जिलाधिकारियों की बैठक की थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये थे कि जनप्रतिनिधियों का बिना

राजनीतिक भेदभाव के समान सम्मान किया जाना चाहिये, इससे बड़ा सबूत क्या है ? हां, यह बात जरूर है कि 9 महीनें पहल जो सरकार में रहा करते थे, वह बदले की भावना से काम करते थे कि हमारे पास नहीं आ रहा है इसलिये उस पर सैकड़ों मुकदमें कायम करने का काम करते थे, बलात्कार जैसी धारायें लगाने का भी काम किया करते थे। जो लोग अपराधियों को केवल संरक्षण देने का काम करते थे, उन अपराधियों के खिलाफ जब कार्यवाही होती है तो इन्हें बदले की भावना नजर आती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार द्वारा बदले की भावना से नहीं बल्कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने और कानून का राज स्थापित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है, कहीं भी बदले की भावना से कार्यवाही नहीं की जा रही है, इसलिये मान्यवर, मैं चाहूंगा कि यह जो सूचना है, यह नियम-56 में नहीं आती है इसलिये इसे आप अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, जो मुद्दा उठाया, उस पर तो संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ बोले नहीं, मान्यवर, कि जो इधर रहे, वह अपराधी और जो उधर रहे वह साधु ? बलिया चुनाव में एक मंत्री ने बयान दिया कि अब वह अपराधी नहीं रह गये हैं क्योंकि हमारे दल में शामिल हो गये हैं। या तो कोई ऐसी कार्य-प्रणाली बन गई हो या कोई ऐसी चीज बन गई हो, मान्यवर, उधर के एक मंत्री अभी नामजद किये गये नोयडा में, फैजाबाद में, कोई कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन इधर अगर कोई नामजद हो जायेगा तुरन्त कार्यवाही, रात में ही पुलिस, सारा एक्शन, ऐसा लगेगा कि जैसे उसके बिना कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने तो ऐसा नहीं किया था जैसा आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने बदले की भावना से कार्यवाही की, हमने बदले की भावना से क्या कार्यवाई की ? लेकिन जानबूझकर इस तरीके की बात करना, अपमानित कराना, यह सोचकर कि भयवश लोगों को बोलने नहीं देंगे, यह नहीं चलेगा। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि आप दलीय नेताओं को बुला लें, जितने मा0 नेताओं के ऊपर मुकदमें कायम हुए हैं, चाहे उधर के हों या इधर के हों, एक बार समीक्षा आप ही करे लें। कोई ऐसा एक नियम तो बन जाना चाहिये, नीति बन जानी चाहिये, मैं प्रजातंत्र में नौकरशाही को कभी किसी को अपमानित करने का अधिकार देने के पक्षधर नहीं हूं इसलिये मैंने यह बात उठाई है। अगर हमारी तरफ कोई अपराध करता है तो दण्ड दीजिये, मैं उसको मना नहीं करता हूं, लेकिन केवल बदले की भावना से सारे मुकदमें विपक्ष में, खासतौर से समाजवादी पार्टी के ऊपर, यह क्या है ?

मान्यवर, इसमें सीधा-सीधा पता चलता है कि एक दुर्भावना की भावना से यह जानबूझकर किया जा रहा है। यह बिल्कुल नियम 56 में आता है। इस पर चर्चा करायें। इसमें सभी दलों के विधायक प्रभावित हैं। इस पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री राम बिशुन आजाद जी को सुना, माननीय श्री अम्बिका चौधरी जी को सुना, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम 56 में नही आती हैं। अतः अग्राह्य की जाती है।

श्री उदय राज-

मान्यवर, तमाम अपराधियों के नाम आये हैं। कहा गया कि जो अपराधी होगा उस पर कार्यवाही की जायेगी। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जाति के लोगों पर कार्यवाही हो रही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह संकीर्णता इनमें है, हममें नहीं है। यह सरकार जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। सभी इन्सान को बराबर का दर्जा देने के लिये कार्य कर रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद जो-जो इनके कृत्य हैं मान्यवर, इन्होंने कहा कि सांसद को जेल भेज दिया। तो मान्यवर, वह दुर्भाग्य से बेचारा ऐसी जाति में पैदा हो गया था। आप तो दिनभर जाति की बात करते हो। पी0पी0ओ0 फलां जाति का था अम्बेडकर जी ने उसको जोड़ा था। अम्बेडकर जी ने इनको नहीं जोड़ा था। अम्बेडकर जी ने हम लोगों के लिए संविधान नहीं बनाया था। फलांनी जाति वाले के लिए अम्बेडकर जी ने संविधान बना दिया था। इसलिये विधायक को गाली देगा और उसको मारेगा। दिन भर जाति की बात करने वाले लोग, और जाति के ढर्रे से न हटकर सोचने वाले लोग मान्यवर, एक नई बात करने लगे। मान्यवर, कुछ जाति वालों को ढूंढ़ा गया है नमूना पेश करने के लिये। मान्यवर, इनकी भी जाति पूछ लीजियेगा। भगवान न करें कि किसी दिन इनके खिलाफ एक दर्खास्त पड़ जाये। बचे रहियेगा। मान्यवर, हम इस मुद्दे पर सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री अम्बिका चौधरी अपने दल समाजवादी पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बचने के लिये आपसे सार्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान्यवर, हया इनमें नहीं है। इनका कृत्य ही हमेशा अपराधों को बढ़ावा देने का रहा है। मान्यवर, सामान्य बजट पर चर्चा करने के लिये इनके पास विषयवस्तु है नहीं, इसलिये यह भाग रहे हैं कि कहीं हमें सामान्य बजट पर चर्चा न करनी पड़ जाये। इनके पास कहने के लिये कुछ है नहीं इसलिये यह भाग रहे हैं।

* श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी गंगा एक्सप्रेस-हाईवे पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मैं आपका ध्यान ताज एक्सप्रेस-हाईवे की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, वर्ष 2003 में जब इस योजना की घोषणा हुई और फिर समाजवादी पार्टी के सरकार ने उसे एंडोर्स किया अब उसका निर्माण कार्य कछुआ गति से शुरू हुआ है। मान्यवर, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़ और मथुरा और आगरा के किसानों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है। धारा 4, धारा 6 का प्रकाशन हो चुका है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और धारा 9 की घोषणा करके किसानों के यहां नोटिस जबरन चस्पा करके लगाये जा रहे हैं और उन्हें बाध्य किया जा रहा है कि सर्किल रेट पर वह भूमि का मुआवजा उठायें। मान्यवर, ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक की भूमि में बड़ी विषमतायें हैं। यदि ग्रेटर नोएडा में 8 लाख प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जा रहा है तो अलीगढ़, मथुरा और आगरा के किसानों को सर्किल रेट डेढ़ लाख रुपये या 5 लाख रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। मान्यवर, कहीं-कहीं तो पूरे परिवार की पूरी-पूरी जमीन जा रही है। और आज तो हालत यह हो गयी है कि बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है। किसान आज चिन्तित है और आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। मान्यवर, अकेले मथुरा जनपद की लगभग 2000 एकड़ जमीन ली जा रही है। जिसमें 550 एकड़ भूमि अनुसूचित जाति के लोगों की है। मान्यवर, किसान संघर्ष समिति लगभग डेढ़ महीने से अनशन पर है और कल से आमरण अनशन पर बैठने जा रही है। मान्यवर, ऐसी विसंगतियां क्यों ? एक तरफ तो गंगा एक्सप्रेस-हाईवे का पैकेज इतना बेहतरीन दिया जा रहा है और दूसरी तरफ जब बात की जा रही है कलेक्टर साहिबा से और तमाम भूमि अधिग्रहण करने वाले अफसरों से, तो वह कहते हैं कि सर्किल रेट पर ही हम उनका मुआवजा देंगे। इस तरह की विसंगति नहीं होनी चाहिये। जब एक तरह की ही दो परियोजनायें हैं उसमें गंगा एक्सप्रेस-वे में दूसरा मुआवजा और ताज एक्सप्रेस-वे में दूसरा मुआवजा तो उचित नहीं है। हम कांग्रेस के लोग विकास का विरोध नहीं करते हैं, हम विकास के साथ-साथ हैं लेकिन उन गरीब किसानों की, अनुसूचित जति के लोगों की, दलितों की भूमि को उचित मुआवजा न मिले तो यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई है। आप कृपया बैठ जायें। जब बजट आयेगा तो उसमें आप अपनी बात रख लीजियेगा।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, यदि उचित मुआवजा दिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें गंगा एक्सप्रेस-वे जैसा मुआवजा दिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, नोएडा या ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर मुआवजा दिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हरियाणा सरकार की तरह मुआवजा दिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मान्यवर, चारों जिलों के कलेक्टरों से इस बात को कहा जाय कि जो मैंने ऊपर कहा है उसी के अनुसार मुआवजा उन लोगों को दिलवाने का निर्देश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी बात आ गई है आप कृपया बैठ जायें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, इसलिये मैं चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कराई जाय और उन गरीब किसानों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, दलितों को साठ लाख प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या हरियाणा सरकार की तर्ज पर, नोएडा या ग्रेटर नोएडा की दर्ज पर मुआवजा दिलाया जाय और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई जाय जिससे वह किसान आत्महत्या करने पर मजबूर न

हों और जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं वह अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करें। आप उन चारों जिलाधिकारियों को इस हेतु संदर्भित करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आप इसे दिखवा लें और जो उचित दर है उसके हिसाब से मुआवजा दिलवाया जाय।

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है, मान्यवर।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, इनसे कह दें कि कमपेरिजन करते हुए दिलवायें।

* श्री राम किशुन-

मान्यवर, मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

पहले मैं श्री हुकुम सिंह जी को सुन रहा हूं। आप बैठ जायें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न यह पहला प्रकरण नहीं है, मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कुछ समय पूर्व एक प्रदर्शन हुआ, किसान यूनियन का प्रदर्शन हुआ और महेन्द्र सिंह टिकैत के खिलाफ मुकदमें दाखिल हुए, वारंट हुए उन्हें गिरफ्तार करके 35 दिन जेल में रखा। उन्हें सीधा-सीधा हमीरपुर जेल में बंद कर दिया। पेशी बागपत में होती थी और बंद वह हमीरपुर जेल में थे। लेकिन इतना उत्पीड़न होने के बाद उन्होंने कह दिया कि हम जमानत नहीं करायेंगे। जब धरना-प्रदर्शन हुआ तो सरकार ने मजबूर होकर मुकदमा वापस ले लिया। वह 35 दिन जेल में बंद रहे। अगर यह सरकार संवेदनशील होती तो यह न करती। मान्यवर, मुजफ्फरनगर की घटना है, एक जनप्रतिनिधि के विरुद्ध संगीन धारायें लगाई गई, सदन में मामला उठा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं ने सभी जनता ने उस उत्पीड़न का विरोध किया। मान्यवर, मैं स्वयं मौजूद था, कम से कम एक लाख की भीड़ वहां पर थी, जिन्होंने चुनौती दी थी इस बात की कि अगर राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न इसी प्रकार से होता रहेगा तो इसके निश्चितरूप से इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जो सरकार इतनी गर्जना कर रही थी कि मुकदमें वापस नहीं होंगे, जैसे ही जनाक्रोश देखा, मजबूरी हुई उस संगीन धारा तो वापस होगी, उससे भी संगीन क्या मान्यवर, और उसके बाद में क्या है कभी छः महीने पहले मान्यवर, एक प्रदर्शन हुआ था एक जाति विशेष के आरक्षण की मांग को लेकर के, प्रदर्शन तो होते ही, उस प्रदर्शन को आधार मान करके फिर उसमें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुकदमें कायम किये गये, उसमें चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत का नाम भी आया। कैबिनेट मंत्री थे राष्ट्रीय लोकदल के वीरेन्द्र सिंह उनके पुत्र का नाम भी आया। मान्यवर, महेन्द्र सिंह टिकैत इस जनपद के ही नहीं हैं केवल इस प्रदेश के ही नहीं हैं, एक राष्ट्रीय किसान नेता हैं, यह हमें गर्व है कि कम से कम एक सामान्य किसान के रूप में जन्म लेने के बाद उस व्यक्ति ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है। मान्यवर, पेरिस में किसानों की कांफ्रेंन्स होती है, बर्लिन में होती है, मैक्सिको में होती है, भारत वर्ष में कम से कम एक किसान पुत्र ऐसा महेन्द्र सिंह टिकैत है जिनको उन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। श्रीमन् उनके विरुद्ध मुकदमा कायम कर दिया गया और आज उनके खिलाफ वारण्ट हो गई। कल ही मान्यवर, कल ही जानकारी मुझको है, एक सर्वदलीय, सर्वसमाज महापंचायत हुई, महापंचायत ने निर्णय लिया कि अगर इसी प्रकार उत्पीड़न होता रहेगा तो सड़कों पर आ करके हम लोगों को अपने तरीके से निपटना पड़ेगा। तरीका मान्यवर, उनका होगा लेकिन परिणाम बड़े घातक होंगे उसके, मान्यवर, तीन दिन का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है कि तीन दिन के अन्दर अगर यह सरकार उत्पीड़न की कार्यवाही समाप्त नहीं करती, उन वारण्ट को वापस नहीं लेती, चार्ज शीट को वापस नहीं लेती तो तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल सकता है। मान्यवर, यह आशंका मेरे माध्यम से आपके सामने आ चुकी है।

श्रीमन् महेन्द्र सिंह टिकैत कोई इतनी मामूली हस्ती नहीं हैं कि आप दोबारा उसको जेल की हवा खिला करके बहुत बड़े हो जायेंगे। आपको जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिये, इन लोगों का भी, जिन्होंने राजनीतिक के माध्यम से नहीं केवल अपने संघर्ष के माध्यम से समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। उसका उत्पीड़न करके आपको कोई बहुत मेडल मिलने वाले नहीं हैं इसलिये मान्यवर, वहां कल ही महापंचायत हुई थी इसलिये मेरा विषय तात्कालिक है और उसके परिणाम बड़े विस्फोटक होने जा रहे हैं इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि सद्बुद्धि का परिचय दें जो उत्पीड़न की कार्यवाही आप करने जा रहे हैं या उन वारण्ट के माध्यम से, कथित वारण्ट के माध्यम से उनकी गिरफ्तारी का एक डर दिखा रहे हैं, उसको वापस लें ताकि स्थिति सामान्य हो सके और आगे के लिये भी सोचें कि कम से कम एक बार से तो सबक ले लें दो बार से सबक ले लें, हर बार आपको पीछे हटना पड़ता है। पहले वारण्ट किये फिर वापस लिये, कोर्ट में आपके वकील ने पेश होकर के अपनी चार्जशीट वापस ले ली। दोबारा पंकज मलिक के खिलाफ हुआ, फिर वापस लिये, तीसरी बात फिर वहीं। एक ही जिले में मान्यवर, यह सारी घटनायें हो रही हैं, हर बार इनको पीछे हटना पड़ रहा है हर बार मुंह की खानी पड़ रही है क्या संदेश जा रहा है मान्यवर, और उस मीटिंग में केवल भाजपा के, कांग्रेस के, सपा के कार्यकर्ता नहीं थे, हजारों की संख्या में बसपा के भी कार्यकर्ता थे, नेता भले ही न हों लेकिन कार्यकर्ता निश्चित रूप से वहां पर थे जिनकी एक स्वर से आवाज थी कि राजनीतिक लोगों का, सामाजिक लोगों का उत्पीड़न अगर बन्द नहीं होगा तो निश्चित रूप से हमें सरकार का विरोध करना पड़ेगा परिणाम चाहे कुछ भी हों। मान्यवर, आज भी स्थिति वही होती जा रही है, इसको सामान्य स्थिति न समझें। मैं अपने लम्बे अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, मैंने भी यह प्रदर्शन

बहुत फेस किये हैं, इनका मुकाबला करने का प्रयास हमने भी किया है और उनको डिफ्यूट करने का भी प्रयास किया है, मैं आज यह आग्रह कर देना चाहता हूं कि प्रतिष्ठा का सवाल मत बनायें, सोच समझ कर सारी स्थिति को समझें, उसका विश्लेषण करें और उसका समाधान करें, इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना को मैं पहले ही अग्राह्य कर चुका हूं। माननीय मंत्री जी, अगर कहीं उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है तो उसको दिखवा लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, दिखवा लिया जायेगा।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह मात्र इसलिये महत्वपूर्ण नहीं है कि एक 22 वर्षीय कुंवारी लड़की का अपहरण उसके कालेज के बाहर से हो गया। और मान्यवर, 5 फरवरी को अपहरण करने के बाद 15 दिनों के बाद भी लड़की का पता नहीं है। बल्कि यह सूचना इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि उसके पिता एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उस बाल श्रमिकों का शोषण करने वाले कालीन व्यवसायी के खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं। रचना राय के पिता वी0के0 राय एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने भदोही में एक दलित महिला संतोषी के बलात्कार की घटना के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। वे बाल श्रमिकों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उन्हें इसका सबक सिखाने के लिहाज से उनकी बेटी का अपहरण किया गया है। मान्यवर, वहां पर 7 तारीख से लगभग 50 लोग विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग धरना प्रदर्शन और अनशन पर बैठे हुए हैं। साथ ही बार एसोसियेशन और प्राथमिक शिक्षक संघ यह तमाम लोग भी उस आन्दोलन में उनके साथ हैं। महत्वपूर्ण बात मान्यवर, यह है कि आज उत्तर प्रदेश में इस सरकार को नेतृत्व एक महिला कर रही है उनका दावा है कि हमारी सरकार में एक जवान स्त्री भी अंधेरी राज को निर्भय होकर बाहर टहल सकती है। मान्यवर, आप देखें 15 दिन पहले एक लड़की का अपहरण हुआ है और वहां यह सरकार और वहां के पुलिस अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। तमाम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। महत्वपूर्ण पक्ष तो यह भी है कि प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पाण्डेय भी उनके इस आन्दोलन में शरीक होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वहां की पुलिस के कानों में जूं नहीं रेंगती।

मान्यवर, एक लड़की के अपहरण का सवाल नहीं है सवाल इस बात का है कि अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता दलितों के अधिकारों की बात उठाये, बाल श्रमिकों की बात उठाये, उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाये, उसको सबक सिखाने के लिहाज से इस प्रकार की घटनायें होती रहेंगी ? मान्यवर, अगर पुलिस इस पर खामोश रहेगी तो जनता के बीच में आक्रोश उत्पन्न हो

सकता है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हो सकती है। मान्यवर, एक लड़की के भविष्य का सवाल है उसके साथ बलात्कार हो सकता है इसकी हत्या हो सकती है। जबकि उत्तर प्रदेश की जनता में इस पर कड़ी कार्यवाही करके यह संदेश भेजा जाना चाहिये कि यह सरकार कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये कटिबद्ध है। मान्यवर, मैं इस पर तुरन्त कड़ी कार्यवाही किये जाने की मांग सरकार से करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप देखें कि मेगेसे पुरस्कार विजेता संदीप पाण्डेय और दूसरे अन्य सामजिक संगठन और फ्रन्टल आरगनाईजेशन इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आरोप यह है आप इसे दिखवा लेंगे, कि आरोपी व्यक्ति की सरकार तक ऊंची पहुंच है। मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई बात होगी जो उसे बचा रही है। लेकिन मंत्री जी को और इस प्रकार को अपने आचरण से यह सिद्ध करना चाहिये कि उसको संरक्षित करने का काम यह सरकार नहीं कर रही है। इसमें उनके खिलाफ गंभीर कार्यवाही होनी चाहिये। आपकी पीठ से इस बारे में सरकार को निर्देश चला जाये तो मान्यवर, उपयुक्त होगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह एक गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, इसको जरा आप दिखवा लें और कार्यवाही करा दें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने एक बात कही कि उसको संरक्षण दिया जा रहा है। जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार उस लड़की के पिता ने रिपोर्ट में किसी को नामजद नहीं किया है। जिसे शंका के आधार पर पकड़ा गया उससे पूछताछ की गई जिससे यह जाहिर नहीं हुआ है कि यह इसमें लिप्त हैं। इसमें कार्यवाही का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, जो आपके निर्देश हैं सरकार उसका पालन करेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस पर श्री अनूप संडा, अम्बिका चौधरी जी और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को सुना, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री राम किशुन-

माननीय अध्यक्ष जी, मुगलसराय में काली जी का मन्दिर है उसकी मूर्ति रात में चोरी हो गई हजारों लोग सड़कों पर बैठे हैं। आस्था और सम्मान श्रद्धा का प्रतीक मंदिर है। बहुत पुराना मन्दिर है। अभी भी जीटी रोड जाम है वहां लोग बैठे हैं। इधर लगातार मुगलसराय में कम से कम दो दर्जन से ज्यादा चोरियां हुई हैं। लगातार एक माह में और इस पर जिला प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। दिन प्रतिदिन चोरियां हो रही है, बिजली नहीं है,

उसके चलते भी होती है। जीटी रोड पर यह मन्दिर है शेरशाह सूरी के जमाने से यह मन्दिर है। सड़क घूम गई है वही पिकेट की ड्यूटी लगती है पुलिस की, शटर का दरवाजा तोड़ करके मूर्ति की उसकी बहुमूल्य कीमत की चीजें चली गई है। मैं चाहता हूं कि यह गम्भीर मामला है लोगों की आस्था से जुड़ा है उनके सम्मान से जुड़ा है। वहां कभी न कभी कोई ऐसा तनाव पैदा कराने का काम हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपका संरक्षण चाहते हुए चाहता हूं कि इस पर तत्काल अभी कार्यवाही करने का निर्देश दें और मूर्ति को बरामद करावें और सम्मानजनक तरीके से उसको पूजापाठ के बाद उसको स्थापित कराया जाये।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, मैं निर्देश दे रहा हूं इसको दिखवा लें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, आपने जो निर्देश दिया है वह शिरोधार्य है लेकिन एक सूचना देना चाहता हूं सदन को, सदस्य को, कि वह मूर्ति बरामद कर ली गई है। शेष कार्यवाही चल रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

सूचना के लिये धन्यवाद आपको, जो दोषी है उन पर कार्यवाही कराइये।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

चौधरी साहब मैं आपको उत्तेजित नहीं कर रहा हूं मैं सीधा-सीधा जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, सीधे कहिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, 17 फरवरी, 2008 रविवार रात्रि में लगभग 8 बजे प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इन्दिरा नगर में सरोजनी नगर स्थित एक महिला को एक बोलेरो सवार लोग आये, रायफल की नोक पर उसको अगवा किया उसे ले गये और मान्यवर.....

(श्री दद्दू प्रसाद द्वारा टोका टाकी करने पर)

है ये बांदा के लेकिन आप इतना चिंतित होंगे यह मुझको मालूम नहीं था। हमने इसको राजनीतिक नहीं बनाया हमने तो कुछ भी नहीं कहा था अभी तक। हमने तो सिर्फ यह कहा था कि उसे सरोजनी नगर स्थित एक बाग में ले गये, 4 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, सुबह जब वह छूट पाई तो भाग करके थाने पहुंची एक बोलेरो जीप गांव वालों ने घेरकर पकड़ा, रायफल बरामद हुई और मान्यवर, दुर्भाग्य है कि उसमें एक पार्टी का झण्डा लगा हुआ था मैं नहीं कह रहा हूं कि किस पार्टी का झण्डा लगा हुआ था। मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं।

वह आपका है और आपका झण्डा अपना ही है। मान्यवर, आज सीधी सी बात है बोलेरो वाहन पकड़ लिया गया। रायफल पकड़ ली गई। 4 लोग एक महिला को ले जाते हैं रात भर दुराचार करते हैं उसके साथ बलात्कार करते हैं। अपराधियों के हौसले कितने बुलन्द हैं और

अपराधियों के बारे में बहुत साफ बात कह दूं। यह किसी दल के नहीं होते, किसी जाति के नहीं होते, किसी धर्म के नहीं होते। जहां सरकार बदलती है उनके झण्डे बदल जाया करते हैं। इन्हें तो सिर्फ संरक्षण चाहिये यह उस संरक्षण के चले जाया करते हैं। इसलिये मैं राजनैतिक दल पर किसी पर इलजाम नहीं लगाता हूं लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि इन अपराधियों पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिये। क्योंकि अभी इसी लखनऊ में 20 जनवरी को एक नाबालिग लड़की अगवा हुई उसके साथ बलात्कार हुआ। और आज 17 फरवरी को दुबारा यह दुखद घटना हुई कि 4 लोग ले जा रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और रात भर खुली बाग में हो रहा है पुलिस नहीं पकड़ रही है। गांव वाले उसको घेरकर पकड़ रहे हैं। यह एक गम्भीर घटना है। मैं चाहता हूं कि सरकार से इतना कह दें कि इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी मैं सरकार से सिर्फ इतना आश्वासन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी वैसे इस सूचना को अग्राह्य कर चुका हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने सिर्फ इतना आग्रह किया कि आप निर्देशित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी एक महिला का अपहरण किया गया है और बलात्कार किया गया इसको जरा दिखवा लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें निश्चित कार्यवाही होगी।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत) †

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन् माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2008-2009 का जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है उसकी आलोचना भी करूंगा, उस पर विचार भी प्रस्तुत करूंगा और कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। मैंने तीनों शब्द कहे माननीय वित्त मंत्री जी, जहां आलोचना की बात है, वहां आलोचना करूंगा, जहां सुझाव देने की बात है, वहां सुझाव भी दूंगा। मैं तो इतना कहूंगा कि आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा इस बजट में कुछ नहीं है। इसको अगर एक असत्य लेख कहा जाय और गलत वायदे कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगा। श्रीमन् पिछले वर्ष भी जो बजट इन्होंने पेश किया, एक बड़ा प्लान कहा कि प्रदेश का इतने करोड़ का हमारा बजट है, विभिन्न मदों पर हम इतना-इतना करोड़ खर्च करेंगे। लेकिन यह सत्यता आपने खुद इसी सदन में स्वीकार की, कि जनवरी माह तक आप पूरे बजट का मात्र 26 प्रतिशत ही खर्च कर पाये। यानि की जो

---

† दिनांक 12-2-2008 से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट हमने पास करके दिया तो यदि जनवरी माह तक 26 प्रतिशत ही खर्च होगा तो दो महीने में क्या श्रीमन् 74 प्रतिशत बजट खर्च हो जायेगा ? आप क्या करेंगे पी0एल0ए0 में डालेंगे ? इसका मतलब कि प्रदेश का विकास रुका है। जो आपने पिछली बार घोषणायें की थी, वह घोषणायें पूरी नहीं हुई। अगर घोषणायें पूरी हुई होती तो हम इस बात को न कहते लेकिन यह तो आपकी ही स्वीकारोक्ति है। श्रीमन् हमारी सरकार रही, हमने घाटे के बजट का एक जो सिलसिला था, उसको तोड़ा। इस प्रदेश में एक परम्परा बन गई थी कि घाटे का गजट पेश किया जाय। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई तो हमने घाटे का बजट पेश करना बन्द कर दिया। हमने घाटे को पूरा किया और राजस्व को बढ़ाया। चुनाव में जनता से जो वायदे किये थे उन वायदों को पूरा किया। मैं तो कहता हूं कि यह दुर्भाग्य है कि यह जो सरकार आई यह जनता से वायदे करके आई नहीं। चुनाव से पहले आपने कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया इस नाते आपकी सोच भी वैसी नहीं है। अगर होती तो निश्चित ही आप उन घोषणाओं को लागू करते। जो आप वायदे करते, उन वायदों को पूरा करते। आप एक नया कांसेप्ट लाये पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानि थ्री पी का। मैं तो कहूंगा कि थ्री पी की .....

(इस समय 3 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए।)

जगह थ्री एम लगा लीजिये। मनी, मेंटल टार्चर और मेलासियस यानि द्वेषपूर्ण भावना।

श्रीमन् इलेवेन्थ प्लान चल रहा है ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का द्वितीय वर्ष है। मैं कहता हूं कि आप पूरी पंचवर्षीय योजना का पूरा प्लान क्यों नहीं बना लेते। पूरी पंचवर्षीय योजना क्यों नहीं एक साथ बना लेते। उस योजना के स्वरूप को हर वर्ष लागू करते हुये यह बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश में अभी तक प्राथमिकता तय नहीं हुयी, कुछ चीजें तो प्राथमिकता के आधार पर तय होनी चाहिये। एक परम्परा बन गयी है कि सरकार बदली तो योजनायें भी बदल गयी। पिछली हमारी तमाम सारी योजनायें थीं, चाहे कन्या धन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे निःशुल्क शिक्षा की बात हो, चाहे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात हो, हमने जितने भी वायदे किये थे हमने उन वायदों को पूरा करने के लिये योजनाओं में पैसा दिया और उन योजनाओं को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन आपने आकर यह सब बंद कर दिया। मैं तो कहता हूं कि चलिये अभी परम्परा शुरू कर लीजिये। डेवलपमेंट की कुछ ऐसी प्राथमिकतायें तय हो जायें कि चाहे सरकार कोई हो लेकिन प्रदेश में वह प्राथमिकतायें रहेगी। अगर हमने उद्योग नीति बनाई, रियायत देने की बात कही तो आप आये और आपने उस उद्योग नीति को खत्म कर दिया। हमारे जमाने में जितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया, आज सारे उद्योगपति उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। आप बता दीजिये कि आपके जमाने में कितना पैसा उत्तर प्रदेश में आया ? मैं भी आगे जिक्र करूंगा प्रदेश में एक अरब साठ करोड़ रुपये कर्जा है। अगर आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चा जन्म ले रहा है, जन्म लेते ही 10 हजार रुपये का कर्जदार हो जा रहा है। हमारी जो आय है उसमें 6 हजार करोड़ रुपये हम प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में अदा कर रहे हैं और अगर माननीय वित्त मंत्री जी बजट का 95 प्रतिशत नान प्लान में खर्च हो जायेगा और हम केन्द्र की सहायता

और केन्द्र के ऊपर निर्भर करेंगे या हम कर्जा ले करके उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे तो क्या यह अच्छा होगा ? अर्थनीति यह नहीं कहती कि कर्जा ले करके विकास करो, अर्थनीति यह कहती है कि बचत करके अगर अपने संसाधनों से प्रदेश में विकास करेंगे, नीतियों को लागू करेंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे तो वह अच्छा बजट माना जाता है। लेकिन श्रीमन् यहां तो हर साल 10 हजार करोड़ रुपये का कर्जा, एक नियम बन गया है कि 10 हजार करोड़ रुपये का कर्जा तो हमें लेना ही है। मैं देख रहा हूं कि असफलताओं को केन्द्र सरकार पर डाला जा रहा है। मैं बहुत केन्द्र सरकार का पक्षधर नहीं हूं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश की बहुत मदद कर रही है लेकिन एक तरीका बन गया है कि मैं रोज मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ लेता हूं कि हमने 80 हजार करोड़ रुपये का पैकेज मांगा लेकिन केन्द्र सरकार ने नहीं दिया। बुन्देलखण्ड में सूखाग्रस्त की बात हो या बुन्देलखण्ड में किसानों की आत्महत्या की बात हो, केन्द्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही।

मान्यवर, हर बात को केन्द्र पर डाल देना, यह गलती हमारे से हुई थी आप न करें। मैं जब था तब भी मैं इस बात को कहता था। कल मुख्य मंत्री जी गई, प्रधान मंत्री जी से बात की, अब घोषणा तो हुई कि करीब 22 हजार करोड़ रुपये का उत्तर प्रदेश के लिये नया बजट प्राविजन लागू किया, केन्द्र सरकार सहायता दे रही है। अब फायदा कितना, यह तो मुझे नहीं मालूम है। आपने प्लान जितना मांगा, श्रीमन् प्लानिंग कमीशन जो प्लान को स्वीकृत करता है उसमें राज्य के राजस्व का हिस्सा भी होता है। राज्य अपने राजस्व का जितना हिस्सा प्लान में दिखाती है, योजना आयोग उसके अनुसार प्लान स्वीकार करती है। आप देख लीजिये पिछली बार आपने जो प्लान लिया और जो आपने अपने संसाधनों से स्रोत की बात कही कि हम इतना रुपया इस प्लान में देंगे, हमारा प्लान स्वीकृत कर दिया जाये। श्रीमन्, उसका 50 प्रतिशत भी नहीं दे पाये इस कारण प्लान का आकार आधा रह गया। आज आपका राजस्व कम हुआ है, आप चाहे व्यापार कर देख लीजिये, एक्साइज देख लीजिये। अभी अखबार में निकला था कि आबकारी नीति में परिवर्तन करने जा रहे हैं क्योंकि आबकारी की जो नयी नीति बनायी थी उससे राजस्व का बहुत नुकसान हुआ। चाहे स्टाम्प पर हो, चाहे परिवहन पर हो, जो मुख्य स्रोत प्रदेश के आय के हैं, उन सभी स्रोतों में कहीं न कहीं कटौती हुई। क्यों आय का स्रोत गिरा क्या आपने इस पर विचार किया ? अगर आपने इन पहलुओं को भी बजट में रखा होता तो शायद हम इस बात को नहीं उठाते लेकिन आप केन्द्र सरकार से धन नहीं ले पा रहे हैं, दोष दे रहे हैं, तमाम हमारी योजनाएं केन्द्र सरकार में लटकी हुई हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में तमाम पैसा जो केन्द्र सरकार देना चाहती है लेकिन हमारी सरकार ले नहीं पाती, सोशल वेलफेयर में तमाम पैसा, केन्द्र सरकार की सिंचाई की तमाम परियोजनाएं केन्द्र में लम्बित हैं। कितनी बार दबाव केन्द्र सरकार पर बनायेंगे, मैं तो चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी को चाहिए कि प्रधानमंत्री पर दबाव बनायें। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के लिए अलग से बैठक करें जिससे कि इस प्रदेश की स्थिति सामने आये हमारी लम्बित योजनाएं वहां से स्वीकृत हो सकें, हमें केन्द्र से जो पैसा मिलना है, उस पैसे को हम ले सकें। मैंने पिछली बार भी

जब बजट भाषण दिया था तो हमने कहा था कि बैंकों में जो धन हम जमा कर रहे हैं, नेशनल मानक के अनुसार 60 और 40 प्रतिशत, जितना पैसा बैंकों में जमा होगा उसका 60 प्रतिशत पैसा उस राज्य के विकास में खर्च होगा। मा0 वित्त मंत्री जी जवाब में बता देंगे कि कितना पैसा बैंकों से ले करके यहां पर खर्च कर रहे हैं। आज उल्टा हो गया है, अभी 36 का रेशियो हमारा है। हमने कभी बैंक को बुलाया ही नहीं, अगर हमने बैंक के सारे चेयरमैन्स को बुलाया होता, मैं चाहूंगा कि आप सारे बैंकों में प्रदेश की जनता का कितना पैसा जमा है। और उस पैसे का जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 60 और 40 करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अग्रवाल जी, कृपया संक्षेप करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

आप शायद नये अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य हुए हैं। अगर यहां से शुरुआत हुई है।

श्री अधिष्ठाता-

मान्यवर, केवल 10 मिनट आपको समय आवंटित हुआ है, हमने आपको समाप्त करने के लिए नहीं कहा है केवल संक्षेप में करने के लिए कहा है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, अभी तो शुरू किया है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने संक्षेप करने की बात कही है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मैं माननीय वित्त मंत्री जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि जो सुझाव की बात हमने कही थी आपसे, कि आप सारे बैंक के चेयरमैनों को बुलाकर जो उत्तर प्रदेश का पैसा है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता की हितों पर खर्च करेंगे तो शायद योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन हो पायेगा। प्रदेश के घाटे के 4 मुख्य कारण हैं, उ0प्र0 में 103 निगम है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश में निगम बनाने की परम्परा चली और उनसे व्यापार करने की बात आयी। यह निगम अधिकारियों को दे दिये गये और सारे के सारे निगम घाटे में चले गये, अर्थ-व्यवस्था टूट गयी। जो निगम घाटे में है, आप पर बोझ बन गये हैं, उन्हें बंद करिये, समाप्त करिये। पॉवर कारपोरेशन पर कितना घाटा आ रहा है, अभी यह न्यूज आयी कि चारों विद्युत कम्पनियों को जो बिजली दी गयी है उतना राजस्व वसूल कर उन्होंने वापस नहीं किया।

आपने वैट लागू कर दिया, बड़ा जोर-शोर से प्रचार कर दिया और व्यापारियों को कह दिया कि टैक्स चोरों की लोग मद्द कर रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं। मान्यवर, इस प्रदेश में व्यापारी ने भी विश्वास दिलाया था कि वैट नहीं लागू करेंगे तो प्रदेश की आय बढ़ायेंगे और जहां रेवेन्यू सेल्स टैक्स का 12000 करोड़ आता था, 18000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष व्यापारियों ने करके

दिया। आपने वैट लागू कर दिया साथ में इण्ट्री टैक्स भी लागू है, उत्तर प्रदेश डेवलेपमेन्ट टैक्स भी लागू है, आखिर सेन्ट्रल सेल्स टैक्स प्रदेश में लगायेंगे। आज मंहगाई कितनी बढ़ गयी है, 25 प्रतिशत से ऊपर मंहगाई बढ़ गयी है। मेडीसिन में देखें तो जो दवा 100 की मिलती थी वह अब 600 रुपये की मिलने लगी। आम जनता के ऊपर मंहगाई का बोझ बढ़ा दिया। आपने कह दिया कि मंहगाई की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार के ऊपर है लेकिन अगर वैट न लागू होती तो उत्तर प्रदेश में इतनी मंहगाई बढ़ती ? अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं, दूसरे के ऊपर क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हैं ? विफलतायें अगर हमने करी है तो उसको ही आप ओढ़ते रहेंगे, तो यह बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अगर सीख लेंगे तो ज्यादा उचित होगा। मैं तो कहता हूं कि आज भी वैट समाप्त कर दीजिए, उत्तर प्रदेश के राजस्व में कोई कमी नहीं होगी। आपने लगाया है, सरकार हमारी आयेगी, हम वैट को समाप्त करेंगे और उत्तर प्रदेश को जो राजस्व की हानि हो रही है उसको पूरा करेंगे। आपने कहा है कि विकास दर को 6 से 10 प्रतिशत तक ले जायेंगे। श्रीमन्, हम लोगों ने 4 साल में विकास के दर को 1 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक ले करके गये। आपने पिछले वर्ष में बजट भाषण में कहा कि विकास की दर को 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक ले जायेंगे।

माननीय वित्त मंत्री जी आप बताइये कि एक वर्ष गुजर गया 6 प्रतिशत से कितने ऊंचा ? आपने फिर इस बजट में कह दिया कि 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक ले 10 प्रतिशत के विकास दर को लाने के लिए 8.11 लाख करोड़ रुपये की जिसमें यह कहते हैं कि 5.75 लाख करोड़ निजी क्षेत्र से प्राप्त करेंगे और 2.36 सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त करेंगे। निजी क्षेत्र जब आपके यहां आ नहीं रहे हैं तो आप कैसे प्राप्त कर लेंगे, कौन सा उद्योगपति आया, कौन सा नया प्रस्ताव आया आपके पास आया ? मैं कहता हूं कि सदन के पटल पर रख दीजिए जितने नये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में लम्बित हों। जो उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना चाहते हैं वह आप बता दें ? आज उत्तर प्रदेश से उद्योगपति पलायन कर रहे हैं। एक तरीके से उनका शोषण हो रहा है, पलायन हो रहा है, कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहता है और उसका कारण है कि विकास दर गिर गयी, बेरोजगारी बढ़ गयी, मंहगाई बढ़ गयी। उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा प्रदेश बनता चला जा रहा है। आप इस पर फिर से विचार करिये। अगर आप विचार नहीं करेंगे, अगर आप उद्योग नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे, वन विण्डो सिस्टम नहीं करेंगे, उद्योगपतियों को राहत नहीं देंगे तो लोग पूंजीनिवेश करने नहीं आयेंगे और आप हर साल बजट में विकास दर 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत लिखते रहेंगे लेकिन विकास दर 6 प्रतिशत से 10 नहीं होगी, 5 प्रतिशत हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अग्रवाल जी, कृपया समाप्त करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

वित्त आयोग के सामने इस सरकार ने अपना पांच वर्ष का प्लान रखा, वित्त आयोग ने कुछ सुझाव दिए लेकिन हमने कभी वित्त आयोग से बात करने की कोशिश की, फाइनेंस कमीशन

बना है। फाइनेंस कमीशन के सामने जाते फाइनेंस कमीशन से कहते कि हमारी यह प्राथमिकताएं हैं और इतनी मदद हमें मिलनी चाहिए हमने कभी वित्त आयोग से मदद ली। कभी उसकी संस्तुतियों का पालन किया ? क्या उन्होंने संस्तुतियां की हमने उनका पालन क्यों नहीं किया यह भी बजट में उल्लेख नहीं किया। उल्लेख करते, कारण बताते तो शायद पता चलता कि क्यों वित्त आयोग से मदद नहीं ले पा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। अध्यक्ष जी ने दलीय नेताओं के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया है। आपके 15 मिनट हो गए हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख दूं। मैं गागर में सागर तो भर नहीं सकता हूं। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं तथ्यों के आधार पर जो बजट भाषण में रखा गया है उसी बजट भाषण के आधार पर यह चीजें रख रहा हूं। मैंने इसमें कोई भी अपने आंकड़े नहीं दिए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समप्त करें।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य। लेकिन श्री नरेश अग्रवाल नेता प्रतिपक्ष की ओर से अपनी बात रख रहे हैं। इसलिए उनको समय सीमा में न बांधा जाय बाकी लोगों के बारे में जो भी आपका आदेश हो।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमें नेता प्रतिपक्ष ने एथराइज्ड किया है इसलिए समय सीमा में न बांधे। आपने कहा कि बुन्देलखण्ड में किसानों के कर्जे माफ करेंगे उसमें अनुमानतः 300 करोड़ का खर्च आएगा आपने 100 करोड़ का प्राविधान बजट में भी किया है। पूरे कर्ज को नहीं आपने केवल ब्याज माफी की बात कही है इससे क्या किसानों में खुशहाली आ जाएगी। आपने पूरे कर्ज की माफी की बात क्यों नहीं की। इससे बुन्देलखण्ड के किसानों का पलायन नहीं रुकेगा आज वहां पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महोबा जनपद में ही 100 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। चित्रकूट, झांसी, जालौन, बांदा आदि जनपदों की स्थिति और भी दयनीय है। खुद वहां मुख्यमंत्री गई थीं, कांग्रेस के नेताओं की भी बैठक हुई हम लोगों ने भी अपनी दो टीमें वहां भेजी। आपने पूरे कर्जे की माफी की बात क्यों नहीं की ? आपने जो 'हैण्ड टू माउथ' सहायता देने की व्यवस्था की है वह करप्शन का अड्डा है। उससे किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है अगर लाभ पहुंच रहा होता तो वहां का किसान पलायन नहीं करता। दद्दू प्रसाद जी उपस्थित नहीं हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह बुन्देलखण्ड के बारे में ज्यादा जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी योजनाएं बनाने से क्या लाभ जिससे वहां की आम जनता को कोई लाभ न हो। मैं कहना चाहता हूं कि केवल ब्याज ही क्यों पूरे कर्ज माफी की घोषणा करें हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। यह कोई राजनीतिक बात नहीं है यह एक सामाजिक मुद्दा है सरकार के सामने एक कठिनाई है उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में जोतें छोटी होती जा रही है इससे अगर कृषि अलाभकारी हो गयी तो ऐसे प्रदेश की जिसकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो उस प्रदेश का क्या होगा ? आप देख लीजिए प्रत्येक जिले में 60 प्रतिशत से अधिक जोतें छोटी-छोटी हो गई है। उनका आजादी के बाद से अब तक इतना बंटवारा हो चुका है कि जोतें छोटी और अलाभकारी होती जा रही है। इससे लोग कृषि से अलग होते जा रहे हैं। इस बार एक तिहाई जमीन के लिए बुआई के समय डी0ए0पी0 और यूरिया नहीं मिल सकी। गन्ना किसानों की बात हम लोगों ने उठाई, हम लोगों ने 130 रुपये का रेट दिया। आप 110 रुपये का दे रहे हैं और किसानों को 85-89 रुपये से ज्यादा नहीं मिल रहा है। किसान 25-30 रुपये पर गन्ना बेचने को मजबूर हो गया। श्रीमन्, स्वामीनाथन् रिपोर्ट में दिया है कि गेहूं का मूल्य 950 रुपये और धान का 970 रुपये। मान्यवर, केन्द्र सरकार ने यह आयोग बैठाया था। यह रिपोर्ट स्वामीनाथन आयोग ने दी है। आप उत्तर प्रदेश के किसानों को बोनस क्यों नहीं देते हैं ? आप किसानों को कृषि की तरफ क्यों नहीं आकर्षित करते हैं ? किसानों को न बिजली दे रहे हैं, न पानी दे रहे हैं, न खाद दे रहे हैं। जब आप किसानों को कुछ सुविधा देंगे नहीं तो वह क्या करेगा। धीरे-धीरे किसान खेती पर निर्भर नहीं रहेगा। जब वह खेती पर निर्भर नहीं रहेगा तो अराजकता फैलेगी। कानून व्यवस्था वैसे भी फेल है। खाली मुकदमें न लिखाने से आप सोचते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। रोज सर्राफा व्यवसायियों की हत्या हो रही है। बलात्कार की घटनायें आये दिन हो रही है। अभी प्रमोद तिवारी जी ने लखनऊ में कल की बलात्कार की घटना के विषय को उठाया। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गये हैं बैंक डकैती, बलात्कार, रोड हैल्ड-अप रोज हो रहे हैं अराजकता की स्थिति बनी हुई है। रोज पेपर में आता है कि एफ0 आई0 आर0 लिखने के लिये स्पेशल काउन्टर खोल दिये हैं।

आतंकवादी गतिविधियां किस तेजी से बढ़ रही हैं। अभी कल ही लखनऊ को हाई एलर्ट घोषित किया गया। दिल्ली से लखनऊ तक खबर आ गई कि कभी भी कहीं भी किसी भी जगह को आतंकवादी अपना निशाना बना सकते हैं। आपके प्रदेश में कौन सुरक्षित है ? जब प्रदेश की मुखिया मुख्य मंत्री जी अपने को असुरक्षित बताती हैं। केन्द्र से सुरक्षा की मांग कर रही हैं। कल ही वे वहां पर प्रधानमंत्री जी से मिली थीं और एस0 पी0 जी0 के लिये कहा। उन्होंने एस0पी0जी0 के प्राविधानों में परिवर्तन करने के लिये कहा। जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं हैं तो वहां कौन व्यक्ति सुरक्षित हो सकता है ? यह कैसे मान लिया जाय कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप खुद बताइये कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने न कहा हो। जो भी कल वे प्रधानमंत्री जी से मिली थीं और सुरक्षा के बारे में मांग की थीं। इसका मतलब है कि

हमारे प्रदेश की पुलिस अक्षम है। अगर प्रदेश की मुख्य मंत्री का ऐसा बयान हो। आपने हमारी सुरक्षा में कटौती कर दी। आपने सबकी सुरक्षा में कटौती कर दी सिर्फ अपने पक्ष के लोगों को सुरक्षा दे दी। हम कहते हैं कि आप उनको और भी सुरक्षा दे दें लेकिन प्रदेश की जनता कहां सुरक्षित है। अपराधों के आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश में आपराधिक स्थिति बढ़ती जा रही है। आप यू0 पी0 कोला लगाना चाहते हैं, वह तो आप राजनैतिक बदले की भावना से लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि प्रदेश में जितने कानून हैं उनको आप अगर कड़ाई से लागू कर देते तो आप देखते कि कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य होती है कि नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके दल में यदि कोई अपराधी शामिल हो गया तो उसको आप कहते हैं वह साधु हो गया और अगर कोई अपराधी विपक्ष में चला गया तो वह डाकू हो गया। यह सोच है आपकी। अगर इस तरह के बयान कोई मंत्री खुलकर देगा तो अपराधी के हौसले तो बुलन्द होंगे ही। मेरी कई जिलों के एस0 पी0 से बात हुई। वे कहते हैं कि ऊपर से निर्देश हैं, ऊपर से बात कर लें। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौन से ऊपर वाले की बात यह एस0 पी0 करते हैं। सरोज जी, आप भी एस0 पी0 से मिले होंगे।

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

आपकी सरकार में हरदोई गया था। क्या स्थिति थी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

लेकिन सुरक्षित रहे होंगे। पिछले साल का बजट आपका 6,307 करोड़ का था इस साल 6,347 करोड़ का है। कौन सी सड़कें गड्ढामुक्त हो गई ? कौन से पुल बन गये ? हम लोगों ने हाट मिक्स प्लान्ट से सड़कें बनाने का निर्णय लिया था। आपने कितने सड़कें बनवा दीं ? बिलग्राम गये थे वहां पर हमने 5 पुल स्वीकृत किये थे, उनका काम रोक दिया गया। कौन से पुल आप बना रहे हैं, कौन सी सड़कें आप बना रहे हैं जिस पर पैसा खर्च हो रहा है। इतना प्राविजन किया गया है लेकिन कहीं काम होता नजर नहीं आ रहा है। हमारे जमाने में हर तीसरे दिन एक पुल बनकर तैयार होता था। (व्यवधान) अब यह तो पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री चले गये नहीं तो वे खुद ही आंकड़े पेश कर देते। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि पी0 डब्ल्यू0 डी0 का इतना बजट रखा गया है लेकिन फिर भी सारी सड़कें खराब पड़ी हैं। मात्र अम्बेडकर गांवों की सड़कें बनाने से प्रदेश का काया कल्प नहीं हो जायेगा। गंगा एक्सप्रेस-वे बनाने से उत्तर प्रदेश विकसित नहीं हो जायेगा। उत्तर प्रदेश में जितनी स्टेट हाइवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, नेशनल हाईवे जब तक आप इनको सुधारेंगे नहीं तब तक पी0डब्लू0डी0 के पैसे का सही उपयोग नहीं हो पाऐगा। मैं नहीं कहता आप पैसा कहां लगायें लेकिन मैं चाहता हूं यह पैसा उत्तर प्रदेश की मेन सड़कों पर लगे उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हों। नसीमुद्दीन भाई अभी बोल गये, ब0स0पा0 के विधायकों के प्रपोजल मान लिये गये, विपक्ष में जब यह थे तब तो ऐसा नहीं था हम लोगों ने अगर सात किलोमीटर की घोषणा की तो सारे विधायकों के लिये की गई।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

हमारे विधान सभा क्षेत्र में तो ऐसा नहीं था एक इंच भी सड़क नहीं बनी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

सब विधायकों को सात-सात किलोमीटर सड़कें दी गई थी। आप पहले व्यक्ति हैं जो यह कह रहे हैं। सभी को सात-सात किलोमीटर सड़क दी गई थी।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

बनी तो नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी-

पैसा तो दिया गया था।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

हमारे यहां तो पैसा भी नहीं गया।

*ठाकुर सूरजपाल-

इन्होंने कहा कि हमारे सरकार में हर तीसरे दिन एक पुल बनता था तो यह रिकार्ड दिखा दें कि हर तीसरे दिन में पुल बना तो एक साल में कितने पुल बन गये। खाली गुमराह करने के लिये कह रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

जब बजट भाषण पर बोलें तो कह दीजियेगा।

ठाकुर सूरजपाल-

मान्यवर, प्रदेश की 75 परसेन्ट आबादी गांव में रहती है तो गांव में 75 परसेन्ट के लिये जरुरत है कि 25 परसेन्ट के लिये जरुरत है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

हम तो इस लिये बुरा नहीं मान रहे हैं कि नये सदस्य हैं प्रयास तो कर रहे हैं बोलने के लिये, लेकिन आंकड़े पढ़ लें पिछले आप, तो शायद आपको कुछ ज्ञान भी हो जाएगा। इस समय आप स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं माननीय मुख्य मंत्री जी हैं नहीं, आप खड़े होकर बोल रहे हैं हमको कोई अन्तर नहीं पड़ता है लेकिन आपको इतना बता दें इस रास्ते में एक लाइब्रेरी पड़ती है वहां अगर चले जाऐं आंकड़े निकाल लेंगे तो आपको अच्छा ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञानी होकर आप यहां बोल सकेंगे अज्ञानी होकर नहीं बोल सकेंगे। जो आंकड़े मैं यहां दे रहा हूं वह आपकी किताबों के आपके बजट के हैं मेरे कोई आंकड़े नहीं हैं। मैं हवाई भाषण नहीं करता हूं मैं जितना बोलता हूं जो तथ्य आपने अपनी किताबों में दिये हैं उसके आधार पर बोल रहा हूं। अब मेरी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात का जबाव वित्त मंत्री जी खुद ही देंगे। श्रीमन् जेन्डर बजट की बात कही गई। मुझे बता दीजिए बजट में कहां 33 परसेन्ट पैसा महिलाओं के विकास के लिए खर्च करने की बात कही गई है माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे है यह बता दें शिक्षा पर महिलाओं के लिए कितना पैसा मिल रहा है। चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो चाहे टैक्निकल शिक्षा हो। निजी क्षेत्र की भागीदारी न हो तो उत्तर प्रदेश में एजुकेशन का स्तर कितना गिर जाएगा हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया ? आज महिलाओं का शिक्षा का प्रतिशत जो केरल में 100 प्रतिशत है वह आज उत्तर प्रदेश में 50 प्रशितात तक नहीं पहुंचा पाए हैं इण्टर के बाद महिला पढ़ने की सोच नहीं पा रही है हमने कन्या धन योजना शुरू की आपने उसको भी वापस कर दिया। लड़की तो अब आगे पढ़ने की सोच ही नहीं सकती है। इण्टर के बाद तो बाप यह सोचता है कि कैसे हम इसकी शादी करें और एक बोझ हमारे ऊपर से हटे। यह सोच अगर हमने न दूर करी इसमें अगर हमने बदलाव नहीं किया, मैं तो कहूंगा कि आपने जो कामन जेन्डर की बात की है उसमें महिलाओं के लिए आपने कौन सी योजना दी, माइनारिटी की बात करते हैं इसके लिए आपने कौन सी योजना दी एक भी योजना माइनारिटी के लिए नहीं दी। उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक जो सबसे ज्यादा गरीब है, जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है जो सबसे ज्यादा अशिक्षित है उसके लिए एक नई योजना नहीं लाए। उसको विकास के रास्ते से अलग कर दिया गया क्योंकि उसको आतंकवादी समझा जाता है इस सरकार में अगर अल्पसंख्यक परिवार में पैदा हुए तो आतंकवादी हो गए। इस मारे विकास अल्पसंख्यक का नहीं करेंगे।

श्रीमन् अगर यह सोच है सरकार की तो यह प्रदेश के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि इस बजट को वापस लेकर दुबारा बजट पेश करिए। आप कम से कम सही बजट तो लाओ, आप सही चीजों को दीजिए, आप केवल आंकड़े रख रहे हैं, सच्चाई को रखिए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बजट बढ़ाया है, वास्तव में यह बजट आपने बढ़ा नहीं है, यह घट रहा है, बजट पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रहा है, प्रदेश पिछड़ रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान की बात हम करते हैं लेकिन आज न इस बजट में रोटी का प्राविधान है और न रहने का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, भूमि सेना की हम लोगों ने बात की थी। आप संडीला से बालामऊ तक चले जाइए, सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ बेकार जमीन पड़ी है, आप वहां बनाइये, बुन्देलखण्ड मे तमाम जमीन ऐसी पड़ी है जिस पर खेती नहीं होती, वह खेती योग्य नहीं है, लेकिन उपजाऊ जमीन को चाहे उसे हाउसिंग में दिया जाए, चाहे उद्योग लगाने में दिया जाए, धीरे-धीरे यदि उपजाऊ जमीन को कम करते चले गये तो एक दिन वह आ जायेगा जो उत्तर प्रदेश में हम खाद्यान्न पैदा करते हैं, जो अन्न पैदा करते हैं, वह कम होता चला जायेगा और हमको अमेरिका के उस लाल दाने के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा जिसमें से वियर निकाल ली जाती थी और वह हम लोगों को दिया जाता था, कहीं वह स्थिति तो उत्तर प्रदेश में न आ जाये, यह बहुत ही चिन्तनीय है।

श्रीमन्, अगर इसको गम्भीरता से न लिया गया, सरकार ने इसको गम्भीरता से न लिया तो आने वाले दिनों में देश और प्रदेश के लिए यह बहुत घातक होगा। आज जनता के बीच आपकी पापुलर्टी कितनी गिर रही है, शायद आप यह नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन आज प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे छात्र हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे महिला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, ऐसा कौन सा वर्ग है जो प्रभावित नहीं है, सरकार से, जो सरकार की आलोचना नहीं कर रहा है, जो सरकार की नीतियों के विरोध में नहीं है ? आपकी मैं कोई गलती नहीं मानता हूं क्योंकि आपने तो कोई घोषणा ही नहीं की थी, आपकी तो कोई नीति ही नहीं है, आपका कोई सिद्धान्त नहीं है। सिर्फ सत्ता ही अगर सिद्धान्त है, अगर पैसा ही सिर्फ सिद्धान्त है तो यह बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं श्रीमन्, इस बजट की आलोचना करता हूं और मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि फर्जी आंकड़ों की बाजीगरी को आप वापस लेकर एक बार फिर से देखिए कि सही बजट का स्वरूप क्या है, योजनाएं उत्तर प्रदेश में क्या लागू होनी चाहिए, जनता की क्या मांग है, जनता क्या चाहती है, इस सोच के साथ जब आप इस बजट को लागू करेंगे तो लोगों को लगेगा कि सरकार कुछ काम कर रही है अन्यथा आंकड़ों की बाजीगरी में उलझने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ हम इस बजट का विरोध करते हैं।

*श्री हुकुम सिंह-

श्रीमन्, मैं आभारी हूं कि बजट की सामान्य चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे अवसर दिया। मान्यवर, जहां तक बजट के आकार का प्रश्न है, बहुत ही आकर्षक लगता है, चूंकि आउट ले इतना बढ़ा दिया, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उल्लेख किया है, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा, श्रीमन्, और बात रखने से पहले मुझे फ्रांस के एक दार्शनिक की बात याद आती है जिन्होंने अपने एक लेख में लिखा है कि 'आपके कथन से, जो आपने कथन किया, उसके एक वाक्य से भी मैं सहमत नहीं हूं लेकिन आपको अपने कथन को कहने के लिए मैं अन्तिम सांस तक लड़ता रहूंगा।' यह असली पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है, संसदीय परम्परा है कि आप सहमत हों या न हों, मैं आपकी बात से सहमत हूं या न हूं लेकिन कहने का अधिकार मुझको भी होना चाहिए, कहने का अधिकार आपको भी होना चाहिए, उसमें कोई कटाक्ष करने की बात नहीं है। मैं प्रशंसा भी करूंगा, जो बात अच्छी है, उसकी प्रशंसा करना मेरा दायित्व बनता है। श्रीमन्, मैं अभी क्षेत्र का भ्रमण कर रहा था, ग्रामीण अंचल में गया, बहुत बड़े होर्डिंग आपके लगे हैं और जो बजट भाषण है, उसके पहले ही पेज पर आपने खुद ही लिखा है, 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय', एक पता नहीं कौन मनचला था, उसने नीचे एक होर्डिंग दूसरा लगा दिया और बार-बार उसकी तरफ इशारा कर रहा था, उसमें लिखा था कि हमारा जो संकल्प है, हमारा जो दर्शन है, 'एक जन हिताय, सर्वजन दुखाय', मैं जगह इसलिए नहीं बताऊंगा कि इस अपराध में न जाने जिलाधिकारी सस्पेंड हो जायेगा, न जाने एस0एस0पी0 सस्पेंड हो जायेगा। मान्यवर, मैंने अपने मोबाइल में उसकी फोटो तो ले ली लेकिन इसमें स्थान हटा दिया। क्योंकि मुझे पता है कि इसका परिणाम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसे भुगतना पड़ेगा। मान्यवर, मैं एक-एक बजट के बारे में कुछ शब्दों में कहूंगा। मान्यवर, हमारे परिवहन मंत्री जी यहां बैठे हैं। जब से यह सरकार आयी है 7 महीनों में 7 सौ बसों का करीब 20-21 रूट पर संचालन बंद हो गया है। आपने दूसरी बसों की व्यवस्था नहीं की। इस बीच में न जाने कितने त्योहार भी आये। रोजाना न जाने कितने लोगों को इधर से उधर जाना पड़ता है। आपने कभी चिंता की। आपने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला था। फैसला पहले भी था। मान्यवर, यह फैसले तो न जाने कितने वर्षों से चले आ रहे हैं। लेकिन यह बसें बंद नहीं रही थीं। जहां-जहां बसें नहीं चली हैं वहां के यात्रियों का क्या हुआ होगा ? प्राइवेट गाड़ी, डग्गामार गाड़ी भारी घूस दे देकर विभाग के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी एक गिद्ध की तरह उनको घेरे खड़े हैं और यात्री परेशान हैं। ठीक है कि सत्ता आपके पास है लेकिन सत्ता जनता की दी हुयी है। इसलिए सत्ता के साथ जो जनता की समस्याएं हैं उसकी तरफ भी आपकी संवेदनशीलता होनी चाहिए। 7 महीने से आपको किसी की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुयी।

मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी के लिए एक अखबार में पढ़ा कि उन्होंने फलां फैक्ट्री में छापा डाला, फलां जगह छापा डाला। दया आती है कि मंत्री का किसी छापे के लिए उतरना पड़ा। मान्यवर, इनके विभाग में पुलिस के अधिकारी भी हैं। डी0आई0जी0 स्तर का भी अधिकारी रहता है। उसके साथ में और भी है। डी0आई0जी0 स्तर का भी अधिकारी रहता है। उसके साथ में और भी अधिकारी रहते हैं। छापा मारने का काम तो उनका था। शायद वह अपना काम नहीं कर पा रहे हैं इसलिये इनको यह करना पड़ा। मंत्री का काम तो देखने का होता है। छापा किसी फैक्ट्री में लगने के बजाय विभाग के अपने किसी कार्यालय पर या स्टार पर डालते तो आपको वहां पर स्थिति पता चल जाती। आपने बड़ी-बड़ी योजनाओं का उल्लेख किया है। वह तो ठीक है लेकिन समस्या तो यह है कि जो कुछ भी आपके पास में है उसका सही वितरण आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, आज किसान को 25, 63, 100 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लेने के लिये 2-2 महीने का इंतजार करना पड़ता है और संसदीय कार्य मंत्री जी, चलिये मेरे साथ, अपना परिचय मत दीजिये, चुपके से खड़े होकर देखिये कि 4-5 हजार रुपये की घूस दिये बिना कोई ट्रान्सफार्मर नहीं लगता यह दुख की बात है। आज यह स्थिति हो गई कि किसी की चिट्ठी का, टेलीफोन का कोई महत्व नहीं है। इतने स्वच्छन्द हो गये हैं अधिकारी वो किसी की नहीं सुनते। ऐसा मैं इसलिये कह रहा हूं कि आम जनता पर इन बातों का प्रभाव पड़ता है कि जाऊंगा तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जायेगा। लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, सिंचाई के लिये लगभग 5000 करोड़ का बजट दिया। मान्यवर, सिंचाई के लिये कौन-कौन से साधन हैं एक यमुना नहर है। पूछ लीजिये किसी से 6 महीने से पानी आया हो। अगर पानी नहीं आएगा तो सिंचाई कैसे होगी। दो साधन हैं हमारे पास में पहले सरकारी नलकूप होते थे। अब सरकारी नलकूप नहीं रहे क्योंकि चकबन्दी होने के बाद लोगों के चक बदल गये। तो फिर लोगों ने अपने निजी नलकूप लगा लिये। अब निजी नलकूप लगाने पर आप की ही सरकार में ऐसी कौन सी बात आ गई थी कि आम तौर से किसान को नये नलकूप लगाने के लिये अनुबन्धित दरें थी इसके ऊपर कनेक्शन मिल जाता था आज नया कनेक्शन लगाने के लिये अस्सी हजार से एक लाख का आंकलन होता है। किसी किसान की औकात है कि एक लाख जमा करके नलकूप लगा लेंगे। हमारे यहां दिक्कत

यह आ रही है कि दूसरे साधन नहीं है। पिछले 6 महीने से मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक भी नलकूप का संयोजन कनेक्शन नहीं मिला तो आपने कहां के लिये पैसा दिया, किसलिये यह विभाग चल रहा है, आप कनेक्शन देंगे कि नहीं ? मान्यवर, कई सड़कों का उल्लेख किया है। अच्छा खासा बजट है-गाजीपुर से सहारनपुर, झांसी से कानपुर लिंक मार्ग, कानपुर से लखनऊ, बिजनौर से मुरादाबाद यह सारे मार्ग हैं, स्थापित हैं। कौन से लिंक मार्ग हैं ? बिजनौर से मुरादाबाद लिंक मार्ग है आलरेडी आप कहां बनायेंगे, हां चौड़ीकरण करना चाहते हैं तो इसका उल्लेख होना चाहिये। अगर करेंगे तो लखनऊ कानपुर का तो हो गया, उसमें आप क्या करेंगे ? मेरठ बिजनौर तो है। मान्यवर, सबसे मुख्य मार्ग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खटीमा पानीपत मार्ग, जो कि तीन राज्यों को जोड़ता है, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को, वहां के अधिशासी अभियंता को बुलाकर पूछ लें, वहां पर दो-दो फिट के गड्ढे होंगे और उत्तर प्रदेश विकास की कल्पना आप कर लेंगे ? मान्यवर, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है हम कैसे इससे जनता के उपयोगी बनायें ? शिक्षा विभाग की बात कही गई तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने नये विश्वविद्यालय बनाने की बात कही, प्राइमरी स्तर पर स्कूल बनाने की बात कही, माध्यमिक शिक्षा के लिये भी पालीटेक्निक और आई0टी0आई0 खोलने की बात कही।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं समाप्त ही कर रहा हूं। आप आई0आई0टी0 पालिटेक्निक खोलकर क्या करेंगे। जो बने हुए हैं उनमें अध्यापक नहीं है। सात महीने से अध्यापकों का चयन नहीं कर पाये हैं आप। हमारे यहां शामली में राजकीय महिला पालिटेक्निक है वहां पर तीन महीने से अध्यापक नहीं मिला। आपका जवाब आया है कि 13 अध्यापक के पद स्वीकृत है जिनमें से 3 पोस्टेड है। आपने कहा कि अतिथि लैक्चर पढ़ा रहे हैं, तो वहां कहां है ? माननीय मंत्री जी इसकी आपकी जानकारी है। उन बच्चों का क्या होगा जिनका सेलेक्शन हुआ, जो कि कानपुर से शामली भेजे गये, इलाहाबाद से शामली भेजे गये, जो लगाये गये हैं उनको आपने कहीं और अटैच कर दिया। उनका भविष्य क्या होगा, यह आपने सोचा है। मान्यवर, आप कई बार इशारा कर चुके हैं, मैं आपकी दिक्कत समझता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।

* श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 2008-2009 के बजट के जो प्राविधान है, उन प्राविधानों के सन्दर्भ में मैं अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं। यह सरकार का अच्छा प्रयास है लेकिन अच्छे प्रयास का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। बुन्देलखण्ड के बारे में, जो पूरे उत्तर प्रदेश की परियोजनायें हैं उन पर दृष्टिगत न करते हुए मैं बुन्देलखण्ड के बारे में कहना चाहूंगा सूखे की बात होती है, पहली बार यह सरकार थी जिसने वहां की सिंचाई के लिये ड्रिप

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एरीगेशन को लघु और सीमान्त कृषकों के लिये निःशुल्क किया, वहीं बड़े किसानों के लिये 75 प्रतिशत का जो अनुदान दिया वास्तव में एक सराहनीय प्रयास है, लेकिन दूसरी जो इसमें सबसे बड़ी विडम्बना है बजट की उस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि 78 फीसदी लोग बुन्देलखण्ड के ग्राम में निवास करते हैं और निश्चित रूप से आज जो कालाहाण्डी और विदर्भ जैसी स्थिति बुन्देलखण्ड की है, चार-पांच साल के अन्तराल में यह स्थिति हुई है और पिछली सरकारें उसके लिये पूरी तरह से दोषी हैं वर्तमान में सरकार के लिये प्रयास किया है लेकिन दूसरी तरफ आज जो सबसे बड़ी समस्या है वहां से होने वाले पलायन की है, जो बुन्देलखण्ड से लोग पलायन हो रहे हैं वहां पर होने वाले पलायन की है, जो बुन्देलखण्ड के लोग पलायन हो रहे हैं उसका मुख्य कारण यही है कि बुन्देलखण्ड में कोई उद्योग धन्धे, कल कारखानें नहीं है। यहां तक कि बुन्देलखण्ड में बहुत छोटी सी धनराशि से जो बुन्देलखण्ड में बन्द पड़ी सूती मिले हैं चाहे वह झांसी की हों, चाहे बांदा की हों, जिसके बेंचने की योजना पिछली सरकार ने बनाई थी, किन कारणों से बनाई थी मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि यह निर्णय बुन्देलखण्ड के हित में नहीं है। कम से कम 10-10 हजार लोग इन सूती मिलों से लाभान्वित होते और यहां से पलायन नहीं करते। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां हमने निजी कर्जे के ब्याज को माफ किया हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि बुन्देलखण्ड में अशिक्षा बहुत ज्यादा है, पिछड़ापन बहुत ज्यादा है और वहां पर बहुत सारे लोगों ने जहां बैंक से कर्जा लिया है उससे ज्यादा साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर कर्जा लिया है। जो आज आत्महत्यायें हो रही हैं, हम आत्महत्याओं के मामले में आप पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहते हैं कि वह भुखमरी से मर रहे हैं या गरीबी से मर रहे हैं लेकिन यह निश्चित है चाहे हम समाचार पत्रों के माध्यम से देखें चाहे इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से देखें कोई दुष्प्रचार नहीं है, वहां निरन्तर आत्महत्यायें हो रही हैं और वह बैंक के कर्जे की अपेक्षा साहूकार के ब्याज के कारण साहूकार के उत्पीड़न के कारण हो रही है। आज जो वहां बेकारी है, क्योंकि बुन्देलखण्ड का अगर हम पहले का इतिहास देखें बुन्देलखण्ड की जो भौगोलिक बनावट थी बुन्देलखण्ड के पानी का ढलाव उत्तर पूर्व की तरफ है और पहले चन्देल काल में वहां पर तालाब थे, करीब 23-24 सौ तालाब थे जिससे जल संरक्षित रहता था और उस पानी से हमारा जल स्तर बराबर रहता था, आज केवल हम वर्षा के पानी पर निर्भर हैं और वह वर्षा का पानी उत्तर-पूर्व से बहकर यमुना नदी में चला जाता है और यमुना से गंगा में चला जाता है और गंगा से वह बाढ़ का रूप ले लेता है क्योंकि जो भूमि संरक्षण की योजनायें एक लम्बे समय से आई उन योजनाओं में क्योंकि आज समस्या दलों की नहीं है सबसे बड़ी लड़ाई जो बुन्देलखण्ड के अन्दर है एक तरफ अधिकारी है दूसरी तरफ राजनीतिक दल के लोगों के हैं चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल के लोग हैं, ऊपर से जो भी आदेश जाता है जो भी योजनायें जाती हैं वह अन्तिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है। आज अरबों रुपयों का भूमि संरक्षण का कार्य हुआ लेकिन फील्ड में नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि इसमें बुन्देलखण्ड पर एक श्वेत-पत्र जारी हो कि पिछले सालों में बुन्देलखण्ड में कितनी परियोजनाओं पर कितना पैसा गया और उससे क्या क्रियान्वयन हुआ। आज बुन्देलखण्ड के अन्दर चाहे हम महोबा के अन्दर देखें, पान का उद्योग, ललितपुर के अन्दर, जड़ी-बूटी का उद्योग,

झांसी के अन्दर टेरीकाट का उद्योग कालपी के अन्दर हाथ से बनाये जाने वाले कागज का उद्योग भरुआ सुमेरपुर में जूती का उद्योग चित्रकूट में ग्लास की फैक्ट्री जो उद्योग जिन उद्योगों से वहां के लोग पलायन नहीं करते थे, आज उसका प्राविधान आपके इस बजट में नहीं है। हम चाहते हैं कि बजट के अन्दर इस पर मुख्यतः आपने सिंचाई के लिये केवल 40 करोड़ रुपये रखे निश्चित रूप से बिना केन्द्र सरकार के बुन्देलखण्ड का वैभव वापस नहीं आ सकता वहां का पलायन नहीं रुक सकता है लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड में 28 बांध है चाहे सुखमा, ढुकमा हो, चाहे माता टीला हो, जितने भी बांध हैं उन बांधों की जो अवधि है उस अवधि से ज्यादा समय उनको निर्मित किये हुए हो गये हैं और उनके अन्दर जल धारा क्षमता केवल 17-18 फीसदी है। 18 फीसदी जल हम उस स्थिति में भर सकते हैं जब हमें भरपूर वारिश मिले। आज हमें चार पांच साल बरसात का पानी नहीं मिल रहा है। वह बांध जिन बांधों में मिट्टी जमा है, जिन बांधों में सिल्ट जमा है, अगर हम उसकी जगह नये बांधों का निर्माण नहीं करेंगे ऐसी परियोजना हमारे जालौन के पास में इटावा के पास में पंचनदा बांध अगर बन जाये तो बहुत बड़ी उसकी समस्या दूर हो जायेगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सहयोग से राजघाट बांध परियोजना से भी आज न हमें जितनी मात्रा में पानी मिलना चाहिये, न पानी मिल रहा है। मान्यवर, नहीं मिल रही है। जितनी बिजली मिलनी चाहिये थी वह बिजली नहीं मिल पा रही है। निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि बुन्देलखण्ड के ऊपर किसी भी राजनीतिक दल ने अपना ध्यान केन्द्रित नहीं किया है। उसके लिये हम चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड के विकास के लिये एक पृथक मंत्रालय का निर्माण हो वहां के लिये योजनायें बनाई जायें। क्योंकि जिस तरह से आज वहां लोगों का पलायन हो रहा है, लोग मर रहे हैं लोग दूसरी जगह जा रहे हैं वहां के लिये एस0ई0जेड0 की योजनायें बने। मान्यवर, आज कृषि पर कोई आयकर नहीं है वहां की जो माटी है जिसमें बजरी है पत्थर है कहीं कहीं पर पेड़ है, सबसे ज्यादा राजस्व है। एक ही जगह की माटी है और एक ही जगह का पत्थर है और पत्थर तोड़ने के लिये हमें इतना भारी राजस्व देना पड़ता है हम कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं।

हमारे यहां के जो जलस्तर की स्थिति है उसमें आप अवगत हैं। क्योंकि जो आने वाला समय है उसमें आपको सोचना होगा। आपने डिप इरीगेशन के अन्तर्गत किसानों को निःशुल्क सुविधा दी है लेकिन जहां पर बिल्कुल पानी नहीं है मैं चाहता हूं कि उसमें प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से यह आग्रह करे कि कृत्रिम बारिस की व्यवस्था की जाये क्योंकि आने वाले समय में जो मई और जून का महीना होगा उसमें दिक्कत उत्पन्न होगी। वहां पर लोग भुखमरी से मर रहे हैं और निश्चित रूप से बेकारी के कारण मर रहे हैं। मान्यवर, आज ही महोबा में एक व्यक्ति ने जान दे दी है। मान्यवर, भूख की अपेक्षा बेकारी से आदमी को सबसे ज्यादा घुटन होती है। हम चाहते हैं कि सरकार वहां के लिये अच्छी रोजगारपरक योजनायें बनायें। मान्यवर, वहां पर एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कालेज है। बुन्देलखण्ड में समस्या है कि वहां पर हर चीज में स्टाफ की कमी है। मेडिकल के क्षेत्र में कमी है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कमी है। मान्यवर, जब लोग कोई वाहन खरीदते हैं तो रोड टैक्स जमा कर देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वर्तमान में वहां पर

टोल टैक्स लिया जा रहा है। खासतौर पर बुन्देलखण्ड में यह डबल कर क्यों लिया जा रहा है, किस आधार पर लिया जा रहा है। वहां की स्थिति को देखते हुए टोल टैक्स के माध्यम से किसी व्यक्ति को धन लेने का अधिकार नहीं होना चाहिये। बुन्देलखण्ड की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि वहां के लिये रोजगारपरक योजनायें बनाई जायें उद्योग धन्धे स्थापित किये जायें, जो उद्योग बन्द हैं उनको पुनः चालू कराया जाय। मान्यवर, औषधीय पौधों को लगाने की आवश्यकता है, इसी तरह से बहेड़ा, आवंला और नीबू के पेड़ लगवाये जायें जिसमें कम पानी लगता है। आज वहां पर पिपरमिंट की खेती हो रही है, किसान अशिक्षित है उसे पता नहीं है कि वह खेती जमीन का पूरा का पूरा पानी सोख लेती है।

मैं, वहां के विकास के लिये मांग करता हूं कि एक पृथक मंत्रालय बना कर अच्छी परियोजनायें बनाई जायें। मान्यवर, आज सुबह ही मैंने मंत्री जी से आग्रह किया था कि जो पारीक्षा थर्मल पावर स्टेशन है उसमें 210-210 मेगावाट की दो इकाइयां हैं इसी तरह से 110-110 मेगावाट की दो इकाईयां है वह चलती कितनी हैं। जो वहां के अधिकारी, कर्मचारी हैं तीस से पचास प्रतिशत तक का कमीशन खाते हैं और दूसरी ओर अच्छे स्तर का काम नहीं करते हैं इसलिये यह कहना चाहता हूं कि ऊपर से तो अच्छी परियोजनायें जाती हैं लेकिन निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उससे निपटने के लिये एक पृथक मंत्रालय बनाया जाये। दूसरे बुन्देलखण्ड के समग्र विकास के लिये पांच हजार करोड़ रुपये का बजट प्रदेश सरकार द्वारा सुनिश्चित होना चाहिये। वहां की स्थिति आज बहुत ही जर्जर और भयावह है। उद्योगों के माध्यम से खेती के माध्यम से, जल स्तर के सुधार की योजनाओं के माध्यम से, बिजली की परियोजनाओं के माध्यम से हम वहां के विकास को एक रूप दे सकते हैं। धन्यवाद।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, इस बजट में कई चीजें दी गई हैं, मैं ऊर्जा विभाग की बात करता हूं। आज ऊर्जा विभाग में इस बजट के माध्यम से काफी बजट रखा गया है। मान्यवर, किसानों को सामान्य योजना के तहत नलकूप का कनेक्शन मिलता था। तमाम पिछली सरकारों में वह मिलता था। लेकिन इस सरकार ने उस पालिसी को चेंज करने का काम किया है। किसानों को सब्सिडी के रूप में 43 हजार रुपये विद्युत कनेक्शन में छूट देने की बात है। बागपत में 300 कनेक्शन और मेरठ में 500 कनेक्शन सामान्य योजना में देने का काम किया गया है। मान्यवर, कई सालों से किसानों ने कनेक्शन के लिये आवेदन किया गया है। उसमें लाईन लगी हुई है। लेकिन जो पालिसी बदली है उसमें एक लाख रु0 के लगभग खर्चा आ रहा है तो किसी भी किसान ने कनेक्शन लेने का काम नहीं किया है। सारे अधिकारियों ने उसमें प्रयास किया है दोनों जनपदों में आपके अधिकारी गये हैं लेकिन किसान उस स्थिति में तैयार नहीं हो रहे हैं।

किसानों ने उसमें अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई किसान सक्षम नहीं था कि एक सवा लाख खर्च करके ट्यूबवेल का कनेक्शन लें। फिर सरकार ने अपनी पालिसी को चेंज करने का

काम किया और उस छूट को राशि को बढ़ाकर 55000 रुपये करने का काम किया। 55 हजार और शासनादेश भी जिलों में पहुंच गया है लेकिन अभी भी किसान इस स्थिति में नहीं है कि 55 हजार छूट के बाद भी कनेक्शन ले सके। पहले ट्यूबवेल का कनेक्शन 10 से 12 हजार में 15 हजार में किसान को सामान्य योजना में मिल जाता था लेकिन आज एक लाख नब्बे हजार से कम पर ट्यूबवेल का कनेक्शन किसान को नहीं मिल पा रहा है। उसका इस्टीमेट का पैसा एक लाख के आस पास जमा करना पड़ रहा है। छोटे किसान है वह कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो जो यह छूट समाप्त करी है किसानों की, आज हमारी 80 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती हैं किसान से जुड़े हुए लोग हैं किसान खुशहाल होगा तो गरीब और मजदूर भी खुशहाल होगा, ऐसा मेरा मानना है रही बात शिक्षा की। शिक्षा की मैं अपने जनपद में देखता हूं अपने विधान सभा क्षेत्र में देखता हूं कोई ऐसा प्राइमरी स्कूल नहीं है, जूनियर हाईस्कूल नहीं है जिसमें अध्यापक हों टीचर हों जहां 5-5 टीचर है वहां 2 काम कर रहे हैं जहां 8 है वहां एक काम कर रहा है। एकल विद्यालय भी काफी हैं सरकार की प्राथमिकता है कि एकल विद्यालय कोई नहीं रहेगा लेकिन हमारे जनपद में एकल विद्यालय भी हैं। जब शिक्षक नहीं हैं तो शिक्षा को हम कैसे बढ़ायेंगे, सरकार शिक्षा को बढ़ाने का काम कैसे करेगी यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

कानून व्यवस्था के नाम पर बहुत अच्छी बात है कि आंकड़े दिखाये और पिछली सरकार से तुलना करने का काम किया लेकिन आंकड़े कम करने में अपराध कम नहीं होगा। आज प्रदेश में पूरा दावा है कि अपराध घटा नहीं है पिछले समय में जो अपराध था आज भी उतना ही अपराध है। आंकडों में जो कम हुआ है उसका एक ही खेल है कि मुकदमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। मैंने खुद प्रयास किया 6 तारीख की घटना है अलीगढ़ जिले की। 6 तारीख से लेकर एक ट्रक ड्राइवर की हत्या हो गयी। बदमाशों ने उसे लूटने का प्रयास किया थाना अकबराबाद अलीगढ़ में लेकिन 4 घण्टे तक गोली लगा हुआ ट्रक ड्राइवर अकराबाद थाने के एस0ओ0 से मदद मांगने के लिये कहता रहा। एस0ओ0 ने यह कहकर कि मेरे थाना क्षेत्र की घटना नहीं है पीछे जिस थाना क्षेत्र में आपकी घटना घटी है वहां जाओ और रिपोर्ट लिखवाने का काम करो। 4 घण्टे बाद उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। आज सुबह तक की मेरे पास सूचना है आज तक उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उसमें लूट हुई और एक आदमी की हत्या हो गई और मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हुआ है। मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं कि जब तक मुकदमा पंजीकृत नहीं होंगे तब तक अपराध नहीं रुकेगा। मुकदमें पंजीकृत हो यह सरकार ने ऐलान किया है। मैं मानता हूं कि यह अच्छी बात है। मुकदमां पंजीकृत के हिसाब से अधिकारियों को दण्ड नहीं मिलना चाहिये। मुकदमों की रिपोर्ट लिखी जानी चाहिये। असली अपराधी पकड़े जायेंगे तो निश्चित रूप से अपराधों में कमी आयेगी। आज पश्चिम में बिजली की बुरी हालत है नहरों में पानी नहीं है, किसान परेशान है तो किसानों के गन्ने के भुगतान को लेकर जो संदेश सरकार को गया ऐसा किसी सरकार का संदेश नहीं गया। आज किसान इतना परेशान है कि सरकार का नाम लेते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसान आज जो अपने मुख से कहता है वह मैं नहीं कह सकता

इस सदन के अन्दर। किसान आज इतना परेशान हो गया इतना दुखी हो गया है इस सरकार से। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में जरूर सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। अधिकारियों का रवैया ऐसा है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं जनप्रतिनिधियों की इतनी उपेक्षा है उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। अधिकारी ऐसे ही काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, आज व्यापारी परेशान है। आज पश्चिम में परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है तमाम बसें बन्द हो गईं। अगर बस से किसी माननीय सदस्य को सफर करना पड़ जाय तो असलियत सामने आ जाये। जनप्रतिनिधि बसों में सफर आजकल तो नहीं करते। तमाम सारे विधायक गाड़ियों वाले हैं। पहले मैं देखता था जब मैंने राजनीति शुरू की उस समय तमाम सारे विधायक बसों मे बैठकर क्षेत्रों में जाया करते थे, उस समय उनके पास गाड़ियां नहीं हुआ करती थीं। अगर आज हमें पश्चिम के किसी भी जिले में बसों से जाना पड़ जाये तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने गंतव्य तक पहुंच पायेगा। चार-चार घण्टे तक सड़क पर खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता है बसों की ऐसी व्यवस्था खराब हो गई, सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि आज आदमी बसों में कैसे सफर कर रहा है। कानून व्यवस्था खराब हो गई, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, तमाम लोग आज परेशान हैं। तो अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने वर्ष 2008-2009 के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। हम माननीय अध्यक्ष जी को भी आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहते हैं और इसको स्वीकार करने में सबको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि 13 फरवरी के दिन अध्यक्ष जी ने जिस सदाशयता और धैर्य से इस विधान सभा को संचालित करने में अपना परिचय दिया, आज उसी का परिणाम है कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण कई दिनों तक चला और माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रखा बजट आज चर्चा में चल रहा है। और शायद आने वाले दिनों में भी यह विधान सभा अपनी परम्पराओं को याद करते हुए अच्छे से चलेगी, इसलिये उनको भी बधाई देना चाहिये और आभार व्यक्त करना चाहिये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, निश्चित रूप से राजनैतिक कारणों से हमारे नेता सपा के और विपक्ष के विरोध कर रहे हैं लेकिन एक बात याद दिला दें आपको भी और माननीय गौरीशंकर जी को भी । माननीय गौरीशंकर जी पुराने सदस्य हैं कम से कम बीस बजट इन्होंने देखा होगा माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने भी दसियों बजट देखा होगा और मैंने भी लगभग 14-15 बजट देखा है। सबकी किताबें निकालकर अगर बजट भाषण देख लें तो माननीय वित्त मंत्री लालजी वर्मा जी ने जो बजट रखा है, सबसे ज्यादा लाभदायक, हितकारी और लोगों के पक्ष में है। हम अगर आपको याद दिलायें और माननीय सपा के लोगों को। माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे कि 70 फीसदी का खर्चा हम गांवों को दिया करेंगे। लेकिन कभी भी

उनके बजट में 58 फीसदी से ज्यादा ग्रामीण अंचल में खर्च नहीं हुआ। आज हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के बजट में 74-76 प्रतिशत बजट ग्रामीण अंचल में खर्च हो रहा है। इनको मानना चाहिए कि जिन योजनाओं को आज बजट में लिया गया है और यदि हम गांव का विकास चाहते हैं तो इस बजट में ग्राम्य विकास के साथ व्यक्ति के विकास की भी योजना बनाई गयी है। मान्यवर, ग्राम्य विकास में तो गांव के विकास के लिये ग्राम्य विकास अधिकारी रख दिया, एक ब्लाक डेवलपमेन्ट आफिसर रख दिया और एक पंचायत अधिकारी उसमें रख दिया लेकिन गांव के रहने वाले व्यक्ति का उससे विकास नहीं हो पाता। आज अगर सारे नेता देख लें अगर उस बजट भाषण में तो शायद बहुत अरसे के बाद उन गरीबों के आवास बनाने के लिये योजना दी गयी है, उन गरीबों के लिये अब खड़न्जा नहीं दिया जा रहा है बल्कि पक्की सी0सी0 की सड़कें जो बीस-बीस साल तक टूटेगी नहीं, ऐसी योजना बनाई गयी है। हम ग्राम्य विकास की बात करते हैं लेकिन हम यह मानकर चलते हैं कि उस ग्राम्य विकास में अगर जब तक व्यक्ति का विकास न करें। उस विधवा के पेंशन का इंतजाम न करें जिसकी तादाद आज 25 लाख की तुलना में बढ़ा दी गयी। हम अगर यह न कहें कि वृद्धावस्था पेंशन, हम अगर यह न कहें कि अन्तिम व्यक्ति जो उस गांव का रहने वाला है, हम उसके विकास की जिम्मेदारी लेते हैं, निश्चित रूप से जब हमारे प्रतिपक्ष के नेता लोग इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो उन्हें लगेगा कि पहली बार इतने वर्षों के बाद इतना पैसा ग्रामीण अंचल में खर्च किया गया।

मान्यवर, शायद नेता, समाजवादी पार्टी श्री नरेश अग्रवाल जी चले गये, उनका कोई दोष नहीं है। जो मा0 नेता प्रतिपक्ष है, समाजवादी विचारक, स्व0 लोहिया के समर्थक है। सही है, डा0 लोहिया कहा भी करते थे 100 में 60 के बंटवारे की मांग किया करते थे। तीन बार नेता प्रतिपक्ष मुख्य मंत्री रहे हैं तीनों बार 48 फीसदी से ज्यादा कभी 60 तक पहुंचे ही नहीं। मा0 गौरी शंकर जी आप उस समय सत्ता में रहे हैं जब नेता प्रतिपक्ष कभी नेता सदन भी थे तब भी उतनी पूर्ति नहीं कर पाये और आज आप देख लीजियेगा पूरा है कि नहीं। हम यह कहना चाहते हैं मा0 नेता प्रतिपक्ष के समर्थक और जो सपा के हमारे नेता है नरेश अग्रवाल, जो भ्रमित है, उनको समझ में नहीं आया कि पूरा बजट कहां से कहां निकल गया। लेकिन इतना जरूर उन्होंने स्वीकार किया वह बता नहीं पाये कि आज की तारीख में इस पूरे बजट में जो पहले कभी शब्द चला था डब्टेलिंग का, उसे छुआ नहीं गया है। योजनान्तर्गत जितना इस बार बढ़ोत्तरी है उस 24 फीसदी की बचत की बढ़ोत्तरी आम आदमी के काम आयेगी और इस उत्तर प्रदेश के 18 करोड़ लोगों में ग्रामीण अंचल में रहने वाले 80 फीसदी लोगों के काम में यह बजट आयेगा और मान्यवर, तब चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे एक-एक व्यक्ति को उपचार देने की समस्या हो, तब उसकी पूर्ति होगी। लेकिन दुर्भाग्य है, नरेश अग्रवाल जी चले गये, बात उन तक पहुंचनी चाहिए। (मा0 सदस्य गौरीशंकर की ओर इशारा करते हुए) पहुंच जायेगी न। आपसे उम्मीद है, मा0 गौरी शंकर जी पुरानी परम्पराओं को थोड़ा सा याद रखते हैं। इसलिए जरूर पहुंचायेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस बजट को इस समय वर्तमान

सरकार सुश्री बहन मायावती जी की सरकार के वित्त मंत्री श्री लाल जी वर्मा जी ने रखा है। समाजवादी विचारक, अम्बेडकरवादी विचारक, मा0 कांशीराम जी के विचारों से बना हुआ यह बजट है, इनको समझ में नहीं आयेगा। तमाम हमारे पुराने साथी है, एक दो बैठे हैं, बाकी तो चले गये। मा0 मुलायम सिंह यादव जी अपने को समाजवादी कहते हैं, जब बने रहे होंगे तब समाजवादी रहे होंगे और तब उनके पास गौरी शंकर जी, जनेश्वर जी, राम शरण दास जी बैठते थे, बेनी प्रसाद वर्मा जी बैठते थे। यह दुर्भाग्य है कि उस समाजवादी नेता के साथ आज जयाप्रदा बैठती हैं, जया बच्चन बैठती हैं, ऐश्वर्याराय बैठती हैं लेकिन राजनैतिक व्यक्ति उनके साथ बैठता नहीं है। गौरी शंकर जी कभी फोटो में उनके साथ दिखेंगे नहीं, इनमें बदबू आती है, अच्छा नहीं लगता है। यह दुर्भाग्य है, इसलिए विचार बदल गया है कि कभी जब नेता प्रतिपक्ष समाजवादी विचारधारा की बात करते थे तो समाजवादी आन्दोलन की बात करते थे। हमारा दुर्भाग्य है, प्रदेश का दुर्भाग्य है, सच है कि प्रतिपक्ष मजबूत रहना चाहिए, प्रतिपक्ष राय देता है, सलाह देती है। लेकिन आज इस पूरे सदन में, अभी जहां हम लोग कह देते हैं कि बहन मायावती जी की सरकार ने किया, बस तुरन्त पता नहीं क्यों मिर्चा लग जाता है। हमको तो लगता है कि रात में सपने में भी चौकते होंगे कि "मायावती जी" अरे बाप रे बाप क्या हो जायेगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हम चर्चा करेंगे, वित्त मंत्री जी जवाब देंगे। मा0 हुकुम सिंह और मा0 नरेश अग्रवाल जी ने एक चिन्ता जाहिर की यह सही है हम यहां बैठते हैं तो पूरे प्रदेश के हित की बात करते हैं कि कैसे उनकी रक्षा, सुरक्षा और संरक्षण दिया जा सके। आज की तारीख में अगर हम सारा बजट दे दें, सारा इन्तजाम देहात का, नगर का, सड़क का कर दें लेकिन अगर कानून की व्यवस्था ठीक न रहेगी तो न तो कोई इंजीनियर काम करने जा सकेगा और न तो कोई अधिकारी काम करने जा सकेगा।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अगर पिछली सरकार की याद दिला दें तो काम इसलिए नहीं हुआ, अम्बिका चौधरी जी चले गये कहते थे कि रुपया रखा रह गया, रुपया इसलिए रखा रह गया क्योंकि कोई इंजीनियर विधायक से बिना मार खाये बच ही नहीं पाता था, काम करने कहां से जायेगा। ब्लाक छोड़ करके बी0डी0ओ0 भाग जाया करता था, एस0डी0एम0 भाग जाया करता था कि सपा का एम0एल0ए0 आ गया, पता नहीं क्या विपत्ति आ जायेगी, इसीलिए काम रुक जाता था। आज की तारीख में बहन मायावती जी की सरकार है, कानून का राज है, किसी कर्मचारी को कोई छू नहीं सकता, तब विकास का काम होगा और तब प्रदेश में काम चलेगा। चौथी बात, मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह सही है, माननीय चौधरी साहब हमारे पुराने साथी है। आदरणीय हैं, नेता हैं, पुरानी बातों पर तो चर्चा नहीं करूंगा। अभी उच्च शिक्षा की चर्चा मा0 हुकुम सिंह जी ने की।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

विदेश वाली बात की चर्चा कर लीजिए।

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

वह चिन्ता तो केवल नरेश अग्रवाल जी के लिए है जो बिल्कुल एड्स से परेशान रहे होंगे, भागकर स्विटजरलैण्ड से वापस आ गये थे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह दुर्भाग्य है, अभी जिस बजट की चर्चा, मा0 नरेश अग्रवाल जी, हुकुम सिंह जी ने की, यह दुर्भाग्य है कि उच्च शिक्षा के मंत्री मा0 मुलायम सिंह यादव जी थे, श्रीमती अनीता सिंह जी मिनी चीफ मिनिस्टर थीं, इसको कहने में कोई दो राय नहीं है उच्च शिक्षा को जितना चौपट कर सकते थे, 3 सालों में चौपट कर दिया। मुख्य मंत्री जी व्यस्त रहते थे, देख नहीं पाते थे अनीता सिंह जी ने सारा काम निपटा दिया, लेकिन यहां पर उसकी चर्चा की जाय ठीक नहीं है मगर एक चर्चा जरूर की जायेगी। उत्तर प्रदेश 70 जिलों का प्रदेश है, मा0 नेता प्रतिपक्ष साढ़े तीन साल तक मुख्य मंत्री रहे हैं और उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में अब तक 11 जिले ऐसे बचे थे जहां राजकीय महाविद्यालय नहीं थे। अगर नेता प्रतिपक्ष चाहते तो उसे पूरा कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक काम करने का काम किया, इन 11 जिलों में महाविद्यालय नहीं दिया, उन्होंने एक महाविद्यालय सैफई, हैवरा में दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको जान करके आश्चर्य होगा, आप लोगों को भी आश्चर्य होना चाहिए कि एक राजकीय महाविद्यालय 3 करोड़ 20 लाख रुपये में बनता है और हैवरा का महाविद्यालय जो प्राइवेट बना है वह 103 करोड़ रुपये में बनाया गया। अगर नेता प्रतिपक्ष उसी समय 11 बचे हुये जिलों में 11 महाविद्यालय दे दिये होते तो ऐसे 22 और महाविद्यालय बनते। 34 महाविद्यालय बन सकते थे अगर एक हैवरा का रुक गया होता। बहिन मायावती जी की सरकार ने सभी जिलों में महाविद्यालय दे दिया अब 70 के 70 जिलों में महाविद्यालय बन गये। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने केवल हैवरा को ही, सैफई को ही प्रदेश माना, केवल एक जगह ही मैनेजमेन्ट की शिक्षा दिया, तमाम विषयों की शिक्षा दिया, यह सारे कागज हमारे पास है, कहिये तो चौधरी साहब आपको दे देंगे। बलिया में क्यों नहीं दिया, अभी तक रुका पड़ा था, मंगल पाण्डेय महाविद्यालय का हमने दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हैवरा का महाविद्यालय अनियमित बना है, अवैध है, कानूनी तौर पर उचित नहीं है। जो अध्यापक किसी महाविद्यालय में था, नियम विरुद्ध जा करके उस महाविद्यालय का प्राचार्य बन गया। उसके प्राचार्य है नेता प्रतिपक्ष के भाई, उसके अध्यापक है। मा0 नेता प्रतिपक्ष के भाई, उसके प्रबन्धक, उसके सदस्य, उसके अध्यापक, उसके क्लर्क, उसके चपरासी, सैफई का कोई बचा नहीं होगा जो हैवरा में अध्यापक, क्लर्क या चपरासी न बन गया हो, सबके सब बन गये है। 103 करोड़ का महाविद्यालय, यह शौक मा0 नेता प्रतिपक्ष पूरा कर सकते हैं, इसको शीश महल बनवा दिया है। हम तो कहना चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो उस समय मुख्य मंत्री थे, वह मुख्य मंत्री की तरह काम नहीं करते थे बल्कि सैफई में जमींदार की तरह, जहां नाच-गाना होता है, वहां तमाम चीजें होती रहीं जो राजा लोग किया करते थे, वही सैफई महोत्सव के नाम पर होता रहा।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये।

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, दो बिन्दु और यह सही है कि पिछले दिनों और आज जो बजट पर चर्चा की गयी, 51 ऐसे महाविद्यालय बनाये जा रहे हैं। 20 महाविद्यालय आदर्श महाविद्यालय बनाये जायेंगें, जिसमें हर तरह की शिक्षा दी जायेगी। जिसमें आधुनिक शिक्षा दी जायेगी-कम्प्यूटर ऑन लाइन, बी0टेक0, बायो-टेक, जेन-टेक, सारे विषय की शिक्षा और इसके साथ-साथ पूरे प्रदेश के लिए ऑन लाइन एजूकेशन की तैयारी इस बजट में की गयी है। हुकुम सिंह जी चले गए अभी चर्चा कर रहे थे। निजी विश्वविद्यालय को भी बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने नई नीति बनाई है। मैं नेता प्रतिपक्ष के लिए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि महाभारत में एक राजा थे।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

मैं बस समाप्त कर रहा हूं। इस सरकार के समय में एक भी नाम नहीं बदला है। राम मनोहर लोहिया के नाम से विश्वविद्यालय है हमारी सरकार की मुखिया बहन मायावती ने कहा कि इसका नाम नहीं बदलेंगे। महाभारत में एक धृतराष्ट्र नाम के राजा थे उनकी सोच यह थी कि दुर्योधन ही सब कुछ हो जाय उसी के लिए वह सारे उपक्रम, मारकाट, पांडवों से झगड़ा सारी आफत करते थे। आज नेता प्रतिपक्ष की हालत धृतराष्ट्र की तरह है उनको सच्चाई बताने की लिए हमारे जैसे संजय की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति आदर व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अभी जब आपको अवसर मिलेगा उस समय अपनी बात कहिएगा। इस समय कोई स्पष्टीकरण नहीं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

अधिष्ठाता महोदय, श्री राकेश धर त्रिपाठी जी हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दिनों के पुराने साथी हैं वह हमारे प्रिय छोटे भाई हैं उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया है उन सभी बातों का उत्तर देना बहुत मुश्किल रहेगा मैं यह इसलिए भी उचित समझता हूं क्योंकि वह उम्र में भी मुझसे छोटे हैं मैं उम्र में बड़ा हूं इसलिए छोटे भाई की बात का प्रतिकार बड़ा भाई न करे तो ज्यादा उचित होता है। जिन बातों का उन्होंने उल्लेख किया है उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि छोटे की बातों का जिक्र करना बड़े भाई को शोभा नहीं देता है। आपने कहा कि आपने 20 बजटों को देखा हैं मैं कहना चाहता हूं कि मैं 30 से भी ऊपर 32वां, तेतीसवां बजट देख रहा हूं। उन बजटों में हमने समझा है। अधिष्ठाता महोदय, दुनियां की आबादी 600 करोड़ से ऊपर है

और वर्ष 2001 की जनगणना के हिसाब से भारत की आबादी 102 करोड़ 70 लाख है। यानी हर छठवां आदमी दुनियां में भारत का है। इसी हिसाब से 102 करोड़ 70 लाख में उत्तर प्रदेश की आबादी 17 करोड़ से ऊपर 18 करोड़ के करीब है। इस प्रकार भारत में हर छठा आदमी उत्तर प्रदेश का है। यदि इसमें उन आदमियों को भी जोड़ लिया जाय जो भारत के बाहर दूसरे देशों में बस गए हैं तो दुनियां का हर पांचवां आदमी भारतीय है और उत्तर प्रदेश से जो दूसरे प्रदेशों में बस गए हैं उनको भी जोड़ लिया जाय तो भारत में हर पांचवां आदमी उत्तर प्रदेश का है। आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश दुनियां का आठवां सबसे बड़ा देश है। मैं यह सब इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि यह बजट दुनियां के आठवें देश के विकास के अनुरूप है या यूं ही उन चीजों का उल्लेख कर दिया गया कि इतना बजट आम जनता के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय में जो हमारा शोध कार्य पी0एच0डी0 है उसका यह अंश था। इसको हमने उद्धरित किया है। इस पर आपकी निगाह रहे। भौगोलिक क्षेत्र में भारत दुनिया में 7वें स्थान पर है और जनसंख्या में हम दूसरे स्थान पर हैं। हमारा कितना घनत्व है आबादी का इस बात पर भी ध्यान हमारे उत्तर प्रदेश का जायेगा तो दुनिया के 8वें देश का जायेगा और इससे भारत की सबसे बड़ी समस्या का समाधान होगा। आपके पेज-1 पर लिखा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और समतामूलक समाज व्यवस्था। यह बहुत अच्छी बात है, यह कौन नहीं चाहता कि वर्ग विहीन, जाति विहीन, समतामूलक समाज की स्थापना हो। यह आज से, न केवल अभी से, बल्कि भगवान बुद्ध के दिनों से अयम् निजःपरोवेति गणना लघुचेतसाम उदार, चरिता नाम तु बसुधैवकुटुम्बम्। जब वसुधा मात्र को कुटुम्ब समझ के भगवान बुद्ध का वह अमर संदेश दुनिया के छोर में गया यहां तो देश और समाज वर्ग विहीन हो जाति विहीन हो समतामूलक हो तो समाज के इस सिद्धान्त को कौन नहीं चाहेगा। लेकिन केवल शब्दों को आप लिख दें और उस पर न चलें तो इससे बात बनती नहीं इसलिये ये रोजगार, ये ग्रामीण विकास, शहरी विकास, रोजगार तथा भौतिक और सामाजिक अवस्थापना का विकास सरकार की प्राथमिकता का जिक्र पेज-1 पर है लेकिन क्या सही मायने में यह आपकी प्राथमिकता है ? नहीं कतई नहीं पेज-2 पर लिखा है पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप की मंशा अभी बहुत से साथियों ने उसका उल्लेख किया। सीधे-सीधे है कि हम किसी इंडीविजुअल को उसका लाभ देना चाहते हैं। यह पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप क्या है यह पब्लिक अंडरटेकिंग्स का जो हाल हुआ। आप देख रहे है कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स प्रायः घाटे में है और इसलिये इस पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप का जो सिद्धान्त है वह हमारी समझ में नहीं आता है। 1 जनवरी, 2008 से आपने वैट को लागू कर दिया। वैट से बहुत सारी समस्यायें बढ़ेंगी इसकी चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें विस्तारपूर्वक चर्चा हाउस में हो चुकी है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

संक्षेप में ही चल रहा हूं। अभी तो प्रस्तावना है।

श्री अधिष्ठाता-

अभी आपको कार्य-मंत्रणा में भी जाना है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

जी हां, पता है। मुझे उसका ध्यान है।

एक सदस्य-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

सबकी संयुक्त जिम्मेदारी होती है। कोई भी मंत्री रहे।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

बिजली की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु 65 हजार करोड़ रुपये से साढ़े दस हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। आपने कहा है लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि आप इस लक्ष्य को पा पायेंगे। पेज-9 पर गंगा नदी के बांयें किनारे बलिया से नोएडा तक आठ लेन एक्सप्रेस-वे का निर्माण की बात कहीं। कितना हाय तौबा मचा है। भाई अम्बिका चौधरी ने बहुत विस्तारपूर्वक इसकी चर्चा कर दी लेकिन हम इसलिये समझते हैं कि इस पर बकायदा आपकी बहुत बड़ी कागजी चीज होगी और आप इसको कार्यान्वित नहीं कर पायेंगे। किसी प्राइवेट संस्था या एक व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ देने के लिये इतनी बड़ी योजना की घोषणा करना जनहित में उचित नहीं है। 40 हजार करोड़ रुपये परियोजना की लागत है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

परियोजना हेतु विकास कर्ता का चयन किया जा चुका है और जो पूर्णतया अपने संसाधनों से इसको करेगा तो आप समझते हैं कि एक व्यक्ति विशेष का चयन करके सारा लाभ उसके खाते में जाय श्रीमन्, अभी समय नहीं हुआ। मैं समय चाहता हूं। मैं उधर देखना नहीं चाहता लेकिन देखना भी आवश्यक है। आपकी कद्र करता हूं। ग्रामीण अवस्थापना पर जिन चीजों का जिक्र किया मैं उस पर जाना नहीं चाहता। सम्पर्क मार्ग कहां बनेंगें कहां नहीं बनेंगें इसका कोई जिक्र ही नहीं है। ग्रामीण पेयजल समस्या जिसका आपने खोला नहीं है। आपने हैंड पम्पों का जिक्र किया है 150 की आबादी पर। इसी में आप कह देते कि 225 पहले दिये थे अबकी हम 500 हैंड पम्प माननीय विधायकगण को देंगें तो हमारी समझ में आता कि आप 150 की आबादी को सैचूरेट करने की दिशा में हैंड पम्पों की स्थापना करना चाहते हैं। (व्यवधान) ठीक है उसका जिक्र आयेगा वो अलग बात है। लेकिन आपको इसका जिक्र करना चाहिए था। शहरी अवस्थापना में

कांशीराम योजना सी0सी0 योजना, के0सी0 योजना इन सारी चीजों का जिक्र है मैं बात को ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहता। योजना की प्राथमिकताएं निर्धारित होनी चाहिए। रोजगारपरक योजनाएं होनी चाहिए। लेकिन जिस शांत व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। सब जगह शांति है, सब जगह कोलाहल है सब जगह त्राहि-त्राहि मची है। बजटिंग का जेण्डर उसकी जिक्र तो कर दिया लेकिन जेण्डर बजटिंग की परिभाषा क्या है उसको कॉमन मैन तक समझाने की कोशिश नहीं की गई और न ही महिलाओं के लिए 33% बजट का क्वान्टीफिकेशन अर्थात् मात्राकरण हो उसको विस्तार से बताया गया है। अन्त में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम पुकारा गया)

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

पंचवर्षीय योजना बनाकर प्रतिवर्ष योजनायें स्वीकार करनी चाहिए। पिछले बजट का 26 प्रतिशत भी आप खर्च नहीं कर पाए। इसको कैसे करेंगे ? 100 निगम आपके घाटे में हैं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक शेर के साथ बात खत्म कर रहा हूं। काश यह बजट इंसानियत का होता, मानवीय आधार का होता, तो हम इसका समर्थन करते, इसी के साथ मैं मैथिलीशरण गुप्त द्वारा कहीं हुई पंक्तियों को कहना चाहता हूं कि जो इंसानियत की परिभाषा को समझती हैं:--

"हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिये,
मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए,
यही पशु प्रवृत्ति है कि आप, आप ही चरे,
मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे।।"

इसी को शेर के रूप में कहेंगे-

"नूर बनके न चमके वह रोशनी क्या है,
अंधेरियां न मिटा दे वह फुलझड़ी क्या है,
किसी के काम न आए वह जिन्दगी क्या है,
और, किसी का दर्द न जाने वह आदमी क्या है।।"

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए किसी भी प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए उस देश का किसान और उस देश का उद्योग दोनों की मजबूती जरूरी है। जब तक इस देश का किसान मजबूत नहीं होगा इस देश का उद्योग मजबूत नहीं होगा तब तक इस देश की प्रगति नहीं होगी। मान्यवर, इस बजट भाषण में, अगर आपके पास इसकी प्रतिलिपि हो तो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 56 पेज के बजट भाषण में उद्योगों के लिए चार लाइन की जगह मिली है सामान्य रूप से औपचारिकता पूरी कर ली गई है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयत्न करेगी। इसके अलावा और कुछ नहीं है पेज नम्बर-24 पर उद्योगों के लिए चार लाइन है। 56-57 पेज के बजट में उद्योगों के ऊपर चार लाइन और प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था, प्रदेश की बजट व्यवस्था को प्रस्तुत करने के वित्तीय व्यवस्था मजबूत करने के लिए क्या सरकार करेगी इस पर है। मैं इसको विस्तार में कहना चाहता था लेकिन मुझे मालूम है कि केवल दस मिनट मिलने हैं। उसके बाद आप लाल बत्ती जलाना शुरू कर देंगें।

श्री अधिष्ठाता-

पांच मिनट मिलेंगें। यह निर्धारित है कि सभी दलीय नेताओं को दस मिनट और बाकी लोगों को पांच मिनट मिलेंगे। सभी अपने-अपने दल के नेता है।

श्री सतीश महाना-

अभी हमारे पुराने मित्र आदरणीय राकेश धर त्रिपाठी जी उठकर चले गये उन्होंने बताया कि उन्होंने 15-16 बजट देखे। मैं निवेदन कर रहा हूं सबसे बढ़िया बजट माननीय लालजी वर्मा जी ने पेश किया। मैंने उनसे पूछा माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो इससे पहले तीन बजट जो प्रस्तुत किये वह कैसे थे तो उनके पास जबाव नहीं था। कि यह अच्छा बजट है या इससे पहले वाला बजट था अगर पिछले वाले बजट से इस बजट का मिलान करते तो लगता कि पिछले बजट की बातें पूरी नहीं हुई तो इस बजट की बातों को कैसे पूरा करेंगे इसमें सन्देह है। मान्यवर, नौकरी कर रहे हैं सरकार की, मंत्री पद पर बैठे हैं एक-दो बार उनकी अच्छी सेवा हो चुकी है अगर वह यह बात नहीं कहते तो उनकी छुट्टी हो जाती। इसलिये उनको अपनी बात कहने की मजबूरी है लेकिन हम यहां बैठे हैं हमारी मजबूरी नहीं है। हम सरकार की अच्छी बातों का समर्थन भी करेंगे लेकिन जहां सरकार की बदनीयती होगी, वहां मैं सरकार को सचेत करने का भी काम करूंगा। मान्यवर, हमारे साथियों ने भी इस बात को कहा है, इस बजट भाषण के पहले पेज पर देखें, जिसमें लिखा है, 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय', अभी मा0 हुकुम सिंह जी कह रहे थे, किसी ने होर्डिंग के नीचे लिख दिया है कि 'एकजन हिताय, सर्वजन सुखाय', यह भी कहा कि स्थान का नाम बता देंगे तो कलेक्टर की नौकरी चली जायेगी, कानपुर चलोगे तो हम दिखायेंगे। मान्यवर, मैं बता रहा हूं कि कहा 'सुखाय' है, 'सुखाय' वहां पर है, जहां पर विधान सभा के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्दर नेता सदन जो हम सब के लिये आदरणीय हैं, अगर उनकी घोषणा के बाद भी यदि शहरी क्षेत्र में 25 विधायकों को 225 में से एक भी हैण्डपम्प नहीं मिलता तो यह 'सुखाय' वाली बात होती है। 'सुखाय' वाली ही बात नहीं है, वह सूखे जा रहे हैं। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बाद भी, अगर यहां पर संसदीय कार्य मंत्री जी कहेंगे कि नगर निगम के मेयर ने लिखकर नहीं भेजा, मैं उपस्थित होता तो विनम्रतापूर्वक कहता कि यदि ऐसी बात थी तो मेयर से पूछकर ही घोषणा करनी चाहिये थी उसके पहले घोषणा करने का कोई औचित्य नहीं था। मान्यवर, जब मुख्य मंत्री की घोषणा है तो प्रदेश के अन्दर किसी भी अधिकारी की, किसी भी मेयर की, किसी भी नगर पंचायत के अध्यक्ष की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मुख्य मंत्री के आदेश के बाद ऐसी बातें कहे। मान्यवर, शहरों के अन्तर्गत रहने वाली जो जनता है, गांवों से काम की तलाश के लिए लोग आते हैं, वह झोपड़ियों में आकर रहते हैं, यदि हम वहां पर उनको हैण्डपम्प से पानी भी नहीं दे सकते हैं तो हम सबको इसके लिए धिक्कार है। मान्यवर, यदि मैं विस्तार से चर्चा करूंगा तो समय लगेगा। मान्यवर, हम आदर सम्मान करते हैं वह इस देश की केवल एक पार्टी के लिए ही पूज्य और आराध्य नहीं है, डा0 भीमराव अम्बेडकर, वह इस देश के हर व्यक्ति के लिए आराध्य और पूजा है। उन्होंने इस देश को संविधान दिया था, हम सब उनका आदर करते हैं। आदरणीय कांशीराम जी का भी हम सब आदर करते हैं, लेकिन मान्यवर, इस देश के अन्दर एक परम्परा चली आ रही थी कि 'सब का आदर', 1857 की क्रान्ति का डेढ़ सौ वर्ष मना रहा है, हमारा देश, कानपुर से जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, उस छोटे से स्थल के लिए भी चाहे 1 करोड़ रुपया ही दिया जाता, लेकिन इस बजट में इसके लिए 1 लाख रुपया भी नहीं दिया गया है। सभी महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। महापुरुषों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, रोड की बात है एक उत्तर आ जाता है कि जब आप थे, तब हमें सड़कें नहीं मिली। इसका मतलब है कि आप हैं तो हमें देंगे नहीं, गुमराह क्यों कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, शहरी विकास की बात करना चाहता हूं, इस प्रदेश की 25 प्रतिशत जनता शहरों में रहती है। तो 25 प्रतिशत बजट पर इनके लिए प्राविधान होना चाहिए। मान्यवर, सड़कें नहीं हैं, मा0 कांशीराम जी के नाम पर योजना बनायी है। आदरणीय कांशी राम जी का नाम उसमें जुड़ा है, उसको सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। मान्यवर, जिस व्यक्तित्व के नाम के साथ इस योजना को जोड़ा गया है, उस योजना में कहने के लिए, गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं, शहरों में जो गरीब रह रहे हैं, झोपड़ी के अन्तर्गत नाले भी बना रहे हैं, उनको उजाड़ रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि पैसा जब दोगे, तब तुम्हें मकान दिया जायेगा तो फ्री में मकान नहीं दिया जा रहा है। गरीब लोगों का उत्पीड़न करने का काम इस योजना के द्वारा किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने गरीब की चिन्ता की थी, उस व्यक्ति के नाम पर गरीब का उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है। उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, वहां पर कहा जा रहा है कि तुम्हारे को उजाड़ के, तुम्हारा मकान तोड़ रहे हैं तो मकान तोड़ने के बाद, उसको हटाने के बाद उससे कहा जाता

है कि पैसे दो, तब मकान मिलेगा यह सच है। मान्यवर, इसी प्रकार जेएनयूआर योजना की बात करते हैं, इस बजट भाषण में ही देखें, जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन के अन्तर्गत जो केन्द्र सरकार को पैसा देना है, उसका जितना शेयर राज्य सरकार को देना है उसका कहीं प्राविजन किया है ? कोई प्रावधान नहीं किया है, इसका मतलब आप उस योजना के माध्यम से जनता को गुमराह करना चाहते हैं। केन्द्र सरकार को जितना पैसा देना है, यदि आप अपना शेयर नहीं देंगे तब तक यह योजना क्रियान्वित नहीं होगी। मान्यवर, अन्तिम बात, सारे सदन के लिए सारे विधायकों के लिए, मान्यवर, आपके लिए भी है, विधायक निधि के बारे में कहना चाहता हूं।

मान्यवर, विधायक निधि के बारे में कहना चाहता हूं। कितनी मंहगाई बढ़ गयी है। वैट पर 12 प्रतिशत टैक्स लगाया है तो विधायक निधि सवा सौ करोड़ पर कम से कम 12 प्रतिशत बढ़ा दें। विधायक निधि इतनी बढ़ा दें। क्योंकि अगर उतना भी नहीं बढ़ाओगे तो जितना काम होता है उससे भी कम हो जाएगा। इसमें तो मान्यवर, हां कह दो। अगर मैं बुन्देलखण्ड की बात न करूं तो बुन्देलखण्ड के साथ अन्याय होगा तो मान्यवर, हमें बुन्देलखण्ड की भी चिन्ता होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे अवसर दिया। मैं समय सीमा को देखते हुए सिर्फ एक-दो बिन्दुओं पर अपनी बात रखूंगा। मान्यवर, 16 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आयी है और अगर इसने कुछ असंवैधानिक कार्य नहीं किया तो 5 साल चलने की गारन्टी है। इसलिए अपेक्षा यही थी कि यह सरकार 5 साल की एक लम्बी योजना बनायेगी और पूरे देश के सामने एक आदर्श शासन की एक सफल भूमिका को संचालित करते हुए देश के सामने रखेगी। यह सरकार जब सत्ता में आयी है तो उसके साथ ही 11वीं पंचवर्षीय योजना भी शुरू हुयी है और 2012 में 11वीं पंचवर्षीय योजना इस सरकार के अधिकृत कार्यकाल के साथ समाप्त होगी अर्थात् यह सरकार कुछ लक्ष्य तय करती और वर्षवार उसे बांट देती तो कह सकते थे कि हमने उक्त साल का लक्ष्य तय किया था और अगले साल का बजट प्रस्तुत करते समय यह बता सकती थी कि उसने उक्त साल में जो लक्ष्य तय किया था उसमें कितनी सफलता पायी है लेकिन इस पूरे बजट में उन लक्ष्यों के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। इस सरकार ने पहली बार सत्ता ग्रहण करते हुए इस प्रदेश के बंटवारे की बात सड़कों पर की लेकिन इस विधान सभा के अन्दर आकर बंटवारे की कोई चर्चा नहीं की। राजनीतिक रूप से हम बंटवारे की चर्चा न करें लेकिन अगर हमें इस बात का अहसास था कि इस प्रदेश का बंटवारा इसलिए जरूरी है कि प्रदेश का संतुलित विकास इसलिए नहीं हुआ। तो इस सरकार को 5 साल के लिए इस प्रदेश के संतुलित विकास के लिए योजना बनानी चाहिए थी। इस बात की जानकारी करनी चाहिए थी कि आखिर कौन से कारण हैं कि उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास इतना पिछड़ा है और इस बात के विशेष प्राविधान करने चाहिए थे धन का ऐसा वितरण करना चाहिए था। सरकार के पास उदाहरण है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केन्द्र सरकार ने 11वें, 12वें वित्त आयोग का गठन करके विभिन्न राज्यों को जनसंख्या के आधार पर भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर राजस्व की उपलब्धता के आधार पर आर्थिक संसावनों के वितरण का काम किया है तो उसी प्रकार से यह सरकार तय कर सकती थी कि प्रदेश के जो 4 आर्थिक जोन पूर्वी, पश्चिमी, बुन्देलखण्ड और केन्द्रीय जोन है। हम इन आर्थिक जोनों को किस प्रकार से आर्थिक संसाधनों का वितरण करेंगे। सरकार की नारेबाजी हमेशा इस बात पर हुयी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर सरकार राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कहती रही है तो राजनीतिक हिस्सेदारी का सिद्धान्त आर्थिक हिस्सेदारी में भी लागू करना चाहिए। अगर 40 प्रतिशत जनसंख्या पूर्वी उत्तर प्रदेश की है तो प्रदेश का जितना बजट बना है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी उसको दी जानी चाहिए। कुल मिलाकर पूर्वांचल निधि के नाम पर 150-200 करोड़ रुपये दिया गया है। इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, बुन्देलखण्ड के लिए जितनी बातें हुयीं उसका समर्थन करता हूं लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, सरकार ने उसके बारे में जो आंकड़े बताये हैं चाहे अस्पतालों की संख्या, चाहे विद्यालयों की संख्या, चाहे साक्षरता की दर, सड़कों की उपलब्धता, ग्रामीण आय के बारे में, शहरी आय के बारे में उद्योग धन्धों की संख्या के बारे में काम करने वाले कामगारों की संख्या सारे आधारों पर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सरकार यह जानती थी और अपने आंकड़ों में बता रही थी, इतनी पीड़ा अगर बुन्देलखण्ड के लिये व्यक्त की जा रही थी, तो कहीं न कहीं वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये पीड़ा प्रतिध्वनित होनी चाहिये थी। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि क्षेत्रीय विषमता दूर होनी चाहिये अन्यथा कहीं न कहीं आक्रोश पनपता है। इस सरकार से मेरी मांग है कि वह बजट में स्वीकार करे और आर्थिक क्षेत्र विषमता उन्मूलन आयोग का गठन करे, उन सारे कारकों का पता करे जिनके नाते विकास नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

सिर्फ एक मुद्दा और लूंगा। दूसरी चीज मैं सिर्फ दूसरे पन्ने को पलट रहा हूं। यह महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण है और यह वित्त मंत्री का बजट भाषण है। महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह लिखा है कि प्राइवेट पार्टनरशिप के दौरान जो इसमें चर्चा की गई है इसमें यह कहा गया है प्राइवेट पार्टनरशिप की कम्पनियों को दस प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों को, दस प्रतिशत पिछड़े और हिन्दू अल्पसंख्यक लोगों को और दस प्रतिशत आर्थिक रूप से गरीब लोगों के लिये व्यवस्था करनी होगी। यह है महामहिम श्री राज्यपाल का अभिभाषण जिसे हम लोगों ने सदन में पास किया। जो वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि उसमें यह है कि प्राइवेट पार्टनरशिप में आने वाली कम्पनियों को सरकारी नीतियों के अन्तर्गत सम्पूर्ण रोजगार का आरक्षण के अन्तर्गत पालन करना पड़ेगा। मैं यह जानना चाहता हूं

कि इन दोनों बातों में क्या सही है। इन प्राइवेट पार्टनरशिप की कम्पनियों को आरक्षण के नियमों का पालन करना पड़ेगा या 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों को अरक्षण देना पड़ेगा। क्या सरकार अपनी आरक्षण नीतियों में कुछ परिवर्तन कर रही है या सिर्फ जनता को भुलावा दे रही है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इसलिये कह रहा हूं कि यह जो सारा बजट प्रस्तुत किया गया है आठ लाख करोड़ का निवेश हम मानते हैं इसमें से पांच लाख पचहत्तर हजार करोड़ निजी क्षेत्र से आना है और जिस प्रकार की शर्तें हमने लगाई है एक साल का हमें अनुभव है, इस सरकार ने एक बार भी इस सदन को यह नहीं बताया है कि एक साल के कार्यकाल के अन्दर कितना पूंजी निवेश हुआ है, कितना एम0ओ0यू0 साइन हुआ, कितना लेटर आफ इन्टेंट मिला, वास्तव में कोई फैक्ट्री निर्मित होना शुरू हुई या नहीं, अगर एक साल में एक भी नहीं हुआ है तो आखिर इन आरक्षण के नियमों के माध्यम से किस प्रकार यह सुनिश्चित करेगी कि वास्तव में यहां पूंजी निवेश हो, मुझे तो नहीं मालुम। अधिष्ठाता महोदय मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि अगर पूंजी निवेश नहीं होगा, निजी क्षेत्र का पांच लाख पचहत्तर हजार करोड़ रुपये का, तो यह जो कुछ आपने भ्रमजाल पैदा किया है इसमें कोई भी मानक पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट दिशाहीन, विकासहीन, दृष्टिहीन और भ्रमजाल पैदा करने वाला बजट है और मैं इसका विरोध करता हूं।

* श्री प्रदीप माथुर-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वित्त मंत्री जी द्वारा 2008-09 के बजट अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आभारी हूं। मान्यवर, इस बजट की किताब को देखने के बाद तो यह लगता है कि यह वर्तमान सरकार कारपोरेट सेक्टर से बहुत गाइड हो रही है और इससे यह लगता है कि यह बजट कारपोरेट सेक्टर का बजट है। जहां आम आदमी, गरीब आदमी की बात हो वहां पर प्राइवेट पार्टनरशिप की बात होती है और जहां गरीब को पानी पिलाने की बात हो उसका कोई खास जिक्र नहीं होता हैं। मान्यवर, बजट के पन्ने को पलटें और देखें कि जब से उत्तराखण्ड इस उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है उसके बाद इस प्रदेश सरकार को चाहिये था कि वह टूरिस्ट इण्टस्ट्रीज के ऊपर पूरा तवज्जो देती। लेकिन इसकी कोई चर्चा इस बजट में नहीं की गई है। किसी तरह का इसमें कोई जोर नहीं है कि किस तरह से यह सरकार पर्यटन को बढ़ावा देगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जहां पूरे तरह से यह सरकार पर्यटन को बढ़ावा देगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जहां पूरे देश में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हो रही है, वहां उत्तर प्रदेश में पर्यटन का जिक्र न करके एक ऐसी बात कर दी है जैसे भारत वर्ष से उत्तर प्रदेश में पर्यटक आते ही न

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो। मान्यवर, अच्छा होता कि, पिछली सरकार ने कुल अस्सी करोड़ का बजट रखा था, यह सरकार उसे बढ़ाकर दो सौ से चार सौ करोड़ का रखती। उत्तर प्रदेश में जो एक संस्कृति और विरासत का प्रदेश कहलाता है उसके लिये कोई बजट होता। इसके लिये इसमें कोई प्राविधान नहीं है तमाम हैरिटेज बिल्डिंग हमारी उत्तर प्रदेश में खड़ी है। मान्यवर, वर्तमान स्थिति को देखे तो हमें भूतकाल की उन तमाम ऐतिहासिक इमारतों का ध्यान रखना होगा।

मान्यवर, जहां तक प्रश्न है प्रोग्रेस का, डेवलपमेंण्ट का हम बात करते हैं एयरपोर्ट बनाने की जेवर में क्या आवश्यकता है जेवर में एयरपोर्ट बनाने की जबकि हमारा दिल्ली में इन्दिरा गांधी इण्टरनेशनल एयरपोर्ट 70 कि0मी0 की दूरी पर है। एयरपोर्ट आदि आपको बनाना था तो मथुरा और आगरा के बीच में बनाते जिससे नेशनल और इण्टरनेशनल टूरिस्ट आगरा में उतरता सीधे और आगरा में ताजमहल और मथुरा जनपद में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली की सारी लीलाओं को पर्यटक देश और विदेश से आ कर के देखते। मान्यवर, जहां तक सवाल पर्यटन का है वहां अयोध्या को विकसित करना चाहिये था, बनारस को विकसित करने के लिये पैकेज देना चाहिये था। मथुरा जनपद को विकसित करने के लिये पैकेज देना चाहिए था। मान्यवर, हम लोगों को तो बहुत खुशी हुई थी जब पश्चिम से हमारी मुख्य मंत्री बनी थी, उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये अलग से एक विशेष पैकेज देना चाहिये था हम देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी-पूरी उपेक्षा की गई है। कोई आज तक स्पेशल पैकेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नहीं दिया गया है, जो दिया जाना चाहिये था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कमाता है और पूरे प्रदेश में उसकी कमाई लगाई जाती है पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न कोई थर्मल पावर प्रोजेक्ट है न कोई इस तरह की व्यवस्था है जिससे वहां मूलभूत बिजली की आवश्यकता पूरी होती रहे। जहां तक इण्डस्ट्रियलाईजेशन का प्रश्न है, सिर्फ इण्डस्ट्रिलाईजेशन के नाम पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद में पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के तमाम इण्डस्ट्रियल एरिया सिक पड़े हुए हैं उनका कोई पुरसाहाल नहीं है आज रिकवरी निकल रही है उन एस0एस0आई0 यूनिट्स की आज रिकवरी निकल रही है उन उद्योगों की जो बिल्कुल बन्द हो चले हैं और तमाम पूंजीपति या इण्डस्ट्रियलिस्ट इसके कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे है। मान्यवर इस बजट में उन लोगों का प्राविधान होता तो अच्छा रहता। मान्यवर, रही प्राइवेट पब्लिक पार्टीसिपेशन की बात, एक अच्छा विषय है, इसमें हमें कतई विरोध नहीं करना चाहिये मान्यवर, इस प्राइवेट पब्लिक पार्टीसिपेशन के माध्यम से नई परियोजनाओं को लाना चाहिये । मान्यवर, मैं सीधे-सीधे वैट के बारे में भी कहना चाहूंगा, वैट एक अच्छी प्रणाली लागू की गई है परन्तु तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम ऐसे उद्योग हैं जिसमें कि वैट का परसेण्टेज जो अभी तक व्यापार पर नहीं लगा करता था उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, सरकार उस पर पुनर्विचार करे और इस बारे में सोचे कि एक आम आदमी कहां जायेगा ?

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन के ऊपर आना चाहता हूं, केन्द्र सरकार ने इतनी बड़ी परियोजना सात शहरों के लिये उत्तर प्रदेश में दी परन्तु बड़ा खेद का विषय है कि न तो बजट में प्राविधान किया गया स्टेट शेयर का और न ही अभी तक अखबार में पढ़ा होगा।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मसला है, एक बात और कह देना चाहता हूं कि इस मामले में जो रिवाल्विंग फण्ड से जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन के लिये मार्जिन मनी देने की बात थी सरकार उससे विदड्रा करने की सोच रही है। हजारों करोड़ की वह जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन की यह योजना जो हमारी केन्द्र सरकार के द्वारा दी जा रही है, वह फेल हो जायेगी। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र मथुरा-वृन्दावन की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जहां गत सरकार द्वारा इण्ट्री टैक्स लगा दिया गया है, जिसकी हम नियम-51 में भी चर्चा कर चुके हैं, मेरी समझ में नहीं आता है कि लाखों रुपये की हेरा-फेरी हो रही है क्या यह वर्तमान सरकार इस इण्ट्री टैक्स को मथुरा और वृन्दावन भगवान कृष्ण के दर्शन करने आने वाले से पूरे देश, विदेश से लोग आते हैं उस इण्ट्री टैक्स को समाप्त कर देगी। मान्यवर, वृन्दावन-मथुरा में यमुना बिल्कुल प्रदूषित हो गई हैं लाखों तीर्थ यात्री आते हैं आचमन करने के लिये और इतना प्रदूषित पानी है कि पी नहीं सकते हैं, मान्यवर, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मथुरा में तीन चौकियों का अपग्रेडेशन होना था वह थाने बनने थे, गत सरकारों में भी हम कहते रहे, इस सरकार में भी हमने कहा कि इन चौकियों का अपग्रेडेशन कराइये। वहां पर अगर आप देखें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां तमाम टूरिस्ट आते हैं यदि आप अग्निशमन केन्द्र वहां पर देखें बिरासू है उसको जल्दी बनवाने का कष्ट करें। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कोशिश की गई है इस बजट में एक कारपोरेट थॉट देने की परन्तु इसको अमलीजामा पहनाना होगा तभी यह कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने वर्ष 2008-2009 के बजट समर्थन पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अधिष्ठाता महोदय वर्ष 2007-2008 का बजट प्रस्तुत करते समय उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी द्वारा उत्तर प्रदेश के अन्दर अपनी प्राथमिकताओं और नीतियों को स्पष्ट करते हुए कहा था। मान्यवर, हमारी सरकार का लक्ष्य ''सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय'' के सिद्धान्त पर चलकर समतामूलक समाज की व्यवस्था स्थापित करना है।

मान्यवर, प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी द्वारा प्रदेश के समग्र विकास के लिये ग्रामीण विकास, शहरी विकास, रोजगार तथा भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना के विकास का लक्ष्य बनाकर सरकार की प्राथमिकताओं को प्रदेश के अन्दर तेजी से लागू किया गया है।

मान्यवर, हमारी सरकारी समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने की बहुत बड़ी चुनौती को स्वीकार किया है। मान्यवर, जिसके लिये हमारी सरकार ने मध्यम वर्गीय अर्थनीति लागू करने का निर्णय लिया है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमारी इस नई आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण अंग है। इस नई व्यवस्था से प्रदेश की आवाम, उपभोक्ता, किसान व्यापारी एवं उद्योगों को पर्याप्त लाभ होगा। इसके लिये उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार को कोटिशः धन्यवाद।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने निर्माण कार्यों में अराजकतत्वों एवं माफियाओं के दखल को समाप्त कर टेण्डर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये इलेक्ट्रानिक टेण्डर प्रणाली लागू की है जिसमें टेण्डर एवं ठेकेदारी व्यवस्था में माफिया राज समाप्त होगा।

मान्यवर, अब कोई भी व्यक्ति भयमुक्त होकर टेण्डर के लिये आवेदन कर सकेगा। मैं इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लिये विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में लगभग 65 हजार करोड़ रुपये के निवेश से साढ़े दस हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली के उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है उससे हमारे प्रदेश के ग्रामीण अंचलों को भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिये मैं माननीया मुख्य मंत्री के कुशल नेतृत्व एवं वित्त मंत्री जी एवं ऊर्जा मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने प्रदेश के निचले पायदान पर जीवन यापन करने वालों के लिये वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को दो गुना करके तथा मजदूरों की मजदूरी 58 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने का ऐतिहासिक फैसला किया है।

मान्यवर, हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे आठ लेन का निर्माण 40 हजार करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है जो ऐतिहासिक कदम है। मान्यवर, इस परियोजना से बलिया से नोयडा तक बसने वाले सभी गांवों एवं शहरों का समुचित विकास होगा तथा नदी के किनारे बसे गांवों को बाढ़ से ही स्थाई रूप से निजात मिल सकेगी। इस अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्य के लिये उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, हमारी सरकार ने पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के समग्र विकास हेतु बुन्देलखण्ड को सूखाग्रस्त घोषित किया और बुन्देलखण्ड में सौ करोड़ की लागत से एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो सराहनीय कदम है। मान्यवर, हमारी उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बांदा जिले में तीन सौ पचास करोड़ की लागत से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कालेज और झांसी में मान्यवर, कांशीराम जी पैरा मेडिकल कालेज का निर्माण करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है जो सराहनीय कदम है। मान्यवर, हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के मुख्य मंत्री पद की शपथ लेते ही गुण्डे माफिया अपनी जमानतें तोड़वाकर जेल चले गये या प्रदेश छोड़कर भाग गये। हमारी सरकार ने विशेष अभियान चलाकर समाज में भय और अशान्ति फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर एवं निष्पक्ष कार्यवाही की है।

मान्यवर, इससे साफ हो गया है कि हमारी सरकार पिछली सरकार की अपेक्षा प्रदेश की जनता के हित में काफी संवेदनशील है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं जिनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश के अन्दर अन्याय मुक्त, अपराधमुक्त एवं भयमुक्त के वातावरण में कानून का राज्य कायम हुआ है। मान्यवर, इसके साथ ही 2008-09 के बजट प्रस्तावों का मैं स्वागत एवं समर्थन करता हूं। मान्यवर, अन्त में दो लाइन कविता की पंक्ति है जो सामने बैठे समाजवादी का ढिंढोरा पीटने वालों के लिये कहना चाहता हूं।

"तूने चमन को उजाड़ा हम सजाने चले हैं।
रो रही है जनता हम हंसाने चले हैं।
लेकर पैगाम भाई चारा का हम,
सामाजिक समरसता की दुनिया बसाने चले हैं।"

(मेजों की थपथपाहट)

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे 2008-2009 के बजट की सामान्य चर्चा पर समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री राम विशुन आजाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है उत्तर प्रदेश को लगभग 18 करोड़ जनता का उससे भला होने वाला नहीं है। इस बजट में दलितों, पिछड़ों और समाज के उन गरीब तबकों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं इस बजट से उनका विकास नहीं हो सकता है। इस बजट को देखने से लगता है कि इसमें पिछड़ों और दलितों के लिये विकास की कोई योजना नहीं हैं मान्यवर, यह सरकार सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के मार्ग पर चलकर एक मानवतावादी समतामूलक समाज व्यवस्था की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थापना की बात करती है जो भ्रामक है। यह सरकार उत्तम प्रदेश बनाने की बात तो करती है, कानून का राज लाने की बात करती है, प्रदेश के विकास के लिये बेहतर शान्ति व्यवस्था माहौल के साथ-साथ कृषि को बढ़ावा देने की बात करती है जो प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रदेश में आज जंगल राज कायम है। कानून व्यवस्था लुंजपुंज हो चुकी है। ऐसा किसी भी सरकार में नहीं रहा है। कागजी आंकड़ों में अपराध को छिपाया नहीं जा सकता है। इस प्रदेश में 70 प्रतिशत लोग ग्रामों में निवास करते हैं यह कृषि प्रधान प्रदेश है परन्तु इस सरकार द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई ठोस योजना नहीं बनायी गयी है। किसानों के लिये खाद, बीज, दवा, कृषि यंत्र सस्ते दामों पर देने की कोई योजना इस बजट में नहीं रखा है जिससे कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके। आज प्रदेश के सारे नलकूप खराब पड़े हैं, नलकूपों पर आपरेटर नहीं रहते हैं। कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है कहीं तार नहीं हैं तो नलकूप कैसे चलेंगे। सरकार जो 8 घंटे 9 घंटे बिजली दे रही है जिसका कोई समय नहीं है। कृषि उत्पादन के लिये विद्युत व्यवस्था ठीक करनी होगी। कृषि लागत गेहूं की फसल में 950 रुपये और धान की लागत एक हजार रुपये आती है परन्तु उसका उचित मूल्य किसानों को नहीं मिलता है। आज किसान परेशान है। गेहूं एवं धान की फसल का रेट बढ़ाकर 1200 रुपये और 1500 रुपये प्रति कुन्तल कर दिया जाय ताकि किसान अपनी उत्पादन लागत मूल्य प्राप्त कर सके। प्रदेश में दलितों को पट्टा दिया गया था लेकिन वह केवल कागजों पर है उन्हें अभी तक पट्टा का कब्जा नहीं दिया गया है। आपने कहा है कि जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिये समस्त अधिकारी 10 से 12 बजे तक कार्यालय में बैठेंगे। मेरी निश्चित जानकारी है कि कोई भी राजस्व अधिकारी समय से कार्यालय में नहीं बैठता है। समस्या पैदा करने वाले लोग ही अधिकारियों से मिलकर जो उत्पीड़ित लोग हैं उनका और उत्पीड़न करवाते हैं।

आप इन्दिरा आवास की बात करते हैं। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को चयनित नहीं किया जाता है। अपात्रों का ही चयन किया जाता है। बीपीएल कार्ड धारक एवं अन्त्योदय कार्ड धारकों की जो स्थाई सूची बनाई गयी है उसमें अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पात्र व्यक्तियों का नाम नहीं दर्ज किया गया है। इसीलिये इन्दिरा आवास में उनका चयन नहीं हो पाता है और अपात्रों का चयन बिचौलियों के माध्यम से कर लिया जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना जो वर्तमान में 39 जनपदों में चल रही है। इसमें जो जाब कार्ड बनाये गये हैं उसमें प्रधानों और ग्राम विकास अधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों की मिली-भगत से धांधलेबाजी हो रही है। मेरे क्षेत्र में जाब कार्ड बनाने में धांधली बाजी की गयी है। मजदूरों को 100 रुपया मजदूरी न देकर शोषण किया जा रहा है। 100 दिन काम देने की बात सरकार कर रही है लेकिन अभी तक 100 दिन काम नहीं दिया जा रहा है। आज इस सरकार ने जिस तरह से गन्ना किसान का उत्पीड़न किया है ऐसी किसी भी सरकार ने गन्ना किसान का उत्पीड़न नहीं किया। लगभग 1100 करोड़ रुपया गन्ना किसान का आज बाकी है और इसे 31 अगस्त तक देने का वायदा इस सरकार द्वारा किया गया था लेकिन

वह भुगतान आज तक किसान को नहीं मिला। आज चीनी मिलें जो चल रही हैं, उनके द्वारा भी गन्ना किसान का शोषण किया जा रहा है, इस तरह का शोषण किसी भी सरकार के जमाने में गन्ना किसानों का नहीं हुआ। निगम क्षेत्र की मिलों पर 180.99 करोड़ रुपया देय था जिसमें से 51.24 करोड़ रुपया भुगतान किया गया है अभी भी 129.75 करोड़ रुपया बकाया है। इसी तरीके से सहकारी चीनी मिलों पर 387.04 करोड़ रुपया देय था, इसमें से 162.36 करोड़ रुपया भुगतान हुआ है, 224.68 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है। निजी क्षेत्रों की शुगर मिलों का 3024.81 करोड़ रुपया देय था अभी 2345.17 करोड़ रुपया भुगतान हुआ है और 679.64 करोड़ रुपया बकाया है। इस तरीके से सरकार द्वारा अभी तक गन्ना किसानों का बकाया मूल्य भुगतान नहीं किया गया है। कृषकों पर अगर कोई बकाया होता है तो सरकार उन्हें लाकअप में बन्द करके वसूली करती है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा झिलाही वजीरगंज मार्ग पर एक पुल स्वीकृत हुआ था, जिसे सरकार द्वारा काट दिया गया। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में एक विद्युत उपकेन्द्र जो झिलाही में बनना था, उसे भी काट दिया गया। इसी प्रकार एक गेस्ट हाउस विकास खण्ड छपिया में बनना था और महिला अस्पताल मनकापुर तहसील मुख्यालय पर बनना था, जिसे भी वर्तमान सरकार द्वारा काट दिया गया। मान्यवर, राजस्व विभाग द्वारा जो 710 करोड़ रुपया बाढ़ क्षेत्र एवं सूखाग्रस्त इलाकों में देने की बात कही गयी है, वह बहुत ही कम है। इससे बाढ़ क्षेत्र और सूखाग्रस्त क्षेत्र का भला नहीं हो सकता। जिस तरीके से आज बुन्देलखण्ड सूखाग्रस्त है वहां लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं उसी तरीके से कहीं ऐसा न हो कि पूर्वांचल को भी बाढ़ से जूझना पड़े। पिछले साल जो बाढ़ आई थी उससे पूर्वांचल में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और आज तक किसानों को उनकी क्षति का मुआवजा नहीं प्राप्त हुआ। मेरे जनपद के तहसील तरबगंज में सरयू नदी से जो बाढ़ से प्रभावित गांव का नुकसान हुआ, आज तक उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गयी, मात्र कागजों में ही सिमट कर रही गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

* श्री महिपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2008-2009 के लिये प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का जो अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, 2007-2008 का बजट भी हमारी नेता बहन कु0 मायावती जी ने प्रस्तुत किया था। उस समय प्रस्तुत किया था जब उससे पहले उधर बैठे हुए लोग इधर बैठे थे और उस समय मात्र सैफई के नाम पर पूरे प्रदेश का शासन, पूरे प्रदेश का बजट खर्च किया जाता था, उसके बाद हमारी सरकार आई और हमारी सरकार ने 2007-2008 का बजट प्रस्तुत करने का काम किया। मान्यवर, 2007-2008 के बजट में बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्तमान सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा था और सरकार का लक्ष्य

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय" का नारा देने का काम किया था उस पर चलकर समतामूलक समाज की स्थापना करना. इसी क्रम में चलकर हमारी सरकार को प्रदेश के पिछड़ेपन के कुचक्र को तोड़कर प्रदेश के समग्र विकास के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी विकास रोजगार के अवसर, भौतिक और सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में कामयाबी मिली है। मान्यवर, हमारी सरकार ने माननीया मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों के लिये कल्याणकारी और रोजगारपरक योजनाएं शुरू की हैं। हमारी सरकार का मानना है कि समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास और उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना बहुत बड़ी चुनौती है। जिसका सामना साम्यवादी, पूंजीवादी किसी भी प्रकार की एकांगी दृष्टिकोण रखने वाली अर्थव्यवस्था के जरिये नहीं किया जा सकता। मान्यवर, हमारी सरकार ने प्रदेश में नई मध्यमार्गी अर्थनीति लागू करने का निर्णय लिया है इसका दृष्टिकोण किसी भी विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध होने के स्थान पर व्यवहारिक एवं यथार्थवादी है। हमारी सरकार की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमारी नई आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण अंग है। इसी क्रम में हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिये आरक्षण की एक माडल योजना तैयार की है। इससे सरकार योजनाओं के साथ-साथ प्राइवेट क्षेत्र में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व उचित अनुपात में हो सकेगा। मान्यवर, आप अवगत हैं कि देश में लगभग सभी राज्यों में मूल्य संवर्धित कर प्रणाली वैट 2006-2007 लागू हो चुकी थी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां अभी तक पिछली सरकार ने वैट प्रणाली को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये लागू नहीं किया था। विश्व स्तर पर यह एक स्थापित मान्यता है कि वैट एक पारदर्शी प्रणाली है, जिसमें व्यापारी वर्गों के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों का पूर्ण रूप से हित सुरक्षित है। मान्यवर, हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि और देश में फैली अराजकता, माफियागीरी एवं गुण्डागर्दी को समाप्त करना है। इसी बुनियाद पर हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का विश्वास हासिल किया है और बहन मायावती जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। इसी क्रम में नौ महीने के शासनकाल में हमारी सरकार के सत्ता में आने के परिणामस्वरूप 2006-2007 की तुलना में डकैती में 22 प्रतिशत, लूट में 33.3 प्रतिशत, हत्या में 19.1 प्रतिशत, बलबा में 20 प्रतिशत रोड होल्ड अप में 25 तथा रोटी हेतु अपहरण में 42 प्रतिशत की कमी आई है। अनुसूचित जाति के उत्पीड़न में 10 प्रतिशत की कमी आई है, हमारी सरकार का मानना है कि बिना पारदर्शिता के भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। इसी क्रम में सरकार ने एक पारदर्शी नीति इलेक्ट्रानिक टेण्डर प्रणाली लागू की है जिससे ठेकेदारी प्रक्रिया में माफियाराज समाप्त होगा, मान्यवर, इससे कोई भी व्यक्ति किसी से भी भय मुक्त होकर टेण्डर के लिये आवेदन कर सकेगा। इसी नीति के कारण उत्तर प्रदेश के औद्योगिक घरानों में पूंजी-निवेश करने का मन बनाया है। हमारी सरकार की प्राथमिकता गन्ना किसानों को बकाये गन्ना मूल्य का यथाशीघ्र भुगतान करने की है, जिससे किसानों का हित प्रभावित न हो। किसानों का गन्ना मूल्य के भुगतान में लापरवाही चीनी मिलों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। मान्यवर, इधर जो लोग बैठे हैं मैं इसके बैक में जाना चाहता हूं कि वर्ष 2006-2007 का जब गन्ना मूल्य निर्धारित किया जा

रहा था, जब मान्यवर, 22 सौ, 23 सौ रुपये प्रति क्विंटल चीनी का रेट था तब मान्यवर, यह 122, 125 तथा 130 रुपये का रेट दे करके वाहवाही लूटने का काम कर रहे थे। लेकिन मान्यवर, सरकार जो मूल्य निर्धारित करती है उससे कम में खरीदने के लिये बाध्य नहीं करते मिलों को लेकिन इनकी सरकार में 160, 170 रुपये के रेट से मिल से लेना चाहते थे लेकिन यह चाहते थे 125 और 130 के रेट पर। किसान हितों की बात करने वाले इन लोगों को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारी सरकार ने 125, 130 रुपये के रेट से गन्ना लेने का काम तब किया है जब चीनी का रेट 12 सौ और 13 सौ रुपये प्रति क्विंटल है यह समाजवादी पार्टी के लोग हाईकोर्ट में जा करके 110 रुपये के रेट पर बजाज ग्रुप ने वहां पर स्टे लेने का काम किया है जो इनकी पार्टनरशिप में काम करने का काम करते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने गन्ना मंत्री जी को कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जा करके वहां पर उस आदेश का स्टे ले करके 122, 125, 130 रुपये का रेट दिलवाने का काम किया। अभी कुछ हमारे साथी धान की बात कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा के सीमावर्ती जो किसान हैं जब यहां पर धान का रेट कम होता था, धान सड़ता था तो हरियाणा में हमारे लोग जा करके देने का काम करते थे लेकिन हमारी सरकार ने 45 हजार एकड़ के हिसाब से धान का मूल्य दिलवाने का काम किया है, इसके लिये मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को एवं मा0 कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जो हमारे वित्त मंत्री ने 2008-2009 का बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में आपने हमें बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, इस बजट में यह लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी और भागीदारी के तहत समतामूलक समाज की स्थापना का नारा दिया गया है। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के करीब 25 प्रतिशत लोग रहते हैं, लेकिन उनके लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं है। छात्रवृत्ति के लिये जितना प्रावधान किया गया है, उससे 10 गुना ज्यादा अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति के लिये प्रावधान किया गया है। जितना प्रावधान है वह बहुत कम है, इससे तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वंचित रह जायेंगे। मान्यवर, जहां तक काम के आधार पर आरक्षण की बात है तो मुस्लिम दलितों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, दो तरह का नहीं होना चाहिए कि धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं देंगे, धर्म के आधार पर हम आरक्षण मांगते भी नहीं हैं। जो धोबी हिन्दू समाज के लोग हैं उनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है और वही धोबी जो मुस्लिम समाज का है, उसे पिछड़ी जाति का दर्जा मिला हुआ है। इसलिये मेरी यह भी मांग है कि जो दलित समाज के मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाये। उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, गूजर समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। निषाद, कश्यप, बिन्द समाज के लोग जो बहुत दबे-कुचले समाज के लोग हैं उनको अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिये सरकार को प्रस्ताव

भेजना चाहिए। इस बजट में शिक्षा की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है, पिछले वित्तीय वर्ष में हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में सैकड़ों प्राथमिक स्कूल बनाये गये थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 2007-08 में मात्र 11 प्राथमिक स्कूल बनाये गये हैं और तो और जब से यह सरकार गठित हुई है हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट के एक भी स्कूल को मान्यता नहीं दी गई है और तो और जनपद खीरी का निघासन और श्रीनगर के बीच में पचपेडीघाट का पुल था, जो पिछली सरकार ने स्वीकृत किया था उसको भी रोक दिया गया है, उसका भी पैसा वापस ले लिया गया है। जहां तक शिक्षा की बात है माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश का कार्यालय इलाहाबाद में है लेकिन लखनऊ मण्डल और इलाहाबाद मण्डल के हजारों लाखों परीक्षार्थी अपने अंकपत्रों को सुधरवाने के लिये या अपने फार्मों को भरवाने के लिये किसी कमी को दूर करने के लिये इलाहाबाद जाना पड़ता है । मेरठ, बरेली, मुरादाबाद और बनारस में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं लेकिन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय खुलवाने के लिये इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बजट में गन्ना किसानों के भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गन्ने का रेट 150 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिये था। पिछली सरकार में 125 और 130 रुपये का भुगतान हुआ। इस सरकार में गन्ना किसानों की कमर टूट गई, पूरे प्रदेश में किसान परेशान है, खाद उनको मिली नहीं, चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई थी। उत्तर प्रदेश में जो बंजारा समाज के लोग हैं जो जानवरों को खरीदनें और बेचने का काम करते हैं, एक जिले से खरीदते हैं और दूसरे जिलें को ले जाते हैं उनको पुलिस और साम्प्रदायिक तत्व मिलकर उनके जानवरों को छीन लेते हैं, उसकी भरी गाड़ियों को छीन करके बंटवाने का काम करते हैं, उनके ऊपर मुकदमें कायम करके उनको जेल में भिजवाने का काम करते हैं, इसकी भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करिये।

डा0 आर0ए0 उस्मानी-

मान्यवर, जो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, उसको भी बन्द करने का काम किया, रोजगार देने के नाम पर 18 हजार पुलिस कर्मियों को बेरोजगार करने का काम किया। कन्या विद्या धन लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने का एक स्रोत था, गरीब लड़कियों को इण्टर पास करने के बाद 20 हजार रुपये मिलता था और वह उससे स्नातक की शिक्षा पूरी करती थी, उसको भी बन्द करने का काम किया गया। इसी तरीके से लखीमपुर में जो पचपेडीघाट का पुल रोका गया है, जो छोटे-छोटे पुल थे, जिससे हजारों लाखों लोग किनारा करके शार्टकट निकल आते, एक छोटा पुल था जिस पर 20-25 लाख रुपये का खर्च था उसको भी इस सरकार ने वापस करने का काम किया है। पूरे प्रदेश में विद्युत की बहुत बड़ी कमी है। इस समय हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षायें होने वाली हैं, बच्चे तैयारी करने के लिये पढ़ते हैं, पता नहीं कितनी बार बिजली आ-जा रही है, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है ब्लाक नकहा जो लखीमपुर

खीरी में पड़ता है, उसमें नउवापुर अम्बेडकर ग्राम है जो इसी वर्ष 2007-08 में बनाया गया है और उसको अभी तक मुख्य सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है, उसमें भी बीच में एक पुल बनना है, उसके लिये भी इसमें व्यवस्था नहीं है। एक बड़ा गांव, बडेग गांव नकहा ब्लाक में है जो अम्बेडकर ग्राम है, वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और तो और श्रीनगर विधान सभा लखीमपुर खीरी जनपद में पड़ती है, उसमें आजादी के 60 वर्ष के बाद भी एक डिग्री कालेज नहीं है। अभी मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे, उस विधान सभा में आज बजट में भी कोई डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था नहीं की गई है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

डा0 आर0ए0 उस्मानी-

असेवित विकास खण्ड दाउदपुर में सुश्री मायवती कन्या इण्टर कालेज स्वीकृत था, उसका भी अनुदान रिलीज नहीं किया गया और उसकी भी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। इस बजट में उर्दू मोअल्लिम जो बी0टी0सी0 के समकक्ष डिग्री है, उसको भी समकक्ष डिग्री देने का काम इसमें न ि किया गया है। यह बजट पूरी तरह से अल्पसंख्यक विरोधी है, छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, इसलिये इस बजट का मैं विरोध करता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मौका दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट 2008-09 पर बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। बजट को "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" कहा गया है लेकिन यदि इसे "खास जन हिताय और खास जन सुखाय" कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। बजट क्षेत्रीय विषमताओं, आर्थिक विषमताओं व सामाजिक विषमताओं से ओतप्रोत है। विकास दर का 10 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है कृषि क्षेत्र में 5.7 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य है इसके लिये 8.11 लाख करोड़ की जरूरत होगी जबकि आयोजनागत खर्च सिर्फ 38568.35 करोड़ है। लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षित यदि कोई क्षेत्र है तो वह कृषि है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार खेती लाभ का सौदा नहीं है। गरीब को किसान को मजदूर को तथा आगरा को पूरी तरह से उपेक्षित रखा गया है। पूरे बजट में यदि जोर है तो किसानों के जमीन को अधिग्रहीत करने पर जोर है। गंगा एक्सप्रेस वे, ताज एक्सप्रेस वे, लिंक एक्सप्रेस वे गाजियाबाद से सहारनपुर-मोहान, झांसी से कुशीनगर, आगरा से कानपुर, बिजनौर से फतेहगढ़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप व एस0ई0जेड0 पर जोर है। कल तक जो किसान मालिक था वह भिखारी व मजदूर बनते जा रहे है। हम चाहते हैं कि अधिग्रहण नीति को सर्वहितकारी किसान हितकारी बनाया जाये जमीन का पूल बना लें तथा आधी जमीन विकसित करने के बाद किसान को लौटा दें। कीमत सर्किल रेट से नहीं बल्कि बाजार भाव से तय हो। किसान अन्नदाता है पूरे बजट में उपेक्षा के शिकार किसान के लिये सामाजिक

सुरक्षा योजना का कोई इन्तजाम नहीं है। किसान को न खाद, न बीज, न बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि बीमा योजना जैसे व्यवसाय में लागू है समग्र रूप से लागू हो। कर्ज न चुकाने पर जमीन छीनने के प्राविधान को हटाया जाय। कृषि ऋण को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर लाने की जरूरत है। अलग कोष से प्राकृतिक नुकसान की भरपाई 500 रुपये प्रति हेक्टेयर से ज्यादा हो। शोध कार्य किसान के खेत तक पहुंचे। कृषि क्षेत्र के उत्पादों को निर्यातोन्मुखी बनाये। प्रदेश के लिये कृषि बजट का प्रावधान हो। सब्सिडी सीधे किसान को मिले। फसल चक्र पर ध्यान दिया जाये। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विशेष दर्जा दिया जाय। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करें। इसे 150 करोड़ की जगह ज्यादा सहायता दें। के0सी0सी0 पर 4 प्रतिशत बीमा काटा जाता है वह आपदा में मिले। पाले से आगरा में आलू का 50 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। बेसिक शिक्षा अकेले स्कूल बनाने से पूरा नहीं होगी हमारे विधान सभा क्षेत्र में ही करीब 700 अध्यापकों की प्राइमरी व जूनियर लेविल पर कमी है। जरूरत है अच्छे टीचर्स व पढ़ाई के माहौल की। जनसंख्या नियंत्रण आज की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है यह पूरी तरह उपेक्षित है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के मुखिया का भविष्य सुरक्षित करने के लिये सरकार द्वारा गरीब बीमा योजना लागू करनी चाहिए। अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अलावा क्षेत्र की बहुत बड़ी आबादी अन्य गांवों में भी रहती है लेकिन सरकार इन गांवों के गरीब किसान के अवस्थापना सुविधाओं की तरफ से मौन है। बीमार के लिये दवाएं ही मुख्य हैं दवाओं का बजट बहुत कम है 234 करोड़। डाक्टरों के रिक्त पदों के बारे में कोई प्राविधान नहीं किया गया। पेयजल समस्या आगरे की बहुत बड़ी समस्या है। बुन्देलखण्ड जैसी हालत की तरह आगरा की भी हालत होने जा रही है। यमुना में पानी नहीं है जो है भी वह प्रदूषित है। जल स्तर 75 मीटर तक पहुंच गया है। यमुना को तुरन्त पानी की जरूरत है। पालड़ा से तथा हर नाल एस्केप से तथा हरियाणा से गंगा द्वारा पानी मिले। आगरा की पेयजल, उद्योग तथा जूते पर टैक्स, इलेक्ट्रानिक सिटी व लेदर पार्क के बारे में कोई प्राविधान नहीं। पर्यटन उद्योग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आगरा पूरी तरह से उपेक्षित है। यमुना तथा उटंगन नदी के संगम पर फतेहाबाद में बैराज बनाने के बारे में कोई प्राविधान नहीं है। कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब हैं आगरा जनपद में 2007 में 5000 से ज्यादा अपराध हुए। मुख्य मंत्री, देश के प्रतिपक्ष के नेता सुरक्षित नहीं। आतंकियों के लिये प्रदेश आरामगाह बन गया है। खेलों के बारे में बजट मौन है। फतेहाबाद में मिनी स्टेडियम बनाने के बारे में बजट मौन है। फतेहाबाद में 63 पुराने अम्बेडकर गांव में व मंजरों का विद्युतीकरण नहीं हो सका, लिंक रोड नहीं बनी, शमसाबाद आगरा रोड बेहद खराब है। जूते, [illegible] डीजल इंजन पर जीरो प्रतिशत वैट किया जाय। इन शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 पी0 के0 राय-

अधिष्ठाता महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण मे मैं भाग लेने से वंचित रहा

गया था। संसदीय कार्य मंत्री जी की मेरे ऊपर कृपा रही उन्होंने कहा कि बजट भाषण पर ही बोलियेगा। उस दिन मैंने कहा "हाजिर वही सवाल है बदले लिबास में। राही भटक रहे हैं मंजिल की तलाश में।"

(इस समय 5 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

डा0 पी0 के0 राय-

मतलब मैं उस दिन कह नहीं पाया था। सवाल वही है दवाई का, पढ़ाई का, खाद का, सड़क का, बिजली का, पानी का, सुरक्षा का। आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं मात्र केवल आलोचना करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। मेरा मानना है कि आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। और सत्ता पक्ष को भी उसे उसी भाव से लेना चाहिए। वर्तमान सरकार का संकल्प है "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" समतामूलक समाज की स्थापना, भ्रष्टाचारमुक्त, अन्यायमुक्त, भयमुक्त, अपराधमुक्त, विकासयुक्त समाज की स्थापना। विपक्ष का काम मान्यवर, आईना दिखाना है। हकीकत यह है कि यह बहुत ही सराहनीय संकल्प है लेकिन हकीकत यह है कि अब तक इसका उल्टा ही नजर आ रहा है और कानून का राज केवल कहने को रह गया है। मैंने बजट भाषण पढ़ा और उसमें सामान्य व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये चिन्तन मंथन हुआ होगा विद्वतजनों ने यह तय किया कि अब तक की जो अर्थनीति थी चाहे वह पूंजीवादी नीति रही हो, साम्यवादी हो, समाजवादी हो या अन्य कोई अर्थनीति। एकांगी दृष्टिकोण से इस समस्या से निजात नहीं पाई जा सकती है इसलिये मध्यममार्गीय एक सामान्य नीति लाये हैं और वह है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, स्वागत है उसका। शुरूआत हुई है, इब्तिदा हुई है गंगा एक्सप्रेस हाई वे से और उसका स्वागत जन मानस के द्वारा किस रूप में किया गया है इसका भी सहज अंदाजा आपको भी होगा खैर यहां चर्चा हुई है मैं उस पर नहीं कहना चाहता। क्योंकि बलिया में हम भी रहे हैं और करैल क्षेत्र के जो लोग हैं जहां की मिट्टी सोना उगलती है उनके दुःखी चेहरों को हमने भी देखा है और शायद यह वजह रही होगी कि बलिया का जो जनादेश हुआ सम्भवतः इसके ऊपर उनकी नकारात्मक टिप्पणी रही होगी। मान्यवर, आंकड़े की बात मैं नहीं करना चाहता लेकिन निश्चित तौर पर विगत वर्षो से ज्यादातर आपने 11 प्रतिशत बजट में वृद्धि की है। नई योजनाओं में आपने 44 प्रतिशत, आयोजनागत में आपने तकरीबन 22 प्रतिशत वृद्धि की है और लक्ष्य आपका है कि विकास दर को 10 प्रतिशत तक ले जाने का ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का दूसरा वर्ष चल रहा है और यह लक्ष्य तब ही प्राप्त किया जा सकता है जब कि 8.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश हो जिसमें कि 5.75 निजी क्षेत्र और 2.36 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र से हो। मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपने बजट बढ़ाया है विगत वर्षों से ज्यादा। चाहे वह विकलांगों का हो, विधवाओं का हो, वृद्धों का हो। लेकिन जो हमारे साथियों ने कहा है उससे अलग हटकर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि विधायकों की हैसियत निश्चित तौर पर घटाई गई है वर्तमान व्यवस्था में। इसी सदन में माननीय नेता सदन की घोषणा थी कि विधायकों के प्रस्ताव पर

पांच-पांच राजस्व गांव अम्बेडकर गांव चयनित किये जायेंगे। उनके प्रस्ताव पर उनका चयन होगा। जो पहले 10-10 गांव चयनित किये जाते थे पूर्ववर्ती सरकार में। जो भी विधायक हैं चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों उन्हें इस बात का ज्यादा अंदाजा है कि उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में कहा विकास नहीं हुआ है। कहां पर उसकी आवश्यकता है, लेकिन उनको उनके इस अधिकार से भी वंचित किया गया है और मैं इसलिये कह रहा हूं कि इस बजट में डा0 भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर जो कार्यक्रम है, जो गांव है उन्हीं में सी0सी0 रोड बननी है, नाली बननी है, सम्पर्क मार्ग बनने हैं। हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन जब बजट बढ़ाया गया तो विधायकों को भी कुछ न कुछ अधिकार गांव चयन करने का नहीं था तो पूर्ववर्ती सरकार की तरह पांच किलोमीटर, सात किलोमीटर सड़क देने का काम कर दिया गया होता। हां यह जरूर है माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी और अन्य सम्मानित मंत्रीगण का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हम लोगों का सम्मान जरूर बढ़ा है जो इधर की तरफ बैठे सम्मानित विधायक लोग हैं उसमें मैं अपने को भी महसूस करता हूं हम लोगों का सम्मान इसलिये बढ़ा हुआ है कि अगर हम अपने इलाके में कोई भी ऐसा अधिकारी जो अनियमित कार्य कर रहा है, जो गलत कार्य कर रहा है जो बेइमानी कर रहा है, जो चोरी कर रहा है अगर उसकी हम शिकायत कर देते हैं तो निश्चित रूप से उस अधिकारी की चोरी करने से डकैती करने की हैसियत उत्पन्न हो जाती है कैसे हो जाती है मैं नहीं जानता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैंने यहीं पर कहा था कि बड़े पैमाने पर तस्करी होती है हमने जब टोकने की रोकने की कोशिश की, बिहार सीमावर्ती तरया सुजान थाना है रोज खुले आम पैसा लिया जा रहा है मुकदमें दर्ज नहीं होंगे थाने पर बैठा दिया जायेगा। दो दिन तक बैठाये रखा जायेगा पैसा भी दस हजार बीस हजार, मेरे जैसे व्यक्ति मान्यवर, मैं कह सकता हूं कि मैंने आज तक गलत बयानी नहीं की है और आज भी गलत बयानी नहीं कर रहा हूं।

बिहार सीमावर्ती है और बड़े पैमाने पर यहां तस्करी हो रही है। कम समय में मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं बिजली पर चर्चा हुई है बिजली की उपलब्धता बहुत कम है। एक चीज और संज्ञान में लाना चाहता हूं मैं भी डेढ़ साल से देख रहा हूं पैसा देने के बाद भी बिजली विभाग इतना निरंकुश हो गया है कि ट्रांसफार्मर बदलने का काम नहीं हो रहा है। मेरे इलाके में 6-7 घण्टे से ज्यादा बिजली की प्रतिपूर्ति नहीं हो रही है यह अच्छी बात है नेता सदन ने कहा था कि 60 वर्षों में मात्र तीन हजार मेगावाट बिजली उत्पादित हुई और आपने नौ महीने के कार्यकाल में साढ़े 6 सौ मेगावाट बिजली उत्पादित किया है। लेकिन इसी के साथ बिजली की व्यवस्था कहीं से भी करके पूर्व में जो व्यवस्था थी 14 घण्टे 16 घण्टे उसका भी इंतजाम करना चाहिये। चिकित्सा के बारे में, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मुझे आपके तेवर देखकर डर लग रहा है। चिकित्सा की बात जहां तक है मान्यवर, आपने बजट में 20 प्रतिशत का इजाफा किया है। 330 करोड़ रुपया आपने पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 के लिये दिया है। 200 करोड़ रुपया आपने उपकेन्द्रों को दिया है। केवल बिल्डिंगों को बना देने से चिकित्सा व्यवस्था में सुधार होने की

सम्भावना नहीं है उसकी इकाई चिकित्सक हैं जिसकी कमी के बारे में कोई भी बात बजट में नहीं कही गई है। मान्यवर, आप कल तक चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे आपसे मिलने में और अपनी बात कहने में आसानी थी बजट में यह कहा गया है कि 50 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कालेज खोलने की योजना वर्तमान सरकार की है। यह अच्छा कदम है यह सराहनीय कदम है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी मैं यह कहना चाहता हूं आप नये मेडिकल कालेज खोलिये। आप जितने ज्यादा खोल सकें खोलिये लेकिन वह मां जिसका बच्चा पहले से भूखा हो और वह मां और बच्चे पैदा करती चली जाए, यह जो राजकीय मेडिकल कालेजेज हैं उनके ऊपर एम0सी0आई0 की तलवार लटक रही है उसकी मान्यता समाप्त करने की, उसके बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा है कि राजकीय मेडिकल कालेज के बारे में आपने क्या इंतजाम किया है। मान्यवर, इसके अलावा मैं नरेगा के बारे में कहना चाहता हूं सरकार का संकल्प है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या आधी कर दी जायेगी और उत्तर प्रदेश और देश की प्रति व्यक्ति आय का अन्तर 52 प्रतिशत का है उसको भी आधा कर देना है। रोजगार का सृजन भी है, नरेगा एक महत्वाकांक्षी योजना कही जा सकती है लेकिन नरेगा का जो कार्यान्वयन हो रहा है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, मा0 नेता सदन ने कहीं पर घोषित किया है कि यदि वह प्रधान मंत्री बनेंगी तो 365 दिन रोजगार दिया जायेगा, सराहनीय है, भगवान करें ऐसा हो। लेकिन जो 100 दिन का रोजगार देने की बात है, जमीनी हकीकत यह है कि 100 दिन का रोजगार भी गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, वहां जॉब कार्ड केवल भरे जा रहे हैं वह जॉबकार्ड कुछ ठेकेदारों ने अपने पास ले रखे हैं, उसके द्वारा नहरों की सफाई कराई जा रही है लेकिन जिस गरीब को रोजगार मिलना चाहिये, उसे काम नहीं मिल रहा है, इसकी मुझे निश्चित जानकारी है। आपने जितनी योजनाओं का जिक्र किया है, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग, पेंशन, इसे दो गुना कर दिया है, लेकिन यह कहना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह महत्वपूर्ण है कि वास्तव में उसका लाभ जो धरातल पर है वहां तक पहुंच रहा है या नहीं ?

मान्यवर, नरेगा के बारे में कहना चाहूंगा कि आप इसकी निष्पक्ष जांच निश्चित तौर पर कुशीनगर जनपद की कराइये, 60/40 का जो रेसियो है, जिसकी इकाई एक गांव पंचायत होती है उसका भी उल्लंघन किया गया है। ब्लाकों में जो धन का आवंटन होना चाहिये, उसका भी उल्लंघन किया गया है, एकरूपता नहीं है और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जब गांव पंचायतों को 2-2 लाख रुपया सीधे देने का निर्णय लिया गया, मैंने कनिश्नर से शिकायत भी की थी कि ब्लाकों पर 6 परसेंट, 7 परसेंट कमीशन लेकर वह रुपया दिया गया है और ब्लाकों को भी पैसा मिला है जो कमीशन पर मिला है, तो बताइये कैसे गरीबी दूर होगी ? गरीबी का रिश्ता बीमारी से है, लेकिन अस्पतालों में चिकित्सक न होने से, अस्पतालों में इवाइयां न होने से, बीच में संख्या बढ़ी थी, अस्पतालों में लेकिन आप पता लगाइये, इधर अस्पतालों में संख्या घटने लगी है और अगर आप मातृत्व मृत्यु दर जैसा कि इस बजट भाषण में कहा गया है, जो दूसरे तीसरे पन्ने पर है कि 517 से 258 पर ले आना है और शिशु मृत्यु दर 76 से 36 पर ले आना है तो यह कैसे

पूरा होगा, इसके बारे में भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। मेडिकल कालेज के बारे में मैंने आपसे कह दिया है। मान्यवर, मैं बाढ़ प्रभावित इलाके से हूं, माननीय सिंचाई मंत्री जी चले गये, अगर सुने होते तो बेहतर होता, मैंने नियम-51 में सवाल भी लगाया था, आज जवाब आया है, मेरे क्षेत्र का एक है, जवाब आया है कि एक गांव को बचाने के लिये बाढ़ की सुरक्षा का कार्य नहीं किया जा सकता, क्या यही संवेदनशीलता है, सरकार की, कि एक गांव यदि बांसी नदी से कट रहा है और नियम-51 के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं तो उसका जवाब यह आ रहा है कि कटान हो रही है 100 मीटर की दूरी पर गांव रह गया है लेकिन एक गांव को बचाने के लिये बाढ़ के सुरक्षात्मक उपाय, सुरक्षा योजना नहीं बनाई जाती है इसलिये इसको कर पाना सम्भव नहीं है। मान्यवर, हमारे यहां सरकारी बैंकों की स्थिति बड़ी खराब है, कसया, देवरिया सहकारी बैंक में लोगों ने अपने बचत का पैसा, पेंशन का पैसा, जिसका जैसे पड़ गया है, एक पैसे की भी निकासी नहीं हो पा रही है। बैजनाथन कमेटी की संस्तुतियों के लागू होने के बाद भी अभी वहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मान्यवर, गन्ना किसानों की बात आखिर में मैं कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा, एक स्पष्टीकरण भी इसमें मैं चाहूंगा, मान्यवर, हमारे यहां गन्ना किसानों का इतना जबर्दस्त केशर उद्योग है कि पूरा आसमान काला हो जाता है यदि आप गोरखपुर से कुशीनगर जाइये कुकरौली में, 30 रुपये, 40 रुपये कुन्तल पर गन्ना बेचा है, किसानों ने।

डा0 पी0के0 राय-

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने भी कहा था कि वर्तमान समय में 129 चीनी मिलें पेराई कर रही हैं। लेकिन बजट भाषण में यह लिखा हुआ है कि विगत वर्ष 133 चीनी मिलें पेराई कर रही थीं और इस वर्ष 142 चीनी मिलें पेराई कर रही हैं। भगवान जाने कि क्या बयान सत्य है या बजट में लिखा हुआ बयान सत्य है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कल भी चर्चा होनी है तो उसमें बहुत से माननीय सदस्य हिस्सा ले लेंगे।

(चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 फरवरी, 2008 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुईं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण इस प्रकार है। पहली सूचना श्री शम्भू चौधरी की जनपद कुशीनगर स्थित नारायणी नदी के तट पर अवैध बालू खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है: दूसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की जनपद वाराणसी स्थित गंगा नदी में राजघाट से रामनगर तक आरक्षित कछुआ सैन्युअरी क्षेत्र समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के

सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। चौथी सूचना श्री राम किशुन की जनपद चन्दौली में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। पांचवीं सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह की जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में आलू के फसल के नुकसान होने से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। छठीं सूचना श्री उदयराज यादव की राज्य संसाधन केन्द्र उ0प्र0 साक्षरता निकेतन, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लम्बित वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। सातवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महानगर के शाहपुर में बैम्बे योजना के अन्तर्गत आवास विकास परिषद् द्वारा बनाये गये भवनों का आवंटन न किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। आठवीं सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की जनपद आगरा स्थित दयालबाग अन्तर्गत सपनबाग पार्क पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। नवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह की जनपद गोरखपुर के ब्लाक बेलघाट, उरूवा और गोला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सक की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। दसवीं सूचना श्री रणवेन्द्र सिंह की जनपद फतेहपुर स्थित रामगंगा निचली नहर एवं उससे निकलने वाली सभी माइनरों में जल उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई-श्री अब्दुल वारिस खां, श्री विद्या सागर गुप्ता, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री संजय कपूर, श्री इमरान मसूद, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री प्रजापालन, श्री हरपाल सिंह, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री पूरन प्रकाश, डा0 आर0ए0 उस्मानी, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सुरेश कुमार खन्ना।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 फरवरी, 2008 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 20 फरवरी, 2008 से 14 मार्च, 2008 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-शनिवार, दिनांक 1 मार्च, 2008 को सदन का उपवेशन हो तथा उस दिन नियम-51, 56, 300, 301, 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

2-दिनांक 20 फरवरी, 2008 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जाय।

3-दिनांक 22 फरवरी, 2008 तथा 7 मार्च, 2008 को सदन के उपवेशन न हों।

4-दिनांक 20 फरवरी, 2008 से 14 मार्च, 2008 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रखा जाय :-

फरवरी, 2008

20 बुधवार 1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008 (आधा घण्टा)

(ख) उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 (आधा घण्टा)

(ग) उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (आधा घण्टा)

(घ) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (आधा घण्टा)

2-वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

21 गुरुवार
22 शुक्रवार
23 शनिवार
24 रविवार
} बैठक नहीं होगी।

25 सोमवार
26 मंगलवार
27 बुधवार
28 गुरुवार
29 शुक्रवार
} वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

मार्च, 2008

01 शनिवार वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

02 रविवार बैठक नहीं होगी।

03 सोमवार
04 मंगलवार
05 बुधवार
} वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मार्च, 2008

06 गुरुवार (महाशिवरात्रि का अवकाश) बैठक नहीं होगी।

07 शुक्रवार
08 शनिवार
09 रविवार
} बैठक नहीं होगी।

10 सोमवार
11 मंगलवार
} वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

12 बुधवार 1-वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-**3.00 बजे अपराह्न**

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

13 गुरुवार विधायी कार्य।

14 शुक्रवार असरकारी कार्य।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक सूचना, जो अभी माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति शासन की नीति के अनुरूप न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत तहसील लालगंज .....

एक सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[में संग्रामगढ़ को विद्युत आपूर्ति 132 के0वी0 उपकेन्द्र कुण्डा से निकलने वाले 33 के0वी0 फीडर पर स्थित 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र संग्रामगढ़ द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त लालगंज तहसील के 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों लालगंज, सांगीपुर एवं उदयपुर को 132 के0वी0 लालगंज से निकले 33 के0वी0 लालगंज फीडर द्वारा विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती है।

इस सम्बन्ध में यह सूचनीय है कि वर्तमान में विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता के अनुरूप शासन द्वारा आदेशित विद्युत आपूर्ति कार्यक्रम के अनुसार विद्युत आपूर्ति कराये जाने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है, तथापि विद्युत प्रणाली की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर आपातकालीन विद्युत कटौती कराया जाना अपरिहार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय विद्युत प्रणाली में उत्पन्न व्यवधानों के कारण भी विद्युत आपूर्ति बाधित होती रहती है।]

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के डार्क घोषित विकास खण्डों में निःशुल्क बोरिंग, सामान्य नलकूप कनेक्शन योजना बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अनिल चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भूगर्भ जल स्तर निरन्तर घटता चला जा रहा है।

एक सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[इसके कारण प्रदेश सरकार ने बहुत से विकास खण्डों को डार्क घोषित कर दिया है।

डार्क घोषित विकास खण्डों में फ्री बोरिंग योजना (लघु सिंचाई), सामान्य नलकूप कनेक्शन योजना (विद्युत विभाग) आदि किसान हित की योजनायें बन्द कर दी गई है। इन योजनाओं के बन्द होने से किसान अपनी खेती की सिंचाई नहीं कर पा रहा है। जिससे राष्ट्र का कृषि उत्पादन घट रहा है।

शासन द्वारा डार्क घोषित विकास खण्डों के किसानों को सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्थायें यथा नहरी पानी, नदी वालों पर बन्धों तालाब में वर्षा जल एकत्रीकरण इत्यादि भी नहीं किया जा रहा है।

तहसील सादाबाद जनपद महामायानगर के दोनों विकास खण्ड सादाबाद व सहपऊ डार्क घोषित हैं। नहर के टेल पर होने के कारण नहरी पानी से भी यह क्षेत्र वंचित है। इस क्षेत्र की स्थिति बुन्देलखण्ड की तरह भयावह है। किसान अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहा है। जिसके कारण वह सदियों से अत्यधिक उपजाऊ इलाका उजाड़ होता जा रहा है खेती की उत्पादकता घट रही है। इस क्षेत्र में विशेष कार्ययोजना बनाकर सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता कराना अत्यन्त आवश्यक है।

वक्तव्य-

जनपद महामाया नगर के तहसील सादाबाद के विकास खण्ड सादाबाद में सामान्य से काफी कम वर्षा होने के कारण भूगर्भ जल का स्तर गिरने के कारण विकास खण्ड सादाबाद को डार्क घोषित किया गया। इस विकास खण्ड के अन्तर्गत भूगर्भ जल स्तर को ऊपर उठाने के लिये वर्ष 2003-04 में राया-व्याही एवं विझारी नाले पर विभिन्न स्थलों पर चार चेक डैम एवं कखन नदी पर 02 चेकडैम का निर्माण कराया गया ताकि इनके द्वारा वर्षा जल का संचयन करके भूगर्भ जल स्तर को ऊपर उठाया जा सके एवं चेकडैम में संचित जल से यथासम्भव सिंचाई सुविधा भी प्रदान की जा सके। इस वर्ष इस विकास खण्ड में सामान्य से काफी कम वर्षा होने के कारण इन चेकडैमों में जल संचय न हो पाने से सिंचाई सुविधा नहीं प्रदान की जा सकी। उक्त के अतिरिक्त इस विकास खण्ड में 10 तालाबों में नहरों से पानी भरकर भी भूगर्भ जल स्तर को ऊपर उठाने का कार्यक्रम चलाया गया। जनपद महामायानगर के तहसील सादाबाद के विकास खण्ड सहपऊ के अन्तर्गत 06 तालाबों को भी नहरों से भरकर भूगर्भ जल स्तर को ऊपर उठाने की योजना क्रियान्वित की गई।

जनपद महामायानगर के तहसील सादाबाद के विकास खण्ड सादाबाद में सिंचाई खण्ड हाथरस की मढभोज माइनर की टेल पड़ती है। जिसे फसली वर्ष 1415 खरीफ/रबी में टेल फीड कराई जा चुकी है। विकास खण्ड सहपऊ के अन्तर्गत आने वाली शहवाजपुर माइनर, तामसी माइनर, बढार माइनर, राजवाहा विसाना एवं राजवाहा गिजरौली की टेलें पड़ती हैं जिनको रोस्टर के अनुसार फीड कराया जा चुका है।

इस प्रकार डार्क घोषित विकास खण्डों के किसानों को वर्तमान में सिंचाई हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तावित नहीं है। लक्ष्य के अनुसार खरीफ फसली में तालाबों को नहरों द्वारा भरवाया जाता है। अन्य विभागों/एजेन्सियों के साथ-साथ सिंचाई विभाग द्वारा भू-गर्भ जल स्तर को ऊपर उठाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं ताकि भविष्य में यह विकास खण्ड डार्क क्षेत्र से बाहर घोषित कराकर इनमें नलकूप इत्यादि वैकल्पिक सिंचाई सुविधाओं की सम्भावना विकसित की जा सके।

गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में शासकीय आदेशों का अनुपालन न किये जाने से बी0पी0एल0 सूची का पुनर्सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना.....

एक सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[दी गई है कि गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के कर्मचारियों की टीम गठित कर बी0पी0एल0 सूची का सर्वेक्षण कार्य कराये जाने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिये गये थे, परन्तु नगर आयुक्त द्वारा आदेशों की अवज्ञा कर सर्वेक्षण कार्य नहीं कराया गया जबकि यह कार्य 08-02-08 तक पूर्ण होना था। मा0 सदस्य का कथन है कि नगर आयुक्त की संवेदनहीनता एवं लापरवाही के कारण जिलाधिकारी, गोरखपुर के हस्तक्षेप से बी0पी0एल0 सर्वेक्षण कार्य 08 फरवरी, 2008 को प्रारम्भ हुआ।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर द्वारा बी0पी0एल0 पात्रता सूची के पुनसर्वेक्षण हेतु सर्वेक्षण टीमों के गठन कर कार्य सम्पादित कराने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु उनके द्वारा समय से कार्यवाही पूर्ण न करने की स्थिति में जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा लेखपालों, नगर निगम कर्मियों एवं खाद्य एवं रसद विभाग के कर्मियों की संयुक्त टीमें गठित कर सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ कराया गया है। इस कार्य में 55 लेखपालों, 15 निगम कर्मियों एवं 14 खाद्य एवं रसद विभाग के कर्मियों (कुल 84 कर्मियों) को लगाया गया है, जिनके द्वारा तीव्रता से सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है, नगर निगम के सभी 70 वार्डों में सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है एवं अब तक 60 प्रतिशत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो गया है। सर्वेक्षण का कार्य गतिमान है।]

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, सरकार ने इस सदन में लिखित रूप से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही को स्वीकार किया है। मैंने नियम-51 में जो 12 तारीख को नोटिस दिया था मैंने यह

नोट :-[ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।

कहा था कि बी0पी0एल0 के पुर्नसर्वेक्षण के कार्य में गोरखपुर महानगर में लापरवाही हो रही है। गोरखपुर के सी0डी0ओ0 ने नगर आयुक्त को पत्र लिखा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, गोरखपुर के जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को पत्र लिखा लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। अन्त में जिलाधिकारी ने मजबूर होकर महापौर जो एक राजनैतिक व्यक्ति हैं, को पत्र लिखा और यह कहा कि नगर आयुक्त को कार्यवाही करने के लिये कहिये। सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनके द्वारा समय से कार्यवाही न कराये जाने के कारण अर्थात् सरकार ने इस बात को मान लिया कि नगर आयुक्त गोरखपुर ने इतने महत्वपूर्ण कार्य में, बी0पी0एल0 के पुर्नसर्वेक्षण जैसे कार्य में, जो मुख्य सचिव द्वारा आदेशित होकर सभी जिलों में गया था, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया नम्बर एक, और नम्बर दो सरकार ने यह भी बताया है कि सत्तर वार्ड की गोरखपुर महानगर में 15 नगर कर्मी दिये गये। मैं यह जानना चाहता हूं सरकार से कि सरकार अगर यह मानती है कि गोरखपुर नगर आयुक्त ने सी0डी0ओ0 और जिलाधिकारी के पत्र की अवहेलना की, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, जबकि आप लिखित रूप से यह स्वीकार कर रहे हैं तो आपने इस नगर आयुक्त के विरुद्ध क्या प्रशासनिक कार्यवाही की ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसका कार्य जो दिया गया था वह कार्य प्रारम्भ हो गया है और वह पूरा हो जायेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, हम लोग एक समस्या लेकर आते हैं, अधिकारी की लापरवाही के बारे में बताते हैं तो आप न स्वीकार करें तो यह बात समझ में आती है। आप स्वीकार करें उसके बाद भी उन्हें बचाने का प्रयास करें तो यह बात समझ से परे हैं। अगर आपने कहा है कि जिलाधिकारी और सी0डी0ओ0 के पत्र के बावजूद कार्यवाही नहीं की गयी तो यह अपेक्षित था कि आप कहते कि हम इसकी जांच करायेंगे और इनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम इसकी जांच करायेंगे और उसमें कोई दोष होगा तो कार्यवाही होगी।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, 70 वार्ड का नगर निगम है और नगर निगम से सिर्फ 15 कर्मी दिये गये हैं। पचास लेखपाल बहारी क्षेत्रों के लगा दिये गये जो गोरखपुर महानगर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं इसलिये बी0पी0एल0 सर्वे वहां पर बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जो लोग वहां जा रहे हैं वह पार्षद के घर बैठकर जितनी सूची उन्हें मिल जाती है उतने बी0पी0एल0 मान लेते हैं। तो क्या सरकार नगर निगम को निर्देशित करेगी कि हर वार्ड में कम से कम एक नगर कर्मी लगाया जाय जिससे वह सही तरीके से सर्वेक्षण को सम्पादित कराये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नगर निगम एक स्वायत्तशासी संस्था है। जो कार्य हमें कराना है उसके लिये व्यवस्था कर दी गयी है उसके अनुसार कार्यवाही होगी।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, जो गाइड लाइन पुर्नसर्वेक्षण की तय की गई है उस गाइड लाईन में लिखा हुआ है कि नगर निगम क्षेत्रों में नगर निगम के अन्तर्गत संयुक्त टीम का गठन करके कार्यवाही की जायेगी। सी0डी0ओ0 ने इसीलिए नगर निगमों को पत्र लिखा है। जिलाधिकारी ने इसीलिए नगर निगम को पत्र लिखा है। इसके बावजूद कार्यवाही नहीं हुई है, इसके बावजूद सिर्फ 15 कर्मी दिये गये और वे लेखपाल लगाये गये हैं जो नगर निगम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, इसीलिए पूरा सर्वेक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। मैं सिर्फ व्यवस्था इसीलिए चाहता हूं कि सही तरीके से सर्वेक्षण हो सके।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी यही कहा है कि यह सर्वेक्षण हो रहा है और जो भी हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, चाहे जहां के भी हों, जहां कहीं भी अनियमिततायें पाई जायेंगी, उसकी जांच होगी, पूरी पारदर्शिता वरती जायेगी।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, खाली अनियमितता हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

उसी की जांच कराने के लिए माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने कहा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अनियमितता किसी तरह की न होने पाये और सही पात्र लोगों के ही बी0पी0एल0 की सूची में नाम शामिल हों इसलिए सरकार ने यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम किया है और मान्यवर निश्चिततौर पर उसके कई चरण हैं सूची प्रकाशित होगी, सूची प्रकाशन के बाद लोगों को आपत्ति करने का भी अवसर मिलेगा, उसके बाद फाईनल सूची बनेगी मान्यवर, इसलिए कहीं भी अनियमितता का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता और कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अगर गलत कार्य करेगा तो उसको दण्ड देने का कार्य किया जायेगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह तो कोई बात नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष-

बात हो गई, डा0 साहब, इन्होंने कह दिया कि पुनरीक्षण का काम जो हो रहा है, कई चरणों में है और इसकी सूची प्रकाशित होगी, जहां भी अनियमितता होगी जो भी स्टाफ लगाया

गया है अगर गड़बड़ी करेंगें तो उसी की जांच कराने के लिए माननीय मंत्री जी कह रहे हैं। अब तो कुछ भरोसा रखिये, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मैं जांच करा लूंगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, 08 फरवरी तक प्रकाशित होनी थी, लेकिन कहीं भी अभी तक काम पूरा नहीं हुआ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, तिथि बढ़ गई है।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब इतना तो भरोसा रखें, जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि जांच करा लेंगें फिर क्यों परेशान हैं। अब हम मद संख्या-25 ले रहे हैं।

आगरा शहर में दूषित पेयजल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

आगरा नगर की जलापूर्ति पूर्णतः यमुना नदी के जल पर निर्भर है, क्योंकि आगरा नगर में भूमिगत जल फ्लोराईड युक्त पाया जाता है.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[यमुना नदी का जल प्रदूषित होने के कारण आगरा जल संस्थान को इसके शोधन हेतु काफी मात्रा में रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है।

गत दिनों यमुना नदी के जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने के कारण शोधन के उपरान्त भी पानी रंगहीन नहीं हो पाया, परन्तु शोधन के उपरान्त यह पानी पीने योग्य रहता है तथा इसमें दुर्गन्ध नहीं होती और न ही बीमारी फैलने का अंदेशा रहता है। इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की स्वीकृति के पश्चात् जापान बैंक आफ इण्टरनेशनल कोऑपरेशन (जे0बी0आई0सी0) द्वारा ऋण के रूप में वित्त पोषित गंगाजल प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में ऋण अनुबन्ध दिनांक 30 मार्च, 2007 की जे0बी0आई0सी0 एवं भारत सरकार के मध्य निष्पादित

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हो चुका है। गंगाजल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 150 क्यूसेक गंगाजल बुलन्दशहर के पालरा फाल से आगरा नगर तक 2100 एमएम की दोहरी पाईप लाईन डालकर लाने की योजना है। उक्त योजना वर्ष 2013-14 तक पूर्ण की जानी है। योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् समस्या का स्थायी समाधान हो जायेगा।

इस मध्य यमुना नदी में प्रदूषण की सांद्रता को कम करने हेतु लगभग 150 क्यूसेक गंगा जल माण्ट ब्रान्च के हरनौल स्केप के माध्यम से गोकुल बैराज के अपस्ट्रीम में यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है, जो प्रदूषण को कम कर रहा है।]

प्रदेश में खराब बिजली मीटर के उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाट 500 यूनिट बिजली का बिल वसूलने का आदेश निर्गत करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के अन्तर्गत ऐसे उपभोक्ताओं.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[जिनके मीटर खराब हैं उनकी बिलिंग, उनकी पिछली मीटर रीडिंग एवं उनके खराब मीटर को नये मीटर से बदले जाने की तिथि के मध्य, औसत विद्युत उपभोग एवं पिछली मीटर रीडिंग की तिथि से पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत अधिकतम मांग के आधार पर किये जाने का प्राविधान है।

विद्युत विभाग को लगातार हो रही राजस्व हानि को दृष्टिगत रखते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धन द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जब तक उपभोक्ता का खराब मीटर बदला नहीं जाता है तब तक सी0सी0-24 में 500 यूनिट/किलोवाट/माह की दर से यूनिटों की गणना की जाय। विद्युत उपभोक्ताओं के खराब मीटरों को समय से न बदलने पर अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उत्तरदायी ठहराया गया है, एवं उक्त आदेश के द्वारा किया जाने वाला राजस्व निर्धारण मीटर के ठीक होने के पश्चात् भविष्य के विद्युत बिलों में समायोजित करने का प्राविधान है। प्रबन्धन द्वारा जारी उक्त आदेश केवल अंतरिम व्यवस्था के अन्तर्गत जारी किये गये थे।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अग्रेतर सूचनीय है, कि उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के आदेश संख्या उ0प्र0वि0नि0आ0, सचिव/शिकायत (ए0के0एस0)/2008-303, दिनांक 12-02-2008 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धन द्वारा निर्गत उक्त आदेश को, नियामक आयोग द्वारा इस प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिये जाने तक, स्थगित कर दिया गया है।]

जनपद सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर में पाले के कारण हुई फसलों के नुकसान से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

विगत एक माह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[मैं पाले का भयंकर प्रकोप हुआ है। विशेषकर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जनपद की आलू, चना, मटर, सरसों की फसल पूर्णत वर्बाद हो गई है, खेत में खड़ा गन्ना भी अत्याधिक प्रभावित हुआ है। गन्ने के अगौले पूर्णतः सूख गये हैं तथा कहीं-कहीं पर इतना भंयकर प्रभाव है कि खेत में खड़ी फसल सड़ चुकी है। आम के बाग भी कम से कम 50 प्रतिशत तक सूख गये हैं। प्राकृतिक आपदा होने के बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई राहत कार्य किसानों को मदद करने का शुरू नहीं किया गया है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर से फसलों के नुकसान के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की गई है। जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि पाले के प्रकोप से आलू, चना, मटर, सरसों की फसल में लगभग 20 प्रतिशत की क्षति हुई है। गन्ने की फसल में से लगभग 50 प्रतिशत गन्ना पहले ही कट चुका है अवशेष गन्ने की फसल में लगभग 25 प्रतिशत की क्षति हुई है। आम के बाग में अभी फसल नहीं है। चूंकि फसलों की क्षति 50 प्रतिशत से कम है अतः कोई सहायता देय नहीं है।

जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि पाले की क्षति का उद्यान एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा आंकलन किया जा रहा है। आलू की खुदाई के उपरान्त ही वास्तविक क्षति का आंकलन होगा। आलू, मटर की फसल पर 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होना सम्भावित है। वास्तवित क्षति का आंकलन कराया जा रहा है। 50 प्रतिशत से अधिक फसलों को क्षति का आकलन प्राप्त होने के उपरान्त ही कृषि निवेश अनुदान दिये जाने पर नियमानुसार विचार किया जाना सम्भव होगा।]

(मद संख्या-28 लिये जाने पर)

श्री इमरान मसूद-

माननीय अध्यक्ष जी, मद संख्या-27 के बारे में मुझे एक अनुपूरक करना है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, चूंकि माननीय हुकुम सिंह जी हैं नहीं, और यह मामला मेरे क्षेत्र से भी सम्बन्धित है, इसलिए मैं निवेदन करके केवल एक जानकारी चाहता हूं कि यह जो जवाब आया है उसमें आम की फसल के लिए साफ कह दिया गया है कि 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान का आंकलन नहीं आया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फसल आने का प्रश्न तब होगा जब पेड़ बचेगा। आम के पेड़ कम से कम 50 प्रतिशत तक सुख गये हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आप इस मद से आगे बढ़ गये हैं और अब आपने मद संख्या-28 ले लिया है।

श्री अध्यक्ष-

सुनिये इमरान मसूद जी, इसमें आप केवल अनुपूरक पूछ सकते हैं।

श्री इमरान मसूद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं वही पूछ रहा हूं। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मद संख्या-28 ले लिया और माननीय सदस्य मद संख्या-27 के बारे में जानकारी ले रहे हैं।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, मैं केवल इतना जानना चाह रहा था आपसे कि जो बाग सूख गये हैं उनको आप राहत देने का काम करेंगे या नहीं करेंगें। केवल इतना बता दें।

श्री जगदीश नारायण राय-

इसका जवाब तो लिखित में दे ही दिया गया है अब आप आगे बढ़ें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अब मद संख्या-28 लें।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-28 यही इमरान मसूद का तो है।

श्री इमरान मसूद-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

पहले सुनिये तो वह बोल रहे हैं, आप उनका जवाब तो सुन लें।

जनपद सहारनपुर स्थित थाना बिहारीगढ़ के ग्राम सुन्दरपुर के श्री सलीम अहमद के घर आगजनी के कारण हुई मौत से प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इमरान मससूद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी सहारनपुर ने यह अवगत कराया है कि श्री सलीम अहमद के घर दिनांक 9-2-2008 की रात्रि में आगजनी के कारण उसकी दो लड़कियों दिलशाना आयु लगभग 07 वर्ष व इशराना आयु लगभग 05 वर्ष की जलकर मृत्यु हो गयी.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[इस घटना के सम्बन्ध में पीड़ित श्री सलीम द्वारा थाना बिहारीगढ़ में दिनांक 10-2-2008 को प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0-22/08, अपराधिक मामलों के अन्तर्गत धारा-436 व 440 आई0पी0सी0 दर्ज कराई गई है। घटना के तत्काल बाद जिलाधिकारी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उप जिलाधिकारी, बेहट के साथ स्थल का निरीक्षण किया गया तथा अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवार के खाने-पीने का घरेलू सामान जल जाने के कारण उसे तात्कालिक रूप से रु0 2000/-की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

प्रश्नगत अग्निकाण्ड की घटना मानवजनित प्रतीत होने के कारण दैवी आपदा से आच्छादित नहीं है अतः पीड़ित परिवार को आपदा राहत निधि से आर्थिक सहायता दिया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त उसी क्षेत्र के ग्राम जहानपुर में गत वर्ष माह जून में दिनांक 2-6-07 को दैवी आपदा के कारण घटित अग्निकाण्ड में मेमपाल पुत्र रतिराम आयु 26 वर्ष की मृत्यु होने पर उसके वारिसान को नियमानुसार आपदा राहत निधि से रु0 1.00 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आपदा राहत निधि के दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था है कि आवासीय क्षेत्र के अग्निकाण्ड में दुर्घटनावश लगी आग से जान-माल आदि का नुकसान होने पर ही सहायता प्रदान की जायेगी।]

श्री अध्यक्ष-

इमरान जी इसमें आप देखें लिखा है कि आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई है। अब क्या आप चाहते हैं बताइये ?

श्री इमरान मसूद-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पहले प्रश्न का भी जवाब नहीं आया लेकिन अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं। चूंकि यह मेरा ही प्रश्न है। मान्यवर, एक क्षेत्र में दो घटनायें हुई एक घटना 02 जून, 2007 को हुई जिसके अन्दर मेमपाल पुत्र रतीराम एक दलित वर्ग के व्यक्ति की जल कर के मृत्यु हुई और सरकार द्वारा एक लाख रुपये की सहायता तत्काल उपलब्ध करा दी गई।

मान्यवर, दूसरी घटना 10-2-2008 की है जिसमें दो बच्चियों की मौतें हुई हैं। इसमें आया है कि यह प्रथम दृष्टया मानवजनित प्रतीत होती है। इसमें इन्वेस्टीगेशन पूरा हो चुका है ऐसी जानकारी है। यह स्पष्ट हो गया है कि लालटेन से आग लगी थी। आपसे अनुरोध है कि कृपया उस प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की कृपा करें। उनको पैसा मिल जाये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह दैवीय आपदा से आच्छादित नहीं होता है।

जनपद लखीमपुर खीरी स्थित मोहम्मदी नगर पालिका अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु सब-स्टेशनों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णाराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, वर्तमान में विद्युत की मांग ...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[एवं विद्युत की उपलब्धता के मध्य अन्तर को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को 14 घण्टे तहसील स्तरीय नगर को 15 घण्टे, जनपद स्तरीय नगर को 16 घण्टे, मण्डल स्तरीय नगर को 18 घण्टे, महानगरों को 20 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति कार्यक्रम निर्धारित किया गया है तथा उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के सभी क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति कराये

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाने के प्रयास किये जाते हैं, परन्तु प्रतिदिन विद्युत की घटती-बढ़ती मांग के अनुरूप विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण एवं विद्युत प्रणाली की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये आपातकालीन विद्युत कटौती कराया जाना अपरिहार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय वितरण प्रणाली में उत्पन्न व्यवधानों के कारण भी विद्युत आपूर्ति बाधित होती है।

अग्रेतर सूचनीय है कि 132 के0वी0 उपकेन्द्र मोहम्मदी पर क्षमता वृद्धि 1 x 20 एम0वी0ए0 से 2 x 20 एम0वी0ए0 करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में बांसी नदी की कटान से प्रभावित ग्रामों के पुनर्वास के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, डा0 पी0 के0 राय ...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 विधान सभा को नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 12-02-08 को यह सूचना दी गयी है कि जनपद कुशीनगर तहसील तमकुही राज में ग्राम राजपुरखास के धोबहा एवं नरवा टोला में बांसी नदी बहुत तेजी से कटान कर रही है जिससे इन दोनों टोलों का अस्तित्व समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसका शीघ्र समाधान एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर तहसील तमकुहीराज में राजस्व ग्राम-राजपुर खास के धोबहा एवं नरवा नामक टोला की कृषि योग्य भूमि बांसी नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 2006 की वर्षा ऋतु में बांसी नदी द्वारा राजपुर खास ग्राम के उपरोक्त दोनों टोलों की लगभग 15 एकड़ कृषि योग्य भूमि का कटान हुआ। वर्ष 2007 की वर्षा ऋतु में उक्त दोनों टोलों की कृषि योग्य भूमि का कटान नगण्य है। बांसी नदी की धारा से ग्राम राजपुर खास के धोबहा टोला की आबादी 125 मीटर दूर तथा नरवा टोला की आबादी बांसी नदी के किनारे बसी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सीमित वित्तीय संसाधनों के मद्देनजर विभागीय नीति के अन्तर्गत सामान्यतः मात्र एक ग्राम की आबादी/कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा हेतु कोई बाढ़ सुरक्षा योजना नहीं बनाई जाती है, वरन ग्रामों के समूह के लिए इस प्रकार की योजना प्रस्तावित की जाती है। प्रश्नगत प्रकरण में मात्र एक ग्राम राजपुर खास ही प्रभावित है। अतः इसकी बाढ़ सुरक्षा योजना का कोई प्रस्ताव शासन नीति के अन्तर्गत प्राथमिकता क्रम में नहीं है।]

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, वह बहुत ही गरीब इलाका है। बहुत पिछड़े हुए और दलित लोग वहां पर रहते हैं। 15 एकड़ जमीन कट चुकी है और पुनः कटान जारी है। उसके बाद भी जवाब यह है कि इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं है।

मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार इसमें अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उन गरीबों और दलितों को बचाने के लिये आवश्यक इंतजाम करे।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन "आदित्य" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा ...

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री न दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[मा0 विधान सभा में नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई कि उ0 प्र0 वित्तीय निगम की स्थापना प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए की गई थी, जिससे प्रदेश में चतुर्दिक विकास हो सके। इसके अन्तर्गत 18 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं जिसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन किया जाता है। विभिन्न कार्यालयों में 1800 से भी अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। अप्रैल, 2007 से प्रदेश सरकार द्वारा द्वेषगत भावना के अन्तर्गत उ0 प्र0 वित्तीय निगम को ऋण देना बन्द कर दिया है ऐसी परिस्थिति में जहां इनमें कार्यरत कर्मचारियों के सामने विषम स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहीं प्रदेश का विकास भी प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के विकास के लिए इसको चालू रखना अति

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आवश्यक है जिससे प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो सके। बुन्देलखण्ड में उद्योग लगभग शून्य के बराबर है ऐसी स्थिति में बुन्देलखण्ड के लोगों के सामने विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है।

2-उक्त परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि उ0 प्र0 वित्तीय निगम की स्थापना 01 नवम्बर, 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत की गई थी। उ0 प्र0 वित्तीय निगम में लघु एवं मध्यमवर्गीय उद्योगों के माध्यम से प्रदेश के सर्वांगीण विकास को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव किया है तथा 31 मार्च, 2007 तक लगभग 41,324 इकाइयों को रु0 3322.69 करोड़ का ऋण स्वीकृत हुआ व रु0 3,190.21 करोड़ के दीर्घावधि ऋण के रूप में वित्त पोषण किया गया है।

उ0 प्र0 वित्तीय निगम के 19 क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः आगरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़, बरेली, देहरादून, इटावा, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, हल्द्वानी, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा एवं वाराणसी है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों में 791 कर्मचारी कार्यरत है।

3-भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिडबी को निर्देशित किया गया है कि उन वित्तीय निगमों की पुनर्वित्त सुविधा पर रोक लगा दी जाए जिनकी नेटवर्थ ऋणात्मक है। वर्तमान में उ0 प्र0 वित्तीय निगम की नेटवर्थ ऋणात्मक है, जिसके कारण निगम को सिडबी से पुनर्वित्त सुविधा पर रोक लगा दी गई है। मंत्रि-मण्डलीय सचिव की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 14-9-07 में यह निर्णय लिया गया है कि निगम के ऋण वितरण संबंधी कार्यकलापों को बन्द कर दिया जाये। तदनुसार निगम के निदेशक मण्डल ने वर्तमान में किसी भी तरह के ऋण स्वीकृति एवं वितरण पर रोक लगा दी है। निगम द्वारा ऋण की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य न किए जाने के कारण पूर्व में दिए गए ऋणों की वसूली का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है।

4-उ0 प्र0 वित्तीय निगम का प्रदेश के औद्योगिक विकास में सकारात्मक योगदान रहा है। निगम ने कुल वितरण का 52 प्रतिशत पिछड़े जिलों में किया है तथा निगम के द्वारा वित्त पोषित इकाइयों से लगभग दो लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं, किन्तु वर्तमान में निगम की नेटवर्थ ऋणात्मक होने के कारण सिडबी द्वारा पुनर्वित्त सुविधा पर रोक लगा दी गई है।

उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च, 2007 तक बुन्देलखण्ड में 1862 इकाईयों को रु0 11394.82 लाख के ऋण स्वीकृत और रु0 1115.20 लाख के ऋण वितरित किए गए हैं। वर्तमान में 765 इकाइयों पर 28.75 करोड़ बकाया है।]

जनपद जौनपुर के थाना सराय ख्वाजा के ग्राम अफलेपुर निवासी राजाराम जायसवाल के अपर प्राणघातक हमला करने वाले नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव "ललई" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, उक्त के सम्बन्ध में ...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री न दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[पुलिस अधीक्षक, जौनपुर से प्राप्त आख्या के आधार पर दिनांक 09-2-2008 को वादी श्री राजाराम जायसवाल पुत्र स्व0 ओम प्रकाश जायसवाल, निवासी अफलेपुर, थाना सराय ख्वाजा, जनपद जौनपुर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-80/2008 धारा 307/508 भा0दं0वि0 प्रतिवादीगण 1-इन्द्रदेव यादव पुत्र स्व0 बहादुर यादव निवासी कछरा, थाना कोतवाली शाहगंज, जौनपुर, 2-राहुल सिंह पुत्र रुद्र पाल सिंह निवासी खलीलपुर, थाना सरायख्वाजा, जनपद-जौनपुर, 3-मोटर साइकिल चालक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध वादी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर करने आदि के सम्बन्ध में पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना के मध्य एक प्लास्टिक की कुर्सी जिसमें गोली लगना बताया जा रहा है, स्थानीय पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है। कुर्सी पर लगा निशान गोली का ही है या किसी और का, इसके लिये परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने की कार्यवाही की जा रही है। घटना के सम्बन्ध में स्वतंत्र साक्ष्य संकलित किये जा रहे हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी ब्लाक सोंधी में ब्लाक प्रमुख के पद पर चुनाव के समय से ही चुनाव को लेकर विवाद चला आ रहा है जिसमें दोनों तरफ से थाना सरायख्वाजा,जौनपुर पर मुकदमें एक दूसरे के विरुद्ध पंजीकृत हैं। वादी इन्द्रदेव यादव द्वारा थाना सराय ख्वाजा, जनपद जौनपुर पर मु0अ0सं0-43/2006 धारा 364/395/397 भा0दं0वि0 दिनांक 08-2-2006 को 09 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था जिसमें शैलेन्द्र सिंह यादव "ललई" को भी नामजद किया गया था एवं शैलेन्द्र सिंह यादव "ललई" (मा0 सदस्य विधान सभा तत्कालीन मंत्री उ0 प्र0 सरकार) पक्ष के श्री मनोज कुमार यादव द्वारा मु0अ0सं0-16/2006 धारा 364/323/504/506/427 भा0दं0वि0 दिनांक 09-4-2006 को पांच व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था जिसमें इन्द्रदेव यादव को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया था। उक्त दोनों मुकदमों में आरोप पत्र दायर करने के उपरान्त विचाराधीन न्यायालय है।

प्रश्नगत प्रकरण में वादी श्री राजाराम जायसवाल, श्री शैलेन्द्र सिंह यादव "ललई" मा0 विधायक के पक्ष का है तथा बी0डी0सी0 सदस्य है। अतः निष्पक्ष विवेचना हेतु उक्त पुराने प्रकरणों को भी संज्ञान में लेकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट व स्वतंत्र साक्ष्य संकलन के उपरान्त विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बुन्देलखण्ड में गरीबों के लिए बी0पी0एल0 की सूची शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन "आदित्य" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री प्रदीप जैन...

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री न दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[आदित्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि बुन्देलखण्ड प्रदेश का अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां पर आये दिन भूख से मौतें हो रही हैं। जीविकोपार्जन की कोई सुविधा न होने के कारण लोगों के समक्ष गम्भीर समस्या बनी हुई है। ऐसे में ग्राम्य विकास विभाग एवं खाद्य विभाग द्वारा गरीबों के लिए बी0पी0एल0 की सूची नहीं तैयार की जा रही है। जिससे उनको खाद्यान्न नहीं मिल पाता है और उनके सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही है तथा सरकार द्वारा जो सुविधायें जा रही हैं वे गरीबों को नहीं मिल पा रही है। मा0 सदस्य का कथन है कि सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास सार्थक नहीं हो पा रहे हैं जिससे लोगों में निराशा एवं कुण्ठा है। गरीबों की समस्या को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सूची तैयार करके उनको सुविधायें मुहैया कराये जाने की मांग मा0 सदस्य द्वारा की गयी है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि बुन्देलखण्ड के सूखा प्रभावित सभी जनपदों में सरकार द्वारा विभिन्न राहत कार्य कराये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य विकास विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा राजस्व विभाग एवं शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय एवं खाद्य विभाग के कर्मियों की टीमें गठित कर अगस्त, 2007 से बी0पी0एल0 परिवारों का पुनर्सर्वेक्षण कराया जा रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बी0पी0एल0/अन्त्योदय के पूर्व से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चिन्हित 615205 लाभार्थियों को प्रति परिवार 35 किग्रा0 की दर से रियायती मूल्य पर खाद्यान्न प्रतिमाह दिया जा रहा है। बुन्देलखण्ड के सूखा प्रभावित जनपदों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण हेतु जिलाधिकारियों द्वारा कुल 57862 निराश्रित व्यक्तियों को एक माह के लिए प्रति निराश्रित व्यक्ति को 15 कि0ग्रा0 की दर से निःशुल्क खाद्यान्न प्रत्येक ग्राम सभा में संचालित एक-एक उचित दर दुकान में स्थापित खाद्यान्न

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। सम्बन्धित गांव के चिन्हित निराश्रित को राजस्व कर्मी की देखरेख से उक्त निःशुल्क गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त सूखाग्रस्त जनपदों में सामुदायिक रसोई के माध्यम से कुल 15710 निराश्रित व्यक्तियों को भोजन कराने की व्यवस्था भी की गयी है।

सूखा प्रभावित जनपदों के ऐसे ग्रामों में जहां बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय परिवारों की संख्या अधिक है, वहां ग्रामीण खाद्यान्न बैंक भी संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत उक्त जनपदों में 200 खाद्यान्न बैंक स्थापित है। इन बैंकों में से प्रति खाद्यान्न बैंक 40-40 लाभार्थी सम्बद्ध किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इसके अन्तर्गत सम्बद्ध लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी 03 माह की आवश्यकता के अनुसार एकमुश्त एक कुन्तल गेहूं ऋण के रूप में दिया जाता है जिसे लाभार्थी द्वारा एक वर्ष में सामान्य मासिक किश्तों में खाद्यान्न बैंक को लौटाना होता है। इस योजना से 03 हजार लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय के व्यक्तियों को राशन के वितरण की सुनिश्चितता करने हेतु पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को भी लगाया गया है। इस प्रकार आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गयी हैं।]

"राष्ट्रपति पुलिस शौर्य पदक" एवं "पुलिस शौर्य पदक" प्राप्त प्रदेश के अधिकारियों, अर्द्धसैनिक/पुलिस बल के जवानों को सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा ...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री न दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[दी गयी सूचना में यह कहा गया है कि भारतीय सेना के जवानों द्वारा असाधारण शौर्य प्रदर्शन के लिए दिये जा रहे पुरस्कारों की भांति अर्द्धसैनिक बलों/पुलिस बलों के जवानों को अद्भुत शौर्य प्रदर्शन करने पर राष्ट्रपति पुलिस शौर्य पदक/पुलिस शौर्य पदक दिये जाते हैं। मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 13-2-2008 को दी गयी सूचना में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति पुलिस शौर्य पदक/पुलिस शौर्य पदक धारकों की भांति अर्द्धसैनिक बलों एवं पुलिस बलों के जवानों एवं उनकी विधवाओं को दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त पंजाब,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हरियाणा एवं राजस्थान प्रान्तों द्वारा दी जा रही अतिरिक्त सुविधाओं को उत्तर प्रदेश के उक्त पदक धारकों को भी सुविधायें प्रदान किये जाने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस बल को वीरता के लिए प्रदान किये गये राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक धारकों को भारत सरकार द्वारा अनुमन्य की गयी समस्त सुविधायें राज्य सरकार द्वारा भी यथावत प्रदान की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक धारकों को उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में अतिरिक्त कर व अन्य कर को छोड़कर निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

मा0 सदस्य के संज्ञानार्थ यह अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी सुविधायें प्रदेश में लागू हैं। प्रदेश के पुलिस बल के उक्त पदक धारकों के लिए अतिरिक्त सुविधायें दिये जाने को कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 3 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 19 फरवरी, 2008

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अतारांकित प्रश्न 74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर।)

सूची

क्र0सं0	विभाग का नाम	पाठ्यक्रम का नाम
1	2	3
1	प्राणिविज्ञान	एम0एस0सी0 पर्यावरण विज्ञान बी0एस0सी0 पर्यावरण विज्ञान
2	गृह विज्ञान	एम0एस0सी0 फूड एण्ड न्यूट्रियेशन, रिसोर्स मैनेजमेन्ट, ह्यूमन डेवलपमेन्ट एण्ड फैमिली स्टडीज, क्लोथिग एण्ड टेक्सटाइल्स, एक्सटेशन एजूकेशन
3	कम्प्यूटर साइंस	पी0जी0 डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस, पी0जी0 डिप्लोमा इन कम्प्यूटर अप्लीकेशन, एम0एस0सी0
4	एम0बी0ए0	डिप्लोमा इन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मैनेजमेन्ट, एम0बी0ए0 (इन्टरनेशनल बिजनेस)
5	एम0जे0एम0सी0	मास्टर डिग्री इन जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनीकेशन
6	पुस्तकालय विज्ञान	बैचलर आफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन साइंस, मास्टर आफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन साइंस
7	प्रौढ़ सतत् एवं प्रसार शिक्षा विभाग	एम0ए0 प्रौढ़ सतत् एवं प्रसार शिक्षा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा इन फैशन एण्ड टेक्सटाइल डिजाइनिंग सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/एडवांस डिप्लोमा इन कम्प्यूटर अप्लीकेशन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	
8	रक्षा एवं स्त्रोतजिक अध्ययन विभाग	पी0जी0 डिप्लोमा इन डिफेन्स एण्ड नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेन्ट
9	ललित कला एवं संगीत विभाग	पी0जी0 डिप्लोमा इन टैक्सटाइल एण्ड कस्टयूम डिजाइनिंग। पी0जी0 डिप्लोमा इन विजुअल कम्युनिकेशन एण्ड डिजाइनिंग पी0जी0 डिप्लोमा इन आर्कालाजिकल लैण्डस्केप एण्ड डेकोरेशन पी0जी0 डिप्लोमा इन इन्डस्ट्रीयल क्राफ्ट एण्ड डिजाइनिंग
10	भूगोल	पी0जी0 डिप्लोमा इन टूरिज्म एण्ड ट्रेवेल मैनेजमेन्ट
11	अंग्रेजी	पी0जी0 डिप्लोमा इन फंक्शनल एण्ड काम्यूनिकेटिव इंग्लिश

राकेशधर त्रिपाठी,
मंत्री,
उच्च शिक्षा विभाग।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 37 विधान सभा (70)-3-6-08-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।